रजिस्ट्री सं० डी--(डी)--73 REGISTERED NO. D--(D)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 2/7/81

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 25, 1981 (वैशाख 5, 1903)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 25, 1981 (VAISAKHA 5, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 2 अप्रैल 1981

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री बी० के० चटर्जी को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में दिनांक 1 अप्रैल, 1981 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है।

दिनांक 8 अप्रैल 1981

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री सी० सी० बॅनर्जी को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में दिनांक 4 अप्रैल 1981 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है।

वी० एस० नटराजन,
प्रबंध निदेशक

एडम्बा

निम्नलिखित वक्फ़ जायदाद को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये । यह वक्फ़ जायदाद तहसील नवां शहर जिला जालन्धर ग्राम औरर में वाका है । और यह गजट नं० 6 पार्ट तीन सैक्शन चार तिथि फरवरी 6, 1971 जिला जालन्धर के गजट का एक भाग है ।

संख्या	वक्फ़ का नाम	जिला / तहसील	जगह का नाम जहां है	रकबा	क्षेत्रफल	कीमत	वक्फ़ कब बना	वक्फ क्या है	इनको किस तरह से कन्ट्रोल किया जाता है	रिमार्कस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				क० म०						
2367	कब्रिस्तान	जालन्धर / नवां शहर	औरर	14—08	89 (मिन)	—	पता नहीं	धार्मिक	सैक्रेटरी पंजाब वक्फ बोर्ड ऐक्स ओफिसियो मुतवल्ली इसका बन्दोबस्त करता है ।	
				1—16	89 (मिन)					
				16—04						
				1—01	84					
				11—07	86					
				5—15	85					
				11—10	87					
				1—11	32/3/2					
				2—05	17/2					
				4—12	24/2					
				38—16	38					

ह० अपठनीय
सैक्रेटरी पंजाब वक्फ बोर्ड
अम्बाला कैन्ट

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम

बम्बई, दिनांक 13 अक्तूबर, 1980

सं० जी० एस० आर०—कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 (1963 के 10) के अनुसरण में 30 जून 1980 को समाप्त हुए वर्ष के लिये निगम के कार्य तथा 30 जून 1980 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखे पर बोर्ड की रिपोर्ट नीचे प्रकाशित की जाती है।

कृ० पु० वि० नि० एक दृष्टि में

करोड़ रुपये

साधन	30 जून को समाप्त हुए वर्ष को			उपयोग	30 जून को समाप्त हुए वर्ष को		
	1978	1979	1980		1978	1979	1980
चुकता शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधियां	59	85	90	निम्नलिखित को प्रदान किया पुनर्वित्त (बकाया)			
भारत सरकार से लिये गये उधार	428	502	645	राज्य भूमि विकास बैंक .	589	663	750
(उसमें से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सहायता का अंश)	(360)	(444)	(548)	(उसमें से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक परियोजनाओं के अधीन)	(384)	(435)	(484)
भारतीय रिजर्व बैंक से लिया गया उधार				अनुसूचित वाणिज्य बैंक .	273	372	539
दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि	217	264	315	(उस में से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ			
अल्पावधि	—	—	—	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक परियोजनाओं के अधीन) .	(135)	(184)	(269)
खुले बाजार से लिये गये उधार	202	246	286	राज्य सहकारी बैंक	11	11	15
				(उसमें से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनाओं के अधीन)	(2)	(3)	(8)

विकास का इतिहास

करोड़ रुपये

विवरण	जून के अंत की विद्यमान स्थिति							
	1969	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
चुकता शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधियां	5	17	23	29	42	59	85	90
विशेष जमा राशियां	1	1	2	2	3	4	5	7
विशेष ऋण लेखा	—	—	—	—	—	5	7	7
सहायता ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
उधार :								
भारत सरकार से	26	164	197	250	340	428	502	645
भारतीय रिजर्व बैंक से	—	66	93	140	173	217	264	315
अल्पावधि	—	12	5	2	—	—	—	—
दीर्घावधि	—	54	88	138	173	217	264	315
खुले बाजार से	—	66	99	138	182	202	246	286
दिया गया पुनर्वित्त (शुद्ध)	30	310	407	549	722	874	1046	1304
डिबेंचर	28	272	344	426	525	590	661	749
ऋण	2	38	63	123	197	284	385	555
अन्य आस्तियां	1	9	14	20	30	46	62	64
निवेश और प्रारक्षित नकदी निधियां	1	—	—	—	—	23	32	26
सकल आय	1	16	22	30	41	55	69	85
कर पूर्व लाभ	1	3	4	6	8	12	14	16
देय कर	—	2	2	3	3	—	—	—
कर के बाद लाभ	—	1	2	3	5	12	14	16
अदा किया गया लाभांश	4	1	1	1	2	2	3	3

सारणी 1—पुनर्वित्त का वितरण—प्रयोजनावार (जुलाई-जून)

करोड़ रुपये

प्रयोजन	चौथी योजना		निम्नलिखित वर्षों में						30 जून 1980 तक
	1963-69£	1969-74£	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	
लघु सिंचाई	13 (43.3)	242 (84.6)	84 (79.3)	108 (63.1)	142 (64.3)	143 (61.1)	171 (60.0)	227 (55.1)	1130 (65.0)
भूमि विकास*	14 (46.7)	14 (4.9)	2 (1.9)	5 (2.9)	6 (2.7)	4 (1.7)	11 (3.8)	10 (2.4)	66 (3.8)
कृषि मशीनीकरण*	–	7 (2.5)	12 (11.3)	46 (26.9)	52 (23.5)	28 (12.0)	41 (14.4)	92 (22.4)	279 (16.1)
बागान/बागवानी	2 (6.7)	9 (3.1)	2 (1.9)	3 (1.7)	5 (2.3)	8 (3.4)	12 (4.2)	21 (5.1)	63 (3.6)
मुर्गीपालन/भेड़पालन/सुअरपालन	–	–	1 (0.9)	1 (0.6)	1 (0.4)	2 (0.9)	4 (1.4)	11 (2.7)	19 (1.1)
मत्स्यपालन	–	2 (0.7)	2 (1.9)	2 (1.2)	2 (0.9)	5 (2.2)	8 (2.8)	10 (2.4)	32 (1.9)
डेरी विकास	–	2 (0.7)	1 (0.9)	3 (1.8)	3 (1.4)	4 (1.7)	7 (2.5)	10 (2.4)	30 (1.7)
भंडार और बाजार केन्द्र	1 (3.3)	10 (3.5)	2 (1.9)	3 (1.8)	10 (4.5)	38 (16.2)	27 (9.5)	15 (3.7)	106 (6.1)
वन-उद्योग	–	–	–	–	–	1 (0.4)	1 (0.4)	1 (0.2)	3 (0.2)
समन्वित ग्रई विकास परियोजना (अ०प्र०)	–	–	–	–	–	1 (0.4)	3 (1.0)	5 (1.2)	–
गोबर गैस संयंत्र	–	–	–	–	–	–	–	1 (0.2)	1 –
अन्य	–	–	–	–	–	–	–	9 (2.2)	9 (0.5)
जोड़	30 (100.0)	286 (100.0)	106 (100.0)	171 (100.0)	221 (100.0)	234 (100.0)	285 (100.0)	412 (100.0)	1738$ (100.0)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ का प्रतिशत हैं। £वर्षवार आंकड़े इसके पहले के प्रकाशनों में दिये गये हैं। *कृपया पृष्ठ 53 में विवरणिका के अधीन टिप्पणी 2 देखें। $समन्वित ग्रई विकास परियोजना में अल्पावधि वितरण शामिल नहीं है।

सारणी 2—पुनर्वित्त का वितरण—एजेंसीवार (जुलाई-जून)

करोड़ रुपए

एजेंसी	चौथी योजना		निम्नलिखित वर्षों में						30 जून 1980 तक
	1963-69£	1969-74£	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	
राज्य भूमि विकास बैंक	28 (93.4)	246 (86.0)	77 (72.6)	99 (57.9)	127 (57.4)	112 (47.9)	131 (46.0)	164 (39.8)	983 (56.6)
उसमें से अंपुवि बैंक की परियोजनाओं के अधीन	–	–	–	–	–	–	1	1	2
अंवि संघ की परियोजनायें	–	122	52	91	100	86	88	109	648
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1 (3.3)	28 (9.8)	28 (26.4)	71 (41.5)	93 (42.1)	120 (51.3)	150 (52.6)	239 (58.0)	729 (41.9)
उसमें से अंपुवि बैंक की परियोजनाओं के अधीन	–	1	–	1	–	–	–	1	3
अंविसंघ की परियोजनायें	–	4	10	41	55	46	72	120	346
राज्य सहकारी बैंक	1 (3.3)	12 (4.2)	1 (1.0)	1 (0.6)	1 (0.5)	2 (0.8)	4 (1.4)	9 (2.2)	26 (1.5)
उसमें से अंवि संघ की परियोजनाओं के अधीन	–	–	–	–	–	2	4	8	8
जोड़	30 (100.0)	286 (100.0)	106 (100.0)	171 (100.00)	221 (100.0)	234 (100.0)	285 (100.0)	412 (100.0)	1738 (100.0)

कोष्ठकों में दिये गयेय आंकड़े जोड़ का प्रतिशत हैं। £वर्षवार आंकड़े इसके पहले के प्रकाशनों में दिये गये हैं।
$समन्वित ग्रई विकास परियोजना में अल्पावधि वितरण शामिल नहीं है।

17वीं वार्षिक रिपोर्ट 1979–80

मुख्य मुख्य बातें

इस वर्ष के दौरान गत वर्ष के 285 करोड़ रुपये के मुकाबले 412 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई और इससे 45 प्रतिशत बढ़ोतरी का रिकार्ड स्थापित हुआ.

2000 लाख डालर की दूसरी कृपुविनि साख परियोजना में 30 दिसम्बर, 1979 तक योजना के लिये निर्धारित पूरी राशि वितरित की गई.

2500 लाख डालर की तीसरी कृपुविनि साख परियोजना 2 जनवरी, 1980 से चालू हो गई है.

इसके अलावा अंविसंघ के साथ तीन विशिष्ट परियोजनाओं (अंतर्देशीय मछली पालन, काजू विकास और रेशम विकास) के संबंध में बातचीत हो चुकी है.

अपेक्षित संसाधन इस प्रकार बढ़ाए गए हैं:

भारत सरकार से 165 करोड़ रुपये, भारतीय रिजर्व बैंक से 85 करोड़ रुपए, बाजार से उधार 40 करोड़ रुपए और बाकी सदस्य बैंकों की चुकौतियों से.

विदेशी राष्ट्रों से 1410 लाख डालर की द्विपक्षीय सहायता का पक्का वायदा हासिल हुआ.

1. कृपुविनि के कार्यकलाप

(क) वितरण

30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष में ऋण वितरण के क्षेत्र में इतनी उल्लेखनीय प्रगति हुई कि गत वर्ष के 285 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष 412 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया, 1977-78 के 6 प्रतिशत और 1978-79 के 22 प्रतिशत की तुलना में, इस वर्ष हुई 45 प्रतिशत की वृद्धि एक रिकार्ड है। एकाध राज्य को छोड़कर सभी प्रमुख राज्यों में अधिकतम वितरण हुआ है। यह उल्लेखनीय प्रगति ऐसे वक्त हुई, खासतौर खरीफ के समय में, जब देश का अधिकांश भाग सूखे से पीड़ित था और उपलब्ध सिंचाई स्रोतों से पानी निकालने के लिये आवश्यक डीजल और विद्युत् ऊर्जा की भारी कमी थी। निगम की स्थापना से लेकर जून 1980 तक का संचयी वितरण 1738 करोड़ रुपये की सीमा तक पहुंच गया। इसमें 9 करोड़ रुपये का अल्पावधि वित्तपोषण शामिल नहीं है। पिछले वर्षों के ही समान 1980 के जून महीने में वितरण में तेजी आई और गत वर्ष के 99 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष 142 करोड़ रुपये का वितरण हुआ। वर्ष के दौरान हुए कुल वितरण में 240 करोड़ रुपये अर्थात् कुल वितरण का 58 प्रतिशत ऋण विश्व बैंक/अंविसंघ /क्रेडिटनस्टल्ट फर वाइदरोफबाऊ ग्रुप (के० एफ० डब्ल्यू)/ इत्यादि की सहायता से वितरित किया गया और कृपुविनि भारत सरकार के जरिए 1520 लाख डालर की विदेशी मुद्रा का आहरण कर सका। इसके अलावा वितरण के लिये द्विपक्षीय दान व्यवस्था के अन्तर्गत 910 लाख डालर की सहायता प्राप्त करने की पात्रता भी हासिल हो गई है। अंविसंघ/अंपुवि० बैंक/कि० एफ० डब्ल्यू० परियोजनाओं के अंतर्गत 1978-79, 1979-80 और 30 जून, 1980 तक की तुलनात्मक वितरण की स्थिति नीचे सारणी 3 में दी गई है:

सारणी—3 पुनर्वित्त का वितरण

(करोड़ रुपये)

वितरण	वर्ष		
	1978-79	1979–80	30 जून, 1980 तक*
अंपुवि बैंक/अंविसंघ के एफ० डब्ल्यू० के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजनाएं	164	240	1008
जोड़	285	412	1738

*अल्पावधि ऋण को छोड़कर

वर्ष के दौरान अंविसंघ/अंपुवि बैंक/अन्य दानियों इत्यादि की सहायता प्राप्त विविध परियोजनाओं के अधीन किये गये संचयी वितरण की राशि 1000 करोड़ रुपये की सीमा पार कर गई है और इससे प्रदाता देशों से समेकित रूप से प्राप्त द्विपक्षी सहायता सहित 8900 लाख डालर से अधिक विदेशी मुद्रा की पात्रता प्राप्त हो गई है।

1.2 आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कुछ राज्यों ने वितरण की दिशा में अच्छी प्रगति दिखाई है। उपर्युक्त 5 राज्यों ने वर्ष के दौरान वितरित कुल पुनर्वित्त के 55 प्रतिशत का लाभ उठाया है। 1979–80 में वितरित कुल पुनर्वित्त की राशि में कम विकसित राज्यों के हिस्से में 37 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और उक्त हिस्से की राशि बढ़कर 164 करोड़ रुपये हो गई। यह कुल वितरण का 40 प्रतिशत बनता है। विकसित राज्यों ने वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 90 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दिखाई है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अशांत स्थिति और उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की दिशा में आई रुकावटों के कारण कम विकसित राज्यों में बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता का उपयोग करना संभव नहीं हो सका।

1.3 एजेंसीवार वितरणों से पता चलता है कि वितरण की दिशा में वाणिज्य बैंकों में संतोषजनक परिवर्तन आया है (सारणी 2 लागातार तीसरे वर्ष वाणिज्य बैंकों ने अधिकतम वितरण का रिकार्ड स्थापित किया है। राज्य भूमि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंकों में से चारों ही प्रकार के बैंकों ने पुनर्वित्त का आहरण करने में सही मायने में पिछले वर्ष से अधिक सुधार किये हैं। पिछले 2 वर्ष के दौरान तथा 30 जून, 1980 तक हुए एजेंसीवार वितरण की स्थिति संक्षेप में नीचे सारणी 4 में दी गई है:

सारणी—4 एजेंसीवार वितरण

(करोड़ रुपये)

एजेंसी	वर्ष		
	1978–79	1979–80	30 जून, 1980 तक
राज्य भूमि विकास बैंक	131	164	983
वाणिज्य बैंक	147	230	717
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3	9	12
राज्य सहकारी बैंक	4	9	26
जोड़	285	412	1738*

*अल्पावधि ऋण को छोड़कर

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों ने पुनर्वित्त के उपयोग की मात्रा बढ़ाकर 239 करोड़ रुपये कर ली है जो 1978–79 में 150 करोड़ रुपये थी। यह राशि कुल पुनर्वित्त का 58 प्रतिशत बनती है। इस बढ़ोतरी में मुख्य रूप से 12 बड़े राज्यों का योगदान रहा है, जिनमें कम विकसित न्यून बैंक सुविधा प्राप्त असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल थे। यह देखा गया है कि राजस्थान, पश्चिम बंगाल और केरल में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पुनर्वित्त का कम उपयोग हुआ है। 1978–79 के दौरान राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा उपयोग की गई राशि में 33 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, फिर भी आलोच्य वर्ष के दौरान कुल वितरण में उनका हिस्सा 46 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत हो गया है। कर्नाटक और तमिलनाडु को छोड़कर अन्य प्रमुख राज्यों में राज्य भूमि विकास बैंकों ने पुनर्वित्त का उपयोग करने की दिशा में सुधार किया है। खासकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब के राज्य भूमि विकास बैंकों उल्लेखनीय प्रगति की है।

1.4 राज्य सहकारी बैंकों ने गत वर्ष के 4 करोड़ रुपये के मुकाबले, इस वर्ष 9 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता का उपयोग किया है।

वितरण में हुई यह प्रगति हरियाणा और उड़ीसा के राज्य सहकारी बैंकों द्वारा मुख्य रूप से समन्वित कई विकास परियोजना (5 करोड़ रुपये) और लघु सिंचाई (3 करोड़ रुपये) के अंतर्गत किये गए वितरण का उपयोग करने के कारण हुई है।

1.5 वितरित पुनर्वित्त का प्रयोजन वार विभाजन सारणी 1 में दिया गया है। भूमि विकास को छोड़कर अन्य सभी प्रयोजनों के लिये वितरित की गई राशि में गतवर्ष से अधिक वृद्धि देखी गई है। वितरण की स्थिति संक्षेप में नीचे सारणी 5 में दी गई है।

सारणी—5 प्रयोजनवार वितरण

(करोड़ रुपये)

प्रयोजन	वर्ष		30 जून, 1980 तक
	1978–79	1979–80	
लघु सिंचाई	171	227	1130
भूमि विकास	11	10	66
कृषि मशीनीकरण	41	92	278
अन्य	62	83	263
जोड़	285	412	1738£

£अल्पावधि ऋण को छोड़कर

वर्ष के दौरान वितरित किये गये 412 करोड़ रुपये में 227 करोड़ रुपये लघु सिंचाई के लिये थे। लघु सिंचाई आज भी अकेला ऐसा व्यापक प्रयोजन है, जिसके लिये पुनर्वित्त का अत्याधिक उपयोग किया जाता है। किन्तु फिर भी पिछले वर्ष की 60 प्रतिशत की तुलना में आलोच्य वर्ष के दौरान उनका हिस्सा 55 प्रतिशत रह गया है। इसमें पिछले वर्ष वितरित 48 करोड़ रुपये के मुकाबले सिंचाई पम्पसैटों के ऊर्जीकरण के लिये राज्य विद्युत् बोर्डों को वित्तीय सहायता देने हेतु बैंकों को दिया गया 47 करोड़ रुपये का ऋण भी शामिल है। राज्य भूमि विकास बैंकों ने लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत दिये जाने वाले पुनर्वित्त का ज्यादा फायदा उठाया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित वाणिज्य बैंकों ने लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत 103 करोड़ रुपयों का उपयोग किया है तो राज्य भूमि विकास बैंकों ने 121 करोड़ रुपये का उपयोग किया है।

1.6 कृषि के गहन कार्यकलापों के कारण बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिये कृषि मशीनीकरण के लिये किए गए वितरण में भी वृद्धि हुई है। गत वर्ष के 41 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष के दौरान कृषि मशीनीकरण के अन्तर्गत 92 करोड़ रुपये वितरित किए गए। यह वितरण कुल वितरण का 22 प्रतिशत बनता है। इस प्रयोजन के अंतर्गत किये गये वितरणों में पंजाब (32 करोड़ रुपये), उत्तर-प्रदेश (18 करोड़ रुपये), हरियाणा (14 करोड़ रुपये) और आंध्र प्रदेश (7 करोड़ रुपये) में वितरित राशि उल्लेखनीय है।

1.7 आलोच्य वर्ष के दौरान भूमि विकास के लिये वितरित राशि में थोड़ी सी गिरावट आ गई है। पिछले वर्ष वितरित 11 करोड़ रुपये के मुकाबले, इस वर्ष 10 करोड़ रुपये ही वितरित किये गये हैं। कमाण्ड क्षेत्र विकास के एक मुख्य अंग के रूप में चलाये जाने वाले इस भूमि विकास कार्यक्रम में यह थोड़ीसी कमी इसलिये दिखाई पड़ी कि इसके सम्मुख कई कानूनी समस्याएं, संसाधनों की कमी, किसानों की उदासीनता इत्यादि अड़चनें थीं और इसलिये वांछित दिशा में अधिक प्रगति नहीं की जा सकी। आंध्र प्रदेश, केरल और पंजाब में कमाण्ड क्षेत्र विकास को छोड़कर अन्य सभी प्रयोजनों के लिये किया गया वितरण उल्लेखनीय रहा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कार्यरत एजेंसियों को कमाण्ड क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत एक करोड़ रुपये का अंतरिम वित्त वितरित किया गया है।

1.8 अन्य विविध प्रयोजनों के अन्तर्गत वितरण में तेजी आई है और कुल वितरण का 20 प्रतिशत वितरण इन प्रयोजनों के लिये हुआ है। बागान और बागवानी के अंतर्गत हुआ वितरण 1978-79 के 12 करोड़ रुपये से बढ़कर 1979–80 के दौरान 21 करोड़ रुपये हो गया। इस वर्ग के अंतर्गत किया गया अधिकांश वितरण असम, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी क्षेत्र के हिस्से में आया। डेरी विकास, मछली पालन, भेड़-पालन/मुर्गीपालन जैसे अन्य प्रयोजनों के अन्तर्गत हुए वितरणों में पिछले वर्षों की ही तरह वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है। इन प्रयोजनों में सुधार अधिकांशतः इसलिये हुआ है कि वाणिज्य बैंकों ने अपने ऋण वितरण कार्यक्रम के अधीन विविध उद्देश्यों के लिये ऋण देने का स्तुत्य प्रयास किया है और कुछ राज्य भूमि विकास बैंकों ने इस दिशा में शुरुआत कर दी है।

1.9 भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रवर्तित निजी भण्डारों की मांग में गिरावट आने के कारण वर्ष के दौरान भण्डार और बाजार केन्द्रों के लिये किये गये वितरण में 1978–79 के 27 करोड़ रुपये के मुकाबले गिरावट आई और यह घटकर 15 करोड़ रुपये रह गया। वितरित किये गये 15 करोड़ रुपये में 7 करोड़ रुपये भण्डार के लिये थे और बाकी (8 करोड़ रुपये) बाजार केन्द्रों के लिये। अब तक 152 व्यष्टिपरक बाजारों ने निगम की सहायता का लाभ उठाया है।

1.10 सभी क्षेत्रों को पहले से अधिक पुनर्वित्त प्राप्त हुआ (सारणी-7)। इस सम्बन्ध में उत्तरी, मध्यवर्ती और पश्चिमी क्षेत्रों में ठोस प्रगति हुई, जबकि उत्तरपूर्वी क्षेत्र में यह वृद्धि थोड़ी सी रही, जहां 1978–79 के 2.8 करोड़ रुपये के मुकाबले 1979-80 में केवल 3.1 करोड़ रुपये वितरित किये गये। क्षेत्रवार वितरण का सारांश नीचे सारणी 6 में दिया गया है।

सारणी 6—वितरण-क्षेत्रवार

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	वर्ष		30 जून, 1980 तक
	1978–79	1979-80	
उत्तरी	54	110	361
उत्तर पूर्वी	3	3	11
पूर्वी	42	48	195
मध्यवर्ती	65	93	410
पश्चिमी	40	63	280
दक्षिणी	81	95	481
जोड़	285	412	1738*

*अल्पावधि ऋण को छोड़कर

1.11 शुरू से लेकर 30 जून, 1980 तक का 1738 करोड़ रुपये का जो संचयी वितरण (अल्पावधि वित्त को छोड़कर) हुआ, वह 2000 करोड़ रुपये के आधार स्तरीय निवेशों का द्योतक है। इसमें ऋणकर्ताओं, सदस्य बैंकों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों का योगदान भी शामिल है। विविध योजनाओं के अन्तर्गत हुई भौतिक उपलब्धियां अब तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नीचे दर्शायी गयी हैं†

	(इकाई)
नलकूप	325000
खोदे गये कुएं	523000
विद्युत् पम्पसैट/आयल इंजन	755000
	(हेक्टेयर)
काफी	12800
चाय	6000
रबड़	3100
इलायची	1700
नारियल	41800
सुपारी	1300
अन्य	44900

†अनन्तिम

सारणी 7—पुनर्वित्त का राज्यवार वितरण (जुलाई-जून)

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चौथी योजना		निम्नलिखित वर्षों में						
	1963–69£	1969–74£	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	1978–79	1979–80	30 जून, 1980 तक
I. उत्तरी क्षेत्र									
चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	3	–	–	3
						(–)			(–)
दिल्ली	–	13	12	28	10	19	15	14	112
		(0.1)	(0.1)	0.2()	(0.1)	(0.1)	(–)	(–)	(–)
हरियाणा	303	2774	1075	1569	1770	1111	2101	3946	14010$
	(9.9)	(9.7)	(10.1)	(9.2)	(8.0)	(4.7)	(7.4)	(9.6)	(8.0)
हिमाचल प्रदेश	–	4	4	16	2	23	50	185	286
		(–)	(0.1)	(0.1)	(–)	(0.1)	(0.2)	(0.5)	(0.2)
जम्मू और कश्मीर	32	38	–	17	6	15	14	12	135
	(1.0)	(0.1)		(0.1)	(–)	(0.1)	(–)	(–)	(0.1)
पंजाब	653	2692	407	1306	1731	1177	1625	5018	14438
	(21.4)	(9.4)	(3.8)	(7.6)	(7.8)	(5.0)	(5.7)	(12.2)	(8.3)
राजस्थान	6	656	350	536	787	1312	1616	1815	7084
	(0.2)	(2.3)	(3.3)	(3.1)	(3.6)	(5.6)	(5.7)	(4.7)	(4.1)
	994	6177	1848	3472	4306	3660	5421	10990	36068$
	(32.5)	(21.6)	(17.4)	(20.3)	(19.5)	(15.6)	(19.0)	(26.7)	(20.7)
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र									
असम	70	65	–	5	70	273	235	286	1004
	(2.4)	(0.2)		(–)	(0.3)	(1.2)	(0.8)	(0.7)	(0.6)
मणिपुर	–	–	–	5	8	23	43	10	89
				(–)	(0.1)	(0.1)	(0.2)	(–)	(0.1)
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
नागालैण्ड	–	4	4	2	3	5	–	–	18
		(–)	(0.1)	(–)	(–)	(–)			(–)
त्रिपुरा	–	–	–	1	2	8	1	11	23
				(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
	70	69	4	13	83	309	279	307	1134
	(2.4)	(0.2)	(0.1)	(–)	(0.4)	(1.3)	(1.0)	(0.7)	(0.7)
III. पूर्वी क्षेत्र									
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–	–	1	1
								(–)	(–)
बिहार	18	980	932	1318	1696	1864	2253	2468	11523
	(0.6)	(3.4)	(8.8)	(7.7)	(7.7)	(8.0)	(7.9)	(6.0)	(6.6)
उड़ीसा	4	51	82	338	565	816	875	1315	4042
	(0.1)	(0.2)	(0.8)	(2.0)	(2.6)	(3.5)	(3.1)	(3.2)	(2.3)
पश्चिम बंगाल	2	42	69	159	590	996	1045	981	3881
	(0.1)	(0.1)	(0.6)	(0.9)	(2.7)	(4.3)	(3.7)	(2.4)	(2.2)
	24	1073	1083	1815	2851	3676	4173	4765	19447
	(0.8)	(3.7)	(10.2)	(10.6)	(13.0)	(15.8)	(14.7)	(11.6)	(11.2)

सारणी 7 (जारी)—पुनर्वित्त का वितरण राज्यवार (जुलाई-जून)

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चौथी योजना		निम्नलिखित वर्षों में						
	1963–69£	1969–74£	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	1978–79	1979–80	30 जून 1980 तक
IV. मध्यवर्ती क्षेत्र									
मध्य प्रदेश	29	1291	1234	1932	2610	1670	1666	3647	14088
	(1.0)	(4.5)	(11.6)	(11.3)	(11.8)	(7.1)	(8.9)	(8.9)	(8.1)
उत्तर प्रदेश	122	3794	1849	2598	3720	4317	4877	5660	26935
	(4.0)	(13.3)	(17.3)	(15.2)	(16.9)	(18.4)	(17.1)	(13.7)	(15.5)
	151	5085	3083	4530	6330	5987	6543	9307	41023
	(5.0)	(17.8)	(28.9)	(26.5)	(28.7)	(25.5)	(23.0)	(22.6)	(23.6)
V. पश्चिमी क्षेत्र									
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गोवा	–	3	5	23	24	68	84	121	328
		(–)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.2)
गुजरात	207	4165	427	333	402	1319	1516	2497	10866
	(6.8)	(14.6)	(4.0)	(1.9)	(1.8)	(5.6)	(5.3)	(6.1)	(6.2)
महाराष्ट्र	189	3041	1358	2248	1928	1974	2431	3688	16846$
	(6.2)	(10.6)	(12.7)	(13.2)	(8.7)	(8.4)	(8.5)	(8.9)	(9.7)
	396	7209	1790	2604	2354	3361	4031	6305	28040
	(13.0)	(25.2)	(16.8)	(15.2)	(10.6)	(14.3)	(14.1)	(15.3)	(16.1)
VI. दक्षिणी क्षेत्र									
आंध्र प्रदेश	809	2504	892	1295	2122	3853	4958	6193	22624
	(25.6)	(8.8)	(8.4)	(7.6)	(9.6)	(16.4)	(17.4)	(15.0)	(13.0)
कर्नाटक	261	2269	1008	1946	2190	1320	1429	1387	11811
	(8.6)	(7.9)	(9.5)	(11.4)	(9.9)	(5.6)	(5.0)	(3.4)	(6.8)
केरल	17	345	100	208	247	370	960	998	3245
	(0.5)	(1.2)	(0.9)	(1.2)	(1.1)	(1.6)	(3.4)	(2.4)	(1.9
पांडिचेरी	–	8	15	4	–	–	–	6	33
		(–)	(0.1)	(–)				(–)	(–)
तमिलनाडु	325	3877	817	1228	1599	894	693	964	10394
	(10.7)	(13.6)	(7.7)	(7.2)	(7.2)	(3.9)	(2.4)	(2.3)	(6.0)
	1412	9003	2832	4681	6158	6437	8040	9548	48107
	(46.3)	(31.5)	(26.6)	(27.4)	(27.8)	(27.5)	(28.2)	(23.1)	(27.7)
जोड़ (I से VI)	3047	28618	10640	17115	22082	23430	28487	41223	173819$
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत हैं।

£वर्षवार आंकड़े इसके पहले के प्रकाशनों में दिये गये हैं।

$वितरणों में अल्पावधि वितरण शामिल नहीं हैं।

1.12 अपने कारोबार के 17 साल में निगम 32.93 लाख हेक्टेयर भूमि को बहुफसली प्रणाली के अंतर्गत ला चुका है। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र के अधीन विकसित की गई भूमि और भू-संरक्षण योजनाओं के अंतर्गत सुधारे गए कुल क्षेत्र 11.18 लाख हेक्टेयर हो गये हैं। 1,11,600 हेक्टेयर क्षेत्र बागान और बागवानी की अन्यान्य योजनाओं के अन्तर्गत विकसित किये गये हैं।

1.13. निगम से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त अन्य प्रमुख कार्यकलाप के मद इस प्रकार हैं:

(1) भण्डार	61 लाख टन
(2) बाजार केन्द्र	152 इकाइयां (30-6-80) को
(3) ट्रैक्टर	53,400 इकाइयां
(4) कम्बाइन/हार्वेस्टर/बुलडोजर/पावर टिलर	3,000 इकाइयां
(5) यात्री/यंत्रीकृत नावें	3,400 इकाइयां
(6) दुधारू पशु	1,34,700 पशु
(7) मुर्गियां	23,45,700 चूजे
(8) भेड़	5,62,800 पशु
(9) कृषि विमान	2 इकाइयां

(ख) मंजूरियां

1.14 पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कृपुवित्ति द्वारा मंजूर की गई योजनाओं की संख्या काफी बढ़ गई है। पिछले वर्ष 2505 योजनायें मंजूर की गई थीं और उनमें निगम के वायदे 573 करोड़ रुपये के थे। परन्तु इस वर्ष 3657 योजनायें (संबंधित रूई विकास परियोजना सहित) स्वीकार की गई थीं और उनमें निगम के वायदे 757 करोड़ रुपये के थे। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा हिमाचल प्रदेश और केरल को छोड़कर अधिकतम राज्यों में वायदे की राशि में वृद्धि देखी गई। मंजूरियों का राज्यवार ब्योरा विवरण 1 में दिया गया है।

1.15 अन्यान्य प्रयोजनाओं के अन्तर्गत मंजूर की गई योजनाओं का विश्लेषित विवरण वायदों के आकार-समूह के अनुसार विवरण-3 में प्रस्तुत किया गया है। उसका संक्षिप्त विवरण नीचे सारणी 8 में दिया गया है।

1.16 वायदों के आकार के अनुसार 2079 योजनायें 10 लाख रुपये से कम की थीं और 1403 योजनायें 10 लाख रुपये से अधिक, किन्तु 50 लाख रुपये से कम की थी तथा शेष 175 योजनायें 50 लाख रुपये से अधिक की थीं। विश्लेषण से यह पता चलता है कि लघु सिंचाई और बागान और बागवानी के अंतर्गत अधिकतर योजनायें 10 से 25 लाख रुपये के आकार समूह की हैं। भूमि विकास, मुर्गीपालन/भेड़ पालन/सुअर पालन, डेरी विकास एवं भण्डार और बाजार केन्द्र के सम्बन्ध में यह द्रष्टव्य है कि वे 5 लाख रुपये तक के आकार समूह में केन्द्रित थे। 100 लाख रुपये और उससे अधिक के आकार-समूह ने लघु सिंचाई के अंतर्गत अधिक राशि प्राप्त की।

सारणी 8—1978-79 और 1979-80 के दौरान मंजूर योजनाओं का आकारवार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

योजनाओं का आकार	1978-79		1979-80*	
	योजनाओं की संख्या	वायदे	योजनाओं की संख्या	वायदे
5 लाख रुपये तक	817	21	1182	31
5 से 10 लाख रुपये तक	548	44	897	98
10 से 25 „ „	644	110	1031	169
25 से 50 „ „	349	142	372	130
50 से 100 „ „	77	58	93	63
100 लाख रुपये से अधिक	70	198	82	235
जोड़	2505	573	3657	696

*सग्राविप वायदे शामिल नहीं हैं।

1.17 वर्ष के दौरान मंजूर की गई योजनाओं का औसत आकार 1978-79 में 23 लाख रुपये था जो इस वर्ष घटकर 19 लाख रुपये रह गया। राज्य भूमि विकास बैंकों के लिये मंजूर की गई एजेंसीवार योजनाओं का आकार वाणिज्य बैंकों के लिये मंजूर की गई योजनाओं के आकार से बड़ा है।

1.18 विशुद्ध रूप से सभी एजेंसियों के मामले में इस वर्ष के दौरान मंजूर की गई योजनाओं की संख्या और उनके लिये प्राप्त वायदों की राशि में वृद्धि पाई गई है। मंजूरी और वायदों के एजेंसीवार विभाजन की स्थिति संक्षेप में नीचे सारणी 9 में दी गई है:

सारणी 9—स्वीकृत योजनाएं—एजेंसीवार*

क. योजनाओं की संख्या

वर्ष	राभूवि बैंक	वाबैंक	क्षेग्रा० बैंक	रास बैंक	जोड़
1978-79	529	1923	32	21	2505
1979-80	919	2553	84	101	3657

ख. कृपुवित्ति के वायदे

(करोड़ रुपये)

वर्ष	राभूवि बैंक	वाबैंक	क्षे०ग्रा० बैंक	रास बैंक	जोड़
1978-79	252	307	7	7	573
1979-80	296	371	15	14	696

ग. योजनाओं का औसत आकार

(लाख रुपये)

वर्ष	राभूवि बैंक	वाबैंक	क्षेग्रा. बैंक	रास बैंक	जोड़
1978-79	48	16	22	33	23
1979-80	32	15	18	14	19

*सग्राविप वायदे शामिल नहीं है।

1.19 वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृपुवित्ति से पहले से अधिक वायदे प्राप्त किये हैं। पिछले वर्ष कृपुवित्ति के 7 करोड़ रुपये के वायदे के साथ मंजूर की गई 32 योजनाओं के मुकाबले इस वर्ष 15 करोड़ रुपये के वायदे के साथ 84 योजनाएं (सग्राविप वायदे को छोड़कर) मंजूर की गई हैं। 1978-79 में 3 करोड़ रुपये का वितरण हुआ जो इस वर्ष बढ़कर 9 करोड़ रुपये हो गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राप्त किये गये पुनर्वित्त की राज्यवार स्थिति इस प्रकार है:

सारणी 10—30 जून 1980 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिये मंजूर पुनर्वित्त@

(लाख रुपये)

राज्य	क्षेग्रा बैंकों की संख्या, जिनके लिये योजनायें मंजूर की गई थीं	1979-80 के दौरान योजनाओं की संख्या	कुल वायदे	1979-80 के दौरान वितरण
1	2	3	4	5
हरियाणा	1	1	34	7
जम्मू और कश्मीर	1	—	5	—
राजस्थान	2	5	91	25
असम	1	2	30	7
त्रिपुरा	1	4	26	8
बिहार	7	19	398	230
उड़ीसा	3	22	61	21
पश्चिम बंगाल	2	4	26	3
मध्य प्रदेश	2	3	115	108

सारणी--10 जारी

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	6	16	835	353
गुजरात	1	–	5	–
महाराष्ट्र	1	3	21	6
आन्ध्र प्रदेश	3	27	610	239
कर्नाटक	2	9	202	54
केरल	2	4	32	3
तमिलनाडु	1	3	178	97
जोड़	36	122	2669	1161

सग्रावि बैंकिंग प्लान को छोड़कर

1.20 वर्ष के दौरान की गई स्वीकृतियों और वायदों का प्रयोजनवार ब्योरा विवरण 3 में दिया गया है। 1979-80 में कृषि मशीनीकरण और बागान और बागवानी के इतर के लिये स्वीकृत किये गये 757 करोड़ रुपये के कुल वायदों में से सबसे बड़ा हिस्सा लघु सिंचाई का था (50%)। इसके बाद विविध गतिविधियां (25%), कृषि मशीनीकरण (16%) तथा बागान और बागवानी (9%) का स्थान रहा। विभिन्न एजेंसियों में गतिविधियों में विविधता लाने के कारण कुल निवेश में लघु सिंचाई का हिस्सा धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। योजनाओं की स्वीकृति का प्रयोजनवार वितरण सारणी 11 में दर्शाया गया है।

सारणी--11--1979-80 के दौरान प्रयोजनवार मंजूरियां

(करोड़ रुपये)

प्रयोजन	योजनाओं की संख्या सग्रावि छोड़कर	कृपुवित्ति के वायदे
लघु सिंचाई**	1359	381
भूमि विकास	143	29
कृषि मशीनीकरण	520	119
बागान/बागवानी	376	65
मुर्गीपालन/भेड़पालन/सुअरपालन	355	17
मत्स्यपालन	139	13
डेरी विकास	373	24
भंडार और बाजार केन्द्र	215	29
अन्य	177	80
जोड़	3657	757

**इसमें 270 एस० पी० ए० योजनाओं के संबंध में मंजूर किये गए 25 करोड़ रुपये शामिल हैं।

1.21 वर्ष 1979-80 में एक मुख्य बात यह हुई है कि कृपुवित्ति ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी संख्या में ठोस वायदे किये हैं। 30 जून, 1980 तक 61 करोड़ रुपये के वायदों वाली 92 बैंकिंग योजनाएं स्वीकार की गई, जिनके अन्तर्गत 671 खण्ड आते हैं। कृपुवित्ति द्वारा अनुमोदित की गई समन्वित ग्रामीण विकास बैंकिंग योजनाओं की राज्यवार एवं एजेंसीवार स्थिति विवरण 8 और 9 में दिखाई गई हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई स्वीकृतियों का सारांश नीचे दिया गया है।

सारणी 12—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूरियों की क्षेत्रवार स्थिति, 1979-80 तक

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	अनुमोदित बैंकिंग योजनाओं की संख्या	शामिल किए गए खण्ड	कृपुवित्ति के वायदे
उत्तरी	3	6	1
उत्तर पूर्वी	–	–	–
पूर्वी	2	3	1
मध्य	28	217	15
पश्चिमी	17	81	9
दक्षिणी	42	364	35
जोड़	92	671	61

*क्षेग्रा बैंक सहित

आगामी वर्ष/वर्षों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ठोस प्रगति होने की संभावना है।

1.22 30 जून 1980 तक कृपुवित्ति की संचयी मंजूरियों का कुल योग 1604 करोड़ रुपये रहा (विवरण 2)। इनमें से 1417 करोड़ रुपये क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक सहित वाणिज्य बैंकों को तथा 56 करोड़ रुपये राज्य सहकारी बैंकों को स्वीकृत किये गये। कुल वायदों में से 62 प्रतिशत वायदे लघु सिंचाई के लिये किये गये।

1.23 निगम का यह प्रयत्न रहा है कि देश के सभी खण्डों को किसी न किसी योजना के अन्तर्गत लाया जाए। 30 जून, 1980 तक देश के 5004 खण्डों में से 4814 खण्डों में से कोई न कोई कृपुवित्ति-योजना कार्यान्वयन के लिये मंजूर की जा चुकी थी। पिछले वर्ष यह संख्या 4621 थी। निगम ने दो केन्द्र शासित प्रदेशों अर्थात् अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा दादरा और नगर हवेली में भी कार्य का विस्तार किया। इन क्षेत्रों में पिछले वर्षों में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। जिन खण्डों का समावेश नहीं किया गया उनकी संख्या 30 जून, 1970 के 383 के मुकाबले, 30 जन, 1980 को घटकर 190 रह गई। जिन खण्डों का समावेश कृपुवित्ति योजनाओं के अंतर्गत नहीं किया गया है, उनकी राज्यवार स्थिति दायें दिखाई गई है।

	खण्डों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4
अरुणाचल प्रदेश	48
असम	34
जम्मू और कश्मीर	8
लक्षद्वीप	5
मध्य प्रदेश	1
मणिपुर	11
मेघालय	21
मिजोरम	20
नागालैण्ड	17
उड़ीसा	4
राजस्थान	2
त्रिपुरा	5
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	8
आंध्र प्रदेश	

2. राज्यवार समीक्षा

आन्ध्र प्रदेश

वितरण और कई प्रकार की योजनाओं को सहायता देने में आंध्र प्रदेश अन्य राज्यों से आगे रहा। आन्ध्र प्रदेश भूमि विकास बैंक अत्यंत गतिशील रहा और इसने वाणिज्य बैंकों के 16.4 करोड़ रुपये के मुकाबले 45.4 करोड़ रुपये प्राप्त किये। वर्ष के दौरान निगम द्वारा 109.2 करोड़ रुपये के वायदे किये गये और इस प्रकार इस संदर्भ में संचयी राशि 385.7 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

2.2 कृषि विकास बैंक कई किस्म की योजनाओं में भाग ले रहा है। यद्यपि इसके वायदे का मुख्य हिस्सा अभी तक लघु सिंचाई ही है; फिर भी अंविसंघ की सहायता प्राप्त योजनाओं तथा अन्य प्रकार की योजनाओं, दोनों के अन्तर्गत सिंचाई प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्रों में भूमि विकास में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बैंक ने अपने उपनियमों और संविधि के अन्तर्गत भूमि को जमानत रखे बगैर भी ऋण प्रदान करने की छूट प्राप्त कर ली है।

वर्ष के दौरान लघु सिंचाई और भूमि विकास के लिये वितरित राशि में उसका हिस्सा 31.2 करोड़ रुपये था। वाणिज्य बैंकों ने पिछले वर्ष के 6.8 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष 16.4 करोड़ रुपये वितरित कर अपना कार्य प्रायः तिगुना कर लिया। इसमें लघु सिंचाई और भूमि विकास में उनका हिस्सा 6.1 करोड़ रुपये रहा। वर्ष के दौरान राज्य में स्वीकार की गई महत्वपूर्ण योजनाओं में विशाखपट्टनम् के काफी उगाने वाले परम्परेतर क्षेत्रों में काफी बागान योजना और मीठ पानी की कोल्लेरू झील में अन्तर्देशीय मत्स्यपालन की एक बड़ी योजना शामिल है।

2.3 यहां अंविसंघ द्वारा हाल ही में स्वीकृत बहुराज्यीय काजू परियोजना का भी विशेष रूप से उल्लेख करना उचित होगा, जिसके अन्तर्गत राज्य की 18000 हेक्टेयर भूमि आती है।

असम

2.4 इस वर्ष वितरित किये गये पुनर्वित्त को 2.86 करोड़ रुपये की राशि पिछले वर्ष वितरित की गई 2.35 करोड़ रुपये की राशि थोड़ी अधिक थी। सारा पुनर्वित्त वाणिज्य बैंकों ने ले लिया, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा निकाले गये 7 लाख रुपये भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान न तो किसी राज्य भूमि विकास बैंक में, और न ही राज्य सहकारी बैंक ने पुनर्वित्त का उपयोग किया। राज्य में कृपुविनि द्वारा किया गया संचयी वितरण 10.04 करोड़ रुपये रहा। वर्ष के दौरान वितरित किये गए 2.86 करोड़ रुपये में से बागान/बागवानी के विकास के लिये काफी बड़ा अंश प्राप्त हुआ है। अर्थात् उसे प्राप्त पुनर्वित्त राशि 2.69 करोड़ रुपये थी। शेष राशि लघु सिंचाई तथा अन्य विविध प्रयोजनों के लिये थी।

2.5 वर्ष के दौरान कृपुविनि ने 20.69 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता के वायदे किये। कुछ अंतः फसलों सहित काफी और रबड़ उगाने के लिये असम बागान निगम को एक बड़ी योजना स्वीकार की की गई, जिसमें कृपुविनि के 6.00 करोड़ रुपये के वायदे थे। कुल वायदों की शेष राशि लघु सिंचाई और विभिन्न प्रयोजनों के लिये थी।

2.6 प्रशिक्षित स्टाफ की कमी, भूजल स्रोतों और पट्टेदारी प्रणाली की प्रकृति के संबंध में सर्वेक्षण की कमी और उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की निरन्तर कमियों के कारण निवेशों को प्रोत्साहन देने में अधिक प्रगति नहीं की जा सकी। वर्ष के अधिकतर समय में यह क्षेत्र अशांत परिस्थितियों से ग्रस्त रहा। वर्ष के दौरान हुई घटनाओं से सहकारी प्रणाली के पुनर्गठन में काफी रुकावटें आई।

बिहार

2.7 खरीफ के मौसम में बहुत से जिलों में वर्ष के दौरान बिहार में भीषण अकाल का सामना किया जो रबी के दौरान भी जारी रहा। पिछले दो वर्षों के दौरान भारी अनिवेय राशियों के कारण राज्य भूमि विकास बैंक पर इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कि इस वर्ष 130 शाखाओं में से 13 शाखाएं असीमित ऋण प्राप्त करने योग्य रहीं 93 को सीमित ऋण वितरण की पात्रता मिली और 24 शाखायें ऋण वितरण की अपात्र रहीं, अतः वर्ष के दौरान राज्य भूमि विकास बैंक केवल 3.60 करोड़ रुपये का ऋण वितरित कर सका और वर्ष के दौरान बैंक कोई भी नई योजना कृपुविनि की स्वीकृति के लिये प्रस्तावित नहीं कर सका।

2.8 अध्यक्ष द्वारा किये गये विचार विमर्श और भारतीय रिजर्व बैंक कृपुविनि/राज्य सरकार/भूमि विकास बैंक के अधिकारियों के दल द्वारा दिये गये सुझावों के परिणामस्वरूप सुधार के कई उपायों की सिफारिश की गई थी। इन सुझावों के कार्यान्वयन में कुछ प्रगति हुई है और आगे भी प्रयत्न जारी है।

2.9 वाणिज्य बैंकों ने पिछले वर्ष के 19.9 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष 21.1 करोड़ रुपये वितरित किये। 14.6 करोड़ रुपये का सबसे अधिक वितरण लघु सिंचाई के लिये था। कृषि मशीनीकरण के लिये भी काफी मांग थी। जिसमें पावर टिलर्ज और ट्रेक्टर शामिल हैं, इस मद के लिये 4.91 करोड़ रुपये वितरित किये गये।

2.10 अंविसंघ की सहायता प्राप्त बिहार कृषि साख परियोजना 1974 में शुरू की गई थी जो इस वर्ष पूरी हो गई है। इसी प्रकार अंविसंघ की सहायता प्राप्त बाजार केन्द्र परियोजना के अन्तर्गत 49 बाजारों के लिये ऋण वितरण पूरा हो गया।

गुजरात

2.11 राज्य में इस बार वाणिज्य बैंकों ने अच्छा कार्य किया। वाणिज्य बैंकों और भूमि विकास बैंकों से संबंधित हिस्सा क्रमशः 23.78 करोड़ रुपये और 1.19 करोड़ रुपये था। लघु सिंचाई कार्यक्रमों, विशेषकर गुजरात जल स्रोत विकास निगम तथा गुजरात राज्य विद्युत् बोर्ड के उर्जीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वाणिज्य बैंकों की सहभागिता काफी ठोस रही, जबकि कृषि मशीनीकरण और अन्य विविध प्रयोजनों के अंतर्गत यह अपेक्षाकृत कम रही। गुजरात में इस क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों के प्रवेश की आवश्यकता इसलिये हुई कि राज्य भूमि विकास बैंक की बहुत-सी शाखाओं की वसूली स्थिति बहुत कमजोर रही और परिणामस्वरूप वे ऋण वितरण के योग्य न रह पाई। कृपुविनि, कृषि ऋण विभाग और गुजरात सरकार के अधिकारियों के दल द्वारा राज्य भूमि विकास बैंक को फिर से मजबूत बनाने के लिये जो सुझाव दिये गये, उन पर अमल नहीं किया जा सका; क्योंकि संबंधित मुद्दों पर निर्णय तुरन्त नहीं लिये गये।

2.12 इस वर्ष अंविसंघ की सहायता प्राप्त समन्वित मत्स्यपालन परियोजना के कार्यान्वयन में खासी प्रगति दिखाई दी और कृपुविनि ने 85 मशीनीकृत ट्रालर्ज के लिये 1.29 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता का अनुमोदन पहले ही कर दिया है। इस परियोजना के अन्तर्गत किए गए वितरण से 5.7 लाख डालर तक की विदेशी सहायता निकाली जा सकेगी।

2.13 कृपुविनि के 23 करोड़ रुपये के वायदे वाले कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान वित्तपोषक बैंकों को 0.76 करोड़ रुपये का अन्तरिम वित्त स्वीकार किया गया। यद्यपि स्वीकृतियों के अनुसार पुनर्वित्त को उपयोग नहीं किया गया; फिर भी इसमें मुख्य कठिनाई यह रही कि गुजरात भूमि विकास निगम को बाजार आधार पर क्षेत्र विकास कार्य करने और वित्तपोषक बैंकों से पैसा लेने का अधिकार देने के लिये कोई उपयुक्त कानून नहीं था। राज्य सरकार इस कमी को दूर करने का प्रयत्न कर रही है। वर्ष की अन्य मुख्य बातें थी भूसंरक्षण के लिये जलग्रहण योजनाओं की स्वीकृति, तंगधाटी सुधार की एक प्रायोगिक योजना और अचानक बाढ़ आने से प्रभावित मौरबी-भालिया क्षेत्रों के कृषकों की सम्पत्ति को पुनः स्थापित करने के लिये पुनर्वित्त उपलब्ध करवाने का वायदा।

2.14 इस वर्ष पुनर्वित्त के वायदे 31.62 करोड़ रुपये के थे, जबकि पिछले वर्ष 15.81 करोड़ रुपये के थे।

हरियाणा

2.15 हरियाणा निगम से निरन्तर पुनर्वित्त का लाभ उठाता रहा है। यह वित्तीय संस्थाओं की निरन्तर अच्छी वसूली स्थिति के कारण संभव हो पाया है। शिखर बैंक स्तर पर भूमि विकास बैंक का वसूली कार्य प्रत्येक वर्ष में 100 प्रतिशत रहा; जबकि प्राथमिक सहकारी बैंकों के सन्दर्भ में यह न्यूनतम 92 प्रतिशत रहा। इस वर्ष 39.46 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त का उपयोग किया गया, जिसमें से वाणिज्य बैंकों के हिस्से में आधे से कुछ अधिक अंश आया और भूमि विकास बैंक के हिस्से में एक तिहाई। कृषि में प्रगतिशील होने की वजह से इस राज्य में कृषि मशीनीकरण के लिये वितरित 14.36 करोड़ रुपये की राशि लघु सिंचाई के अन्तर्गत वितरित राशि के लगभग बराबर की थी। लघु सिंचाई के अंतर्गत भूमि विकास बैंक द्वारा किये गये ऋण वितरण अधिकतर खोदे गए कुओं और नलकूपों के लिये थे, जबकि वाणिज्य बैंकों ने अधिकतर गहरे नलकूपों और जलनालियों के निर्माण के लिये वितरण किया।

2.16 अंविसंघ की सहायता प्राप्त हरियाणा सिंचाई और कमांड क्षेत्र विकास परियोजना का कार्यान्वयन करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम पर लगे रहने से वितरण में काफी तेजी आई। यह योजना 14 दिसम्बर, 1978 से चालू हुई। गहरे नलकूपों और जलमार्ग के निर्माण के अतिरिक्त इस परियोजना में 26 बाजार केन्द्रों के निर्माण का वित्तपोषण भी शामिल है। इनमें से 16 बाजार पूरे होने की विभिन्न स्थितियों में हैं। राज्य ने समन्वित ग्रई विकास परियोजना के कार्यान्वयन में भी काफी प्रगति दिखाई है।

अल्पावधि उत्पादक ऋणों के अन्तर्गत किये गये विस्तृत विवरण के अतिरिक्त ओटाई करने वाली दो इकाइयां और तेल अभिसंस्करण इकाई निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं।

2.17 संस्थागत वित्त के संबंध में भावी योजना बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम यह था कि संयुक्त सांस्थानिक सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है जिसके अन्तर्गत कृषि और संबंधित गतिविधियों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अगले पांच वर्षों में 366 करोड़ रुपये के निवेश वित्त का प्रावधान है।

2.18 इस वर्ष पुनर्वित्त के वायदे 37.26 करोड़ रुपये के थे जबकि पिछले वर्ष 47.11 करोड़ रुपये के वायदे थे। प्रारम्भ से अब तक 230.4 करोड़ रुपये के कुल वायदे थे जिनमें से (140.1) करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

हिमाचल प्रदेश

2.19 पिछले वर्ष के 44 लाख रुपये के मुकाबले इस वर्ष के दौरान राज्य में वाणिज्य बैंकों ने 181 लाख रुपये का पुनर्वित्त आहरित किया। वर्ष के दौरान वित्त पोषित की गई मुख्य गतिविधि बागवानी विकास थी इसके अन्तर्गत 177 लाख रुपये दिये गये जिसमें अंविसंघ की सहायता प्राप्त सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना के लिये 159 लाख रुपए शामिल हैं। शेष 4 लाख रुपये डेरी विकास के लिये थे। राज्यभूमि विकास बैंक ने केवल 4 लाख रुपये आहरित किये जिसमें से 3 लाख रुपये बागान और बागवानी के लिये थे और शेष 1 लाख रुपये लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिये थे।

2.20 राज्य में अंविसंघ की सहायता प्राप्त सेब परियोजना का कार्यान्वयन प्रगति पर था। फिर भी विस्फोटक सामग्री सीमेंट और हामर जैसे आवश्यक कच्चे माल की कमी के कारण गड्ढों शीतगृहों और केबल पथों का निर्माण कार्य रुक गया। परियोजना के अंतर्गत 488 लाख रुपये का वितरण होना चाहिए था। मगर वर्ष के अंत तक केवल 204 लाख का ही वितरण हो पाया।

2.21 वर्ष के दौरान स्वीकार की गई 8 योजनाओं को मिलाकर जिनमें 62 लाख रुपये के वायदे थे, कृपुवित्त द्वारा राज्य में 39 योजनाओं के लिये किये गये कुल वायदों की राशि जून 1980 के अंत तक 9.10 करोड़ रुपये थी जिनके संदर्भ में 2.86 करोड़ रुपये के कुल पुनर्वित्त का उपयोग किया गया।

जम्मू और कश्मीर

2.22 वर्ष के दौरान राज्य में वित्तपोषक बैंकों ने पिछले वर्ष के 14 लाख रुपये के मुकाबले इस वर्ष 12 लाख रुपये का पुनर्वित्त लिया। सारा पुनर्वित्त राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा कृषि मशीनीकरण के लिये दिये गये ऋण पर लिया गया। राज्य भूमि विकास बैंक का कार्य पिछले वर्ष से बेहतर रहा। वाणिज्य बैंकों ने 5 लाख रुपये लिये। जिसमें से 3 लाख रुपये डेरी विकास 1 लाख रुपये कृषि मशीनीकरण और शेष 1 लाख रुपये बागान और बागवानी के विकास के लिये प्राप्त किये गये।

2.23 राज्य में अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की सहायता प्राप्त बागवानी परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और वर्ष के दौरान दो सेब श्रेयीकरणी और पैकिंग केन्द्रों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता स्वीकार की गई है।

2.24 वर्ष के दौरान 6 योजनाओं के संबंध में 78 लाख रुपये के अतिरिक्त पुनर्वित्त वायदों सहित जून 1980 के अंत तक 257 लाख रुपये का संचयी वायदा रहा। जिसमें से वित्तपोषक बैंकों द्वारा 135 लाख रुपये लिये गये।

कर्नाटक

2.25 वाणिज्य बैंकों ने काफी अधिक वितरण किया। उनके हिस्से का 85 प्रतिशत से अधिक अंश अन्य विविध प्रयोजनों के लिये था। कृषि मशीनीकरण और लघु सिंचाई के लिये यह राशि क्रमशः 5 और 6 प्रतिशत थी। भूमि विकास बैंक को 4.0 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया। इसमें से 64 प्रतिशत लघु सिंचाई के लिये और शेष वितरण कृषि मशीनीकरण और अन्य विविध प्रयोजनों के लिये था।

2.26 पिछले साल के मुकाबले 1979–80 में 13.87 करोड़ रुपये का वितरण हुआ जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम था। यह कमी भूमि विकास बैंक के कार्य निष्पादन में हुई शिथिलता के कारण आई। अन्य कई राज्यों के मुकाबले कुल वितरण का 25 प्रतिशत लघु सिंचाई के लिए था; जबकि कृषि मशीनीकरण को छोड़कर लगभग तीन चौथाई विविध प्रयोजनों के अंतर्गत आनेवाली योजनाओं के लिये था। वाणिज्य बैंक राज्य में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहे। 1978–79 में लगे धक्के से भूमि विकास बैंक अभी तक संभल नहीं पाया है। प्रबन्ध संगठन और अनिदेय राशियों की वसूली के लिये कई कदम उठाए गए हैं जिससे बैंक आगामी वर्षों में एक नई भूमिका निभा सकेगा। राज्य में कृपुवित्त के कुल 213.42 करोड़ रुपये के वायदे थे और उपयोग केवल 118.11 करोड़ रुपये का हुआ।

2.27 कर्नाटक सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिये अधिक कार्य नहीं किया जा सका; क्योंकि इसे कानूनी रूप देने के लिये किये जाने वाले आवश्यक कानूनी उपायों में देरी हो गई थी। वर्ष के अंत में कानून के अंतर्गत नियम बनाये जा रहे थे। इस कारण यद्यपि कमांड क्षेत्र प्राधिकरण स्थापित कर दिये गये थे फिर भी वे प्रभावी ढंग से शक्ति का उपयोग नहीं कर पाये।

2.28 अंविसंघ की सहायता से एक अन्य महत्वपूर्ण योजना "रेशम उत्पादन कार्यक्रम" प्रारंभ किया गया। इससे संबंधित बैंकिंग योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसका कार्यान्वयन 1980–81 में काफी तेजी से आरम्भ हो जाने की संभावना है। राज्य में अंविसंघ की सहायता से दो अन्य योजनायें भी चल रही हैं। बाजार केन्द्र परियोजना ने प्रगति की है और जून 1980 के अन्त तक आवंटन के

80 प्रतिशत तक निधियों का उपयोग किया गया। अच्छी किस्म के पशु उपलब्ध न होने के कारण कर्नाटक डेरी परियोजना के अन्तर्गत संकर पशुओं के लिये राशि वितरण करने में तेजी न आ सकी।

केरल

2.29 वर्ष 1979–80 में भूमि विकास बैंक ने अपने कार्य में काफी सुधार किया है और इसकी प्रगति इस बात से स्पष्ट है कि वाणिज्य बैंकों द्वारा लिये गये 5.16 करोड़ रुपये के मुकाबले यह कृषुविनि से 4.82 करोड़ रुपये ले सका है। निवेश की दर जहां 1978–79 में काफी बढ़ गई थी वहां अब ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें संतुलन आ गया है। प्रयोजनों की दृष्टि से यह बात बड़ी दिलचस्प रही कि लघु सिंचाई के लिये ऋण देने में क्रमशः वृद्धि हुई मगर कृषि मशीनीकरण के लिये प्रायः ऋण नहीं दिया गया। कुल अग्रिमों का लगभग 55 प्रतिशत कृषि मशीनीकरण को छोड़कर विभिन्न प्रयोजनों के लिये खास तौर पर बागानों (32%) के लिये था।

2.30 अंविसंघ की सहायता प्राप्त केरल कृषि विकास परियोजना का यहां विशेष उल्लेख किया जा सकता है जिसके अंतर्गत अपेक्षित गति से विकास नहीं हो पाया; इसका कारण प्रारम्भिक क्रियाविधि सम्बन्धी मुश्किलें और नारियल के पेड़ लगाने की योजना के प्रति लाभान्वित होने वाले कृषकों में आम झिझक थी जिस कारण से 13 करोड़ रुपये (अथवा परियोजना का लगभग 33 प्रतिशत) तक का ऋण-वितरण नहीं किया जा सका। फैक्टरियां लगाने के लिये उचित जमीन का अधिग्रहण करने में कठिनाईयां आने के कारण रबड़ अभिसंस्करण इकाई के संदर्भ में भी संतोषजनक प्रगति नहीं हो पायी।

2.31 वर्ष के दौरान अविसंघ ने 4 राज्यों में काजू परियोजना कार्यान्वयन के लिये अनुदित की जिनमें केरल भी शामिल है। परियोजना के अंतर्गत केरल में 12000 हेक्टेयर भूमि के विकास का लक्ष्य रखा गया है।

2.32 राज्य में कार्यान्वित की जा रही दो अन्य मुख्य परियोजनाओं हैं—कुट्टनाड भूमि विकास परियोजना और त्रिचूर कोल भूमि सुधार और विकास परियोजना। पहली परियोजना के अंतर्गत 6.06 करोड़ रुपये के ठोस पुनर्वित्त का उपयोग किया गया। दूसरी परियोजना के अंतर्गत 3.57 करोड़ रुपये के वायदे के मुकाबले केवल 1.16 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त का उपयोग किया गया। आहरणों की धीमी गति का कारण यह था कि कार्यान्वयन देरी से प्रारम्भ हुआ।

2.33 राज्य में भूमि विकास बैंक ने वसूली का प्रतिशत समान रूप से संतोषजनक बनाये रखा। 1977–78 में अतिदेयों का स्तर केवल 5.0 प्रतिशत और 1978–79 में यह केवल 4.9 प्रतिशत था पिछले दो सालों में ऋण की विनियमन प्रणाली के अन्तर्गत वयनाड प्राथमिक भूबंधक बैंक को छोड़कर बाकी सभी प्राथमिक भूबंधक बैंकों को असीमित ऋण वितरण की पात्रता रही है।

मध्य प्रदेश

2.34 वर्ष 1978–79 में केवल 16.66 करोड़ रुपये का वितरण हुआ जबकि 1979–80 में इससे दुगुना अर्थात् 36.47 करोड़ रुपये का वितरण हुआ। वाणिज्य बैंकों का हिस्सा इसमें काफी बढ़ा रहा; 1978–79 के 9.55 करोड़ रुपये के मुकाबले उन्होंने 24.63 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त का आहरण किया; जबकि भूमि विकास बैंक ने इसी अवधि में अपना आहरण 7.11 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11.84 करोड़ रुपये कर लिया। इसमें लघु सिंचाई का हिस्सा अधिक रहा; क्योंकि उसे राज्य सरकार की ओर से प्राथमिकता मिली। भूमि विकास कृषि मशीनीकरण और अन्य विविध प्रयोजनों की योजनाओं का थोड़ा सा ही प्रभाव रहा।

2.35 भूमि विकास बैंक का कार्य भी आशानुरूप नहीं रहा; क्योंकि कई प्राथमिक भूमि विकास बैंकों पर भारी अतिदेय थे जिसके परिणामस्वरूप उन्हें असीमित ऋण देने की पात्रता प्राप्त नहीं हुई। 45 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों में से केवल 16 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को असीमित ऋण वितरण और 28 को सीमित ऋण वितरण की पात्रता प्राप्त थी और एक बैंक ऐसा था जो किसी भी कार्यक्रम के लिये पात्र नहीं था। 1978–79 में शिखर बैंक स्तर पर 47.3 प्रतिशत राशि अतिदेय थी।

2.36 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बताया गया था कि अंविसंघ और के० एफ० डब्ल्यू० की सहायता से अलग अलग चलाए जा रहे कगांड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वितरण की गति धीमी रही इसके मुख्य कारण थे—पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त मशीनरी तथा प्रशिक्षित स्टाफ का न होना वस्तावेजों को पूरा करने में कानूनी समस्याओं के कारण देरी हो जाना तथा कृषकों द्वारा कार्यक्रम में रुचि न लेना। अंविसंघ की सहायता प्राप्त चंबल परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि को बढ़ाकर जून 1981 तक कर लिया गया है जिसे पहले 31 दिसम्बर 1979 को पूरा हो जाना था।

2.37 अंविसंघ की सहायता प्राप्त बहुराज्यीय अंतर्देशीय मत्स्यपालन परियोजना में मध्य प्रदेश को भी शामिल कर लिया गया।

2.38 वर्ष के दौरान पुनर्वित्त वायदा 105.95 करोड़ रुपये का था, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 60.63 करोड़ रुपये थी। आरंभ से अब तक कुल 299.99 करोड़ रुपये के वायदे किये गये, जिसमें से अब तक 140.88 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

महाराष्ट्र

2.39 भूमि विकास बैंक और वाणिज्य बैंकों, दोनों का ही कारोबार वर्ष के दौरान काफी अच्छा था। कुल मिलाकर उनके कारोबार में पचास प्रतिशत वृद्धि हुई और 36.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिसमें से 20.4 करोड़ रुपये भूमि विकास बैंक और 16.5 करोड़ रुपये वाणिज्य बैंकों के हिस्से के हैं। 27.2 करोड़ रुपये लघु सिंचाई के लिये थे, जिसमें समन्वित रूई विकास परियोजना के 0.34 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं। भूमि विकास के अंतर्गत अंतरिम वित्त या अंतिम अदायगी के रूप में वितरण 0.63 करोड़ रुपये रहा है। कृषि मशीनीकरण को छोड़कर विविध प्रयोजनों का हिस्सा 4.9 करोड़ रुपये रहा। इसमें से अधिकतर मुर्गीपालन, भेड़ पालन, दुधारु पशु और बैल गाड़ियों के लिये था। कृषि मशीनीकरण के लिये 3.8 करोड़ रुपये का वितरण हुआ। ट्रैक्टर अधिकतर गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों के लिये थे।

2.40 जिन विशेष प्रकार की योजनाओं के लिये निगम ने राज्य में वायदे किये हैं, उनमें से मारेक की बीमारी के विरुद्ध एक दिन के चूजों को बचाने के लिये मारेक के टीके बनाने के लिये एक कारखाना लगाने के साहसिक प्रयास का जिक्र भी किया जाना चाहिए। इस परियोजना के पूरी तरह से विकसित हो जाने पर मुर्गीपालन के लिये मंगाए जाने वाले इस टीके को बाहर से आयात करने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। नई बम्बई में एक नया मार्केट बनाने के लिये बम्बई कृषि उत्पाद विपणन समिति को दी गई सहायता का भी यहां उल्लेख करना उचित होगा, जहां नगर के भिन्न भिन्न भागों में स्थित आलू और प्याज के थोक बाजार को स्थानान्तरित करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है।

मणिपुर

2.41 गत वर्ष की भांति राज्य सहकारी बैंक ने राज्य में कृषुविनि द्वारा समर्थित योजनाओं में हिस्सा लिया। गत वर्ष के दौरान 43 लाख रुपये की तुलना में इस वर्ष के दौरान इसके द्वारा लिया गया पुनर्वित्त 10 लाख रुपये था। कृषि मशीनीकरण मुख्य प्रयोजन रहा, जिसके लिये 5 लाख रुपये उपयोग किये गये। बागान और बागवानी में 3 लाख रुपये और शेष 2 लाख रुपये मत्स्यपालन में लगे थे। राज्य में भू-आकृति के दबाव के कारण भूजल क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है। राज्य में सहकारी ऋण-ढांचे में बुनियादी कमी, किसानों की प्रतिक्रिया

की कमी, पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि रिकार्ड का अभाव, कानून और व्यवस्था की असंतोषजनक स्थिति कृषि विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति मे अन्य प्रमुख बाधाएं रही।

2.42 वर्ष के दौरान स्वीकृत 55 योजनाओं के 72 लाख रुपये के वायदे के साथ जून 1980 के अन्त तक 82 योजनाओं के संबंध में कृषुविनि का संचयी वायदा 271 लाख रुपये तक पहुंच गया और केवल 89 लाख रुपये का कुल पुनर्वित्त लिया गया।

मेघालय

2.43 वर्ष के दौरान पुनर्वित्त की स्वीकृति लेने और उसे प्राप्त करने में कोई प्रगति नहीं हुई। निगम ने पिछले वर्ष तक 59 लाख रुपये के वायदों की 5 योजनायें स्वीकार की थीं, जिनमें से 49 लाख रुपये वाणिज्य बैंकों के हिस्से में तथा शेष 10 लाख रुपये राज्य सहकारी बैंक के हिस्से में आये। वन विकास मुख्य प्रयोजन था, जिसके लिये कृषुविनि द्वारा 44 लाख रुपये का वायदा किया गया। वन विकास निगम द्वारा योजना कार्यान्वित की जानी है। अब तक कोई आहरण नहीं किया गया।

नागालैंड

2.44 इस राज्य में वर्ष के दौरान न तो कोई नई योजना मंजूर की गई और न इसके पूर्व मंजूर की गई योजनाओं के संदर्भ में कोई पुनर्वित्त ही लिया गया। जून 1980 के अंत में मंजूर की गई योजनाओं की कुल संख्या 6 है और वित्तीय सहायता 50 लाख रुपये तथा कृषुविनि के वायदे 47 लाख रुपये हैं। जिनमें से 30 लाख रुपये की राशि भूमि विकास के लिये और शेष 17 लाख रुपये की राशि विविध प्रयोजनों से संबंधित कार्यक्रमों के लिये निर्धारित है। इस राज्य में जून 1980 के अंत तक राज्य सहकारी बैंक और वाणिज्य बैंकों द्वारा क्रमशः 11 लाख और 7 लाख रुपये की राशि ली गई है। राज्य में कृषि विकास की प्रगति को रोकने वाले तत्वों में भूमि संबंधी रिकार्डों का न होना, किसानों में उत्साह का अभाव, तकनीकी स्टाफ की कमी और मूलभूत सुविधाओं की अपर्याप्तता जैसे कारण भी जुड़े हुए हैं।

उड़ीसा

2.45 इस राज्य के 50 प्रतिशत गांवों को भयंकर सूखे का परिणाम भुगतना पड़ा; इसलिये वर्ष के दौरान विकास के काम में रुकावट आ गई। फिर भी कार्य काफी संतोषजनक रहा। वाणिज्य बैंकों ने काम अच्छा किया है (5.63 करोड़ रुपये)। जबकि इसके बाद भूमि विकास बैंक आते हैं (4.80 करोड़ रुपये)। उसके बाद केन्द्रीय सहकारी बैंकों के साथ-साथ राज्य सहकारी बैंकों ने (2.72 करोड़ रुपये) का उपयोग किया। वितरणों में ज्यादातर वितरण लघु सिंचाई के अन्तर्गत किये गये हैं। 13.15 करोड़ रुपये में से 10.88 करोड़ रुपये इस मद के लिये और इसके अनुसरण में कृषि मशीनीकरण से इतर प्रयोजनों के लिये 1.93 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं। लगभग 60 प्रतिशत ऋण कृषुविनि द्वारा परिभाषित छोटे किसानों को वितरित किया गया है। मूलभूत सुविधाओं की कमी और पर्याप्त तकनीकी सहायता के अभाव के कारण बैंकों के ऋण वितरण कार्यक्रम के कार्य में बाधा आई है।

2.46 राज्य के बड़े हिस्से में आदिवासी रहते हैं। विकास पूर्व संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से कृषुविनि के अधिकारियों के देश एक दल ने भू जल उपलब्धता की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये अप्रैल 1980 में गंजम जिले की एक आदिवासी बस्ती, रायगढ़ के दौरा किया था और निष्कर्षों के आधार पर कूप योजना का एक नमूना तैयार किया गया और आवश्यक कार्रवाई के लिये राज्य सरकार को भेजा गया।

पंजाब

2.47 पंजाब राज्य ने 1979-80 के दौरान कृषुविनि से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करने में तिगुनी बढ़ोतरी की है और उसने पिछले वर्ष के 16.2 करोड़ रुपये के मुकाबले, इस वर्ष 50.2 करोड़ रुपये निकाले हैं। इसमें से सबसे अधिक सहायता वाणिज्य बैंकों को दी गई। कृषि क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करने वाले राज्य होने के कारण पंजाब में कृषि मशीनीकरण की बड़ी मांग थी। इसलिये इसने 32.08 करोड़ रुपये लिये। इसमें भूमि विकास बैंक का हिस्सा 8.62 करोड़ रुपये था। जल नालियां और गहरे नलकूप बनाये जाने के कारण 11.07 करोड़ रुपये का बड़ा हिस्सा लघु सिंचाई के उपयोग में लाया गया। केवल वाणिज्य बैंकों ने अन्य विविध प्रयोजनों के लिये 5.57 करोड़ रुपये का वितरण किया। वर्ष के दौरान अविसंघ की सहायता प्राप्त पंजाब सिंचाई परियोजना आरंभ की गई, जो एक प्रमुख कार्य है। इस कार्य के अंतर्गत हुए वितरण से 36 लाख डालर की विदेशी सहायता प्राप्त करना संभव हो सका।

2.48 राज्य में मंजूर की गई विशेष योजनाओं में पिछड़े वर्ग और लघु तथा सीमांत कृषकों के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों द्वारा स्थापित की जाने वाली 1000 डेरी इकाइयों के लिये वाणिज्य बैंकों के माध्यम से वित्तपोषण करने हेतु पंजाब पिछड़ा वर्ग विकास वित्त निगम के वायदे का उल्लेख करना उचित होगा। राज्य में 7 लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता के निर्माण के लिये पंजाब राज्य गोदाम निगम द्वारा बनाई गई योजना, दूसरा उल्लेखनीय कार्य है। इसमें 2 लाख मैट्रिक टन का निर्माण अपनी ओर से और कब्जे के लिये निगम की गारंटी पर 5 लाख मैट्रिक टन का निर्माण निजी पार्टियों द्वारा किया जाएगा।

2.49 राज्य भूमि विकास बैंकों की वसूली की स्थिति हमेशा की तरह इस बार भी अच्छी रही और इससे वाणिज्य बैंकों के साथ राज्य में अधिक पुनर्वित्त का वितरण सुनिश्चित करना संभव हो सका। पिछले वर्ष के 36.9 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष कृषुविनि का वायदा 70.01 करोड़ रुपये का था। कुल वायदे 232.76 करोड़ रुपये के थे और उसमें से 144.38 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

राजस्थान

2.50 वर्ष के दौरान संपन्न हुए मुख्य मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

(i) राज्य ने अपने कार्यकलापों को थोड़ा सुधारा है। राज्य भूमि विकास बैंकों ने इस वर्ष पहले से थोड़ा अधिक वितरण किया है।

(ii) राज्य के वाणिज्य बैंक अन्य राज्यों की तरह अपनी कार्यक्षमता नहीं बनाये रख सके; (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पहली बार कुछ पुनर्वित्त प्राप्त किया। (iv) उसी प्रकार अन्त्योदय कार्यक्रम के अधीन राज्य सहकारी बैंकों ने लगभग 1 करोड़ रुपये का वितरण किया।

2.51 वर्ष 1978-79 का समग्र वितरण 16.2 करोड़ रुपये था और वह इस वर्ष के दौरान बढ़कर 18.15 करोड़ रुपये हो गया। प्रयोजनवार वितरणों में परिवर्तन की प्रवृत्ति देखी गई। लघु सिंचाई और विविध प्रयोजनों के लिये हुए वितरणों में थोड़ी सी वृद्धि हुई तो भूमि विकास और कृषि मशीनीकरण के अन्तर्गत हुए कुल वितरण में गिरावट देखी गई। विविध प्रयोजनों के अन्तर्गत हुए वितरण में वृद्धि इसलिये हो सकी कि कमजोर समुदाय के सबसे अधिक कमजोर वर्ग की मदद करने के उद्देश्य से राज्य सहकारी बैंक के लिये अन्त्योदय कार्यक्रम सामक एक विशेष कार्यक्रम मंजूर किया गया।

2.52 अविसंघ की सहायता प्राप्त राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना की प्रगति मुख्य रूप से सीमेंट और अन्य वस्तुओं की कमी, पात्रता प्राप्त किसानों को भूमि के बड़े खण्डों के आबंटन में हुई देरी तथा भूमि हस्तांतरण से संबंधित कानूनी और प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के कारण धीमी रही। अंपुवि बैंक की सहायता प्राप्त चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना के खेती विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर भी कानूनी अड़चन और किसानों के बीच भूमि के पुनःसंरेखण से संबंधित प्रक्रियात्मक कठिनाइयों, पर्याप्त यंत्र और उपकरणों इत्यादि की कमी के कारण बुरा असर पड़ा।

2.53 वर्ष के दौरान राजस्थान कमाण्ड क्षेत्र विकास और भू-व्यवस्था परियोजना नामक एक नई परियोजना कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष (आई० एफ० एडी०) द्वारा मंजूर की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 2.51 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खेती विकास के लिये ऋण सहायता दी गई है और इस योजना के अन्तर्गत 1980-81 से 5 साल की अवधि के लिये 41.76 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त का वायदा किया गया है।

तमिलनाडु

2.54 इस राज्य में वाणिज्य संस्थाओं ने कृषि निवेशों के लिए वित्त उपलब्ध कराने में वास्तव में कोई फुर्ती नहीं दिखाई। 1976-77 में 16 करोड़ रुपये की बड़ी रकम के मुकाबले 1979-80 में कृषि के लिए मीयादी ऋण देने का कारोबार क्षीण हो गया और केवल 9.64 करोड़ रुपये की राशि दी गई। राज्य भूमि विकास बैंक का हिस्सा केवल 2.87 करोड़ रुपये का था जबकि वाणिज्य बैंकों का हिस्सा 6.77 करोड़ रुपये का था। लघु सिंचाई का वित्तपोषण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वाणिज्य बैंकों को सौंपी गई सीमित भूमिका के कारण अन्य विविध प्रयोजनों के लिए 6 करोड़ रुपये दिए गए, जिसमें कृषि मशीनीकरण के लिए प्रदत्त 0.61 करोड़ रुपये शामिल हैं। यद्यपि राज्य सरकार ने कृषक समुदाय में व्याप्त असंतोष की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया था तथापि, राज्य सरकार ने उस पर जो कार्रवाई की, उससे वे संतुष्ट नहीं हुए और वर्ष भर में आन्दोलन चलता रहा। सहकारी बकाया रकम के सम्बन्ध में हुई चूक के फलस्वरूप वाणिज्य बैंकों का परिचालन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ।

2.55 श्रीलंका से प्रत्यावर्तित लोगों के पुनर्वास के लिए स्थापित चाय बागान निगम की सफल योजनाएं उल्लेखनीय हैं। तमिलनाडु में सात्तूर के अकेले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने एक अच्छी शुरूआत की है। इसने मीयादी ऋणों के रूप में 109 लाख रुपये वितरित किए हैं और कृषुविनि से 97.00 लाख रुपये का पुनर्वित्त लिया है।

त्रिपुरा

2.56 इस वर्ष राज्य में वाणिज्य बैंकों द्वारा किया गया वितरण 11 लाख रुपये था, जबकि यह पिछले वर्ष 1 लाख रुपये था। 3 लाख रुपये लघु सिंचाई के लिए दिए गए और शेष 8 लाख रुपये विविध प्रयोजनों के लिए वितरित किए गए। इनमें से 3 लाख रुपये मत्स्यपालन, 2 लाख रुपये बागान और बागबानी और 3 लाख रुपये अन्य प्रयोजनों के लिए वितरित किए गए हैं। वन विकास योजना का कार्यान्वयन त्रिपुरा वन विकास और बागान निगम सीमित के माध्यम से किया जाना है।

2.57 राज्य के कृषि विकास की प्रगति में विभिन्न कारणों से रुकावट आई, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार थीं—सहकारी ऋण ढांचे की कमजोरी, मूलभूत सुविधाओं की कमी, अद्यतन भूमि रिकार्डों का अभाव और जनजातियों को प्रेरित करने में कमी।

2.58 राज्य में जून, 1980 के अन्त तक कृषुविनि के कुल वायदे 103 लाख रुपये के थे, जिनमें से वर्ष के दौरान 5 योजनाओं के लिए 37 लाख रुपये के वायदे पूरे किए गए। वर्ष के अन्त में राज्य में वित्तपोषक बैंकों ने कुल 23 लाख रुपये का पुनर्वित्त लिया।

उत्तर प्रदेश

2.59 उत्तर प्रदेश विशेष परिस्थितियों से प्रभावित रहा है। उत्तर भारत के कई स्थानों में पड़े अकाल का प्रकोप उत्तर प्रदेश में बड़ा भीषण था और इसके साथ-साथ भूमि विकास बैंक, जिससे कि काफी अच्छा प्रदर्शन करने की अपेक्षा थी, अपने अन्दरूनी झगड़ों के कारण वर्ष की अन्तिम तिमाही में ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाया। पिछले वर्ष के 26.11 करोड़ रुपये के मुकाबले, इस वर्ष भूमि विकास बैंक का वितरण 28.65 करोड़ रुपये रहा। इसी प्रकार वाणिज्य बैंकों ने 27.95 करोड़ रुपये का वितरण किया और उसकी प्रगति भी महत्वपूर्ण रही। दोनों वर्गों की संस्थाओं के वितरण में मूल अंतर यह रहा कि जहां भूमि विकास बैंक ने सारा वितरण लघु सिंचाई के लिए किया, वहां वाणिज्य बैंकों ने मुख्य रूप से कृषि मशीनीकरण (18.22 करोड़ रुपये) लघु सिंचाई (6.29 करोड़ रुपये) और अन्य विविध प्रयोजनों के लिए (3.44 करोड़ रुपये) वितरण किया।

2.60 वर्ष के दौरान जिन दो नई प्रकार की विकास गतिविधियों के लिए कृषुविनि ने पुनर्वित्त के वायदे किये, उनका सम्बन्ध निजी और सहकारी दोनों प्रकार के क्षेत्रों द्वारा आलू को सुरक्षित रखने के लिए शीतगृह बनाने और सहकारी चीनी फैक्टरी द्वारा अतिरिक्त भंडार क्षमता बढ़ाने से था।

2.61 कृषुविनि ने वर्ष के दौरान 12.5 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त का वायदा राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे रामगंगा, शारदा सहायक और गंडक क्षेत्रों के कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए किया। इस परियोजना का कार्य काफी प्रगति पर था, परन्तु बंधकपत्र बनाने के सम्बन्ध में आई प्रक्रियागत कठिनाइयों और अंतरिम वित्त के परिवर्तन के लिए दस्तावेज आदि से सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूरा करने में इससे लाभान्वित होने वालों की अनिच्छा के कारण सहभागी बैंकों ने पुनर्वित्त प्राप्त नहीं किया।

2.62 राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण II और अविसंघ द्वारा सहायता प्राप्त अन्तर्वेशीय मत्स्यपालन परियोजना राज्य में कार्यान्वित की जा रही है।

पश्चिम बंगाल

2.63 इस वर्ष राज्य में कृषुविनि के वायदे काफी कम रहे अर्थात 109 योजनाओं के लिए 12.4 करोड़ रुपये के वायदे थे, जबकि पिछले वर्ष 97 योजनाओं के लिए 23.8 करोड़ रुपये के वायदे थे। भूजल और सतही जल स्रोत क्षमता के लिए अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने में देर लग जाने से योजना बनाने के प्रयासों में गतिरोध आया प्रतीत होता है, जून 1980 के अन्त तक 402 योजनाओं के लिए कुल वायदों का जोड़ 78 करोड़ रुपये था। वर्ष के दौरान किये गए वायदों में से 5.2 करोड़ रुपये के वायदे लघु सिंचाई से सम्बन्धित थे और शेष 7.2 करोड़ रुपये विविध प्रयोजनों के लिए थे, जिसमें से 1.7 करोड़ रुपये की राशि कृषि मशीनीकरण के लिए थी।

2.64 इस वर्ष राज्य में किया गया पुनर्वित्त का वितरण 9.81 करोड़ रुपये था जो कि पिछले वर्ष के 10.4 करोड़ रुपये के वितरण से थोड़ा कम था। जून, 1980 तक निगम का संचयी वितरण 38.81 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गया।

2.65 वाणिज्य बैंकों ने भूमि विकास बैंक के मुकाबले काफी संतुलित वितरण करने का प्रयास किया। भूमि विकास बैंक ने वर्ष के दौरान 4.4 करोड़ रुपये का वितरण किया, जिसमें से 3.4 करोड़ रुपये लघु सिंचाई के लिए थे। वाणिज्य बैंकों ने 5.4 करोड़ रुपये वितरित किये जिसमें से 3.1 करोड़ रुपये अन्य विविध प्रयोजनाओं के लिए, 2.0 करोड़ रुपये लघु सिंचाई के लिए और केवल नाममात्र की राशि कृषि मशीनीकरण के लिए थी। यह स्थिति ज्यादातर भूमि विकास बैंक के मामले में प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में विद्यमान प्रतिबंधित प्रावधानों के कारण है। वित्तपोषण में वृद्धि की गति को और तेज करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन दलों की स्थापना की है और वे प्रगति के भिन्न-भिन्न स्तरों पर हैं।

2.66 राज्य में कार्यान्वित की जा रही अविसंघ की सहायता प्राप्त कृषि विकास परियोजना की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी गई है। यह योजना 30 मार्च, 1980 को पूरी होनी थी।

2.67 राज्य सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक प्रकृति की योजनाओं का कार्यान्वयन अंचल पंचायत समितियों और जिला परिषदों के माध्यम से करवाने का निश्चय किया था। कृषुविनि ने पंचायत समितियों को ऋण देने वाले बैंकों को कुछ सुरक्षात्मक उपायों के साथ प्रयोगात्मक आधार पर पुनर्वित्त प्रदान करने की इच्छा जाहिर की थी।

वर्ष के दौरान लिए गए नीति सम्बन्धी (निर्णय)

1. पुनर्व्यवस्था कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु कृषकों को प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण

लघु कृषकों को बड़ी मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने के कार्य को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/शाखाओं को, जो लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, नियंत्रण क्षेत्र विकास एजेंसी जैसे विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत आते हैं तथा जिन्हें नये ऋण प्रदान करने की पात्रता प्राप्त है, दिनांक 1 जनवरी, 1979 से लागू छूट के अनुसार किसी प्रतिबन्ध के बिना, इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत परिभाषित लघु कृषकों को उधार देने की अनुमति दी गई है। चालू वर्ष के दौरान यह भी निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक भूमि विकास बैंक/शाखाओं को, जिन्हें ऋण की पात्रता नहीं थी, छोटे किसानों को ऋण देने की सुविधा इस शर्त पर दी गई कि सम्बन्धित प्राथमिक भूमि विकास बैंक/शाखा के लिए अन्य बातों के अलावा, संगठन को समर्थ बनाने, वित्तीय स्थिति को सक्षम बनाने, तकनीकी सहायता को बढ़ाने और उचित अवधि के भीतर अतिदेय राशि के स्तरों में सुधार लाने के उपायों के लिए पुनर्व्यवस्था का समयबद्ध कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक/कृषुविनि की संतुष्टि के अनुरूप किया जाए।

2. विशेष कार्यक्रमों के लिए ऋणों पर 90 प्रतिशत रियायती पुनर्वित्त

3.2 अब तक 90 प्रतिशत पुनर्वित्त सुविधा लघुकृषक विकास एजेंसी तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और गिरिजनों के हित की विशेष योजनाओं के लिए उपलब्ध थी। निगम ने ऐसे कार्यक्रमों को, जो कि परिस्थितियों के कारण या आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में आते हों या कमजोर वर्गों के लिए जो मरु क्षेत्र विकास या पहाड़ी क्षेत्र विकास एजेंसी, कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेंसी, समन्वित ग्रामीण विकास एजेंसी जैसी विशेष संस्थाओं के तत्वावधान में आते हों, नवम्बर, 1979 में 90 प्रतिशत पुनर्वित्त की सुविधा कुछ शर्तों के अधीन दी अर्थात आर्थिक सहायता बैंकों के माध्यम से दी जाए, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों की शिनाख्त और निधि के दक्ष प्रशासन के सम्बन्ध में उपयुक्त देखरेख और लेखा परीक्षण/प्रक्रिया का प्रबन्ध किया जाए।

3. राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा निगमित निकायों का वित्तपोषण

3.3 कृषुविनि ने किसानों के हित में बनाई गई विपणन समितियों, मालगोदाम निगमों आदि निगमित निकायों को एक निश्चित सीमा तक वित्तपोषण करने के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह लेकर सहमति देने का निश्चय किया है। पुनर्वित्त की मात्रा 75 से 90 प्रतिशत के बीच विकास के प्रयोजन को देखते हुए वितरित किए गए ऋण के अनुरूप होगी।

4. राज्य भूमि विकास बैंकों को अंतरिम वित्त

3.4. कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने सहकारी संस्थाओं के गठन तथा विशेष डिबेंचर कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भूमि विकास बैंकों के ऋण वितरण से संबंधित साधनों की तृप्तिकर व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1 जनवरी, 1980 से राज्य भूमि विकास बैंकों को अन्तरिम वित्त प्रदान करने का निश्चय किया। यह आशा की जाती है कि यह अंतरिम वित्त अंतिम ऋणकर्त्ताओं को ऋण के वितरण की तारीख और विशेष डिबेंचर जारी करने की तारीख के बीच के समयांतर के लिए पूरक वित्त के रूप में काम आएगा और इस समय इस पर वार्षिक 10 प्रतिशत ब्याज लगेगा।

5. भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण की किस्त वसूली का स्थगन

3.5 प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित ऋणकर्ताओं को जहां राज्य सरकारों ने 6 आने या कम आनेवारी घोषित की है तथा भू-राजस्व और सरकार को देय राशियों की वसूली निलंबित/प्रेषित की है, चुकौती की अवधि बढ़ाने के संबंध में राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा व्यक्त की गई कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक/कृषुविनि ने यह निर्णय किया है कि प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित ऋणकर्ताओं से ऋण की किस्तों की वसूली का स्थगन करने की सविधा निश्चित शर्तों के अधीन देय ऋण की अवधि बढ़ाते हुए की जाए। निगम ने अपने पास रखे हुए संबंधित डिबेंचरों के शोधन को उस हालत में आस्थगित करने का भी निर्णय लिया है, जब किस्तों की वसूली के ऐसे स्थगन के कारण भूमि विकास बैंक वार्षिक भुगतान के संबंध में उनकी अपनी निधि से वित्तीय वादा पूरा करने में असमर्थ रहते हों।

6. समन्वित रूई विकास परियोजना के अल्पावधि ऋणों का मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन

3.6 समन्वित रूई विकास परियोजना के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र में निगम रूई की उन्नत किस्म उगाने के लिये चुने हुए वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त देता रहा है। हरियाणा के परियोजना क्षेत्र में व्याप्त सूखे की विकट स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हरियाणा में राज्य सहकारी बैंक को दिये गये अल्पावधि ऋणों के एक भाग को मध्यावधि ऋण में परिवर्तित करने की अनुमति निगम ने उन्हीं नियमों और शर्तों के अधीन दी है जिनके अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने परिवर्तन सुविधायें प्रदान की हैं।

7. वाणिज्य बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वसूली कार्य

3.7 यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि वाणिज्य बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अतिदेय राशियों की समस्या पर और विशिष्ट कृषि विकास कार्यक्रमों के सन्दर्भ में उन पर अनुवर्ती कार्यवाही करने की आवश्यकता तथा शाखाओं द्वारा उनके कार्यान्वयन पर आवश्यक ध्यान दिया जा रहा है, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने वाणिज्य बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया है कि स्वीकृति के लिये निगम को प्रेषित योजना प्रस्तावों में, संबंधित योजनाओं में भाग लेने वाली शाखाओं के वसूली कार्य के संबंध में पूरा ब्योरा दें। यदि भाग लेने वाली शाखाओं की अतिदेय राशि मीयादी ऋणों के अन्तर्गत पिछले वर्ष के 30 जून को या अद्यतन नियत तिथि को मांग के 50 प्रतिशत से अधिक होती है, तो बैंकों से यह अपेक्षा की गई थी कि उच्च स्तर की अतिदेय राशियों के कारणों और उनकी वसूली में सुधार के लिये उठाए गए या उठाए जा रहे उपायों को निर्दिष्ट करें।

8. खाद्यान्न संग्रह गोदामों के निर्माण के लिये पुनर्वित्त

3.8 कृषक वर्ग के आर्थिक हितों के लिये उनके कृषि उत्पादन तथा उर्वरक, कीटनाशक, बीज और अन्य कृषि औजारों के लिये भंडार सुविधा जुटाने हेतु ग्रामीण गोदामों के निर्माण कार्य के लिये 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता (25 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा) देने के निमित्त भारत सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के संबंध में, निगम ने ऐसे गोदामों के निर्माण के लिये पात्र संस्थाओं, सहकारी समितियों/विपणन समितियों/मार्केट कमेटियों/राज्य गोदाम निगमों द्वारा दिये गये ऋण पर 80 प्रतिशत पुनर्वित्त सहायता देने की सहमति दी है।

9. मशीनी खाद संयंत्रों के लिये पुनर्वित्त

3.9 निगम ने मशीनी-खाद संयंत्रों के निर्माण के लिये महानगरों या बड़े नगरों में नगरपालिकाओं और कृषि उद्योग निगमों या इसी प्रकार के दूसरे अभिकरणों द्वारा स्थापित संयुक्त उद्यमों के माध्यम से दिये गये बैंक ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त सुविधा देने का निश्चय किया

है, बशर्ते कि योजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक सहायता के लिये अनुमोदित हों। इस संबंध में आवश्यक मार्ग निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

[प्रमुख लक्ष्य और उपलब्धियां

क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, संस्था का विकास, छोटे किसानों को अपने कार्यक्रमों द्वारा आर्थिक सहायता और कारोबार में वैविध्य लाने जैसे प्रमुख लक्ष्यों को साधने में निगम निरन्तर ठोस प्रयत्न करता आ रहा है। इन लक्ष्यों को पूरा करने में वर्ष के दौरान काफी सफलता मिली है।

4.2 कम विकसित क्षेत्रों में वितरण का प्रतिशत 1972–73 के 19 के मुकाबले 1979–80 के दौरान कुल वितरण करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ गया है (सारणी 13)। संस्था विकास के प्रयास को बढ़ावा देने और योजनाओं के स्तर में सुधार लाने के लिये भूमि विकास बैंकों की कार्यक्षमता बढ़ाने की दृष्टि से कृषुविनि ने अपनी अनुसंधान एवं विकास निधि से सहायता देकर तकनीकी कक्षों के निर्माण में मदद देने का निश्चय किया है, जैसा कि रिपोर्ट में अन्यत्र चर्चा की गई है। इसके अलावा कृषुविनि ने भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से विशेष रूप से पांच राज्यों में (बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक) सम्बद्ध प्राथमिक संस्थाओं द्वारा अथवा एकात्मक स्वरूप की शाखाओं सहित भूमि विकास बैंकों के पुनः स्थापन के लिये कार्यक्रम तैयार किये हैं। वाणिज्य बैंकों की अतिदेय राशियों का स्तर भी एक चिन्ता का विषय बना हुआ है और वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि ऋण दिये जाने के संबंध में निर्मित समिति (सीएएलसीओबी) की सलाह लेकर कृषुविनि इस बात पर जोर दे रहा है कि अतिदेय राशि मांग के 50 प्रतिशत से अधिक होने पर बैंक इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाये। विविधोद्देश्यीय प्रयोजनों के लिये ऋण देने की दिशा में जो परिवर्तन लाने की बात सोची गई थी, पिछले कुछ वर्षों से वह पूरी होती नजर आ रही है। निगम द्वारा विविध प्रयोजनों के लिये दिया गया पुनर्वित्त (कृषि मशीनीकरण से इतर) कृषुविनि के वितरण का 20 प्रतिशत हो गया है।

सारणी 13—कम विकसित/अल्पविकसित राज्यों में किये गये वितरण

(लाख रुपये)

राज्य/संघशासित क्षेत्र	निम्नलिखित वर्ष के दौरान वितरण				30-6-1980 तक किया गया वितरण
	1972–73	1977–78	1978–79	1979–80	
हिमाचल प्रदेश	–	23	50	185	286
	(0.2	(0.1)	(0.2)	(0.5)	(0.2)
जम्मू तथा कश्मीर	–	15	14	12	135
		(0.1)	(–)	(–)	(0.1)
राजस्थान	136	1312	1616	1815	7084
	(1.4)	(5.6)	(5.7)	(4.4)	(4.1)
असम	–	273	235	286	1004
		(1.2)	(0.8)	(0.7)	(0.6)
मणिपुर	–	23	43	10	89
		(0.1)	(0.2)	(–)	(0.1)
मेघालय	–	–	–	–	–
नागालैण्ड	–	5	–	–	(18)
		(–)			–
त्रिपुरा	–	8	1	11	23
		(–)	(–)	(–)	(–)
बिहार	154	1864	2253	2468	11523
	(1.6)	(8.0)	(7.9)	(6.0)	(6.6)
उड़ीसा	11	816	875	1315	4042
	(0.1)	(3.5)	(3.1)	(3.2)	(2.3)
पश्चिम बंगाल	4	996	1045	981	3881
	(0.1)	(4.3)	(3.7)	(2.4)	(2.2)
अंडमान निकोबार द्वीप समूह				1	1
				(–)	(–)
मध्य प्रदेश	319	1670	1666	3647	14088
	(3.4)	(7.1)	(5.9)	(8.9)	(8.1)
उत्तर प्रदेश	1143	4317	4877	5660	26935
	(12.1)	(18.4)	(17.1)	(13.7)	(15.5)
कुल (सभी कम विकसित राज्य)	1767	11322	12675	16391	69109
	(18.8)	(48.3)	(44.5)	(39.8)	(39.8)
कुल (अखिल भारतीय)	9414	23430	28487	41223	173819
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत हैं—अखिल भारतीय

लघु कृषकों को सहायता

4.3 वर्ष 1975 में पहली कृषविनि साख परियोजना के प्रारम्भ से ही निगम छोटे किसानों की जरूरतें पूरी करने की ओर विशेष ध्यान देता आ रहा है। यद्यपि लघु कृषकों की मूल परिभाषा यह थी कि अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 1972 की दरों के अनुसार विकास पूर्व 2000 रुपये वार्षिक शुद्ध आय वाले किसान लघु कृषक कहलाएंगे, उक्त परिभाषा जारी रहेगी परन्तु आय का स्तर 3200 रुपये होगा (दिसम्बर 1979 के सूचकांक के आधार पर) जो संबंधित राज्यों के सूचकांकों के आधार पर थोड़ा परिवर्तित हो सकता है। निगम ने यह सुनिश्चित किया है कि लघु कृषक विकास अभिकरण, सूखाग्रस्त क्षेत्र, कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण इत्यादि कार्यक्रमों के अन्तर्गत लघु कृषकों को सहायता दी गई है। किसानों को अधिक मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराने के लिये निगम ने जो सुविधायें प्रदान की हैं, वे इस प्रकार हैं: (i) सभी प्रयोजनों के लिये ऋण पर लाभार्थियों के लिये निर्धारित 9½ प्रतिशत की कम ब्याज पर, (ii) चुकौती के लिये अधिक समय और तुरन्त भुगतान न्यूमतर; (iii) ज्यादा उधार छोटे किसानों को देने के संबंध में बैंकों को प्रोत्साहन करने के लिये, उन्हें वितरण की 90 प्रतिशत पुनर्वित सुविधा, (iv) बैंकों के योजना-प्रस्ताव के रूप में समझे जाने वाले समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये बैंकिंग योजनायें बनाने में लघु कृषक विकास अभिकरण, सूखाग्रस्त क्षेत्र परियोजना और कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण सहित, राज्य प्राधिकरणों के संयोग से विशिष्ट सहायता देना। वर्ष 1979–80 के दौरान सदस्य बैंक समग्र रूप में छोटे किसानों को 58 प्रतिशत सहायता दे पाये हैं; लघु सिंचाई के लिये 61 प्रतिशत और कृषि मशीनीकरण और भण्डार और बाजार केन्द्र से इतर विविध प्रयोजनों के लिये 47 प्रतिशत सहायता दे पाये हैं। 1979–80 में कृषविनि-कार्यक्रम के अंतर्गत लघु कृषकों को प्राप्त सहायता के आंकड़े नीचे सारणी 14 में दिये गये हैं।

सारणी 14—लघु कृषकों को वित्त*

(करोड़ रुपये)

प्रयोजन	1979–80 के दौरान कुल वितरण	1979–80 के दौरान लघु कृषकों को वितरण		प्रतिशत
		राशि	खातों की संख्या	
लघु सिंचाई और भूमि विकास	235.8	144.2	192000	61.2
विविध प्रयोजन	57.7	26.1	65000	46.9
जोड़	291.5	170.3	257000	58·9

*अनन्तिम

टिप्पणी : कृषि मशीनीकरण भण्डार और केन्द्र समन्वित रूई विकास परियोजना के अन्तर्गत किया गया वितरण, मध्य प्रदेश में कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत दिया गया अंतरिम वित्त इत्यादि शामिल नहीं है।

4.4 कृषविनि ने अपनी तीसरी साख परियोजना के दौरान 60 प्रतिशत लघु कृषकों को सहायता देने का लक्ष्य अपने समक्ष रखा है। किन्तु फिर भी सदस्य बैंकों से अन्यान्य कृषविनि कार्यक्रमों के अन्तर्गत लघु कृषकों के समावेशन से संबंधित आंकड़े व्यवस्थित और नियमित रूप से इकट्ठा करने में निगम कठिनाई का अनुभव कर रहा है।

1 अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ/अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनायें:

अंविसंघ ने दूसरी कृषविनि (सामान्य व्यवस्था) साख परियोजना अगस्त 1977 में मंजूर की और 30 दिसम्बर 1979 तक 2000 लाख डालर की आबंटित राशि का संपूर्ण वितरण किया। तीसरी कृषविनि साख परियोजना (सामान्य व्यवस्था) 2 जनवरी, 1980 को आरंभ की गयी। वर्ष के दौरान तीन और परियोजनायें अर्थात् अन्तर्देशीय मत्स्यपालन परियोजना, बहुराज्यीय काजू परियोजना और कर्नाटक रेशम उत्पादन परियोजनाओं पर अंविसंघ, भारत सरकार, राज्य सरकार और कृषविनि ने विचार किया है। 272 लाख डालर का ऋण इन तीन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृषविनि के माध्यम से वितरित किया गया। वर्ष के दौरान अंविसंघ से इन तीन ऋणों के बारे में की गई बातचीत के कारण कृषविनि माध्यम से दी जाने वाली कुल राशि 12000 लाख डालर होती है।

5.2 जैसे कि पिछली रिपोर्ट में चर्चा की गई है, यूनाइटेड किंगडम, सीआईडीए (कनाडा), पश्चिम जर्मनी की केएफडब्ल्यू, ईईसी, स्विटजरलैंड और नीदरलैंड जैसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कृषविनि को संसाधनों की पूर्ति करने में रुचि दिखाई है और देश के ग्रामीण विकास में भी वे सम्मिलित थे। वर्ष के दौरान कृषविनि ने यू० के०, ईईसी और सीआईडीए से ऋण सहायता ली। भारत सरकार ने भी स्विटजरलैण्ड, नीदरलैण्ड और अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के लिये कृषविनि के कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता के लिये करार पर हस्ताक्षर किये। पश्चिम जर्मनी के के एफ डब्ल्यू से ऋण लेने के संबंध में हो रही बातचीत और ईईसी से और भी ऋण लेने की बात काफी आगे बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर 1800 लाख डालर की वित्तीय सहायता दानी देशों से तीसरी कृषविनि साख परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता के रूप में उपलब्ध है।

5.3 जून 1980 के अंत तक, 3 सामान्य ऋण व्यवस्थाओं के अलावा, 37 परियोजनायें विश्व बैंक समूह द्वारा मंजूर की गई है। जिनके लिये खेती विकास योजना हेतु कृषविनि के माध्यम से ऋण वितरित किया जा रहा है। इसमें 12 कृषि साख परियोजनायें, के कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनायें, 3 डेरी विकास परियोजनायें, 3 बीज परियोजनायें, 3 मत्स्यपालन परियोजनायें, 2 बाजार केन्द्र परियोजनायें, 2 बागवानी विपणन परियोजनायें, 2 सिंचाई परियोजनायें, एक समन्वित रुई विकास परियोजना, एक बहुराज्यीय काजू परियोजना तथा एक रेशम उत्पादन परियोजना शामिल है।

प्रयोजनवार ऋण वितरण कार्यक्रम से संबंधित विवरण अब तक किया गया वितरण तथा सभी परियोजनाओं के अंतर्गत चुकाई गई प्रतिपूर्ति की राशि और जून 1980 तक प्रतिपूर्ति के लिये अंविसंघ से प्राप्य ऋण की राशि सारणी 15 में दी गई है।

5.4 पृथक् परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा विवरण 11 में दिया गया है तथा कुल ऋण वितरण कार्यक्रम और अन्य परियोजनाओं से संबंधित आंकड़े, वितरण और अन्य विवरण, सारणी 12 में दिये गये हैं।

5.5 अंविसंघ के 6000 लाख डालर ऋण की 14 परियोजनायें जून 1980 तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित की गई। इसमें 10 कृषि साख परियोजनायें, 2 सामान्य पंक्ति की ऋण व्यवस्थाएं, 1 बाजार केन्द्र परियोजना और 1 बीज परियोजना समाविष्ट है। अंविसंघ द्वारा वित्तपोषण की जाने वाली विभिन्न वर्ग की परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(क) कृषविनि (सामान्य व्यवस्था) साख परियोजना

5.6 कृषविनि की पहली (सामान्य व्यवस्था) साख परियोजना जून 1977 को सफलतापूर्वक सम्पन्न की जा चुकी है, अगले कार्यक्रमों के अनुसार कृषविनि की दूसरी (सामान्य व्यवस्था) साख परियोजना

सारणी—15 अंविसंघ/अंपुवि बैंक परियोजनाएं —प्रयोजनवार

(करोड़ रुपये)

प्रयोजन	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण का उपयोग करने के लिये आवश्यक वितरण	कृपुविनि के कार्यक्रम के लिये अंविसंघ/अंपुवि बैंक की सहायता की राशि	30 जून 1980 तक कृपुविनि द्वारा दिया गया पुनर्वित्त	30 जून 1980 तक अंविसंघ अंपुवि बैंक द्वारा भारत सरकार के माध्यम से वितरित राशि	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण के लिये पात्रता प्राप्त राशि (लाख डालर)
1. लघु सिंचाई	1230.9	680.5	787.2		598.0
2. भूमि विकास	11.7	8.3	5.8	488.2	3.8
3. कृषि मशीनीकरण	93.3	57.3	64.9		39.1
4. बाजार केन्द्र विकास	23.8	17.2	21.3	14.6	19.6
5. नष्ट हो रही बागवानी परियोजना का अभिसंस्करण और विपणन	14.3	12.6	2.0	–	2.3
6. डेरी विकास	41.1	33.6	0.1	–	–
7. कमाण्ड क्षेत्र विकास	68.6	46.5	9.6	5.3	5.8
8. बीज उत्पादन	51.0	35.9	2.2	1.9	1.3
9. विविध प्रयोजन** (जैसे वृक्ष की फसलें, मुर्गीपालन)	194.4	103.0	105.8	36.1	59.3
10. मछली पालन विकास	28.7	15.5	1.5	–	0.9
11. रुई विकास और अभिसंस्करण †	16.1	10.3	6.3	3.2	5.7
	1773.9	1020.7	1006.7	549.3@	735.8@

**इसमें केरल की बागान फसलों का विकास शामिल है।

†इसमें समन्वित रुई विकास परियोजना के अधीन सुधारित किस्म की रुई पैदा करने के लिये निर्धारित 75 लाख डालरों का अल्पावधि ऋण शामिल है।

@इसमें 1540 लाख डालर सीमा तक दानी देशों का ऋण शामिल नहीं है।

जुलाई 1977 को आरम्भ हो चुकी है। इस परियोजना के लिये भी दिसम्बर 1979 तक संपूर्ण ऋण वितरण किया जा चुका है। कृपुविनि की दूसरी (सामान्य व्यवस्था) साख परियोजना के अधीन कुल वितरण 312 करोड़ रुपये था, जो कि 2000 लाख डालर के निर्धारित ऋण को समा लेने के लिये आवश्यक वितरण से लगभग 15 करोड़ रुपये अधिक था। कृपुविनि (सामान्य व्यवस्था) की तीसरी साख परियोजना के अधीन अतिरिक्त वितरण को समाश्रित किया गया है। कृपुविनि की दूसरी (सामान्य व्यवस्था) परियोजना के अंतर्गत आहरित 2000 लाख डालर में लघु सिंचाई के लिये 81 प्रतिशत अर्थात् 1672 लाख डालर खर्च किये गये। विविध प्रयोजनों के लिये 320 लाख डालर का ऋण निर्धारित किया गया था और 8 लाख डालर का ऋण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये वितरित किया गया। विविध राज्यों की परियोजनाओं के अधीन पुनर्वित्त सहायता के वितरण में अधिक समानता लाना संभव हो सका। 22 राज्य और संघ शासित क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित हुए। तीसरी (सामान्य व्यवस्था) साख परियोजना 2 जनवरी, 1980 को लागू हुई और कार्यान्वयन प्रगति पर है। जून 1980 के अंत तक कृपुविनि द्वारा 139.7 करोड़ रुपये का वितरण किया गया। इससे कृपुविनि 842 लाख डालर ऋण लेने का हकदार होगा। वितरण की यह राशि जून 1980 तक आहरण के बारे में अंविसंघ द्वारा अंदाज लगाए गए 50 लाख डालर से करीब 340 लाख डालर तक ज्यादा हो गई।

(ख) राज्य कृषि साख परियोजनायें

5.7 पृथक रूप से गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार आदि राज्यों के लिये कृषि साख परियोजनाओं के अंतर्गत मंजूर किया गया ऋण पूर्णतः वितरित किया गया। इन परियोजनाओं में कृपुविनि के कुल वितरण की समग्र राशि 372.8 करोड़ रुपये रही, जिसमें अंविसंघ का 3110 लाख डालर का ऋण भी शामिल है। इस समय पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना और केरल कृषि विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं से जून 1980 के अंत तक 23.7 करोड़ रुपये का वितरण किया गया। इससे 157 लाख डालर ऋण की पात्रता प्राप्त हो जाती है। उथले नलकूपों के कार्यक्रमों का विकास संतोषजनक है। आरंभ में, पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में कार्यान्वित होने वाले इस घटक को अब संपूर्ण राज्य में विस्तारित किया गया है। गहरे नलकूप कार्यक्रम, कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना और बाजार केन्द्रों के विकास कार्य धीमी गति से चल रहे हैं। परियोजना की समाप्ति की तिथि बढ़ाकर मार्च 1981 कर दी गई है। केरल कृषि विकास परियोजना में नारियल के पेड़ लगाने के कार्य में उत्साह कम दिखाई पड़ता है। कुछ घटकों में आवश्यक परिवर्तन करना, नये क्षेत्रों को शामिल करना इत्यादि कार्यों के साथ इसे नये सिरे से शुरू करना है। इस संबंध में राज्य सरकार को कुछ प्रस्ताव तैयार करने हैं। इस परियोजना के अधीन कृपुविनि ने जून 1980 के अंत तक 1.85 करोड़ रुपये का वितरण किया है।

(ग) कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनायें

5.8 इस समय 7 कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनायें विश्व बैंक समूह की सहायता से चल रही हैं और इनमें क्षेत्रों के विकास के लिये कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से ऋण दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं में एक-एक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उड़ीसा में और दो राजस्थान में है। आंध्र प्रदेश सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास संयुक्त परियोजना के लिये कृपुविनि ने जून 1980 के अंत

तक करीब 2 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया। यह विधान बनाने का कार्य कि कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को अपनी जोत को योजनाबद्ध तरीके से एक लेवल पर लाना होगा ताकि जोतना आसान हो सके, हाल ही में भारत सरकार ने पूरा किया है और राज्य विधायिका में यह बिल शीघ्र ही पेश किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रत्याशित सफलता इसलिये नहीं मिल सकी कि कुछ कृषक अच्छे लेवलिंग के लिये पैसा देने को राजी नहीं हुए और क्षेत्र पर्यवेक्षण प्रभार के भुगतान की जरूरत के संबंध में कमाण्ड क्षेत्र के कुछ अन्य किसानों को उचित तरीके से समझाना अभी बाकी है। कर्नाटक सिंचाई परियोजना में, कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों को सांविधिक निकाय बनाते हुए, कर्नाटक कमाण्ड क्षेत्र विकास अधिनियम, 1980 पारित किया गया है। राज्य सरकार ने भी पांच कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण स्थापित किए हैं और उसके नियम बनाये जा रहे हैं। मध्य प्रदेश चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना के अधीन कृषुविनि ने 39 योजनायें समाप्त की हैं। इस परियोजना के अधीन 0.24 लाख रुपये का अंतरिम वित्त वितरित किया गया। अपर्याप्त फसल क्षतिपूर्ति और पर्याप्त मशीनरी के अभाव के कारण परियोजना की प्रगति धीमी रही। परियोजना की समाप्ति की तारीख बढ़ाकर जून 1981 कर दी गई है।

5.9 महाराष्ट्र में वित्तपोषक संस्थाओं ने 97 लाख रुपये अंतरिम वित्त के रूप में वितरित किये हैं और कृषुविनि से 69 लाख रुपये का पुनर्वित्त आहरित किया है। इस परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित अड़चनों का पता लगाया गया है और भविष्य में प्रगति की आशा है।

5.10 राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में राजस्थान भूमि विकास निगम ने सहभागी बैंकों से 7.8 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त की है, जिसके बदले में सहभागी बैंकों ने 6.2 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त का आहरण किया है। 326 चकों में यह काम पूरा हो गया है। और 889 चकों में अभी होना है। चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना (राजस्थान) में सहभागी बैंकों ने 89 लाख रुपये की राशि वितरित की और बैंकों ने 70 लाख रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त किया। राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में कानूनी अड़चनों और प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के कारण कार्य की गति धीमी रही तो चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना (राजस्थान) में तकनीकी समस्याओं, सर्वेक्षण और प्लाटों का आयतीकरण, सहकारी संस्थाओं के अतिदेयों की बड़ी राशि, जमीन की अनधिकृत बिक्री और जमीन संबंधी रिकार्डों का न होना आदि कारणों से परियोजना की प्रगति धीमी रही।

5.11 यह बताया जाता है कि उड़ीसा सिंचाई परियोजना में कमाण्ड क्षेत्र के कृषक बैंकों से खेती के विकास के लिये ऋण लेने में उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। खेतों पर जलनालियां अपने खर्चे से बनाने के बारे में राज्य सरकार विचार कर रही है और पानी पर अतिरिक्त कर लगाकर इसे वसूल करने की बात भी सोच रही है।

5.12 कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में उन कृषकों के खेतों के विकास के लिये जो विभिन्न कारणों से ऋण लेने के पात्र नहीं हैं, वित्त प्रदान करने के लिये निगम एक विशेष ऋण खाता रख रहा है जिसके लिये भारत सरकार संबंधित राज्य सरकार तथा कृषुविनि द्वारा अंशदान दिया जा रहा है। जून 1980 के अंत तक संबंधित 9 राज्यों में 8.5 करोड़ रुपये की राशि इस खाते में जमा हो चुकी है। इनमें से राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत 1.1 करोड़ रुपये की राशि पहले ही दी जा चुकी है।

(घ) डेरी विकास परियोजना

5.13 कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिये स्वीकृत तीन डेरी विकास परियोजनाओं में से मध्य प्रदेश और राजस्थान के परियोजना प्राधिकारियों ने भारत डेरी निगम से उसकी आसान शर्तों के कारण धन लेना पसन्द किया है। केवल कर्नाटक डेरी विकास परियोजना में संकर गायों के कार्यक्रम का वित्तपोषण कृषुविनि की पुनर्वित्त सहायता से बैंकों द्वारा किये जाने की संभावना है। जून 1980 के अंत तक कर्नाटक में कुल मिलाकर 986 डेरी विकास समितियों का पंजीकरण हुआ है, अन्य 566 समितियों का पंजीकरण अभी होना है। कर्नाटक डेरी विकास निगम, उत्तम संकर गायों को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहा है। इससे इस परियोजना के कार्यान्वयन पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। जून 1980 के अंत तक इस परियोजना के लिये 7 लाख रुपये का नाममात्र का वित्तपोषण किया गया।

(ङ) बीज परियोजनाएं

5.14 राष्ट्रीय बीज परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब आते हैं। उक्त परियोजना के अंतर्गत केवल हरियाणा और पंजाब में राज्य फार्म निगम द्वारा बीज फार्म विकास के लिये एक एक योजना स्वीकार की गई है, जिसके लिये कृषुविनि का 1.1 करोड़ रुपये का वायदा था और कृषुविनि ने लाडीलाल फार्म (पंजाब) के लिये 29 लाख रुपये का पुनर्वित्त जारी कर दिया है। हरियाणा राज्य बीज निगम ने अभिसंस्करण संयंत्र लगाने के लिये सुझाव दिये हैं जो अभी बैंक द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं महाराष्ट्र में इसी प्रकार की परियोजना कृषुविनि के विचाराधीन है।

5.15 राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण II के अधीन बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल है। राज्य बीज निगम, उड़ीसा द्वारा दिया गया प्रस्ताव भी संयुक्त अध्ययन के लिये ले लिया गया है। बिहार राज्य बीज निगम के लिये बीज अभिसंस्करण संयंत्र व गोदाम प्रांगण की स्थापना की योजना स्वीकार की गई है जिसमें कृषुविनि की 1.45 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता सहित 2.31 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

(च) मत्स्य-पालन परियोजनायें

5.16 दो समुद्री मत्स्यपालन परियोजनायें—गुजरात तथा आंध्र प्रदेश में एक-एक तथा एक अंतर्देशीय मत्स्यपालन परियोजना, जिसके अंतर्गत बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आते हैं, का कार्यान्वयन आजकल हो रहा है। अंतर्देशीय मत्स्यपालन परियोजना मई 1980 से प्रभावी हुई है और इसमें मछली के अंडे लेने के लिये वित्तपोषण करने तथा संबंधित राज्यों के चुने हुए जिलों में मछली तालाबों में सुधार लाने के लिये ऋण दिये जाने की व्यवस्था है। करार की व्यवस्था के अनुरूप ही कृषुविनि ने एक परियोजना बैंकिंग प्लान तैयार कर ली है और इसे अप्रैल 1980 से पहले अभिसंघ को प्रेषित कर दिया है। आंध्र प्रदेश मत्स्यपालन परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति कुछ कम है। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने मछुआरों के चयन की क्रियाविधि को अंतिम रूप दे दिया है। जून 1980 के अंत तक इस परियोजना के अंतर्गत कृषुविनि ने कुल 21 लाख रुपये का वितरण किया।

5.17 गुजरात मत्स्यपालन परियोजना में जून 1980 के अंत तक कृषुविनि का वितरण 1.3 करोड़ रुपये था। इस परियोजना के कार्यान्वयन में हुई धीमी प्रगति का कारण यह बताया गया है कि डोंगियां बनाने के लिये अच्छी किस्म की लकड़ी उपलब्ध नहीं थी।

(छ) बाजार केन्द्र परियोजनाएं

5.18 बिहार और कर्नाटक के लिये मंजूर की गई दो बाजार केन्द्र परियोजनाओं में से बिहार बाजार केन्द्र परियोजना के लिये, वर्ष के दौरान वितरण पूरा कर लिया गया है और अभिसंघ के 138 लाख डालर के ऋण का उपयोग कर लिया गया है। कर्नाटक थोक बाजार केन्द्र परियोजना में शुरू में सोचे गए 39 बाजार केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। परियोजना को समाप्त करने की अवधि जून 1981 के अंत तक बढ़ा दी गई है। जून 1980 के अंत तक कृषुविनि का वितरण 5.5 करोड़ रुपये हुआ। वित्तपोषण के लिये परियोजना के अंतर्गत 5 और बाजार केन्द्रों को शामिल कर लिया गया है। परियोजना के अंतर्गत शामिल करने के लिये अतिरिक्त बाजारों का चयन कर लिया

गया है और कृपुविनि को भेजने के लिये परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

(ज) बागवानी परियोजना

5.19 हिमाचल प्रदेश सेब प्रसंस्करण और विपणन परियोजना में केवल पैकों को छोड़कर पैकिंग और श्रेणीकरण केन्द्रों जैसी सुविधायें कृपुविनि ने स्वीकृत कर दी है। 5 श्रेणीकरण और पैकिंग केन्द्र अब तक शुरू हो चुके हैं और बाकी केन्द्र शीघ्र ही शुरू कर दिये जायेंगे। हिमाचल सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि ऋण की समाप्ति अवधि बढ़ाकर दिसंबर 1981 कर दी जाए।

5.20 जम्मू और कश्मीर बागवानी परियोजना में कृपुविनि द्वारा बैंकिंग प्लान को जनवरी 1979 में अंतिम रूप दे दिया गया था। पैकिंग और श्रेणीकरण केन्द्रों के लिये योजनायें मंजूर की गई हैं।

(झ) सिंचाई परियोजना

5.21 हरियाणा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जून 1980 के अंत में कृपुविनि के वितरण 7.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गये थे, जिससे 52 लाख डालर के ऋण की पात्रता प्राप्त हो जाएगी। जल नालियां बनाने के कार्यक्रम में भी काफी प्रगति हुई है। सीमेंट, ईंट और कोयले जैसे भवन निर्माण के सामान की कमी के कारण इस परियोजना की प्रगति काफी हद तक मंद पड़ गई है। बाजार केन्द्रों और संवर्द्धन नलकूपों जैसे अन्य घटकों की अस्तित्व प्रगति संतोषजनक थी। पंजाब सिंचाई परियोजना में जून 1980 के अंत में कृपुविनि का वितरण 5.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह परियोजना प्रगति पर है।

(ञ) समन्वित रूई विकास परियोजना

5.22 समन्वित रूई विकास परियोजना में समयानुकूल (मौसमी) ऋण खाता वर्ग के अंतर्गत कृपुविनि ने कुल 3.2 करोड़ रुपये की राशि के दावे किए हैं, जिससे इस वर्ग के लिये निर्धारित 75 लाख डालर में से निगम को 40 लाख डालर की ऋण पात्रता मिल जाएगी। 1980–81 के चालू खरीफ मौसम के दौरान और भी प्रगति होने की संभावना है। ओटाई और बीज प्रसंस्करण के लिये दीर्घावधि घटक के संबंध में हरियाणा में एक बिनौला प्रसंस्करण इकाई और दो ओटाई और दबाव इकाइयों और महाराष्ट्र में एक विलायक निस्सारण संयंत्र की स्वीकृति इस परियोजना के अंतर्गत दी गई है। परियोजना का भौतिक कार्यान्वयन संतोषजनक है और शीघ्र ही संयंत्र चालू किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त हरियाणा में तीसरा ओटाई केन्द्र और महाराष्ट्र में बीज प्रसंस्करण इकाइयां तथा विलायक निस्सारण संयंत्र कृपुविनि के विचाराधीन है।

(ट) हाल ही में तैयार हुई परियोजनाएं

5.23 एक बहुराज्यीय काजू परियोजना की बातचीत अप्रैल 1980 में पूरी की गई है, जिसमें अंतर्निवेश का कुल 220 लाख डालर का ऋण लगा हुआ है। इसके अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा शामिल हैं। इस परियोजना के बैंकिंग प्लान को अंतिम रूप दिया जा चुका है। कर्नाटक रेशम उत्पादन परियोजना (540 लाख डालर) की बातचीत भी अप्रैल 1980 में पूरी हो गई।

(ठ) चालू परियोजनायें

5.24 तीसरी कृपुविनि (सामान्य व्यवस्था) साख परियोजना दिसम्बर 1981 में समाप्त होनी है। इस परियोजना के अनुक्रम में कृपुविनि अंतर्निवेश से अपनी चौथी (सामान्य व्यवस्था) साख परियोजना के प्रस्तावों की तैयारी में लगा हुआ है।

II. अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनायें

(क) क्रेडिटनस्टल्ट फर वाइडराफबाऊ (के० एफ० डब्ल्यू०) द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनायें

5.25 पश्चिम जर्मनी की के० एफ० डब्ल्यू० की सहायता से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कार्यान्वित की जा रही कमाण्ड क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत कृपुविनि ने 82 योजनाओं के अंतर्गत खेती के विकास विकास के लिए तकनीकी अनुमोदन दे दिया है। इस परियोजना के अंतर्गत 1.1 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त वितरित किया गया है।

(ख) अन्य सहायता एजेंसियों द्वारा दी गई सहायता

5.26 वर्ष के दौरान 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेत विकास कार्य करने के लिये राजस्थान कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं की स्वीकृति अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि" ने दी; इस परियोजना के अंतर्गत 1980–81 से शुरू होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिये लगभग 42 करोड़ रुपये की सीमा तक कृपुविनि द्वारा पुनर्वित्त सहायता का प्रावधान है।

5.27 वर्ष के दौरान यूनाइटेड किंगडम (150 लाख पौंड) यूरोपियन इकोनोमिक कम्यूनिटी से (500 लाख डालर), की आई डी ए से (250 लाख डालर) ऋण का उपयोग किया गया। भारत सरकार ने स्विट्जरलैण्ड, नीदरलैण्ड और अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (पहली किश्त) से क्रमशः 400 लाख स्विस फ्रैंक, 500 लाख डीएफ-एल और 200 लाख डालर के ऋणों के लिये करार निष्पादित कर लिये हैं। पश्चिम जर्मनी की केएफडब्ल्यू खाद परियोजना की प्रस्तावित आपूर्ति के अंतर्गत बनाई गई सहयोगी निधियों में से "ईईसी" देशों से, 800 लाख डालर का और ऋण अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से और इंग्लैण्ड से भी ऋण लेने की बात काफी आगे बढ़ी हुई है।

अन्य विकास कार्य

निगरानी और समवर्ती मूल्यांकन

योजना के निरूपण, मूल्यांकन और कार्यान्वयन में सुधार लाने की दृष्टि से मूल स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति, विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से करने का विचार है। इन अध्ययनों को कार्यान्वयन, निगरानी अध्ययन, समवर्ती मूल्यांकन, और परवर्ती मूल्यांकन जैसी विभिन्न अनुवर्ती कार्यान्वयन के नाम दिये गये हैं। परियोजना के पूर्ण होने जैसी रिपोर्टों सहित निगम का संबंध इस प्रक्रिया में बहुत निकटता का रहा है।

6.2 किसी भी समय परिचालन के लिये दी गई विभिन्न योजनाओं के संबंध में निगरानी और समवर्ती मूल्यांकन के अध्ययन चयनात्मक आधार पर करने होंगे। इस तरह, वर्ष 1979 के दौरान निगम ने देश के विभिन्न भागों में चल रही 157 योजनाओं का परिवीक्षण/समवर्ती मूल्यांकन किया है। इन अध्ययनों के निष्कर्षों से कार्यान्वयन करने वाले बैंकों को अवगत करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक के कहने पर निगम ने आंध्र प्रदेश में पोचम्पड सिंचाई परियोजना के चुने हुए क्षेत्रों में चूनी जल पूर्ति प्रणाली (वाराबन्दी) का परीक्षण और मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया है।

6.3 वर्ष दर वर्ष स्वीकृत की जा रही योजनाओं के कारण निगम अपनी योजनाओं की योजना उन्मुख निगरानी से जिला उन्मुख निगरानी (जि० उ० नि०) में बदलने का प्रस्ताव करता है। नए प्रस्तावों के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र इकाई होगा और विभिन्न क्षेत्रों एवं सभी बैंकों से संबंधित योजनाओं का परिवीक्षण किया जाएगा। चूंकि जिला उन्मुख निगरानी का विचार नया है। इसलिये योजना की संभावना का जायजा लेने और इस उद्देश्य के लिये अपेक्षित मार्ग निर्देश तैयार करने के लिये प्रारंभिक अध्ययन करना उचित समझा गया है। ऐसे अध्ययन में विभिन्न क्षेत्रों के निवेश शामिल होंगे और इसमें एक से अधिक बैंकों के कार्यकलाप शामिल होंगे। अपेक्षित कार्यक्षमता और जनशक्ति में भी अन्तर आ सकता है। तदनुसार, दो प्रारंभिक अध्ययन, एक आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में और दूसरा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में शुरू किया/पूरा किया गया है।

परियोजना समाप्ति रिपोर्टें

6.4 निगम के स्टाफ ने अब तक 10 परियोजना समाप्ति रिपोर्टें पूरी कर ली हैं; इनमें से 9 प्रत्येक राज्य से संबंधित कृषि ऋण परि-

योजना और पहली कृपुविनि साख परियोजना है और इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को प्रस्तुत कर दिया गया है। बिहार कृषि साख परियोजना और दूसरी कृपुविनि साख परियोजना से संबंधित परियोजना समाप्ति रिपोर्टें तैयार करने का कार्य वर्ष के दौरान ऐसी सूचनायें इकट्ठी करने के साथ शुरू किया गया था, जिन पर विशेष ध्यान दिया जाए। बिहार परियोजना समाप्ति रिपोर्ट के संबंध में निगम ने बिहार राज्य भूमि विकास बैंक और इसमें भाग लेने वाले अन्य वाणिज्य बैंकों की सहायता से खेतलाभ सर्वेक्षण पहले ही पूरा कर लिया है। इसके आंकड़ों का संसाधन एवं सारणीबद्ध करने का कार्य हाथ में है। दूसरी कृपुविनि साख परियोजना के मामले में कोई क्षेत्र सर्वेक्षण नहीं किया गया है। निगम और वित्तपोषक बैंकों में पहले से ही उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर परियोजना समाप्ति रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अन्य अध्ययनों के संबंध में पहले किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को इनके साथ जोड़ दिया जाएगा।

6.5 विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य अर्थात् "सिंचाई के विस्तार से कृषि-उपज में वृद्धि" प्राप्त कर लिया गया है और कृषकों को वित्तीय लाभ सन्तोषजनक रहा है। ऋण देने के तरीके में भी पर्याप्त सुधार के लक्षण दिखाई दिये हैं। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि अपेक्षित लघु कृषकों को शामिल करने का उद्देश्य भी पूरा हो गया है। कुछ राज्यों में ऋण देने की वाणिज्य बैंकों द्वारा आरम्भ की गई बहु-अभिकरण पद्धति की योजना लाभकारी सिद्ध हुई है, क्योंकि इससे परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन हुआ है।

मूल्यांकन

6.6 दो मूल्यांकन अध्ययनों अर्थात् कर्नाटक में कॉफी बागान की योजना और महाराष्ट्र में लिफ्ट सिंचाई योजना पर रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। वर्ष के दौरान निगम ने राजस्थान के कोटा जिले की सांगोड पंचायत समिति में एक लघु सिंचाई योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया है। इसका क्षेत्र-सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विविध निवेशों से संबंधित दो और योजनाओं के मूल्यांकन का आरम्भिक कार्य शुरू किया गया है, ये हैं—कर्नाटक में अंगूर पैदा करने और आंध्र प्रदेश में भेड़ प्रजनन से संबंधित योजनाओं में निवेश करना।

प्रकाशन

6.7 वर्ष के दौरान निगम ने निम्नलिखित प्रकाशन (अंग्रेजी में) निकाले हैं:

1. अपनी मिट्टी जानिए
2. सिंचित कृषि
3. फरवरी-दिसम्बर, 1979 के दौरान जारी किये गये परिपत्र

अनुसंधान एवं विकास कोष

6.8 गहन अध्ययन के माध्यम से ग्राम विकास समस्याओं के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने के लिये कार्य-उन्मुख अनुसंधान परियोजनाओं में लगे हुए सदस्य बैंकों सहित अन्य संस्थाओं/संगठनों को सहायता देने और विशेषकर भूमि विकास बैंकों में परियोजना तैयार करने, आंकड़े परिवीक्षण और मूल्यांकन करने के लिये तकनीकी कक्ष बनाकर उनकी कार्यक्षमता मजबूत करने के विचार से निगम ने 1977–78 के दौरान अनुसंधान एवं विकास कोष स्थापित किया था। निगम उच्चस्तरीय तकनीकी स्टाफ के वेतन जैसे प्रमुख मदों पर होने वाले खर्चे का लगभग 50 प्रतिशत अनुदान आधार पर देने के लिये सहमत हो गया है। यह अनुदान दी हुई अवधि के हिसाब से दिया जाएगा जिससे संबंधित संस्था खर्च वहन करने में समर्थ हो सकेगी। अब तक कुछ राज्य भूमि विकास बैंकों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं जो विचाराधीन है।

6.9 यह कोष एक विशेष समिति की देख रेख में कार्य कर रहा है, जिसमें अन्यों के अतिरिक्त एक कृषि अर्थशास्त्री एक कृषि प्रशासक और एक कृषि वैज्ञानिक शामिल है। इस समिति की एक बैठक हो चुकी

समितियां कार्यकारी दल अध्ययन आदि

6.10 कृपुविनि ने दो समितियों का गठन किया है इनमें से एक सितम्बर 1978 में योजना में सिंचाई के पम्पसैटों की मांग का अनुमान लगाने और पम्पसैटों के लिये ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा अपनाई गई नीतियों एवं प्रक्रियाओं की जांच करने और दूसरी का गठन मार्च 1978 में भूमिगत जल का उपयोग करने की समस्या का अध्ययन करने के लिये किया गया था। पहली समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1979 में प्रस्तुत की। इस समिति ने अनुमान लगाया कि 1978–83 की अवधि में पम्पसैटों की कुल मांग 30 लाख होगी। इसमें 18 लाख बिजली की मोटरें और 12 लाख डीजल इंजन होंगे। इस समिति ने उक्त अवधि में 3 लाख बिजली के पम्पसैटों को बदलने की मांग का भी अनुमान लगाया।

6.11 भूमिगत जल के उपयोग करने संबंधी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1980 में प्रस्तुत कर दी है। जांच के आधार पर समिति ने भूमिगत जल के उपयोग के नए निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं। निगम ने इस समिति की सिफारिशें सामान्यतया स्वीकार कर ली है और अनुवर्ती कार्रवाही हो रही है।

6.12 भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 1977 में विशेषकर भूमि विकास बैंकों के सन्दर्भ में कृषि ऋण पर ब्याज की दर के संबंध में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 1979 में प्रस्तुत की थी। इस समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है।

6.13 बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मदों की इकाई कीमत में उपयुक्त परिशोधन करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक को समय-समय पर प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। इस प्रश्न पर विचार करने के लिये निगम ने प्रमुख राज्यों में उपयुक्त आधार पर समितियों का गठन किया है, जिनमें संबंधित राज्य में कृपुविनि के प्रधान कार्यालय के महाप्रबन्धक अथवा वरिष्ठ निदेशक अध्यक्ष हैं और निगम के क्षेत्रीय निदेशक/वरिष्ठ निदेशक सदस्य सचिव हैं तथा प्रत्येक राज्य सरकार और राज्यों एवं राज्य भूमि विकास बैंकों में काम करने वाले प्रमुख वाणिज्य बैंकों से एक-एक प्रतिनिधि हैं। ये समितियां विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इकाई लागत में परिशोधन हेतु सदस्य बैंकों के प्रस्तावों को जांचेगी, जिससे निगम का प्रधान कार्यालय निर्णय ले सके।

कार्यशालाएं और सेमिनार

6.14 निगम ने सरकार और वित्तपोषक बैंकों के कर्मचारियों के लाभ के लिये परियोजना निरूपण, मूल्यांकन, अनुवर्ती कार्यवाही आदि की तकनीकी जानकारी देने के लिए भुवनेश्वर में दो कार्यशालाओं का आयोजन किया।

6.15 निगम ने वर्ष के दौरान दो सेमिनारों का भी आयोजन किया। एक सेमिनार पम्पसैटों में गुणनियंत्रण पर अगस्त, 1979 में पुणे में आयोजित की, जिसमें पम्पसैटों में तकनीकी सुधार, किसानों द्वारा पम्पसैटों का चयन करने और पम्पसैट के लगाने तथा लगाने के बाद देख-रेख के संबंध में बताया गया था। इस सेमिनार में भारत सरकार, राज्य सरकारों बैंकों, भारतीय मानक संस्थान, ग्रामीण विद्युत् निगम आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरी सेमिनार का आयोजन पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम में विभिन्न बागान कार्यक्रमों के लिये संस्थागत वित्त, विभिन्न जिस बोर्डों से अपेक्षित सहायता लघु कृषकों की समस्याओं पर विचार करने के लिये दिसम्बर, 1979 में बेंगलूर में किया गया था। इस सेमिनार में अन्यों के अतिरिक्त भारत सरकार, योजना आयोग, जिस बोर्डों, भूमि विकास बैंकों और वाणिज्य बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

6.16 कृषि विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति का जायजा लेने के लिये भारत सरकार ने क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन करने का निर्णय लिया है, जिसमें कृपुविनि भाग लेगा। कृपुविनि के अधिकारियों ने कलकत्ता में हुई पूर्वी क्षेत्र और मद्रास में हुई दक्षिणी क्षेत्र की बैठकों

में भाग लिया। इन बैठकों में तीसरी कृषुविनि साख परियोजना के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा की गई।

प्रशिक्षण

(i) सेमिनार और मध्यस्तरीय स्टाफ

6.17 वर्ष के दौरान 18 कृषि परियोजना पाठ्यक्रमों का आयोजन कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में किया गया, जिसमें 542 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त, एक क्षेत्रीय कृषि परियोजना पाठ्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ और मध्यस्तरीय अधिकारियों के लिये बंगलूर में किया गया था। इसमें राज्य सरकारों, राज्य भूमि विकास बैंकों और दक्षिणी क्षेत्र के वाणिज्य बैंक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वरिष्ठ और मध्यस्तरीय अधिकारियों के लिये अब तक 95 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिनमें 2615 (1047 भूमि बैंकों 989 वाणिज्य बैंकों से और 579 भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों से) कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ii) कनिष्ठ स्तरीय भूमि विकास बैंक स्टाफ

6.18 निगम के मार्ग निर्देशों पर राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा संचालित कनिष्ठ स्तरीय भूमि विकास बैंक स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम चौथे वर्ष में भी जारी रहा। वर्ष में 4256 अधिकारियों के लिये 14 राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा चलाए गए 174 पाठ्यक्रमों सहित अब तक आयोजित किये गये कुल पाठ्यक्रमों की सं० 656 हो गई है, जिनमें 16308 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

6.19 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण के विचार से कृषुविनि के अधिकारियों ने इस वर्ष के दौरान 13 प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण किया। कनिष्ठ स्तरीय स्टाफ के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चालू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(iii) अन्य प्रशिक्षण व्यवस्थायें

6.20 कृषुविनि ने विदेशों के दर्शक-अधिकारियों के लिये अध्ययन की सुविधायें प्रदान की हैं। वर्ष के दौरान, श्रीलंका, इथियोपिया, अफगानिस्तान और अन्य अफ्रीकी एशियाई देशों के 40 अधिकारियों को ऐसी सुविधायें प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों, भूमि विकास बैंकों के 173 कर्मचारियों को भी इस तरह की सुविधायें दी गई हैं।

6.21 देश में प्रबन्ध संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों में भाग लेने के लिये निगम ने अपने 25 अधिकारियों को भेजा है।

6.22 निगम ने प्रधान कार्यालय में सहायक विकास अधिकारियों के लाभ के लिये संवाधधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया था।

7. भावी संभावनाएं

निगम का उद्देश्य पंचवर्षीय योजना से अपने विकास कार्यक्रमों का गठजोड़ करना है। निगम की भावी संभावनायें छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) पर अधिकतर निर्भर करती हैं। इस योजना को भारत सरकार अब तैयार कर रही है/अन्तिम रूप दे रही है। इस योजना का उद्देश्य कृषि और उद्योग में वर्तमान आधारिक संरचना से कुल आर्थिक लाभ की आशा 5 प्रतिशत की दर से है। विकास की नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था का निर्माण करना है, जिसमें विशेषकर ग्रामीण और शहरी गरीबों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना होगा। इस संबंध में भूमिहीन मजदूरों, लघु और सीमांत किसानों और अन्य कमजोर वर्ग की समस्याओं पर अधिक जोर दिया जाएगा। जब योजना के दस्तावेजों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा, तब कृषुविनि के कार्यक्रमों पर फिर से नई दृष्टि डालनी जरूरी होगी। कृषुविनि (i) आर्थिक वृद्धि में पूंजी के सही उपयोग को सुनिश्चित करने; (ii) अधिकतम कृषि उत्पादन; (iii) नियोजन के अवसर बढ़ाने; (iv) कमजोर वर्गों के लिये अधिक से अधिक आर्थिक सहायता मुहैय्या कराने के दृष्टिकोण से आर्थिक स्रोतों को न्यायोचित वितरण करने और (v) 20 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित पहलुओं को प्रोत्साहन देने जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिये सक्षम है।

कृषुविनि के संभावी ऋण कार्यक्रम

7.2 निगम के संभावी ऋण कार्यक्रम और परिचालन नीतियां तथा पद्धतियां उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आधार पर तैयार की गई हैं। लघु सिंचाई परियोजनाओं और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से आने वाले वर्षों में मुख्य मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति होती रहेगी। कृषि उपज और रोजगार बढ़ाने की नीति के बुनियादी आधार-सिंचाई में विस्तार करना होगा। 1980–85 की अवधि के लिये संभावी ऋण कार्यक्रम को 3,000 करोड़ रुपये के लगभग आंका गया है। पिछले अनुभवों और बढ़ते हुए ऋण में प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए कृषुविनि के वितरण में 1981 से 1985 के दौरान 12½ से 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अंदाजा लगाया गया है। इस कार्यक्रम की सतत समीक्षा की जाएगी।

7.3 परियोजित कार्यक्रम की सफलता मुख्य रूप से विकास में तेज गति लाने के लिये आधारिक संरचना पर निर्भर करती है। बैंक के लिये व्यवहार्य परियोजनाओं का निरूपण करने और उनकी जानकारी देने के लिये तकनीकी एवं विस्तार सेवाओं और प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध कराने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में कृषुविनि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों एवं वित्तपोषक संस्थाओं को सक्रिय सहयोग देगा।

विकास की नीति

7.4 लघु सिंचाई निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये ऋण देने के तरीकों में सुधार और भूगर्भ जल की सम्भावना का अन्दाजा लगाने पर जोर दिया जाएगा। कृषुविनि भी सतही जल के सम्बन्ध में जल नालियां आदि के रख-रखाव में अपने प्रयत्न जारी रखेगा ताकि उपलब्ध जलपूर्ति के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त पंपिंग इकाइयों में तकनीकी स्तर के सुधार की आवश्यकता को कृषुविनि ने अच्छी तरह पहचाना है तथा विभिन्न स्तरों पर गुण नियंत्रण को बनाए रखने के लिये पर्याप्त कदम उठाने के प्रयत्न किये जायेंगे। निगम का उद्देश्य वित्तीय मिशौलियों द्वारा प्रदान की जा रही तकनीकी विस्तार सेवा को विभिन्न चरणों में अस्तित्व में लाना है, ताकि परिकल्पना, अधिष्ठापन, रखरखाव और सर्विस की दृष्टि से लाभभोगियों के निवेश का ध्यान रखा जाए। अगस्त, 1979 में पुणे में पम्पसैटों पर हुए सेमिनार के अवसर पर निगम ने इस दिशा में शुरुआत की थी।

7.5 कुल वितरण में लघु सिंचाई और भूमि विकास का अनुपात धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जबकि विविध प्रयोजनों के लिये दिया जाने-वाला ऋण बढ़ता जा रहा है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और खण्डस्तर आयोजना पर बढ़ते हुए जोर को ध्यान में रखते हुए, कृषुविनि आमतौर पर डेरी विकास, भेड़ प्रजनन, सुअर पालन, मुर्गी पालन और विशेष रूप से बागान और बागवानी, मछलीपालन, काजू और रेशम उत्पादन के अन्तर्गत अपने ऋण संविभाग को बहुशाखी बनाने में गति लाने का प्रयत्न करता रहेगा। कृषुविनि वर्तमान वन क्षेत्रों और मिश्रित वन क्षेत्रों का उपयोग करने के लिये वनरोपण कार्यक्रम में मदद देगा। इन बागानों को कम खर्चे से नियमित बागानों में बदला जा सकता है। कृषुविनि, विविध प्रयोजन के लिये दिये जाने वाले ऋणों, जैसे शीत संयंत्रों के लिये ऋण के अन्तर्गत कुछ मूलभूत आधारिक संरचना की जरूरत पूरी करने के लिये प्रयत्न करता रहेगा। डेरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अच्छे पशुओं को उपलब्ध कराने के लिये निगम जहां आवश्यक हो, उपयुक्त प्रजनन कैम्पों को सहायता देने का प्रस्ताव करता है।

7.6 आने वाले वर्षों में निगम लघु कृषकों को कम से कम 60 प्रतिशत ऋण वितरण के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिये ग्राम अर्थव्यवस्था में कमजोर वर्गों को अधिकाधिक वित्तीय सहायता देने का ठोस प्रयत्न करता रहेगा।

7.7 शिखर कृषि विकास वित्तपोषक संगठन के नाते निगम, विकास कार्यक्रमों की जानकारी रखने और उनका निरूपण करने वाले सदस्य बैंकों की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा उन कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने, उनका पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करने की दृष्टि से, इनकी संवृद्धि पर जोर देता रहेगा। इस उद्देश्य के लिये मोटे तौर पर, इन बैंकों पर भरोसा किया जाएगा और सदस्य बैंकों तथा राज्य सरकारों के कार्मिकों की निपुणता एवं कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा।

7.8 निगम ऋण वितरण में भाग लेने वाले बैंकों द्वारा वसूली कार्य में सुधार लाने पर भी जोर देगा। इसके निगम भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बैंकों और राज्य सरकारों के बीच हुई सहमति के अनुसार पुनर्वास कार्यक्रमों का निरीक्षण भी करता रहेगा। निगम कृषि विकास पर ऋण की स्वीकृति और कृषि विकास को प्रोत्साहन देने के लिये अपनी नीतियों और कार्यपद्धतियों की सतत समीक्षा भी करता रहेगा।

7.9 परियोजना क्षेत्र के पर्यवेक्षण का कार्य वित्तपोषक बैंकों द्वारा किया जाएगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संघटकों का ऋण व्यवसाय हमेशा बढ़ता रहे। इस उद्देश्य के लिये कृषुविनि के अपने संगठन को और मजबूत करना होगा। अतः इस कार्य में अधिक से अधिक सदस्य बैंकों और अनुसंधान निकायों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है।

8. वित्त

1978-79 और 1979-80 के दो वर्षों तथा 1975-76 से 1979-80 तक के पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान अपने ऋण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये निगम को उपलब्ध निधियों के स्रोतों का विवरण निम्नलिखित सारणी 16 में दिया गया है।

सारणी 16—निधियों के स्रोत

(करोड़ रुपये)

स्रोत	1978-79	जोड़ का प्रतिशत	1979-80	जोड़ का प्रतिशत	जुलाई 1975 से जून 1980	जोड़ का प्रतिशत
1. प्रदत्त शेयरपूंजी और प्रारम्भिक निधि	19.9	5.6	5.2+	1.1	60.2	4.0
2. प्रारम्भिक पूंजी	5.0	1.4	—	—	5.0	0.3
3. भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष जमाराशियां	1.4	0.4	1.7	0.4	5.1	0.3
4. भारत सरकार से ऋण :						
(क) अभिसंघ/अंपुजि बैंक निधियां	84.8	23.9	104.4	23.2	432.3	28.3
(ख) अन्य	10.3	2.9	60.5	13.4	70.8	4.7
5. भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रचालन) निधि से लिये गये उधार	75.0	21.1	85.0	18.9	335.0	21.9
6. बांड	44.1	12.4	39.6	8.8	186.8	12.2
7. बैंकों द्वारा की गई चुकौतियां	111.8	31.5	154.4	34.2	425.7	27.8
8. विशेष ऋण लेखा में जमाराशि	1.9	0.5	0.1	—	6.7	0.4
9. अनुसंधान और विकास निधि	1.0	0.3	—	—	2.0	0.1
जोड़	355.2	100.0	450.9	100.0	1529.6	100.00

+पैरा 8.3 देखें

शेयर पूंजी

8.2 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम की धारा 20 (2) के अन्तर्गत निगम की चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि की 20 गुनी राशि तक उसकी उधार लेने की क्षमता सीमित है। 30 जून 1980 को निगम की प्राधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः 100.0 करोड़ और 57.5 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित रही। 30 जून 1980 को निगम की शेयर पूंजी में शेयर धारियों के विभिन्न वर्गों का अंशदान सारणी 17 में दिया गया है।

प्रारक्षित निधि

8.3 कर निर्धारण वर्ष 1979-80 से 5 वर्ष की अवधि के लिये आयकर और अधिकर से कृषुविनि को मुक्त करने के कारण वर्ष 1977-78 के लिये दिये गये अन्तिम आयकर वापस मिले और उस वर्ष के लिये आयकर के लिये रखे गये 5.17 करोड़ रुपये की राशि को निगम की प्रारक्षित निधि में अन्तरित कर दिया गया है।

सारणी 17—शेयर पूंजी में अंशदान-स्रोत

अभिदाता	संख्या	शेयर मूल्य (करोड़ रुपये)	जोड़ का प्रतिशत
1. भारतीय रिजर्व बैंक	31072	31.1	54.0
2. मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक	9268	9.2	16.1
3. राज्य सहकारी बैंक	4594	4.6	8.0
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1081	11.1	19.3
5. भारतीय जीवन बीमा निगम	893	0.9	1.6
6. अन्य बीमा और निवेश कम्पनियां	592	0.6	1.0
जोड़	57500	57.5	100.0

भारत सरकार से ऋण

वर्ष के दौरान निगम ने 164.9 करोड़ रुपये भारत सरकार से उधार लिये जो विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत वितरित की गई राशि की प्रतिपूर्ति के बराबर थे। इसमें अधिसंघ/अंपुधि बैंक से 104.4 करोड़ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/देशों जैसे ईईसी (34.0 करोड़ रुपये) यू० के० (26.0 करोड़ रुपये), सीआईडीए (0.26 करोड़ रुपये) और पश्चिम जर्मनी की के० एफ० डब्ल्यू० (0.26 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत 60.5 करोड़ रुपये शामिल हैं।

बाजार से लिया गया ऋण

8.5 अपने वायदों को पूरा करने के लिये निगम द्वारा वित्तीय साधन जुटाने के विविध स्रोतों में से एक मुख्य स्रोत के रूप में खुले बाजार से ऋण लिये जाते हैं। वर्ष के दौरान कृपुविनि ने कुल 39.6 करोड़ रुपये की राशि की बांडों की पन्द्रहवीं श्रृंखला जारी की। इन बांडों को 6½ प्रतिशत ब्याज दर से 10 वर्ष की पुगाई अवधि के लिये समभूल्य पर जारी किया गया था, । जून 1980 के अन्त में कृपुविनि द्वारा खुले बाजार से लिये गये ऋण की कुल राशि 286.0 करोड़ रुपये थी। पन्द्रहवीं श्रृंखला के लिये विभिन्न अभिदाताओं से प्राप्त अभिदान की कुल राशि तथा पिछली श्रृंखलाओं के कुल योगदान की राशि सारणी 18 में दिखाई गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक से लिया गया उधार

8.6 भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष में राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से 85.0 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजूर की और निगम ने इस सीमा का पूरा उपयोग किया। पिछले ऋणों की किस्तें चुकाने के बाद जून 1980 के अन्त में इस शीर्ष के अन्तर्गत लिये गये ऋणों की बकाया राशि 314.7 करोड़ रुपये थी।

8.7 भारतीय रिजर्व बैंक ने 10.0 करोड़ रुपये की अल्पकालीन ऋण सीमा मंजूर की, किन्तु इस वर्ष में इस सीमा से कोई राशि निकाली नहीं गई।

चुकौतियां

8.8 वर्ष के दौरान सदस्य बैंकों द्वारा की गई चुकौतियों की राशि 154.4 करोड़ रुपये रही। जबकि पिछले वर्ष के दौरान उक्त राशि 111.8 करोड़ रुपये थी। जून 1980 के अन्त तक सदस्य बैंकों द्वारा 442.0 करोड़ रुपये की राशि चुकाई गई, जिसका ब्योरा सारणी 19 में दिया गया है।

टिप्पणी : वाणिज्य बैंकों में क्षेत्रीय बैंक शामिल है।

सारणी 18—विभिन्न एजेंसियों द्वारा बांडों में अभिदान

(करोड़ रुपये)

अभिदाता	I से XIV	XV	जोड़
1. भारतीय स्टेट बैंक और सहायक बैंक	68.8	11.2	80.0
2. राष्ट्रीयकृत बैंक	90.5	18.1	108.6
3. अन्य वाणिज्य बैंक	14.4	3.1	17.5
4. भारतीय जीवन बीमा निगम	2.7	1.0	3.7
5. अन्य बीमा और निवेश कम्पनियां	1.4	0.2	1.6
6. सहकारी बैंक	67.2	5.8	73.0
7. अन्य	1.4	0.2	1.6
जोड़	246.4	39.6	286.0

सारणी 19—पुनर्वित्त की चुकौती

(करोड़ रुपये)

एजेंसी	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की योजनायें	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता प्राप्त योजनायें	जोड़
1. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	138.6	53.1	191.7
2. राज्य भूमि विकास बैंक	77.7	154.9	232.6
3. राज्य सहकारी बैंक	12.2	5.5	17.7
जोड़	228.5	213.5	442.0

9. संगठन और अन्य बातें

शेयरधारी

वर्ष 1979–80 के दौरान दि भारत ओवरसीज बैंक लि० और तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपुविनि के सदस्य हुए। पिछले वर्ष के 156 सदस्यों के मुकाबले जून, 1980 के अन्त तक निगम के कुल सदस्यों की संख्या 160 तक पहुंच गई (विवरण 12)।

निदेशक मण्डल

9.2 वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकें 6 बार हुईं।

9.3 भारत सरकार ने डा० एम० एस० स्वामीनाथन और श्री के० पी० ए० मेनन के स्थान पर कृपुविनि अधिनियम, 1963 की धारा 10 (सी) के अन्तर्गत निगम में क्रमशः श्री एस० एस० पुरी, सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) और श्री एस० सी० वर्मा, सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय को निदेशक के रूप में नामित किया है।

9.4 भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यभार से अवकाश प्राप्त होने के कारण श्री के० माधवदास 28 जून, 1979 से निगम के निदेशक पद से

मुक्त हुए। उनके स्थान पर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 की धारा 10 (बी) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने डा० म० वि० हाटे को निगम के निदेशक के रूप में नामित किया। बोर्ड ने डा० स्वामीनाथन और श्री मेनन की सेवाओं की सराहना की।

हिन्दी का प्रयोग

9.5 दिन प्रतिदिन हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का प्रतिनिधित्व जारी रहा। वर्ष के दौरान निगम ने दो और क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् अहमदाबाद और भोपाल में हिन्दी कक्षों की स्थापना की। ऐसे अधिकतर फार्मों, मानक मसौदों, रजिस्टरों और सूचना पट्टों, को जिनका प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में उपयोग किया जाता है, दोनों भाषाओं में तैयार करा लिया गया है। निगम में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है। श्रेणी III और IV से संबंधित कार्यालय आदेशों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की अनिवार्य हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान निगम के प्रधान कार्यालय में खोल गये केन्द्र में 31 अधिकारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया गया। निगम के त्रैमासिक प्रकाशन ए आर० डी सी न्यूज में कुछ लेखों का हिन्दी रूपांतर प्रकाशित किया गया।

विदेश यात्रा

9.6 वर्ष 1979–80 के दौरान निगम के प्रबन्ध निदेशक के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने 5 बार विदेश यात्रायें कीं और इस पर कुल व्यय 1,32,000 रुपये हुआ।

लाभ

9.7 वर्ष 1979–80 के दौरान विनियोजन के लिये उपलब्ध निगम का निवल लाभ 1637.16 लाख रुपये रहा। निदेशक निम्न प्रकार लाभ के विनियोजन की सिफारिश करते हैं:

	लाख रुपये
अनुसंधान और विकास निधि में अन्तरण	300.00
प्रारक्षित निधि में अन्तरण	506.54
भवन निर्माण निधि में अन्तरण	500.00
शेयरों पर लाभांश	330.62
जोड़	1637.16

निदेशकों की ओर से
एम० रामकृष्णय्या
अध्यक्ष

16, अगस्त 1980

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. राशियों को निकटतम लाख रुपयों/करोड़ रुपयों में पूर्णांकित कर दिया गया है।

2. विवरणों में निम्नलिखित चिह्नों/संक्षिप्त नामों का उपयोग किया गया है।

चिह्न :@ अद्यतन उपलब्ध आंकड़े
— शून्य या नगण्य

संक्षिप्त नाम :

प्रयोजन :

लघि,	—लघु सिंचाई
ग्राविनि/विकुप,	—ग्रामीण विद्युतीकरण निगम/विशेष कृषि परियोजना
भूवि/कक्षेवि	—भूमि विकास/उद्धार/संरक्षण/कमाण्ड क्षेत्र विकास
कृम/कृउ/कृमेकें	—कृषि मशीनीकरण/कृषि उपकरण/कृषि सेवा केन्द्र
बान/बानी	—बागान/बागवानी
मुपा/,	—मुर्गी पालन
भेपा/सुए	—भेड़ पालन/सुअर पालन
मपा	—मत्स्य पालन
डेवि	—डेरी विकास
भंग्रौरबा	—भंडार और बाजार केन्द्र
वन,	—वन उद्योग
कृवि	—कृषि विमानन
समग्रावि	—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
सकविप	—समन्वित कई विकास परियोजना
गोसं	—गोबर गैस संयंत्र
दीअ	—दीर्घावधि
अअ	—अल्पावधि
अन्य	—अन्य
संप्र,	—संयुक्त प्रयोजन

एजेंसी :

1. राभूवि बैंक	—राज्य भूमि विकास बैंक
2. वा बैंक	—अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
3. रास बैंक	—राज्य सहकारी बैंक
4. क्षेग्रा बैंक	—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

विवरण 1

1979–80 के दौरान मंजूरियां—क्षेत्रवार और राज्यवार

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	योजनाओं की संख्या @	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के वायदे	राज्य सरकारों/बैंकों के वायदे
1	2	3	4	5
I. उत्तरी क्षेत्र				
दिल्ली,	4	10	9	1
हरियाणा,	115	4807	3726	1081
हिमाचल प्रदेश,	8	73	62	11
जम्मू तथा कश्मीर,	6	99	78	12
पंजाब	208	8851	7001	1850
राजस्थान	150	3368	2709	659
	491	17208	13585	3623

1	2	3	4	5
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
असम	64	2634	2069	565
मणिपुर	55	80	72	8
त्रिपुरा	5	42	37	5
	124	2756	2178	578
III. पूर्वी क्षेत्र				
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	8	7	1
बिहार	240	4736	3996	740
उड़ीसा	155	3021	2629	390
पश्चिम बंगाल	109	1378	1235	143
	505	9143	7867	1276
IV मध्यवर्ती क्षेत्र				
मध्य प्रदेश	443	12134	10595	1539
उत्तर प्रदेश	501	16252	13604	2648
	944	28386	24199	4187
V. पश्चिमी क्षेत्र				
दादरा और नगर हवेली	1	2	2	–
गोवा	18	146	166	30
गुजरात	128	3784	3162	622
महाराष्ट्र	341	6938	5539	1399
	488	10870	8819	2051
VII. दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	522	13419	10918	2501
कर्नाटक	239	3904	3214	690
केरल	155	2550	1995	555
पांडिचेरी	–	50	45	5
तमिलनाडु	189	3229	2868	661
	1105	23452	19040	4412
जोड़ (I से (VI)	3657	91815	75688	16127

@बैंकिंग योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली समन्वित ग्रामीण विकास परियोजनायें इनमें शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी : वर्ष के दौरान चण्डीगढ़, मेघालय, और नागालैण्ड में कोई नई योजना मंजूर नहीं की गई।

विवरण 2. 30 जून 1980 तक मंजूर योजनाओं का विवरण–प्रयोजनवार

लाख रुपये

प्रयोजन	योजनाओं की सं०	वित्तीय सहायता	कृषिविभि के बायदे	सरकारी/बैंको के बायदे	वितरण
लघु सिंचाई	5059	218414	190787	27627	112944
भूमि विकास	613	21399	16996	4403	6578
कृषि मशीनीकरण	1803	48515	36987	11528	27883
बागान, बागवानी	1161	26619	21255	5364	6280
मुर्गीपालन/भेड़पालन/सुअरपालन	642	4422	3575	847	1844
मत्स्यपालन	575	7378	5775	1603	3254
डेरी विकास	1035	10502	8551	1951	3031
भंडार और बाजार केन्द्र	1052	17257	14205	3052	10661
कृषि विमानन	3	53	40	13	17
वन उद्योग	26	1209	908	301	263
गोबर गैस संयंत्र	91	838	636	202	119
अन्य	165	2274	1860	414	550
समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना	–	6762	6082	680	395
जोड़	12225	365642	307657	57985	173819

सूचना : समन्वित कई विकास परियोजनाओं के अधीन वितरित अल्पावधि-ऋण शामिल नहीं है।

विवरण 3

1979–80 के दौरान मंजूर योजनाओं का आकारवार वर्गीकरण

लाख रुपये

योजना का आकार	लघु सिंचाई		भूमि विकास		कृषि मशीनीकरण		बागान/बागवानी		मुर्गीपालन/भेड़ पालन/सुअर पालन	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 लाख रुपये तक	259	777	80	179	85	255	83	194	235	425
5 से 10 लाख रुपये तक	281	2124	24	174	178	1469	68	506	81	613
10 से 25 लाख रुपये तक	559	9117	17	242	134	2225	149	2498	34	539
25 से 50 लाख रुपये तक	145	5132	7	262	96	3504	68	2216	5	152
50 से 100 लाख रुपये तक	58	3927	10	649	15	1031	7	537	–	
100 लाख रुपये से ऊपर	57	17017	5	1439	12	3398	1	600	–	–
जोड़	1359	38094	143	2945	520	11882	376	6551	355	1729

(जारी)

लाख रुपये

योजना का आकार	मत्स्य पालन		डेरी विकास		भंडार और बाजार केन्द्र		अन्य		कुल जोड़	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5 लाख रुपये तक	76	158	196	568	84	344	84	224	1182	3124
5 से 10 लाख रुपये तक	36	287	130	879	59	498	40	290	897	6840
10 से 25 लाख रुपये तक	14	244	42	696	48	739	34	554	1031	168 5
25 से 50 लाख रुपये तक	11	392	4	127	20	723	16	503	372	13011
50 से 100 लाख रुपये तक	1	71	–	—	1	61	1	63	93	6339
100 लाख रुपए से ऊपर	1	110	1	112	3	526	2	236	82	23438
जोड़	139	1262	373	2382	215	2891	177	1870	3657	69606

*समन्वित ग्रामीण विकास परियोजनाएं शामिल नहीं हैं।

विवरण 4

30 जून 1980 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार वितरण

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूटसंख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिविनि के कुल बायदे	वितरण	
						1979–80 के दौरान	30 जून 1980 तक
1. उत्तरी क्षेत्र							
चन्डीगढ़	2	बाग/बानी	1	4	3	–	3
दिल्ली	2	कृम	4	130	102	1	79
		मुपा	2	2	1	1	1
		डेवि	8	46	32	12	26
			14	178	135	14	106
	3	मुपा	1	6	6	–	6
			15	184	141	14	112
हरियाणा	1	लसि	49	6819	6137	626	5041
		भूवि	7	461	370	22	139
		कृम	9	3520	2640	637	1982
		बाग/बानी	3	69	52	10	51
		डेवि	12	252	189	47	91
		गोसं	2	16	12	–	–
			82	11137	9400	1342	7304
	2	लसि	69	10333	8355	938	3179
		ग्रावित्रि	9	120	61	33	33
		भूवि	22	325	266	9	23
		कृम	165	3912	2935	799	2325
		मुपा	13	74	60	28	36
		भेपा	2	6	5	–	1
		डेवि	16	144	125	17	55
		भंग्रोरखा	90	1499	1199	240	669
		कृवि	1	30	23	–	–
		गोसं	2	13	10		6
		अन्य	1	4	4	3	4
		सकविप (अ० अ)	–	–	–	47	–
			390	16460	13043	2114	6331
	3	डेवि	1	20	15	–	15
		भंग्रोरखा	8	442	403	15	258
		सकविप (अ० अ)	–	–	–	373	–
		सकविप (दी० अ)	2	224	179	102	102
			11	686	597	490	375
			483	28283	23040	3946	14010
हिमाचल प्रदेश	1	लसि	1	20	18	1	5
		बाग/बानी	3	83	62	3	25
		डेवि	1	13	9	–	–
			5	116	89	4	30

आगे

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1980 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार वितरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूटसंख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1979–80 के दौरान	30 जून 1980 तक
हिमाचल प्रदेश (जारी)	2	कृम	3	29	23	–	11
		बान/बामी	20	842	718	177	226
		मुपा	2	11	10	–	–
		सुपा	1	2	2	–	2
		डेवि	6	47	38	4	17
		सग्राविप	–	26	24	–	–
		अन्य	2	9	6	–	–
			34	966	821	181	256
			39	1082	910	185	286
जम्मू और कश्मीर	1	कृम	2	85	64	7	29
		बान/बामी	3	103	77	–	78
		भेपा	1	24	18	–	–
		डेवि	1	14	10	–	–
		अन्य	1	8	7	–	–
			8	234	176	7	107
	2	कृम	3	51	38	1	18
		बान/बामी	4	21	18	1	2
		डेवि	3	15	10	3	8
		सग्राविप	–	10	9	–	–
		अन्य	1	8	6	–	–
			11	105	81	5	28
			19	339	257	12	135
पंजाब	1	लसि	60	4207	3808	202	2993
		भूवि	24	1496	1233	69	611
		कृम	16	2528	1896	862	1612
		बान/बामी	2	187	141	–	–
		मुपा	1	21	16	–	–
		डेवि	8	124	93	–	–
		सग्राविप	–	2	2	–	–
		अन्य	1	9	6	–	–
			112	8574	7195	1133	5216
	2	लसि	66	7976	6726	789	2147
		ग्राविनि	31	748	373	116	149
		भूवि	4	239	195	17	42
		कृम	98	7273	5464	2346	4461
		कृसेकें	9	167	126	40	46
		बान/बामी	1	1	1	1	1
		मुपा	21	149	122	33	60
		डेवि	46	557	462	49	181
		भंधौरबा	207	2294	1833	416	1467
		गोसं	2	23	18	–	–
		सग्राविप	–	12	11	–	–
		अन्य	1	3	3	1	1
		सकविप (अ० अ)	–	–	–	27	–
			486	19442	15334	3835	8555

जारी

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1980 तक मंजूर योजनाओं का राज्य' एजेंसी और प्रयोजनवार वितरण

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूटसंख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण 1979–80 के दौरान	वितरण 30 जून 1980 तक
पंजाब (जारी)	3	कृम	1	18	17	–	16
		भंभौरखा	4	747	730	–	651
		सरूविप (भ० अ)	–	–	–	50	–
			5	765	747	50	667
			603	28781	23276	5018	14438
राजस्थान	1	लसि	140	5441	4998	592	3026
		भूवि	6	506	387	8	43
		कृम	21	641	480	90	90
		बान/बानी	8	159	129	7	25
			175	6747	5994	697	3184
	2	लसि	104	2885	2403	246	1105
		ग्राविनि	24	417	208	181	181
		भूवि	3	83	62	–	3
		कक्षेवि	18	3905	3103	237	805
		कृम	49	1163	862	97	714
		कृसेकें	3	78	58	–	14
		बान/बानी	2	64	50	–	–
		मूपा	4	42	33	1	3
		भेपा	15	326	293	65	127
		सुपा	1	2	2	–	–
		डेवि	51	1312	1080	44	118
		भंभौरखा	68	1653	1322	123	695
		अन्य	7	111	96	11	22
		संप्र	2	84	72	16	16
			351	12125	9644	1021	3803
	3	सं० प्र०	16	327	293	97	97
			542	19199	15931	1815	7084
			1702	77872	63558	10990	36068
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र							
असम	1	लसि	1	126	114	–	–
		बान/बानी	1	5	4	–	–
			2	131	118	–	–
	2	लसि	11	313	282	12	34
		भूवि	1	11	10	–	7
		कृम	3	78	70	1	10
		बान/बानी	122	4830	4038	269	795
		सुपा	1	3	2	–	2
		भपा	1	15	14	1	2
		डेवि	7	61	54	–	17
		भंभौरखा	41	235	197	2	176
		अन्य	1	2	2	1	1
			188	5548	4669	286	1004
	3	बान/बानी	2	68	61	–	–
			192	5747	4848	286	1004

जारी

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1980 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार, वितरण

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूटसंख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषुविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1979–80 के दौरान	30 जून 1980 तक
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र (जारी)							
मणिपुर	2	कृम	2	52	47	–	18
		बान/बानी	1	63	57	–	–
			3	115	104	–	18
	3	लसि	1	4	3	–	–
		कृम	1	56	51	5	36
		बान/बानी	1	15	14	3	13
		सुपा	1	6	5	–	–
		मपा	74	77	69	2	22
		अन्य	1	28	25	–	–
			79	186	167	10	71
			82	301	271	10	89
मेघालय	2	सूपा	2	5	5	–	–
		वन	1	49	44	–	–
			3	54	49	–	–
	3	बान/बानी	2	11	10	–	–
			5	65	59	–	–
नागालैण्ड	2	अंभौरखा[1]	3	9	7	–	7
	3	भूवि	1	30	30	–	11
		बान/बानी	2	11	10	–	–
			3	41	40	–	11
			6	50	47	–	18
त्रिपुरा	2	लसि	4	22	20	3	6
		कृम	1	6	5	–	–
		बान/बानी	2	17	16	2	6
		मपा	1	10	9	3	3
		अंभौरखा	1	6	5	–	5
		वन	2	50	40	–	–
		अन्य	1	9	8	3	3
			12	120	103	11	23
			297	6283	5328	307	1134
III. पूर्वी क्षेत्र							
अंडमान और निकोबार[1] द्वीप समूह	2	बान/बानी	1	8	7	1	1
बिहार	1	लसि	24	6572	5915	354	3507
		भूवि	3	128	96	–	84
		कृम	2	142	128	–	83
		बान/बानी	2	23	18	3	6
		मपा	1	46	41	3	4
			32	6911	6198	360	3684

जारी

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1980 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार वितरण

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कुल संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1979–80 के दौरान	30 जून 1980 तक
बिहार (जारी)	2	लसि	348	9304	8355	1323	4297
		ग्राविनि	49	781	390	136	138
		भूवि	3	231	199	–	–
		कृमि	109	2327	2061	491	1361
		मुपा	2	11	1	1	1
		मपा	1	25	23	1	1
		डेवि	28	158	143	22	25
		भंप्रोरवा	127	2359	2082	104	1953
		गोसं	6	35	32	–	–
		वन	3	166	116	–	23
		अन्य	3	20	17	–	–
		संप्र	3	62	55	30	30
			673	15469	13474	2108	7829
	3	डेवि	2	70	53	–	10
			707	22450	19725	2468	11523
उड़ीसा	1	लसि	68	3123	2799	389	1274
		भूवि	10	131	106	2	42
		कृम	1	80	60	14	33
		बान/बानी	24	566	483	53	240
		मपा	9	114	104	18	29
		गोस	1	5	4	–	–
		सग्राविप	–	9	8	–	–
		अन्य	6	44	39	4	4
			119	4072	3603	480	1622
	2	लसि	175	3944	3555	402	1425
		ग्राविनि	9	224	112	29	29
		भूवि	4	97	80	1	19
		कृम	5	92	80	20	69
		कृसेकें	1	2	2	–	1
		बान/बानी	5	156	133	–	1
		मुपा	2	18	16	–	–
		भेपा	2	11	10	–	3
		सुपा	2	11	10	2	3
		मप	22	401	359	73	143
		डेवि	49	193	173	36	71
		भंप्रोरवा	7	63	55	–	20
		सग्राविप	–	42	38	–	–
			283	5243	4613	563	1784
	3	लसि	40	1744	1569	268	622
		सुपा	1	2	2	–	–
		मपा	1	24	22	4	14
		सग्राविप	–	3	3	–	–
			42	1773	1596	272	636
			444	11088	9812	1315	4042

जारी

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1980 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार वितरण

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल बायदे	वितरण	
						1979–80 के दौरान	30 जून 1980 तक
पश्चिम बंगाल	1	लसिं	112	3058	2757	338	1570
		कृम	11	189	170	44	61
		बान/बानी	38	343	308	43	81
		मपा	25	661	594	13	16
			186	4251	3829	438	1728
	2	लसिं	100	1836	1622	198	1250
		ग्राविनि	1	20	10	–	–
		कृम	15	303	273	34	134
		कृसेकें	8	12	11	2	3
		बान/बानी	52	1683	1515	227	432
		मुपा	2	31	28	1	6
		मपा	5	99	89	–	21
		डेवि	6	65	59	14	32
		भंग्रौरबा	27	443	368	67	275
			216	4492	3975	543	2153
			402	8743	7804	981	3881
			1554	42289	37348	4765	19447
IV. मध्यवर्ती क्षेत्र							
मध्य प्रदेश	1	लसिं	303	18669	16896	1146	7004
		भूवि	40	271	204	37	69
		कृम	3	246	184	1	86
		बान/बानी	2	50	37	–	–
		संग्राविप	–	8	7	–	–
		अन्य	11	44	39	–	–
			359	19288	17367	1184	7159
	2	लसिं	608	10460	9101	2007	5338
		ग्राविनि	65	1039	520	131	204
		कक्षेवि	84	440	330	41	58
		कृम	54	1770	1329	166	801
		कृसेकें	98	83	65	–	43
		बान/बानी	1	2	2	–	–
		डेवि	22	168	141	4	15
		मुपा	16	50	39	2	13
		भंग्रौरबा	100	630	504	6	247
		वन	12	570	456	91	176
		गोंस	8	143	107	15	23
		संग्राविप	–	24	22	–	–
		अन्य	2	3	3	–	–
			1070	15382	12619	2463	6918
	3	भंग्रौरबा	1	18	13	–	11
			1430	34688	29999	3647	14088

जारी

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1980 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार वितरण

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1979-80 के दौरान	30 जून 1980 तक
उत्तर प्रदेश	1	लसि	211	31084	27833	2865	15922
		भूवि	17	140	116	–	–
		कक्षेवि	207	1453	1237	–	180
		बाल/बाली	15	217	163	–	52
		डेवि	15	226	183	–	–
		भंभौरवा	7	106	85	–	–
		संग्राविप	–	503	458	–	–
		अन्य	13	245	187	–	–
			485	33974	30262	2865	16156
	2	लसि	179	4720	4023	617	2325
		ग्राविनि	26	485	244	12	12
		भूवि	6	956	713	–	199
		कक्षेवि	25	43	35	–	–
		कृम	602	10391	7865	1822	5832
		कृसेकें	7	173	131	–	–
		डेवि	111	966	797	92	284
		मृपा	7	29	26	2	2
		भेड़पालन	8	30	26	2	10
		मपा	3	21	19	3	3
		भंभौरवा	178	3487	2756	182	1892
	2	गोसं	15	54	41	5	12
		संग्राविप	–	1208	1076	48	48
		अन्य	34	152	123	10	10
			1201	22715	17875	2795	10629
	3	डेवि	2	64	48	–	–
		भंभौरवा	1	155	155	–	150
		संग्राविप	–	1	1	–	–
			3	220	204	–	150
			1689	56909	48341	5660	26935
			3119	91597	78340	9307	41023
V. पश्चिमी क्षेत्र							
दादरा नगर हवेली	2	डेवि	1	2	2	–	–
गोवा	2	लसि	3	21	17	3	15
		डेवि	5	26	22	1	3
		मृपा	6	28	23	–	20
		मपा	49	470	376	116	259
		गोसं	1	2	2	1	1
			64	547	440	121	298
	3	बाल/बाली	1	24	19	–	–
		मपा	1	40	30	–	30
			2	64	49	–	30
			66	611	489	121	328

जारी

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1980 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार वितरण

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	क्रपुविनि के कुल वायदे	वितरण 1979–80 के दौरान	वितरण 30 जून 1980 तक
गुजरात	1	लसिं	88	5739	5365	67	4742
		कृम	1	351	263	–	233
		बाग/बागी	2	30	22	–	22
		डेवि	13	309	238	52	61
		सप्राविप	–	106	95	–	–
			104	6535	5983	119	5058
	2	लसिं	135	4697	4105	1427	3144
		प्राविनि	26	539	270	103	150
		भूवि	7	69	52	–	–
		कृम	79	2211	1669	455	1406
		कृसेकें	5	40	32	2	18
		डेवि	47	871	711	127	456
		मुपा	8	68	54	18	26
		मपा	17	698	556	218	342
		भंभौरवा	16	308	244	8	242
		गोर्स	8	37	28	17	19
		सप्राविप	–	565	59	3	3
		अन्य	2	5	4	–	–
			350	10108	8234	2378	5806
	3	भंभौरवा	1	2	2	–	2
			455	16645	14219	2497	10866
महाराष्ट्र	1	लसिं	262	14497	13040	1969	10689
		भूवि	8	411	368	–	368
		कृम	3	272	204	–	153
		बाग/बागी	23	437	328	49	84
		डेवि	65	500	375	21	34
		मुपा	3	29	22	–	–
		भेपा	4	38	28	–	–
		गोर्स	14	116	86	–	–
		सप्राविप	–	28	25	–	–
			382	16328	14476	2039	11328
	2	लसिं	498	5141	4260	538	2348
		प्राविनि	92	1659	830	213	213
		भूवि	4	39	30	–	–
		कक्षेवि	16	2007	1505	63	146
		कृम	209	2333	1769	378	1172
		बाग/बागी	22	127	103	19	31
		मुपा	57	355	283	101	209
		भेपा	10	19	16	6	8
		मपा	39	230	178	33	91
		डेवि	199	1582	1283	120	797
		भंभौरवा	18	747	597	90	423

जारी

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1980 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार वितरण

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण 1979–80 के दौरान	वितरण 30 जून 1980 तक
महाराष्ट्र—(जारी)		कृवि	1	7	5	–	5
		गोसं	9	68	51	10	13
		सप्राविप	–	248	224	1	1
		सक्षविप (वी० ब०)	1	40	32	26	26
		सक्षविप (भ भ)	–	–	–	8	–
		अन्य	5	66	52	43	43
			1180	14668	11218	1649	5436
	3	मपा	5	180	84	–	82
		सप्राविप	–	45	40	–	–
			5	225	124	–	82
			1567	31221	25818	3688	16846
			2089	48479	40528	6306	28040
VI. दक्षिणी क्षेत्र							
आन्ध्र प्रदेश	1	लसिं	256	23754	21390	2853	13534
		भूवि	35	3477	2759	262	1788
		कुम	5	3164	2373	585	2109
		बाग/बानी	27	1045	785	370	485
		डेवि	32	614	471	121	274
		मुपा	17	398	299	66	70
		भेपा	33	541	420	141	276
		मपा	4	223	166	28	98
		सप्राविप	–	451	406	–	–
		अन्य	12	300	226	113	113
			421	33967	29295	4539	18747
	2	लसिं	162	2415	2147	399	1259
		ग्राविणि	59	1552	776	189	194
		भूवि	19	716	545	26	69
		कुम	64	809	598	127	420
		कुसेके	4	159	122	–	27
		बाग/बानी	40	461	365	60	77
		मुपा	144	898	699	270	435
		भेपा	106	497	419	133	220
		मपा	46	407	324	50	109
		डेवि	127	951	791	113	305
		भंडारण	47	607	493	8	411
		वन	7	292	187	31	64
		गोसं	1	4	2	1	1
		सप्राविप	–	1372	1235	218	218
		अन्य	22	116	94	16	16
			848	11256	8797	1641	3825

जारी

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1980 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार वितरण

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	पुनर्वित्त के कुल वायदे	वितरण 1979-80 के दौरान	वितरण 30 जून 1980 तक
आंध्र प्रदेश—(जारी)	3	लसिं	1	11	9	—	—
		मूपा	5	7	5	2	2
		मपा	3	331	256	11	50
		सग्राविप	—	227	204	—	—
			9	576	474	13	52
			1278	45799	38566	6193	22624
कर्नाटक	1	लसिं	249	11317	10234	258	5515
		भूवि	15	1147	867	—	614
		कृम	12	872	653	50	522
		बाग/बागी	67	2261	1698	70	893
		भेपा	5	48	39	14	14
		सुपा	2	16	13	—	—
		डेवि	11	102	87	—	—
		गोसं	3	59	44	2	2
		सग्राविप	—	97	88	—	—
		अन्य	1	43	35	9	9
			365	15962	13758	403	7569
	2	लसिं	74	1061	840	63	277
		ग्राविनि	5	136	67	24	24
		भूवि	6	101	77	—	3
		कृम	63	1361	1060	69	994
		बाग/बागी	214	3033	2434	253	875
		मूपा	42	143	117	34	78
		भेपा	15	63	55	15	17
		मपा	92	1442	1039	218	874
		डेवि	43	371	325	15	22
		संभौरबा	66	986	780	253	754
		गोसं	15	233	177	27	38
		सग्राविप	—	129	116	3	3
		अन्य	2	166	135	10	10
			637	9225	7222	984	3969
	3	लसिं	1	2	2	—	—
		बाग/बागी	2	36	36	—	25
		मपा	2	207	143	—	137
		डेवि	2	33	30	—	—
		संभौरबा	2	132	113	—	111
		सग्राविप	—	42	38	—	—
			9	452	362	—	273
			1011	25639	21342	1387	11811

जारी

विवरण 4 (जारी)
30 जून 1980 तक मंजूर योजनाओं का राज्य एजेंसी और प्रयोजनवार विवरण

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण 1979–80 के दौरान	वितरण 30 जून 1980 तक
केरल	1	लसि	13	1013	912	292	496
		भूवि	5	110	82	1	22
		कृम	2	33	25	2	
		बान/बानी	175	3816	2953	186	649
		मपा	1	37	28	–	–
		डेवि	4	26	20	1	1
			200	5035	4020	482	1173
	2	लसि	25	829	745	118	613
		प्रभिनि	2	24	12	–	–
		भूवि	4	1631	1380	169	723
		कृम	6	77	60	–	38
		कृसेकें	4	3	2	–	–
		बान/बानी	141	2733	2165	141	266
		मपा	93	598	442	67	316
		डेवि	25	109	89	17	30
		संमौरखा	5	39	31	4	30
		वन	1	82	65	–	–
		गोसं	1	2	1	–	–
			307	6127	4992	516	2016
	3	बान/बानी	3	91	73	–	–
		मुपा	1	22	21	–	–
		मपा	3	162	162	–	56
			7	275	256	–	56
			514	11437	9268	998	3245
पांडिचेरी	1	बान/बानी	1	31	23	–	–
		डेवि	1	5	4	1	1
		सप्राविप	–	9	8	–	–
			2	45	35	1	1
	2	लसि	1	2	1	–	1
		मपा	1	26	21	–	–
		डेवि	2	22	11	–	11
		सप्राविप	–	41	37	5	5
			4	91	70	5	17
	3	मपा	2	46	34	–	15
			8	182	139	6	33

जारी

विवरण 4 (जारी)

30 जून 1980 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार वितरण

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण 1979–80 के दौरान	वितरण 30 जून 1980 तक
तमिलनाडु	1	लसिं	171	6872	6189	135	6732
		भूवि	6	689	517	–	470
		कुम	1	780	585	–	625
		बाग/बागी	53	1350	1014	69	363
		मूपा	1	4	3	–	–
		भेपा	10	56	43	27	27
		मपा	1	25	19	16	16
		डेवि	13	52	41	11	11
		गोर्स	1	11	8	2	2
		सप्राविप	–	107	96	–	–
		अन्य	6	43	37	27	27
			263	9989	8552	287	8273
		लसिं	9	168	134	8	81
		प्राविनि	39	471	235	67	101
		भूवि	3	56	42	2	40
		कुम	36	429	319	61	178
		कुसेकें	12	24	16	–	15
		बाग/बागी	70	1543	1110	93	512
		मूपा	44	205	166	61	72
		भोपा	18	98	84	32	56
		मपा	71	663	505	149	457
		डेवि	50	412	337	72	150
		भंडारखा	27	290	231	–	212
		कृवि	1	16	12	–	12
		गोर्स	2	17	13	1	2
		सप्राविप	–	978	880	117	117
		अन्य	5	99	75	14	14
			387	5469	4159	677	2019
	3	भेपा	1	38	38	–	38
		मपा	2	100	69	–	64
		सप्राविप	–	469	422	–	–
			3	607	529	–	102
			653	16065	13240	964	10394
			3464	99122	82555	9548	48107
जोड़ I से IV			12225	365642	307657	41223	1738195

टिप्पणी—वाणिज्य बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।

$सप्रविप में सब वितरण शामिल नहीं है।

विवरण 5

30 जून 1980 तक मंजूर योजनाओं का वितरण—एजेंसीवार

लाख रुपए

एजेंसी	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिविनि के वायदे	सरकारों/बैंकों के वायदे	वितरण
राज्य भूमि विकास बैंक	3302	183296 (50.1)	160350 (52.1)	22946	98339
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	8596	172931 (47.3)	139021 (45.2)	33910	71673
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	122	2997 (0.8)	2669 (0.9)	328	1161
राज्य सहकारी बैंक	205	6418 (1.8)	5617 (1.8)	801	2646
जोड़	12225	365642 (100.0)	307657 (100.0)	57985	173819$

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ का प्रतिशत हैं। $सकलित में अ अ वितरण शामिल नहीं है।

विवरण 6

कम विकसित/कम बैंक सुविधा वाले राज्यों में मंजूर योजनाओं और वितरित पुनर्वित्त की स्थिति

लाख रुपए

वितरण	मंजूर योजनायें			वितरण	कुल वितरित राशि का प्रतिशत
	योजनाओं की संख्या	कृषिविनि के वायदे	कुल वायदों का % प्रतिशत		
उत्तर प्रदेश					
1963–69	16	1384	8.6	123	8.5
1969–74 (चौथी योजना)	161	10331	15.8	3794	14.7
1974–75	75	3714	18.2	1849	17.3
1975–76	108	4172	14.1	2598	15.2
1976–77	269	1766	5.7	3720	16.9
1977–78	220	2403	7.3	4317	18.4
1978–79	361	9891	17.3	4877	17.1
1979–80	501	13604	17.9	5660	13.7
30-6-1980 तक	1689	48341	15.7	26935	15.5
मध्य प्रदेश					
1963–69	12	1157	7.2	31	2.1
1969–74 (चौथी योजना)	163	8339	12.8	1291	5.0
1974–75	38	795	3.9	1234	11.6
1975–78	102	1242	4.2	1932	11.3
1976–77	118	1940	6.3	2610	11.8
1977–78	190	3279	9.9	1670	7.1
1978–79	399	6063	10.6	1666	5.9
1979–80	443	10595	14.0	3647	8.9
30–6–1980 तक	1430	29999	9.7	14088	8.1
बिहार					
1963–69	4	1190	7.4	18	1.2
1969–74 (चौथी योजना)	26	3630	5.6	980	3.9
1974–75	28	2069	10.1	932	8.8
1975–76	36	2113	7.8	1318	7.7
1976–77	101	2863	7.7	1696	7.7

विवरण 6 (जारी) *

कम विकसित /कम बैंक सुविधा वाले राज्यों में मंजूर योजनाओं और वितरित पुनर्वित्त की स्थिति

लाख रुपए

वितरण	मंजूर योजनाएं			वितरण	कुल वितरित राशि का प्रतिशत
	योजनाओं की संख्या	कृपुविनि के वायदे	कुल वायदल का प्रतिशत		
1977–78	166	2053	6.2	1864	8.0
1978–79	131	3145	5.5	2253	7.9
1979–80	240	3996	5.3	2468	6.0
30–6–1980 तक	707	19725	6.4	11523	6.6
उड़ीसा					
1963–69	3	55	0.2	4	–
1969–74 (चौथी योजना)	20	1233	1.9	51	0.2
1974–75	38	1684	8.2	82	0.8
1975–76	53	985	3.3	338	1.9
1976–77	79	2230	6.0	565	2.6
1977–78	65	1357	4.1	816	3.5
1978–79	55	667	1.2	875	3.1
1979–80	155	2629	3.5	1315	3.2
30–6–1980 तक	444	9812	3.2	4042	2.3
पश्चिम बंगाल					
1963–69	4	413	2.6	–	–
1969–74 (चौथी योजना)	23	320	0.5	42	0.2
1974–75	9	127	0.6	69	0.6
1975–76	31	997	3.4	159	0.9
1976–77	52	1389	3.8	590	2.7
1977–78	89	1446	4.4	996	4.3
1978–79	97	2382	4.2	1045	3.7
1979–80	109	1235	1.6	981	2.4
30–6–1980 तक	402	7804	2.5	3881	2.2
राजस्थान					
1963–69	6	362	2.2	7	0.5
1969–74 (चौथी योजना)	49	2621	4.0	656	2.5
1974–75	16	851	4.2	350	3.3
1975–76	57	3353	11.3	536	3.3
1976–77	69	2139	6.8	787	3.6
1977–78	79	1970	6.0	1312	5.6
1978–79	141	3459	6.0	1616	5.7
1979–80	150	2709	3.6	1815	4.4
30–6–1980 तक	542	15931	5.2	7084	4.1
30–6–1980 तक सभी कम विकसित/कम बैंक सुविधा-वाले राज्यों का जोड़	5570	138114	44.9	69109	39.8
30–6–1980 तक सभी राज्यों का जोड़	12225	307657	100.0	173819	100.0

*उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्य ।

विवरण 7
अन्तरराज्यीय असंतुलनों में कमी—मंजूर योजनाओं की स्थिति

लाख रुपए

राज्य	30 जून 1971 तक			30 जून 1979 तक			30 जून 1980 को		
	योजनाओं की संख्या	कृषिविनि के वायदे	वितरण	योजनाओं की संख्या	कृषिविनि के वायदे	वितरण	योजनाओं की संख्या	कृषिविनि के वायदे	वितरण
आंध्र प्रदेश									
कम विकसित क्षेत्र*	4	1800	639	473	15853	8280	776	23174	11941
संपूर्ण राज्य	74	3416	1758	756	27124	16431	1278	38566	22624
उड़ीसा									
कम विकसित क्षेत्र*	3	43	—	66	1842	471	100	2490	724
संपूर्ण राज्य	8	155	27	298	7837	2727	444	9812	4042
उत्तर प्रदेश									
कम विकसित क्षेत्र*	10	544	157	349	12228	5599	523	15313	6571
संपूर्ण राज्य	32	2566	671	1213	34816	21275	1689	48341	26935

*आंध्र प्रदेश : तेलंगाना और रायल सीमा क्षेत्र
*उड़ीसा : मयूरभंज, केन्जोर, फूलबनी, सुन्दरगढ़, कोरापट और कालाहाण्डी जिले।
*उत्तर प्रदेश : फैजाबाद, गोरखपुर और वाराणसी के तीन डिवीजनों के जिले।

विवरण 8
1979–80 के दौरान अनुमोदित समन्वित ग्रामीण विकास परियोजनाएं—बैंकिंग प्लान

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	अनुमोदित बैंकिंग योजनाओं की संख्या	समाविष्ट खण्डों की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिविनि के वायदे	वितरण
I. उत्तरी क्षेत्र					
चंडीगढ़	—	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	—	—	
हरियाणा	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	1	3	26	24	—
जम्मू और कश्मीर	1	1	10	9	—
पंजाब	1	2	14	13	—
राजस्थान	—	—	—	—	—
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र					
असम	—	—	—	—	—
मणिपुर	—	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—	—
नागालैण्ड	—	—	—	—	—
त्रिपुरा	—	—	—	—	—
III. पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	—	—	—	—	—
उड़ीसा	2	3	54	49	—
पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—
IV. मध्यवर्ती क्षेत्र					
मध्य प्रदेश	1	2	2	29	—
उत्तर प्रदेश	27	215	1712	1535	48
V. पश्चिमी क्षेत्र					
गोवा	—	—	—	—	—
गुजरात	14	66	671	604	3
महाराष्ट्र	3	15	321	289	1
VI. दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	1	168	2050	1845	218
कर्नाटक	5	24	268	242	3
केरल	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	1	2	50	45	5
तमिलनाडु	15	170	1554	1398	117
सकल जोड़	92	671	6762	6082	395

विवरण 9

30 जून 1980 तक अनुमोदित समन्वित ग्रामीण विकास बैंक-बैंकिंग प्लान एजेंसी और प्रयोजनवार ब्यौरा

लाख रुपए

एजेंसी	प्रयोजन	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	30-6-80 तक वितरण
राज्य भूमि	लघु सिंचाई	858	776	–
विकास बैंक	अन्य	462	417	–
अनुसूचित वाणिज्य बैंक*	लघु सिंचाई	1031	924	395
	अन्य	3642	3257	
राज्य सहकारी बैंक	लघु सिंचाई	145	131	–
	अन्य	642	577	–
जोड़		6762	6082	395

*इनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं।

विवरण 10

30 जून 1980 तक लघु कृषक विकास एजेंसियों के तत्वावधान में मंजूर योजनाएं

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेन्सी की कूटसंख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1979-80 के दौरान	30 जून 1980 तक
I. उत्तरी क्षेत्र							
दिल्ली	2	डेवि	7	44	30	11	25
हरियाणा	2	लसि	1	1	1	1	–
		मुपा	1	11	10	–	4
		डेवि	5	37	36	8	31
			7	49	47	8	35
हिमाचल प्रदेश	2	मुपा	2	11	10	–	–
		मुपा	1	2	2	–	–
		बान/बानि	1	2	2	–	–
		डेवि	4	19	16	3	16
		अन्य	2	9	6	1	1
			10	43	36	4	17
जम्मू और कश्मीर	1	अन्य	1	8	7	–	–
	2	डेवि	2	12	7	2	7
			3	20	14	2	7
पंजाब	1	लसि	4	179	179	–	138
	2	लसि	1	6	6	–	6
		मुपा	2	35	32	1	4
		डेवि	35	284	263	44	122
		अन्य	1	3	3	1	1
			43	507	483	46	271

जारी

वरण 10 (जारी)

) जून 1980 को लघु कृषक विकास एजेंसियों के तत्वावधान में मंजूर योजनायें

लाख रुपए

/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूटसंख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण 1979–80 के दौरान	वितरण 30 जून 1980 तक
राजस्थान	1	लसि	30	856	815	10	522
	2	लसि	39	461	413	40	74
		भेपा	13	303	274	54	116
		डेवि	25	234	209	32	53
		अन्य	7	101	87	12	12
	3	सं० प्र०	16	327	294	97	97
			130	2282	2092	245	874
			200	2945	2702	316	1229
. उत्तर पूर्व क्षेत्र							
असम	1	लसि	1	126	114	–	–
	2	लसि	7	57	51	–	13
		मपा	1	15	14	1	2
		बान/वानी	1	7	6	–	1
		डेवि	2	23	20	–	6
			12	228	205	1	22
मणिपुर	3	लसि	1	4	3	–	–
मेघालय	2	मुपा	2	5	5	–	–
	3	बान/वानी	2	11	10	–	–
			4	16	15	–	–
नागालैण्ड	3	बान/वानी	2	11	10	–	
त्रिपुरा	2	लसि	3	19	17	3	5
			22	278	250	4	27
II. पूर्वी क्षेत्र							
बिहार	2	लसि	3	72	67	2	24
		कुम	1	5	5	–	5
		मुपा	1	1	1	–	–
		डेवि	6	34	31	3	9
			11	112	104	5	38
उड़ीसा	1	लसि	3	295	277	16	104
		भूवि	1	2	2	1	1
		मपा	6	43	39	5	5
		लसि	5	442	403	76	134
		भूवि	1	16	14	–	5
		मुपा/भेपा/सुपा	4	12	10	2	5
		डेवि	48	184	164	62	67
	3	सुपा	1	2	2	–	–
			69	996	911	162	321

जारी

विवरण 10 (जारी)

30 जून 1980 को लघु कृषक विकास एजेंसियों के तत्वावधान में मंजूर योजनायें

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूटसंख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषुविनि के कुल बायदे	वितरण	
						1979–80 के दौरान	30 जून 1980 तक
पश्चिम बंगाल	1	लसि	7	136	127	–	102
		बान/बामी	1	9	9	–	–
	2	लसि	6	67	62	–	68
		डेवि	2	15	15	–	7
			16	227	213	–	177
			96	1335	1228	167	536
IV. मध्यवर्ती क्षेत्र							
मध्य प्रदेश	1	लसि	13	507	479	–	355
		अन्य	11	44	39	–	–
	2	लसि	4	26	23	–	11
		डेवि	7	33	29	–	–
			35	610	570	–	366
उत्तर प्रदेश	1	लसि	8	931	911	–	557
		भूवि	3	21	19	–	–
		डेवि	7	51	46	–	–
	2	लसि	4	51	47	5	23
		भेपा	2	5	5	–	–
		डेवि	21	132	121	2	21
		अन्य	1	26	24	–	–
			46	1217	1173	7	601
			81	1827	1743	7	967
V. पश्चिमी क्षेत्र							
गोवा	2	लसि	1	13	12	–	7
		मुपा	1	2	1	–	–
		डेवि	4	8	7	1	3
			6	23	20	1	10
गुजरात	1	लसि	1	4	3	–	–
		डेवि	2	10	9	–	2
	2	लसि	9	41	36	–	10
		डेवि	19	128	112	10	84
		अन्य	2	5	4	–	–
			33	188	164	10	96
महाराष्ट्र	1	लसि	22	580	528	–	316
	2	लसि	13	126	114	15	30
		डेवि	28	183	161	15	65
		अन्य	1	7	6	–	–
			64	896	809	30	411
			103	1107	993	41	517

जारी

विवरण 10 (जारी)

30 जून 1980 तक लघु कृषक विकास एजेंसियों के तत्वावधान में मंजूर योजनाएं

लाख रुपए

अंचल/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूटसंख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिविनि के कुल बायदे	वितरण	
						1979-80 दौरान	30 जून 1980 तक
VI. दक्षिणी क्षेत्र							
आन्ध्र प्रदेश	1	लसि	16	2163	1976	118	1184
		भूवि	4	124	111	–	12
		भेपा	8	92	79	–	54
		डेवि	4	45	41	–	38
		अन्य	1	1	1	–	–
	2	लसि	22	414	375	165	257
		भूवि	2	8	7	–	–
		बान/बाभी	1	4	4	–	–
		मुपा	3	23	21	1	5
		भेपा	20	115	102	71	122
		भपा	1	1	1	3	3
		डेवि	32	244	218	46	117
	3	लसि	1	11	9	–	–
			115	3245	2945	404	1792
कर्नाटक	1	लसि	4	484	484	–	429
	2	लसि	3	74	71	–	–
		भेपा	1	4	3	–	–
		डेवि	1	2	2	–	–
			9	564	560	–	429
केरल	1	लसि	4	37	33	–	–
	2	भपा	1	1	1	–	1
		डेवि	6	20	20	3	8
	3	मुपा	1	22	21	–	–
			12	80	75	3	9
पांडिचेरी	2	डेवि	1	9	6	–	6
तमिलनाडु	1	लसि	6	208	194	2	102
		भपा	1	2	1	1	1
		डेवि	5	12	11	3	3
		अन्य	5	38	31	27	27
	2	मुपा	3	15	13	5	5
		भेपा	13	64	57	31	40
		बान/बाभी	2	36	31	1	1
		डेवि	16	174	149	29	48
		अन्य	5	99	75	14	14
			56	645	562	113	241
			193	4543	4148	520	2477
जोड़ (I से VI)			645	12035	11064	1055	5753

विवरण 11

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की परियोजनायें—प्रत्येक परियोजना का संक्षिप्त विवरण

1. (क) कृषिविनि की पहली साख परियोजना (540 आई० एन०)।
   (ख) परियोजना की लागत—1685 लाख डालर कृषिविनि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 750 लाख डालर।
   (ग) लघु सिंचाई के कार्यों और डेरी, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, बागवानी जैसे अन्य विविध प्रयोजनों के लिये प्रदत्त ऋणों में निवेश।
   (घ) राज्य भूमि विकास बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और एक राज्य सहकारी बैंक।
   (ङ) दो वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 दिसम्बर, 1977।
   (च) परियोजना लक्ष्य से छः महीने पूर्व ही जून, 1977 में पूरी हो गई। कृषिविनि की मदद से अंविसंघ ने परियोजना समाप्ति रिपोर्ट तैयार की।

2. (क) कृषिविनि की दूसरी साख परियोजना (715 आई० एन०)।
   (ख) परियोजना की लागत—5830 लाख डालर। कृषिविनि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 2000 लाख डालर।
   (ग) लघु सिंचाई तथा कृषिविनि की पहली साख परियोजना तथा प्रशिक्षण के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में निवेश।
   (घ) राज्य भूमि विकास बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और राज्य सहकारी बैंक।
   (ङ) दो वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 दिसम्बर, 1979।
   (च) परियोजना में निर्दिष्ट राशि का पूरा वितरण 27 दिसम्बर, 1979 तक हो गया अर्थात् समाप्ति के लिये निर्धारित तारीख 31 दिसम्बर, 1979 से पहले पूरा हो गया था। परियोजना समाप्ति रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

3. (क) तीसरी कृषिविनि साख परियोजना (947 आई० एन०)।
   (ख) परियोजना की लागत—10050 लाख डालर—कृषिविनि के माध्यम से दी जाने वाली अंविसंघ की सहायता राशि 2500 लाख डालर।
   (ग) लघु सिंचाई (भूमि विकास सहित) और अन्य विविध वर्गों में निवेश, परियोजना की चालू अवधि के दौरान भारत सरकार, अंविसंघ और कृषिविनि की सहमति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
   (घ) राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अनुसूचित वाणिज्य बैंक।
   (ङ) दो वर्ष-समाप्ति की तारीख—31 दिसम्बर 1981।
   (च) 2 जनवरी 1980 को परियोजना प्रभावी हुई। जून 1980 तक कुल 139.7 करोड़ रुपये परियोजना के अन्तर्गत वितरित किये और कृषिविनि को 840 लाख लाख डालर के ऋण की पात्रता प्राप्त हो गयी।

4. (क) आंध्र प्रदेश कृषि साख परियोजना (226 आई० एन०)।
   (ख) परियोजना की लागत—450 लाख डालर कृषिविनि के माध्यम से प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 244 लाख डालर।
   (ग) लघु सिंचाई के क्षेत्र में किये गये निवेशों, भूमि विकास और ट्रैक्टरों का वित्तपोषण।
   (घ) आंध्र प्रदेश सहकारी मध्यवर्ती कृषि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।
   (ङ) 6 वर्ष—समाप्ति की तारीख —30 जून 1977।
   (च) परियोजना जून 1977 के अंत में पूरी की गई। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम तथा भूमि विकास बैंक की सहायता से परियोजना की समाप्ति की रिपोर्ट तैयार की गई है।

5. (क) आंध्र प्रदेश मत्स्यपालन परियोजना (815 आई० एन०)।
   (ख) परियोजना की लागत 365 लाख डालर–अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 175 लाख डालर, जिसमें से 39 लाख डालर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से दिया जाना है।
   (ग) आंध्र प्रदेश में समुद्रीय मछली के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति, कंपनी और सहकारी संस्था द्वारा स्वाधिकृत एवं चालित इंजनवाले तथा बिना इंजन, दोनों प्रकार के मछलीमार जहाजों को खरीदने के लिये ऋण प्रदान करने तथा विशाखापट्टनम् काकीनाडा और निजामपट्टनम के तीन महत्वपूर्ण मछलीमार बन्दरगाहों की स्थिति में सुधार लाने के लिए इस परियोजना द्वारा और अधिक मार्गों का निर्माण कर छोटे मछलीमारों की उत्पादकता में भी सुधार लाया जायेगा।
   (घ) आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।
   (ङ) 6 वर्ष—समाप्ति की तारीख—30 सितम्बर 1984।
   (च) आंध्र प्रदेश मत्स्यपालन परियोजना के कार्यान्वयन की गति धीमी रही। राज्य सरकार ने हाल में मछुओं के चयन की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया है। जिन सहकारी समितियों को परियोजित कार्यक्रम का लगभग 50 प्रतिशत वित्त देना है उन्हें अलग-अलग किसानों को वित्त देने की अनुमति दी गई। जून 1980 के अंत तक निगम द्वारा वितरित पुनर्वित्त की राशि 21 लाख रुपये तक पहुंच गई।

6. (क) आंध्र प्रदेश सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना (1251 आई० एन०)।
   (ख) परियोजना की लागत—2970 लाख डालर—अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सहायता-1450 लाख डालर जिसमें से 91 लाख डालर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से।
   (ग) इस परियोजना में नहरों और नालियों के जाल बिछाने के कार्य को पूरा करने, नागार्जुन सागर परियोजना में ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने, पोचंपड तथा तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर कमाण्ड क्षेत्र में कमाण्ड क्षेत्र विकास का कार्य आरंभ करना शामिल है।
   (घ) आंध्र प्रदेश सहकारी मध्यवर्ती कृषि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।
   (ङ) 6 वर्ष—समाप्ति की तारीख —31 दिसम्बर 1982।
   (च) आंध्र प्रदेश कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में हाल में राज्य विधायिका ने कमाण्ड क्षेत्र में किसानों के लिये अपनी जोत की भूमि को उपयुक्त रूप से समतल बनाने का उत्तरदायित्व लेना अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है तथा अगले विधानसभा सत्र में संभवतः बिल प्रस्तुत कर दिया जाएगा। विशेष ऋण खाता से ऋण आहरण करने के लिये उपयुक्त अभिकरण नहीं बनाया गया है। यह बताया जाता है कि किसान निवेश की लागत का 15 प्रतिशत

(क) परियोजना का नाम, (ख) परियोजना की लागत अंविसंघ/की सहायता, (ग) निवेश कार्यक्रम, (घ) वित्तपोषक बैंक, (ङ) परियोजना की अवधि और समाप्ति की तारीख, (च) परियोजना स्तर।

देख-रेख प्रभारों और उत्तम समतलीकरण के लिये प्रभार देने में रुचि नहीं रखते हैं। कृषिविनि ने योजना के अधीन जून 1980 के अंत तक 1.98 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

7. (क) बिहार कृषि साख परियोजना (440 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—600 लाख डालर—कृषिविनि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंविसंघ की सहायता 320 लाख डालर।

(ग) लघु सिंचाई कार्यक्रम, जिसमें नलकूप को गहरा बनाना और सतही जल को थोड़ा सा ऊपर उठाकर पंपिंग करना तथा डीजल पंपसैटों को लगाना शामिल है।

(घ) बिहार राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 4 वर्ष—समाप्ति की तारीख बढ़ाकर मार्च 1980 कर दी गई।

(च) परियोजना वर्ष के दौरान पूरी हुई। परियोजना समाप्ति की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

8. (क) बिहार बाजार केन्द्र परियोजना (294 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—226 लाख डालर अंविसंघ की सहायता 140 लाख डालर, जिसमें से 138 लाख डालर कृषिविनि के माध्यम से।

(ग) बिहार के लगभग 50 कस्बों के बाजार केन्द्रों में निवेश किया जाना, इसमें प्रवेश मार्गों का निर्माण करना, भूमि को समतल बनाना, बाड़लगाना, गोदाम बनाना और व्यापारियों की दुकानें बनाना आदि नागरी निर्माण कार्य शामिल है।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक।

(ङ) 5 वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 दिसम्बर 1979।

(च) वर्ष के दौरान परियोजना पूरी हुई और आबंटित ऋण का पूरा उपयोग किया गया है।

9. (क) गुजरात कृषि साख परियोजना (191 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—670 लाख डालर—अंविसंघ की सहायता 350 लाख डालर, जिसमें से 347 लाख डालर की सहायता कृषिविनि के माध्यम से।

(ग) लघु सिंचाई के निवेश और ट्रैक्टरों की खरीद के लिये वित्तपोषण।

(घ) गुजरात राज्य भूमि विकास बैंक।

(ङ) 5 वर्ष—परियोजना का कार्य—31 मार्च 1975 को पूरा हो गया।

(च) भारत में अंविसंघ की सहायता प्राप्त कृषि साख संबंधी इस पहली परियोजना की समाप्ति की रिपोर्ट कृषिविनि की सहायता से अंविसंघ द्वारा पूरी की गई है। निगम की सहायता से अंविसंघ द्वारा परियोजना समाप्ति रिपोर्ट तैयार की गई है।

10. (क) गुजरात मत्स्यपालन परियोजना (695 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—350 लाख डालर—अंविसंघ द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता 180 लाख डालर, जिसमें से 47 लाख डालर कृषिविनि के माध्यम से।

(ग) गुजरात में मत्स्यपालन का समन्वित विकास वेरावल और मेंगलूर में मछली पकड़ने की बंदरगाहों का विकास, तटीय सुविधाओं में सुधार, मछली अभिसंस्करण इकाइयों, बर्फ संयंत्र तथा पारंपरिक मछुओं को छोटी नाव (डोंगी) और आउट बोर्ड मोटर नौकाएं खरीदने के लिये ऋण।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष—समाप्ति की तारीख—30 जून 1983।

(च) गुजरात मत्स्यपालन परियोजना में कृषिविनि ने जून 1980 के अन्त तक 1.3 करोड़ रुपये वितरित किये। यंत्रचालित मछलीमार नावों के निर्माण और सुपुर्दगी में देर हुई है। लकड़ी की डोंगियों के निर्माण के लिये अच्छी लकड़ी का न मिलना, धीमी प्रगति का कारण बताया गया। फाइबर ग्लास की नौकाएं शुरूकरने के संबंध में परियोजना प्राधिकारियों को अभी निर्णय लेना है। परियोजना के अधीन विचार की गई तट सुविधाओं के विकास कार्यान्वयन में देरी हुई है। नौका जोखिम निधि से संबंधित नियमों का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा अभी किया जाना है।

11. (क) हरियाणा कृषि साख परियोजना (249 आई० एन०)

(ख) परियोजना की लागत—622 लाख डालर—कृषिविनि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंविसंघ की सहायता 250 लाख डालर।

(ग) उथले नलकूप, आयातित एवं देशी ट्रैक्टरों आदि लघु सिंचाई के कार्यों में निवेश।

(घ) राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष—परियोजना 30 जून 1977 को समाप्त की गई।

(च) परियोजना बढ़ाई गई अवधि में पूर्णतः कार्यान्वित की गई परियोजना समाप्ति की रिपोर्ट अंविसंघ को प्रस्तुत की गई।

12. (क) हरियाणा सिंचाई परियोजना (843 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—2219 लाख डालर—अंविसंघ की सहायता—1110 लाख डालर, जिसमें से 414 लाख डालर कृषिविनि के माध्यम से।

(ग) नहरों, जलमार्गों का आधुनिकीकरण और अधिक नलकूपों आदि का निर्माण।

(घ) हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक, हरियाणा राज्य सहकारी बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 5 वर्ष—समाप्ति की तारीख—अगस्त 1983।

(च) कृषिविनि ने जून 1980 के अन्त तक परियोजना के अधीन 7.93 करोड़ रुपये वितरित किये। हरियाणा लघु सिंचाई नलकूप निगम ने प्रति वर्ष 500 से अधिक जलमार्गों का निर्माण/आधुनिक बनाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। कुछ जिलों में बाढ़ से फसल का नुकसान हो जाने के कारण जल नालियों से पानी लेने में किसान झिझक रहे थे। सीमेंट, ईंट जैसी जरूरी वस्तुओं और काम चलाने के लिये कोयले आदि की कमी भी रही।

13. (क) हिमाचल प्रदेश सेव अभिसंस्करण और विपणन परियोजना (456 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत 204 लाख डालर अंविसंघ की सहायता 130 लाख डालर, जिसमें से 54 लाख डालर कृषिविनि के माध्यम से।

(ग) हिमाचल प्रदेश में सेव अभिसंस्करण एवं उनके विपणन में सुधार लाना।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 दिसम्बर 1980।

(च) हिमाचल प्रदेश सेव अभिसंस्करण और विपणन परियोजना में वित्तपोषक संस्थाओं ने जून 1980 के अन्त तक कुल 2.3 करोड़ रुपये वितरित किये हैं। केवल पथों के लिये योजनायें कृषिविनि में अभी प्रस्तुत की जानी हैं। जूस सांद्रीकरण प्लांट के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार को 20 प्रतिशत तक ईक्विटी अंशदान के लिये अभी सहमत होना है।

14 (क) अंतर्देशीय मत्स्यपालन परियोजना (963 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत–408 लाख डालर–अंविसंघ सहायता 200 लाख डालर–93 लाख डालर कृपुविनि के माध्यम से।

(ग) पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में मत्स्य बीज हेचरी के लिये जगह बनाने और गहन मछलीपालन के लिये तालाबों का सुधार।

(घ) वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक।

(ङ) 5 वर्ष–समाप्ति तारीख–30 सितम्बर 1985।

(च) 5 मई 1980 से परियोजना लागू हुई। अप्रैल 1980 में परियोजना बैंकिंग प्लान अंविसंघ और भारत सरकार को भेजी गई। प्रत्येक राज्य में प्रथम मछली बीज हेचरियां मार्च 1981 से आरम्भ होनी हैं।

15. (क) समन्वित रूई विकास परियोजना (610 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—360 लाख डालर—अंविसंघ की सहायता—180 लाख डालर, जिसमें से 129 लाख डालर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से।

(ग) इसमें रूई की विभिन्न उन्नत किस्मों को उगाने के लिये मौसमी ऋण तथा रूई की ओटाई के कारखाने एवं बिनौला अभिसंस्करण करने वाली इकाइयों को मीयादी ऋण प्रदान करना। इसमें हरियाणा, पंजाब तथा महाराष्ट्र के परियोजना क्षेत्रों का आधुनिकीकरण भी शामिल है।

(घ) राज्य सहकारी बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 5 वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 दिसम्बर 1981।

(च) समन्वित रूई विकास परियोजना में, मौसमी ऋण खाता वर्ग के अन्तर्गत, कृपुविनि ने भारत सरकार से कुल 3.2 करोड़ रुपये की राशि के लिये दावा पेश किया है। यह राशि अंविसंघ के 75 लाख डालर के ऋण में से 40 लाख डालर ऋण की पूर्ति करेगी। ओटाई और बीज अभिसंस्करण के लिये दीर्घावधि ऋणों के सम्बन्ध में दो ओटाई और दबाव संयंत्र हरियाणा में और एक एक बीज अभिसंस्करण इकाई हरियाणा और महाराष्ट्र में परियोजना-निधि से कार्यान्वित की जा रही है। हरियाणा में तीसरा ओटाई संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में तकनीकी साध्यता पर अध्ययन किया गया। महाराष्ट्र में विलायक दोहन सुविधा सहित तेल अभिसंस्करण इकाई अपेक्षित है।

16. (क) जम्मू और कश्मीर बागवानी परियोजना (806 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—276 लाख डालर—अंविसंघ सहायता—140 लाख डालर, जिसमें से 96 लाख डालर कृपुविनि के माध्यम से।

(ग) कृपुविनि सेबों की श्रेणी करने वाले और पैकिंग करने वाले 25 केन्द्रों, 10 शीतगृहों, एक वाहनांतरण केन्द्र, सेब के रस के अभिसंस्करण की एक फैक्टरी का निर्माण करेगा तथा सेब, अखरोट एवं कुकरमुत्ता (मशरूम) के उत्पादकों की सहायतार्थ लगभग 2 करोड़ रुपये के मौसमी ऋण देगा।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक और राज्य सहकारी बैंक।

(ङ) 5 वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 दिसम्बर 1983।

(च) परियोजना के अन्तर्गत सहकारी बैंकों ने हाल ही में अल्पावधि ऋणों पर फल उत्पादकों के लिये ब्याज दर घटा दी है। चूंकि फल उत्पादकों को वित्तपोषण करने और कृपुविनि से वाणिज्य-बैंकों को उपलब्ध मार्जिन के संबंध में उलझनें पैदा हो गई है। यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजा गया है।

17. (क) कर्नाटक कृषि साख परियोजना (278 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—754 लाख डालर, जिसमें से अंविसंघ की 400 लाख डालर की सहायता—निगम के माध्यम से।

(ग) लघु सिंचाई के लिये निवेश, भूमि सुधार कार्य, ट्रैक्टरों और भूमि सुधार उपकरणों की खरीद।

(घ) कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 5 वर्ष—परियोजना जून 1977 में पूरी हो गई।

(च) लघु सिंचाई तथा भूमि समतल करने के कार्यों के अलावा इस परियोजना के अधीन 2900 ट्रैक्टर प्राप्त किये गये। परियोजना समाप्ति रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

18. (क) कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना (378 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत–120 लाख डालर–अंविसंघ की सहायता 80 लाख डालर, जिसमें 79 लाख डालर की सहायता कृपुविनि के माध्यम से।

(ग) विपणन की सुविधाओं में नागरी कार्य, उपयोगिता उपकरण आदि शामिल हैं।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 दिसम्बर 1979 से जून 1981 तक बढ़ा दी गई।

(च) कर्नाटक में परियोजना के अंतर्गत मल रूप से चने हुए 39 बाजार केन्द्रों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के अंतर्गत जून 1980 के अन्त तक कुल 5.5 करोड़ रुपये वितरित किये गये। इस परियोजना के अन्तर्गत पांच और बाजार केन्द्र सम्मिलित किये गये हैं। यह आवंटित ऋण का पूर्ण उपयोग करने के लिये आवश्यक होगा।

19. (क) कर्नाटक डेरी विकास परियोजना (482 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—637 लाख डालर—अंविसंघ की सहायता—300 लाख डालर, जिसमें से मूल 209 लाख डालर और संशोधित 61 लाख डालर, कृपुविनि के माध्यम से।

(ग) कर्नाटक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संस्करण के द्वारा अच्छी नस्ल के पशु पैदा करने तथा पशुओं के स्वास्थ्य को सुधारने के लिये तकनीकी सेवायें उपलब्ध करवाकर, दूध के उत्पादन को बढ़ाने तथा उसके विपणन के लिये समन्वित कार्यक्रम।

(घ) कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 8 वर्ष—समाप्ति की तारीख—30 सितम्बर 1982।

(च) इस परियोजना के अन्तर्गत कृपुविनि की पुनर्वित्त सहायता से केवल संकर गायों के कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाने हैं। मार्च 1980 के अन्त तक 986 डेरी सहकारी समितियां पंजीकृत हुई और 566 समितियां अभी और पंजीकृत होनी हैं। यह ज्ञात हुआ है कि कर्नाटक डेरी विकास निगम संकर गायों के न मिलने के कारण खेत विकास कार्यक्रम में उत्सुक नहीं है। मार्च 1980 के अन्त तक कुल 7 लाख रुपये वितरित किये गये।

20. (क) कर्नाटक सिंचाई परियोजना (788 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—2844 लाख डालर—अंविसंघ की सहायता—1260 लाख डालर, जिसमें से 70 लाख डालर कृपुविनि के माध्यम से।

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत अलमट्टी तथा नारायणपुर बांधों तथा नारायणपुर के बायें किनारे की नहर और साथ ही उप नहर के निर्माण तथा 4,25,000 हेक्टेयर के कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र के लिये वित्त प्रदान किया जाएगा।

(घ) कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष—समाप्ति की तारीख-31 मार्च 1984।

(च) चूंकि कर्नाटक कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट एक्ट, 1980 कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेंसियों को वैधानिक निकाय बनाते हुए पारित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने भी 5 कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेंसियों का गठन कर लिया है और इन प्राधिकरणों में अपने सदस्यों को नामित कर दिया गया है।

21. (क) केरल कृषि विकास परियोजना (680 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—690 लाख डालर—अंविसंघ की सहायता 300 लाख डालर—कृपुवित्ति के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता—267 लाख डालर।

(ग) इस परियोजना में नारियल, काली मिर्च और काजू की फसलों का विकास करना तथा क्रम्ब रबड़ फैक्टरी स्थापित करना आदि शामिल है। कृषक लघु सिंचाई निवेशों के लिये ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(घ) केरल राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 7 वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 मार्च 1985।

(च) नारियल पुनः लगाने के सम्बन्ध में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। कृपुवित्ति ने नारियल और काली मिर्च के विकास की 99 योजनायें मंजूर कीं और इनमें कृपुवित्ति के वायदे 3100 लाख रुपये के हैं। क्रम्ब रबड़ फैक्ट्री के लिये प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन हैं। जिस अंविसंघ पर्यवेक्षण मिशन ने 1979 में राज्य का दौरा किया था, उसका विचार है कि परियोजना घटकों में अधिकांश संशोधन किया जाना जरूरी होगा। इकाई का क्षेत्र 500 हक्टेयर से बढ़ाकर 2000 हक्टेयर किया जाना है। इसके अतिरिक्त इकाइयों का विलयन, इकाइयों की संख्या में वृद्धि जिन नये क्षेत्रों/जिलों पर पहले विचार नहीं हुआ, उन जिलों में कार्यक्रम का विस्तार, नए बैंकों को खोलना जैसे अन्य कदम भी उठाने हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा ठोस प्रस्ताव अभी बनाये जाने हैं।

22. (क) मध्य प्रदेश कृषि साख परियोजना (391 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—603 लाख डालर—अंविसंघ की सहायता—332 लाख डालर कृपुवित्ति के माध्यम से।

(ग) लघु सिंचाई निवेश तथा भूमि को समतल बनाना।

(घ) राज्य भूमि विकास बैंक तथा चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 3 वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 दिसम्बर 1976।

(च) दिसम्बर 1976 के अंत तक कार्यक्रम पूर्णतः कार्यान्वित किया गया। परियोजना समाप्ति की रिपोर्ट तैयार कर अंविसंघ को भेज दी गई।

23. (क) मध्य प्रदेश डेरी विकास परियोजना (522 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—312 लाख डालर—अंविसंघ की सहायता—164 लाख डालर, जिसमें से 137 लाख डालर कृपुवित्ति के माध्यम से।

(ग) डेरी संयंत्रों, पशुपालन फार्मों, चारे की मिलों आदि का निर्माण।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 7 वर्ष—समाप्ति की तारीख—30 जून 1982।

(च) इस परियोजना के अंतर्गत भारतीय डेरी विकास निगम के माध्यम से ऋण वितरित किया जाना है।

24. (क) मध्य प्रदेश चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना (562 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—458 लाख डालर—अंविसंघ की सहायता 240 लाख डालर, जिसमें से 31 लाख डालर की सहायता कृपुवित्ति के माध्यम से।

(ग) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में खेतों का विकास।

(घ) मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक तथा चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 4 वर्ष—समाप्ति की तारीख—30 जून 1981 तक बढ़ा दी गई है।

(च) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में कृपुवित्ति ने 58 योजनायें मंजूर की हैं। वाणिज्य बैंकों ने कृपुवित्ति से 0.2 लाख रुपये का अन्तरिम बिल प्राप्त किया है। फसल क्षतिपूर्ति की अपर्याप्तता, विस्तार कार्य की कमी, पर्याप्त मशीनरी का अभाव, सहकारी समितियों पर अधिक अतिदेय धीमी प्रगति के कारण बताये गये हैं।

25. (क) महाराष्ट्र कृषि साख परियोजना (293 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—503 लाख डालर—अंविसंघ की सहायता—300 लाख डालर, जिसमें से 281 लाख डालर की सहायता कृपुवित्ति के माध्यम से।

(ग) लघु सिंचाई कार्यक्रम तथा भूमि को समतल बनाने के लिये निवेश।

(घ) महाराष्ट्र राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 4 वर्ष—परियोजना की अवधि जून 1976 तक बढ़ा दी गई थी।

(च) परियोजना 1975-76 में पूर्ण हो गई। परियोजना समाप्ति रिपोर्ट कृपुवित्ति की सहायता से अंविसंघ द्वारा तैयार की गई थी।

26. (क) महाराष्ट्र सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना (836 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—1400 लाख डालर—अंविसंघ की सहायता—700 लाख डालर, जिसमें से 55 लाख डालर की सहायता कृपुवित्ति के माध्यम से खेत विकास के लिये।

(ग) जायकवाड़ी और पूर्णा सिंचाई योजना क्षेत्रों में खेतों का विकास।

(घ) महाराष्ट्र राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 मार्च 1983।

(च) महाराष्ट्र सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना में कार्यप्रणाली व्यवस्थित कर दी गई है और वित्त-पोषक संस्थाओं ने 97 लाख रुपये का अन्तरिम वित्त जारी कर दिया है। सभी समस्यायें, जिनकी वजह से प्रगति रुक गई थी, अब दूर कर दी गई है और यह विश्वास किया जाता कि वितरण कार्य में तेजी आएगी।

27. (क) राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण I (1273 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—527 लाख डालर—अंपुवि बैंक की सहायता—250 लाख डालर, जिसमें से 182 लाख डालर कृपुवित्ति के माध्यम से।

(ग) यह परियोजना 4 राज्यों में राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के विकास का पहला चरण है।

(घ) 5 वर्ष—समाप्ति की तारीख—30 जून 1981।

(ङ) राष्ट्रीय बीज परियोजना I के अंतर्गत क्रमशः पंजाब और हरियाणा प्रत्येक में एक योजना स्वीकार की गई। कृपुवित्ति ने 1.1 करोड़ रुपये का वायदा किया और निगम ने 29 लाख रुपये की पुनर्वित्त सहायता अब तक जारी कर दी है। हरियाणा के राज्य बीज निगम ने एक अभिसंस्करण इकाई लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव को बैंक द्वारा

अभी प्रायोजित किया जाना है। महाराष्ट्र में एक वाणिज्य बैंक के समतुल्य परियोजना कृपुविनि के विचाराधीन है। महाराष्ट्र के अकोला और राहुरी में कृषि विश्वविद्यालय और आन्ध्र प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय के प्रस्ताव वित्तपोषक बैंकों द्वारा अभी प्रायोजित किये जाने हैं।

28. (क) राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण II (816 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—348 लाख डालर—अंविसंघ की 145 लाख डालर की सहायता कृपुविनि के माध्यम से।

(ग) राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत पांच राज्य अर्थात् बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आएंगे। इनमें अनाज, मूंगफली और सब्जियों के बीजों के उत्तम किस्म के उत्पादन पर मुख्यतः ध्यान दिया जाएगा। बीजों के उत्पादन में लगभग 125 लाख टन की वृद्धि होगी।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 दिसम्बर 1984।

(च) बिहार के राज्य बीज निगम के लिये एक परियोजना कृपुविनि द्वारा अनुमोदित है। अन्य राज्यों से अभी प्रस्ताव प्राप्त होने हैं।

29. (क) उड़ीसा सिंचाई परियोजना (740 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—1160 लाख डालर—अंविसंघ की सहायता 580 लाख डालर, जिसमें से 24 लाख डालर की सहायता कृपुविनि के माध्यम से।

(ग) हीराकुड, सलांदी और महानदी सिंचाई पद्धति के कमाण्ड क्षेत्र की 57000 हेक्टेयर भूमि में खेतों का विकास।

(घ) राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 अक्तूबर 1983।

(च) राज्य सरकार उड़ीसा सिंचाई परियोजना में सरकारी लागत से भूमिगत जल नालियां और खेत में नाली बनाने के कार्य पर और प्रभारों को किसानों से वसूल करने के बारे में सोच रही थी, इसका मतलब होगा कि साख संस्थाओं को इसमें कोई हिस्सा नहीं लेना है। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

30. (क) पंजाब कृषि साख परियोजना (203 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—400 लाख डालर—कृपुविनि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंविसंघ की सहायता—275 लाख डालर।

(ग) कृषि मशीनीकरण के उपकरण।

(घ) पंजाब राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 2 वर्ष—परियोजना की अवधि को समय-समय पर बढ़ाकर, उसे जून 1977 के अंत तक बढ़ाया गया।

(च) परियोजना जून 1977 के अंत तक पूरी तरह से कार्यान्वित की गई। परियोजना के अन्तर्गत 7827 ट्रैक्टरों के लिये वित्त प्रदान किया गया, जिसमें से 4051 देशी और 3776 आयातित ट्रैक्टर थे।

31. (क) पंजाब सिंचाई परियोजना (889 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—2575 लाख डालर—अंविसंघ की सहायता—1290 लाख डालर, इसमें 460 लाख डालर कृपुविनि के माध्यम से।

(ग) जलनालियों का आधुनिकीकरण।

(घ) वाणिज्य बैंक।

(ङ) 5 वर्ष—समाप्ति की तारीख—30 जून 1985।

(च) परियोजना में कृपुविनि ने जून 1980 के अंत तक 5.5 करोड़ रुपये वितरित किये हैं।

32. (क) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना—राजस्थान (101 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत (कृपुविनि कार्यक्रम)—120 लाख डालर-कृपुविनि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंपुवि बैंक की सहायता—65 लाख डालर।

(ग) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में खेतों का विकास।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 7 वर्ष—समाप्ति की तारीख—30 जून 1981।

(च) राजस्थान में चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में कृपुविनि ने जून 1980 के अंत तक कुल 70 लाख रुपये वितरित किये हैं।

33. (क) राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना (आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—398 लाख डालर—कृपुविनि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंविसंघ की सहायता 225 लाख डालर।

(ग) राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र में खेतों का विकास।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 7 वर्ष—समाप्ति की तारीख—30 जून 1981।

(च) राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में कृपुविनि ने जून 1980 तक 1201 चकों में संबंध में प्राक्कलित लागत की मंजूरी दी। राजस्थान भूमि विकास निगम ने 1008 चकों के संबंध में वित्तीय स्वीकृति दी। निर्माण के लिये आवश्यक सामान जैसे सीमेंट और कोयले की अनुपलब्धता के कारण विकास की प्रगति मंद रही। राज्य सरकार द्वारा पात्र कृषकों को जमीन बांटी जानी है। भूमि हस्तांतरण अधिकार के संबंध में कानूनी और प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के कारण भी प्रगति धीमी रही है। इस परियोजना के अंतर्गत कृपुविनि ने जून 1980 के अंत तक 6.2 करोड़ रुपये वितरित किये हैं।

34. (क) राजस्थान डेरी विकास परियोजना (521 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—518 लाख डालर—अंविसंघ की सहायता 277 लाख डालर, जिसमें से भूल आवंटन के अनुसार 223 लाख डालर की सहायता कृपुविनि के माध्यम से।

(ग) डेरी सहकारी समितियां बनाना और डेरी संयंत्र स्थापित करना।

(घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 7 वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 दिसम्बर 1982।

(च) परियोजना के अधीन ऋण घटक का वितरण भारतीय डेरी निगम के माध्यम से और कृपुविनि से पुनर्वित्त अपेक्षित नहीं है।

35. (क) तमिलनाडु कृषि साख परियोजना (250 आई० एन०)।

(ख) परियोजना की लागत—623 लाख डालर—अंविसंघ की सहायता—350 लाख डालर, जिसमें से 310 लाख डालर निगम के माध्यम से।

(ग) लघु सिंचाई के लिये निवेश, भूमि का समतलीकरण और ट्रैक्टरों की खरीद।

(घ) तमिलनाडु राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

(ङ) 6 वर्ष—परियोजना—समाप्ति की तारीख को 31 दिसम्बर 1977 तक बढ़ा दिया गया था।

(च) वर्ष 1976-77 तक परियोजना पूरी तरह कार्यान्वित की गयी। परियोजना के अन्तर्गत 1627 ट्रैक्टर प्राप्त किये गये।

परियोजना समाप्ति की रिपोर्ट कृपुविनि की सहायता से अंविसंघ द्वारा तैयार की गई है।

36. (क) तराई बीज परियोजना—उत्तर प्रदेश (614 आई० एन०)।
(ख) परियोजना की लागत—224 लाख डालर—अंपुवि बैंक की सहायता—130 लाख डालर, जिसमें से 90 लाख डालर कृपुविनि के माध्यम से।
(ग) खाद्यान्नों की अधिक उपजाऊ किस्मों की अधिक मात्रा में उपलब्ध करवा कर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भूमि विकास।
(घ) भारतीय स्टेट बैंक।
(ङ) 8 वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 दिसम्बर 1977 तक बढ़ा दी गई थी।
(च) परियोजना को समाप्त समझा गया है।

37. (क) उत्तर प्रदेश कृषि साख परियोजना (392 आई० एन०)।
(ख) परियोजना की लागत-725 लाख डालर कृपुविनि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंविसंघ की सहायता 380 लाख डालर।
(ग) लघु सिंचाई के लिये निवेश।
(घ) राज्य भूमि विकास बैंक।
(ङ) 4 वर्ष—समाप्ति की तारीख-जून 1977 तक बढ़ा दी गई थी।
(च) यह परियोजना दिसम्बर 1977 तक पूर्ण हो गई।

38. (क) पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना (541 आई० एन०)।
(ख) परियोजना की लागत-599 लाख डालर—अंविसंघ की सहायता 340 लाख डालर, जिसमें से 150 लाख डालर कृपुविनि के माध्यम से।
(ग) उथले नलकूपों का निर्माण और नयी लिफ्ट सिंचाई इकाइयों और कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा बाजार विकास।
(घ) पश्चिम बंगाल राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।
(ङ) 5 वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 मार्च 1980 से मार्च 1981 तक बढ़ाई गई।
(च) पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना में कृपुविनि ने जून 1980 के अन्त तक 21.0 करोड़ रुपये वितरित किये हैं। उथले नलकूपों के कार्यक्रम को राज्यभर में लागू कर दिया गया है और इसकी प्रगति संतोषजनक है। कृषि सेवा केन्द्रों की संख्या कम करके 200 से 100 कर दी गई है। परियोजना के 3 बाजार केन्द्रों में से एक पूर्ण हो गया है। गहरे नलकूप कार्यक्रम के संबंध में लघु सिंचाई निगम की प्रतिक्रिया अच्छी रही, लेकिन किसानों का उत्साह कम रहा। गहरे नलकूपों को किसानों के दलों से लघु सिंचाई निगम में अन्तरित करने की प्रार्थना को लघु सिंचाई निगम की संगठनात्मक अपर्याप्तता और उनकी परिस्थितियों का सामना करने की अक्षमता के कारण अंविसंघ ने आस्थगित कर दिया है।

39. बहु-राज्यीय काजू परियोजना।+

40. कर्नाटक रेशम उत्पादन परियोजना।+
+इन दोनों परियोजनाओं के बारे में हाल ही में बातचीत हुई है।

41. सूखाग्रस्त क्षेत्र परियोजना : सूखाग्रस्त क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान के छः जिले आते हैं। इस परियोजना के अधीन आने वाले, जिलों में समन्वित विकास होगा, जिसमें लघु सिंचाई, भेड़ और डेरी विकास, बागवानी, मत्स्यपालन, रेशम उत्पादन आदि शामिल है। कृपुविनि की तीसरी साख परियोजना के अंतर्गत निगम द्वारा बैंक ऋणों पर पुनर्वित्त प्रदान किया जा रहा है।

विवरण 12

30 जून 1980 को अंपुवि बैंक/अंतराष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाओं की स्थिति

लाख रुपए

परियोजना	लागू/समाप्त होने का दिनांक	प्रयोजन	कुल ऋण वितरण कार्यक्रम	कृपुविनि को अंपुवि बैंक अंविसंघ से ग्राह्य राशि एजेंसी	प्राभूवि बैंकों/प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा वितरित राशि@	कृपुविनि द्वारा वितरित राशि	भारत सरकार से प्राप्त राशि*
1	2	3	4	5	6	7	8
क. अंपुवि बैंक की परियोजना							
1. तराई बीज परियोजना (उत्तर प्रदेश)	(क) 12-9-69 (ख) 30-6-74 (ग) 31-12-77	भूवि	927	690 वा बैंक	263	193	193
2. चंबल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना (राजस्थान)	(क) 12-12-74 (ख) 30-6-81	भूवि	619	520 वा बैंक	89	70	20
3. राष्ट्रीय बीज परियोजना (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र)	(क) अक्तूबर 76 (ख) 30-6-81	भूवि	2169	1634 वा बैंक	.33	29	–

*अन्य दानियों के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त राशि शामिल नहीं है।

जारी

विवरण 12 (जारी)

30 जून 1980 को अंपुवि बैंक/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनाओं की स्थिति

लाख रुपए

परियोजना	लागू/समाप्त होने का दिनांक	प्रयोजन	कुल ऋण वितरण कार्यक्रम	कृपुविनि को अंपुवि बैंक/ अंविसंघ से प्राप्त राशि	एजेंसी	प्राभूवि बैंकों/ प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा वितरित राशि@	कृपुविनि द्वारा वितरित राशि	भारत सरकार से प्राप्त राशि*
4. आंध्र प्रदेश सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना	(क) 8-9-76	भूवि	1241	819	राभूवि बैंक	235	176	103
	(ख) 31-12-82		60	45	या बैंक	32	22	
	जोड़ (क)		5016	3708		652	490	316
ख. अंविसंघ की परियोजनाएं								
I. कृपुविनि साख परियोजना I	(क) 5-8-75	लसि	11100	5520	राभूवि बैंक	13816	9490	23064
	(ख) 31-12-77	अन्य प्रयोजन	900	400	या बैंक		2787	
					रास बैंक		18	
			12000	5920		13816	12295	
II. कृपुविनि साख परियोजना II	(ख) 31-12-79	लसि	28636	15750	राभूवि बैंक	36329	19717	
		अन्य प्रयोजन	3927	2160	या बैंक		11177	
					रास बैंक		360	
			32563	17910		36329	31254£	23064
III. कृपुविनि साख परियोजना III	(क) 2-1-80	लसि	35638	17819	राभूवि बैंक	13519	6422	2235
	(ख) 31-12-81	अन्य प्रयोजन	7138	3569	या बैंक		5707	
					रास बैंक		286	
			42776	21388		13519	12415	2235
IV. समन्वित रूई विकास परियोजना	(क) 24-8-76	रूई के लिए	889	600	या बैंक	89	82	
	(ख) 31-12-81	अल्पावधि			रास बैंक	465	423	321
		फसल ऋण				112	102$	
		रूई की ओटाई और बीज अभिसंस्करण	720	432	या बैंक	29	26	
			1609	1032		695	633**	321
V. कृषि साख परियोजनाएं								
1. आंध्र प्रदेश	(क) 10-5-71	लसि	2111	1393	राभूवि बैंक	2014	1776	1920
	(ख) 30-6-74							
	(ग) 30-6-77				या बैंक	97	88	
		भूवि	230	154	राभूवि बैंक	230	151	
		कुम	806	431	—वही—	603	359	
					या बैंक	203	149	
			3147	1978		3147	2523	1920
2. बिहार	(क) 29-3-74	लसि	4473	2728	राभवि बैंक	2267	2123	2570
	(ख) 31-12-77				या बैंक	2391	22225	
	(ग) 31-3-80							
			4473	2728		4658	4348	2570

£कृपुविनि III में अंतरित भी शामिल है।

**गत वर्ष के समन्वित रूई विकास परियोजना के अन्तर्गत किया गया वितरण शामिल नहीं है

$दीर्घावधि

जारी

विवरण 12 (जारी)

30 जून 1980 को अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाओं की स्थिति

लाख रुपए

परियोजना	लागू/समाप्त होने का दिनांक	प्रयोजन	कुल ऋण वितरण कार्यक्रम	कृपुविनि को अंपुवि बैंक/ अविसंघ से ग्राह्य राशि	एजेंसी	प्राभूवि बैंकों/ सहकारी वाणिज्य बैंकों द्वारा वितरित राशि@	कृपुविनि द्वारा वितरित	भारत सरकार से प्राप्त राशि राशि*
3. गुजरात	(क) 14-9-70	लसि	4027	2344	राभूवि बैंक	4027	3635	2608
	(ख) 30-6-74							
	(ग) 31-3-75	कृम	351	182	—वही—	319	233	
			4378	2526		4346	3868	2608
4. हरियाणा	(क) 2-11-71	लसि	1962	903	राभूवि बैंक	2841	1894	2140
	(ख) 31-3-75				वा बैंक	76	64	
	(ग) 30-6-77	कृम	1433	1002	राभूवि बैंक	660	468	
					वा बैंक	1060	792	
			3395	1905		4637	3218	2140
5. कर्नाटक	(क) 25-9-72	लघु सिंचाई	3070	2057	राभूवि बैंक	3122	2795	3265
	(ख) 31-12-75	और कुओं की खुदाई			वा बैंक	187	128	
	(ग) 30-6-77	भूवि	525	315	राभूवि बैंक	256	185	
		भूउ उपकरण	105	105	वा बैंक	4	3	
		कृम	1575	1008	राभूवि बैंक	680	450	
					वा बैंक	960	777	
			5275	3485		5209	4338	3265
6. केरल	(क) 29-6-77	वृक्ष फसलें,	5060	2403	राभूवि बैंक	148	69	—
	(ख) 31-3-85	रबाड़ अभिसंस्करण और लसि			वा बैंक	253	116	
			5060	2403		401	185	—
7. मध्य प्रदेश	(क) 10-10-73	लसि (भूवि सहित)	4003	2619	राभूवि बैंक	2930	2532	2854
	(ख) 31-12-76				वा बैंक	2112	1866	
			4003	2619		5042	4398	2854
8. महाराष्ट्र	(क) 31-1-73	लसि	3690	3136	राभूवि बैंक	3475	3140	2558
	(ख) 31-12-75				वा बैंक	187	178	
	(ग) 30-6-76	भूवि	226	192	राभूवि बैंक	226	170	
		कृम	211	148	राभूवि बैंक	190	143	
			4127	3476		4078	3631	2558
9. पंजाब	(क) 4-9-70	कृम	4000	2380	राभूवि बैंक	1000	750	2180
	(ख) 31-12-73				वा० बैंक	2228	1684	
	(ग) 30-6-77							
			4000	2380		3228	2434	2180

जारी

विवरण 12 (जारी)

30 जून 1980 को अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाओं की स्थिति

लाख रुपए

परियोजना	लागू/समाप्त होने का दिनांक	प्रयोजन	कुल ऋण वितरण कार्यक्रम	कृपुविनि को अंपुवि बैंक/अंविसंघ से प्राप्त राशि	एजेंसी	प्राभूवि बैंकों सहकारी वाणिज्य बैंकों द्वारा वितरित राशि @	कृपुविनि द्वारा वितरित राशि	भारत सरकार से प्राप्त @राशि*
10. तमिलनाडु	(क) 2-11-71	लसिं	3001	1861	राभूवि बैंक	3001	2781	2526
	(क) 31-12-74	भूवि	88	61	राभूवि बैंक	88	66	
	(ग) 31-12-77	कृम	780	492	राभूवि बैंक	834	625	
					वा बैंक	29	22	
		मिट्टी ढोने की मशीनें	243	243	वा० बैंक	46	35	
			4112	2657		3998	3529	2526
11. उत्तर प्रदेश	(क) 31-10-73	लसिं	5516	3420	राभूवि बैंक	4277	3849	3406
	(ख) 31-12-76	-	-		वा बैंक	1492	1152	
	(ग) 31-12-77							
			5516	3420		5769	5001	3406
12. पश्चिम बंगाल	(क) 28-8-75	लमि	2696	1483	राभूवि बैंक	1061	965	1093
	(ख) 31-3-80				वा० बैंक	1262	1102	
	(ग) 31-3-81	कृम	145	80	वा बैंक	11	10	
		भण्डारण	87	48	—वही—	31	27	
			2928	1611		2365	2104	1093
जोड़ (1 से 12)			50414	31188		46878	39577	27120
VI. अन्य परियोजनाएं								
1. बिहार बाजार केन्द्र परियोजना	(क) 31-7-72 (ख) 30-6-78 (ग) 31-12-79		1491	1002	वा० बैंक	1753	1577	1035
2. चंबल कमाण्ड क्षेत्र विकास विकास परियोजना (मध्य प्रदेश)	(क) 18-9-75 (ख) 31-12-79 (ग) 30-6-81		246	156	राभूवि बैंक	—	—	—
					वा बैंक	—	—	—
3. हिमाचल प्रदेश सेब अभि-संस्करण और विपणन परियोजना	(क) 26-9-74 (ख) 31-12-78, (ग) 31-12-80		-608	488	वा० बैंक	226	204	—
4. कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना	(क) 7-9-73 (ख) 31-12-79 (ग) 30-6-81		891	713	वा० बैंक	605	551	425
5. कर्नाटक डेरी विकास परियोजना	(क) 23-12-74 (ख) 30-9-82		542	488	राभूवि बैंक	—	—	—
					वा० बैंक	8	7	—
					रास बैंक	—	—	—
6. मध्य प्रदेश डेरी विकास परियोजना	(क) 23-7-75 (ख) 30-6-82		1389	1091	वा० बैंक	—	—	—
7. पंजाब सिंचाई परियोजना	(क) जून 1979 (ख) 30-6-85		6691	3680	वा० बैंक	659	546	—
8. राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना	(क) 12-12-74 (ख) 30-6-81		2395	1800	वा० बैंक	775	618	411
9. राजस्थान डेरी विकास परियोजना	(क) 8-8-75 (ख) 31-12-82		2175	1784	वा० बैंक	—	—	—

जारी

विवरण 12 (जारी)

30 जून 1980 को अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाओं की स्थिति

लाख रुपए

परियोजना	लागू/समाप्त होने का दिनांक	प्रयोजन	कुल ऋण वितरण कार्यक्रम	कृषिवित्त को अंपुवि बैंक/ अंविसंघ से प्राप्त राशि	एजेंसी	प्राभूवि बैंकों/ सहकारी वाणिज्य बैंकों/ द्वारा वितरित राशि@	कृषिवित्त द्वारा वितरित राशि	भारत सरकार से प्राप्त राशि*
10. गुजरात मत्स्यपालन परियोजना	(क) 19-7-77 (ख) 30-6-83		810	423	वा० बैंक	159	127	–
11. महाराष्ट्र सिंचाई और कमांड क्षेत्र विकास संयुक्त परियोजना	(क) अप्रैल 1977 (ख) 31-3-83		825	495	राभूवि बैंक वा० बैंक	– 97	– 69	– –
12. उड़ीसा सिंचाई परियोजना	(क) नवम्बर 77 (ख) 31-10-83		393	216	वा० बैंक	–	–	–
13. कर्नाटक सिंचाई परियोजना	(क) अप्रैल 1978 (ख) 31-3-84		1082	595	राभूवि बैंक वा० बैंक	– –	– –	– –
14. जम्मू और कश्मीर बागबानी परियोजना	(क) जनवरी 79 (ख) 31-12-83		822	768	वा० बैंक राम बैंक	– –	– –	– –
15. राष्ट्रीय बीज परियोजना-II	(क) जनवरी 79 (ख) 31-12-84		2003	1267	वा० बैंक	–	–	–
16. आन्ध्र प्रदेश मत्स्यपालन परियोजना	(क) अक्तूबर 79 (ख) 30-9-84		609	335	राभूवि बैंक वा० बैंक	– 26	– 21	– –
17. हरियाणा सिंचाई परियोजना	(क) दिसम्बर 78 (ख) 31-8-83		6473	3560	राभूवि बैंक वा० बैंक राम बैंक	– 856 17	– 778 15	– – –
18. अन्तर्देशीय मत्स्य-पालन परियोजना (बिहार, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश)	(क) 5-5-80 (ख) 30-9-83		1449	797	राभूवि बैंक वा बैंक	–	–	– –
जोड़ VI (1 से 18)			30894	19658		5181	4513	1871
+								
जोड़ ख			170256	97096		116418	100182+	54611
+								
सकल जोड़ (क+ख)			175272	100804		117070	100672+	54927

@उपलब्ध उद्यतन आंकड़े

+समन्वित कई विकास परियोजना में अब शामिल नहीं है।

सूचना : लागू/समाप्ति दिनांक

(क) लागू दिनांक,

(ख) समाप्ति दिनांक

(ग) परिशोधित समाप्ति दिनांक

विवरण 13

1979–80 के दौरान राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गए डिबेंचरों/ऋण की कुल राशि	कृषिवित्त द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/ वितरित ऋण	राज्य सरकारों/ बैंकों का अंशदान
I. उत्तरी क्षेत्र					
दिल्ली	वा बैंक	कृषि मशीनीकरण	1	1	–
		मुर्गी पालन	2	1	1
		डेरी विकास	12	12	–
			15	14	1

जारी

विवरण 13 (जारी)

1979–80 के दौरान राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गए डिबेंचरों /ऋण की कुल राशि	कृषुवित्त द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/ वितरित ऋण	राज्य सरकारों/ बैंकों का अंशदान
हरियाणा	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	696	626	70
		भूमि विकास	27	22	5
		कृषि मशीनीकरण	848	637	211
		बागान/बागवानी	13	10	3
		डेरी विकास	52	47	5
	वा बैंक	लघु सिंचाई	1148	938	210
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	66	33	33
		भूमि विकास	13	9	4
		कृषि मशीनीकरण	1065	799	266
		मुर्गीपालन	31	28	3
		डेरी विकास	19	17	2
		भंडार और बाजार केन्द्र	300	240	60
		अन्य	4	3	1
		समन्वित रूई विकास परियोजना (अ० अ०)	59	47	12
	रास बैंक	भंडार और बाजार केन्द्र	19	15	4
		समन्वित रूई विकास परियोजना (वी० अ०)	179	102	77
		समन्वित रूई विकास परियोजना (अ०अ०)	450	373	7
			4989	3946	1043
हिमाचल प्रदेश	जराभूवि बैंक	लघु सिंचाई	1	1	—
		बागान/बागवानी	4	3	1
	वा बैंक	बागान/बागवानी	183	177	6
		डेरी विकास	4	4	—
			192	185	7
जम्मू और कश्मीर	राभूवि बैंक	कृषि मशीनीकरण	9	7	2
	वा बैंक	कृषि मशीनीकरण	1	1	—
		बागान/बागवानी	1	1	—
		डेरी विकास	4	3	1
			15	12	3
पंजाब	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	225	202	23
		भूमि विकास	82	69	13
		कृषि मशीनीकरण	1154	862	292
	वा बैंक	लघु सिंचाई	954	789	165
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	232	116	116
		भूमि विकास	22	17	5
		कृषि मशीनीकरण	3139	2346	793
		कृषि सेवा केन्द्र	55	40	15
		बागान/बागवानी	1	1	—
		मुर्गीपालन	43	33	10
		डेरी विकास	58	49	9
		भंडार और बाजार केन्द्र	541	416	125
		अन्य	1	1	—
		समन्वित रूई विकास परियोजना (अ०अ०)	36	27	9
	रास बैंक	समन्वित रूई विकास परियोजना (अ०अ०)	55	50	5
			6598	5018	1580

जारी

विवरण 13 (जारी)

1979–80 के दौरान राज्य एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेंचरों/ऋण की कुल राशि	कृषिविनि द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/ वितरित ऋण	राज्य सरकारों/ बैंकों का अंशदान
राजस्थान	राभूबि बैंक	लघु सिंचाई	657	592	65
		भूमि विकास	10	8	2
		कृषि मशीनीकरण	119	90	29
		बागान/बागवानी	8	7	1
	वा बैंक	लघु सिंचाई/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	501	427	74
		कमाण्ड क्षेत्र विकास	296	237	59
		कृषि मशीनीकरण	129	97	32
		मुर्गीपालन	1	1	–
		भेड़पालन	72	65	7
		डेरी विकास	53	44	9
		भंडार और बाजार केन्द्र	154	123	31
		अन्य	13	11	2
		संयुक्त प्रयोजन	19	16	3
	रास बैंक	संयुक्त प्रयोजन	107	97	10
			2139	1815	324
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र					
असम	वा बैंक	लघु सिंचाई	15	12	3
		कृषि मशीनीकरण	1	1	–
		बागान/बागवानी	303	269	34
		भंडार और बाजार केन्द्र	3	12	1
		मत्स्यपालन	1	1	–
		अन्य	1	1	–
			324	286	38
मणिपुर	रास बैंक	कृषि मशीनीकरण	6	5	1
		बागान/बागवानी	4	3	1
		मत्स्यपालन	3	2	1
			13	10	3
त्रिपुरा	वा बैंक	लघु सिंचाई	7	3	4
		बागान/बागवानी	2	2	–
		मत्स्यपालन	7	3	4
		अन्य	4	3	1
			20	11	9
III. पूर्वी क्षेत्र					
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	वा बैंक	बागान/बागवानी	1	1	–
बिहार	राभूबि बैंक	लघु सिंचाई	393	354	39
		बागान/बागवानी	4	3	1
		मत्स्यपालन	4	3	1
	वा बैंक	लघु सिंचाई	1470	1323	147
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	272	136	136
		कृषि मशीनीकरण	545	491	54
		मुर्गीपालन	1	1	–

जारी

विवरण 13 (जारी)

1979–80 के दौरान राज्य एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेंचरों/ऋण की कुल राशि	कृषिवित्त द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/ वितरित ऋण	राज्य बैंकों/ सरकारों/ का अंशदान
		डेरी विकास	25	22	3
		मत्स्यपालन	1	1	–
		भंडार और बाजार केन्द्र	116	104	12
		संयुक्त प्रयोजन	33	30	3
			2864	2468	396
उड़ीसा	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	433	389	44
		भूमि विकास	3	2	1
		कृषि मशीनीकरण	18	14	4
		बागान/बागवानी	60	53	7
		मत्स्यपालन	20	18	2
		अन्य	6	4	2
	वा बैंक	लघु सिंचाई/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	480	431	49
		भूमि विकास	2	1	1
		कृषि मशीनीकरण	22	20	2
		सुअर पालन	3	2	1
		मत्स्यपालन	80	73	7
		डेरी विकास	40	36	4
	सास बैंक	लघु सिंचाई	295	268	27
		मत्स्यपालन	5	4	1
			1467	1315	152
पश्चिम बंगाल	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	375	338	37
		कृषि मशीनीकरण	49	44	5
		बागान/बागवानी	48	43	5
		मत्स्यपालन	14	13	1
	वा बैंक	लघु सिंचाई	226	198	28
		कृषि मशीनीकरण	42	36	6
		बागान/बागवानी	250	227	23
		मुर्गीपालन	1	1	–
		डेरी विकास	16	14	2
		भंडार और बाजार केन्द्र	82	67	15
			1103	981	122
IV. मध्यवर्ती क्षेत्र					
मध्य प्रदेश	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	1274	1146	128
		भूमि विकास	48	37	11
		कृषि मशीनीकरण	2	1	1
	वा बैंक	लघु सिंचाई	2044	2007	37
		ग्रमीण विद्युतीकरण निगम	262	131	131
		भूमि विकास	52	41	11
		कृषि मशीनीकरण	221	166	55
		मुर्गीपालन	2	2	–
		डेरी विकास	5	4	1
		भंडार और बाजार केन्द्र	7	6	1

जारी

विवरण 13 (जारी)

1979–80 के दौरान राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेंचरों/ऋण की कुल राशि	कृषकों द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/ वितरित ऋण	राज्य सरकारों/ बैंकों का अंशदान
		वन	113	91	22
		गोबर गैस संयंत्र	21	15	6
			4051	3647	404
उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय बैंक	लघु सिंचाई	3183	2865	318
	क्षे. बैंक	लघु सिंचाई	803	629	174
		कृषि मशीनीकरण	2528	1822	706
		मुर्गीपालन	4	2	2
		भेड़पालन	4	2	2
		मत्स्यपालन	6	3	3
		डेरी विकास	124	92	32
		भंडार और बाजार केन्द्र	233	182	51
		गोबर गैस संयंत्र	6	5	1
		समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना	55	48	7
		अन्य	12	10	2
			6958	5660	1298
V. पश्चिमी क्षेत्र					
गोवा	क्षे. बैंक	लघु सिंचाई	5	3	2
		डेरी विकास	3	1	2
		मत्स्यपालन	150	116	34
		गोबर गैस संयंत्र	1	1	—
			159	121	38
गुजरात	राष्ट्रीय बैंक	लघु सिंचाई	74	67	7
		डेरी विकास	65	52	13
	क्षे. बैंक	लघु सिंचाई	1622	1427	195
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	206	103	103
		कृषि मशीनीकरण	632	455	177
		कृषि सेवा केन्द्र	3	2	1
		मुर्गीपालन	23	18	5
		मत्स्यपालन	276	218	58
		डेरी विकास	170	127	43
		भंडार और बाजार केन्द्र	10	8	2
		गोबर गैस संयंत्र	23	17	6
		समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना	3	3	
			3107	2497	610
महाराष्ट्र	राष्ट्रीय बैंक	लघु सिंचाई	2190	1969	221
		बागान/बागवानी	62	49	13
		डेरी विकास	28	21	7

विवरण 13 (जारी)

1979–80 के दौरान राज्य एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेंचरों/ऋण की कुल राशि	कृपुवित्त द्वारा अभिदत्त डिबेंचर वितरित ऋण	राज्य सरकारों/ बैंकों का अंशदान
	वा बैंक	लघु सिंचाई/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	1249	751	98
		भूमि विकास/कमाण्ड क्षेत्र विकास	84	63	21
		कृषि मशीनीकरण	492	378	114
		बागान/बागवानी	23	19	4
		मुर्गीपालन	133	101	32
		भेड़पालन	8	6	2
		मत्स्यपालन	42	33	9
		डेरी विकास	167	120	47
		भंडार और बाजार केन्द्र	112	90	22
		गोबर गैस संयंत्र	12	10	2
		समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना	1	1	—
		समन्वित कई विकास परियोजना (अ० अ०)	14	8	6
		समन्वित कई विकास परियोजना (दी० अ०)	32	26	6
		अन्य	55	43	12
			4704	3688	1016
vi दक्षिणी क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	3170	2853	317
		भूमि विकास	333	262	71
		कृषि मशीनीकरण	782	585	197
		बागान/बागवानी	494	370	124
		मुर्गीपालन	87	66	21
	वा बैंक	भेड़पालन	181	141	40
		मत्स्यपालन	37	28	9
		डेरी विकास	160	121	39
		अन्य	151	113	38
	वा बैंक	लघु सिंचाई	485	399	86
		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	378	189	189
		भूमि विकास	37	26	11
		कृषि मशीनीकरण	169	127	42
		बागान/बागवानी	81	60	21
		मुर्गीपालन	308	270	38
		भेड़पालन	154	133	21
		मत्स्यपालन	94	50	44
		डेरी विकास	157	113	44
		भंडार और बाजार केन्द्र	13	8	5
		वन	45	31	14
		गोबर गैस संयंत्र	1	1	—
		ग्रामीण विकास परियोजना	275	218	57
		अन्य	18	16	2
	राज बैंक	मत्स्यपालन	2	2	—
		मुर्गीपालन	14	11	3
			7628	6193	1433
कर्नाटक	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	287	258	29
		कृषि मशीनीकरण	66	50	16
		बागान/बागवानी	95	70	25
		भेड़पालन	16	14	2
		गोबर गैस संयंत्र	3	2	1
		अन्य	11	9	2
	वा बैंक	लघु सिंचाई/ग्राविवि	95	87	8
		कृषि मशीनीकरण	86	69	17
		बागान/बागवानी	314	253	61

विवरण 13 (जारी)

1979—80 के दौरान राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेंचरों/ऋण की कुल राशि	कृषिविनि द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/ वितरित ऋण	राज्य सरकारों/ बैंकों का अंशदान
		मुर्गी पालन	41	34	67
		भेड़ पालन	20	15	5
		मत्स्यपालन	273	218	55
		डेरी विकास	19	15	4
		भंडार और बाजार केन्द्र	316	253	63
		गोबर गैस संयंत्र	33	27	6
		समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना	4	3	1
		अन्य	12	10	2
			1691	1387	304
केरल	राभूबि बैंक	लघु सिंचाई	324	292	32
		भूमि विकास	1	1	—
		कृषि मशीनीकरण	2	2	—
		बागान/बागवानी	248	186	62
		डेरी विकास	1	1	—
	वा बैंक	लघु सिंचाई	131	118	13
		भूमि विकास	211	169	42
		बागान/बागवानी	187	141	46
		मत्स्यपालन	89	67	22
		डेरी विकास	22	17	5
		भंडार और बाजार केंद्र	5	4	1
			1221	998	223
पांडिचेरी	राभूबि बैंक	भूमि विकास	1	1	—
	वा बैंक	समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना	6	5	1
			7	6	1
तमिलनाडु	राभूबि बैंक	लघु सिंचाई	149	135	14
		बागान/बागवानी	92	69	23
		भेड़पालन	36	27	9
		मत्स्यपालन	22	16	6
		डेरी विकास	14	11	3
		गोबर गैस संयंत्र	2	2	—
		अन्य	30	27	3
	वा बैंक	लघु सिंचाई/ग्राविनि	118	75	43
		भूमि विकास	3	2	1
		कृषि मशीनीकरण	83	61	22
		बागान/बागवानी	131	93	38
		मुर्गीपालन	79	61	18
		भेड़पालन	41	32	9
		मत्स्यपालन	195	149	46
		डेरी विकास	91	72	10
		गोबर गैस संयंत्र	2	1	1
		समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना	130	117	13
		अन्य	21	14	7
			1239	964	275
जोड़ (I से IV)			50503	41223	9280

विवरण 14

30 जून 1980 को शेयरधारियों की सूची

I. भारतीय रिजर्व बैंक

II. राज्य भूमि विकास बैंक (19)

1. आंध्र प्रदेश सहकारी मध्यवर्ती कृषि विकास बैंक लिमिटेड
2. असम सहकारी मध्यवर्ती भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
3. बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक सीमित।
4. गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
5. हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
6. हिमाचल प्रदेश मध्यवर्ती सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
7. जम्मू और कश्मीर सहकारी मध्यवर्ती भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
8. कर्नाटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
9. केरल सहकारी मध्यवर्ती भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
10. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक सीमित
11. महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
12. उड़ीसा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
13. पांडिचेरी सहकारी मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक लिमिटेड
14. पंजाब राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड
15. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
16. तमिलनाडु सहकारी राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड
17. त्रिपुरा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
18. उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
19. पश्चिम बंगाल मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक लिमिटेड

III. राज्य सहकारी बैंक (24)

1. आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
2. असम सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
3. बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
4. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
5. गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
6. गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
7. हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
8. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
9. जम्मू और काश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
10. कर्नाटक राज्य सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
11. केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
12. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
13. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
14. मणिपुर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
15. मेघालय सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
16. नागालैण्ड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
17. उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
18. पांडिचेरी राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
19. पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
20. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
21. तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
22. त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
23. उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड
24. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।

IV. अनुसूचित वाणिज्य बैंक (66)

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर
3. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक आफ इन्दौर
5. स्टेट बैंक आफ मैसूर
6. स्टेट बैंक आफ पटियाला
7. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर
9. अलाहाबाद बैंक
10. आन्ध्र बैंक
11. बैंक आफ बड़ौदा
12. बैंक आफ इण्डिया
13. बैंक आफ महाराष्ट्र
14. केनरा बैंक
15. सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया
16. कार्पोरेशन बैंक
17. देना बैंक
18. इंडियन बैंक
19. इंडियन ओवरसीज बैंक
20. न्यू बैंक आफ इण्डिया
21. ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स
22. पंजाब नेशनल बैंक
23. पंजाब और सिन्ध बैंक
24. सिंडीकेट बैंक
25. यूनियन बैंक आफ इंडिया
26. युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
27. युनाइटेड कमर्शियल बैंक
28. विजया बैंक
29. बैंक आफ कोचीन लिमिटेड
30. बैंक आफ कराड़ लिमिटेड
31. बैंक आफ मदुरा लिमिटेड
32. बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड
33. कारेली कार्पोरेशन (बैंक) लिमिटेड
34. बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड
35. भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड
36. केथालिक सीरियन बैंक लिमिटेड
37. धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
38. फेडरल बैंक लिमिटेड
39. हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड
40. जम्मू एण्ड काश्मीर बैंक लिमिटेड
41. कर्नाटक बैंक लिमिटेड
42. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
43. कुंभकोणम् सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
44. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड
45. लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
46. लार्ड कृष्ण बैंक लिमिटेड
47. नैनीताल बैंक लिमिटेड
48. नेडुंगाडी बैंक लिमिटेड
49. पूर्वांचल बैंक लिमिटेड
50. रत्नाकर बैंक लिमिटेड
51. सांगली बैंक लिमिटेड

52. साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
53. तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
54. युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड
55. युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड
56. दि बैंक आफ तंजौर लिमिटेड
57. वैश्य बैंक लिमिटेड
58. एल्जीमेने बैंक नीदरलैण्डस् एन० वी०
59. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कार्पोरेशन
60. बैंक आफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसियेशन
61. बैंक आफ टोकियो लिमिटेड
62. बैंक नेशनल दि पैरिस
63. चार्टर्ड बैंक
64. मिडलेज बैंक लिमिटेड
65. मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
66. मित्सुई बैंक लिमिटेड

V. ग्रामीण बैंक (44)

1. बाराबंकी ग्रामीण बैंक
2. आलीराज ग्रामीण बैंक
3. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक
4. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
5. बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
6. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
7. कावेरी ग्रामीण बैंक
8. चंपारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
9. कटक ग्राम्य बैंक
10. गौड़ ग्रामीण बैंक
11. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
12. गुड़गांव ग्रामीण बैंक
13. हरदोई उन्नाव ग्रामीण बैंक
14. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
15. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
16. कैरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक
17. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
18. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद
19. कृष्णा ग्रामीण बैंक
20. कच्छ ग्रामीण बैंक
21. मगध ग्रामीण बैंक
22. मलप्रभा ग्रामीण बैंक
23. मल्लभूम ग्रामीण बैंक
24. मराठवाडा ग्रामीण बैंक
25. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक
26. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
27. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
28. नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक
29. पंड्यन ग्राम बैंक
30. प्राग्जोतिष गांवलिया बैंक
31. पुरी ग्राम्य बैंक
32. रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
33. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
34. रीवा सिधी ग्रामीण बैंक
35. सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
36. संथाल परगना ग्रामीण बैंक
37. शेखावाटी ग्रामीण बैंक
38. साउथ मलबार ग्रामीण बैंक
39. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक
40. सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
41. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
42. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक
43. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
44. वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

VI. जीवन बीमा निगम बीमा और निवेश कम्पनियां आदि (6)

1. जनरल इन्श्योरेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया
2. भारतीय जीवन बीमा निगम
3. नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
4. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5. ओरिएण्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
6. यूनाइटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड

शाह एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार

मेकर भवन नं० 2,
18 न्यू मरिन लाइन्स,
बम्बई-400 020

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने कृषि और पुनर्वित्त और विकास निगम के 30 जून 1980 को समाप्त हुए वर्ष के संलग्न तुलन-पत्र और उसी तारीख के लाभहानि लेखे की जांच की है और हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:

1. हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जिनकी हमें आवश्यकता थी, और वे संतोषजनक पाये गये हैं।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार और निगम की बहियों में दर्शाये गये अनुसार, उक्त तुलन-पत्र संपूर्ण और सही है। उसमें निगम के अधिनियम और उसकी सामान्य विनियमावली के अनुसार सभी आवश्यक विवरण हैं और वह उचित रूप से इस प्रकार तैयार किया गया है कि निगम के कार्यों की यथार्थ और सही स्थिति का पता लग सके।

कृते शाह एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

ह०/-
(चन्दुलाल एच० शाह)
भागीदार

बम्बई: 20 अगस्त 1980

कृषि पुनर्वित्त और

30 जून 1980

देयताएँ			30-6-1979 को
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
1. पूंजी			
प्राधिकृत			
प्रत्येक 10,000 रुपए के 1,00,000 शेयर		100,00,00,000.00	100,00,00,000.00
जारी की गई, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी प्रत्येक 10,000 रुपए के 57,500 प्रदत्त शेयर (टिप्पणी 1)		57,50,00,000.00	57,50,00,000.00
2. प्रारक्षित निधि और अधिशेष			
प्रारक्षित निधि			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष (टिप्पणी 2)	25,44,83,000.00		10,38,20,000.00
जोड़िए : लाभहानि लेखे से अंतरण	—		9,89,63,000.00
		25,44,83,000.00	20,27,83,000.00
प्रारक्षित निधि			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार		5,00,00,000.000	5,00,00,000.00
अनुसंधान और विकास निधि			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	2,00,00,000.00		1,00,00,000.00
लाभ हानि लेखे से अंतरण	—		1,00,00,000.00
		2,00,00,000.00	2,00,00,000.00
लाभ-हानि लेखा			
आगे लाया गया लाभ	237.85		420.75
इस वर्ष का लाभ	16,37,15,907.84		13,98,84,906.14
	16,37,16,145.69		13,98,85,326.89
घटाएं : (i) अनुसंधान व विकास निधि में अंतरित . .	—		1,00,00,000.00
	16,37,16,145.69		12,98,85,326.89
(ii) प्रारक्षित निधि में अंतरित	—		9,89,63,000.00
	16,37,16,145.69		3,09,22,326.89
(iii) लाभांश की व्यवस्था के लिए अंतरिम राशि . .	3,30,62,500.00		3,09,22,089.04
		13,06,53,645.69	237.85
3. विशेष जमा		6,88,76,236.88	5,21,95,234.14
4. गारंटीकृत लाभांश के सम्बंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया भुगतान		—	—
बांड और डिबेंचर			
5¾% कृपुविनि बांड 1982 पहली शृंखला . . .	10,93,77,000.00		
5¾% कृपुविनि बांड 1982 दूसरी शृंखला . . .	8,52,50,000.00		
5¾% कृपुविनि बांड 1984 तीसरी शृंखला . .	8,25,00,000.00		
5¾% कृपुविनि बांड 1985 चौथी शृंखला . .	11,00,00,000.00		
5¾% कृपुविनि बांड 1985 पांचवीं शृंखला . .	16,50,00,000.00		
5¾% कृपुविनि बांड 1986 छठी शृंखला . .	11,00,00,000.00		
6 % कृपुविनि बांड 1984 सातवीं शृंखला . .	16,50,00,000.00		
6 % कृपुविनि बांड 1985 आठवीं शृंखला . .	16,50,00,000.00		
6 % कृपुविनि बांड 1985 नौवी शृंखला . . .	11,00,00,000.00		
6 % कृपुविनि बांड 1986 दसवी शृंखला . . .	27,50,00,000.00		
6 % कृपुविनि बांड 1987 ग्यारहवीं शृंखला . .	16,50,00,000.00		
6 % कृपुविनि बांड 1987 बारहवी शृंखला . .	27,50,00,000.00		
6 % कृपुविनि बांड 1988 तेरहवीं शृंखला . .	20,62,50,000.00		
6½% कृपुविनि बांड 1988 चौदहवीं शृंखला . .	44,05,00,000.00		
6½% कृपुविनि बांड 1990 पन्द्रहवीं शृंखला . .	39,60,00,000.00		
		285,98,77,000.00	246,38,77,000.00

विकास निगम
का तुलन पत्र 30-6-1979 को

आस्तियां

	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
1. नकदी						
(क) हाथ में	4,269.13				3,304.92	
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास	2,65,42,931.99				4,18,24,668.11	
(ग) दूसरों के पास						
(i) भारत में	3,87,352.94				1,74,720.23	
(ii) विदेश में	–				–	
			2,69,34,554.06		4,20,02,693.26	
2. ऋण						
(क) पुनर्वित्त के रूप में	553,02,54,362.60				382,69,39,968.60	
(ख) अन्य	1,68,72,900 00				2,58,72,900.00	
घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये व्यवस्था	–					
			554,71,27,262.60		385,28,12,868.60	
3. डिबेंचर			748,85,61,752.81		661,33,14,890.20	
4. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)						
(अंकित मूल्य रु० 23,58,20,800)			23,62,92,441.60		27,67,34,279.05	
5. निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज			24,07,337.33		27,24,300.50	
6. अन्य आस्तियां						
(क) फर्नीचर, फिटिंग्स और जुड़नार, कार्यालय उपस्कर आदि (30-6-1979 तक लागत पर)	37,59,436.47				29,92,174.44	
जोड़ें : इस वर्ष के दौरान वृद्धि	11,19,766.97				7,77,758.13	
	48,79,203.44				37,69,932.57	
घटाएं : बेची गयी/समायोजित वस्तुएं	199.36				233.54	
	48,79,004.08				37,69,699.03	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	17,07,390.11				13,00,826.73	
	31,71,613.97				24,68,872.30	
(ख) सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमा राशियां	15,94,056.16				15,91,651.16	
	47,65,670.13				40,60,523.46	

		कृषि पुनर्वित्त और 30 जून 1980		30-6-1979 को
देयताएं				
		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
3. केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण				
(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन		—		—
(ख) अन्य ऋण		644,60,73,696.00		502,40,03,544.00
			644,60,73,696.00	502,40,03,544.00
7. अन्य उधार				
(क) भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधार				
	(i) दीर्घावधि	314,70,00,000.00		263,50,00,000.00
	(ii) अल्पावधि	—		—
			314,70,00,000.00	263,50,00,000.00
(ख) दूसरों से लिये गये उधार				
	(i) भारत में	—	—	—
	(ii) विदेश में	—	—	—
8. मियादी जमा राशियां				
(क) विशेष ऋण लेखों के लिए				
	(i) केन्द्रीय सरकार से	3,91,480,00.00		3,91,48,000.00
	(ii) राज्य सरकारों से	2,76,31,904.00		2,66,31,904.00
			6,67,79,904.00	6,57,79,904.00
(ख) दूसरों से			—	—
9. लाभांश की व्यवस्था (लाभ हानि लेखे से अंतरित राशि)			3,30,62,500.00	3,09,22,089.04
10. कराधान के लिये व्यवस्था (टिप्पणी 3)			8,79,43,614.00	13,96,43,614.00
11. अन्य देयतायें				
फुटकर लेनदार		4,12,03,677.77		1,74,27,652.53
निम्नलिखित पर प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं है				
(क) केन्द्र सरकार से लिये गये ऋण		12,57,39,048.65		9,83,01,748.15
(ख) बांड और डिबेंचर		3,93,26,269.76		3,13,89,769.76
			20,62,68,996.18	14,71,19,170.44
आकस्मिक देयतायें				
(क) भारत के बाहर से पूंजीगत माल खरीदने के लिये आस्थगित अदायगी के संबंध में दी गई गारंटी			—	
(ख) अन्य			—	—
जोड़ रुपये			1394,60,18,592.75	1140,63,23,793.47

टिप्पणियां :

1. कृपुविनि अधिनियम 1963 की धारा 6 के अनुसार इन शेयरों के मूल धन की चुकौती और केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की गई दर पर न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटीकृत है।
2. (क) इसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार 3,67,47,000 रुपये की विशेष प्रारक्षित निधि शामिल है (पिछले वर्ष यह राशि 6,67,47,000 रुपये थी) वर्ष 1977–78 के लिये 3,00,00,000 रुपये की आयकर के रूप में व्यवस्था की थी, किन्तु उस वर्ष से निगम को आयकर देने से छूट मिलने के कारण इस राशि को प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दिया गया है।
   (ख) 1977–78 के लिये कराधान के प्रावधान के लिये रखी गई 5,17,00,000 रुपये की राशि प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दी गई है। क्योंकि उस वर्ष से निगम को आयकर देने में छूट मिल गई है।
3. चूंकि निगम को लेखा वर्ष 1977–78 से 5 वर्षों के लिये आयकर की अदायगी से छूट मिल गई है, इसलिये पहले के वर्षों के लिये किये गये प्रावधान अंतिम निर्धारण के लिये लंबित पड़े हैं।
4. कृपुविनि साख परियोजना I और II के अन्तर्गत हुए व्यय के सम्बन्ध में 1,90,38,600/- रुपये के सहायता-अनुदान की राशि भारत सरकार से प्राप्त हो गई है और वह समायोजित कर दी गई है।
5. आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण कर दिया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एम० एस० जावडेकर
महाप्रबन्धक
वित्त
बम्बई, 12 अगस्त, 1980

हस्ता०/-
शाह एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
बम्बई, 20 अगस्त, 1980

[illegible]
[illegible]

आस्तियां	रु० पै०	रु० पै०	30-6-1979 को रु० पै०
6. अन्य आस्तियां (जारी)			
(ग) फुटकर अग्रिम	4,16,49,613.84		5,25,92,067.66
(घ) पुनर्वित्त के रूप में दिये गये ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज .	19,20,03,297.22		13,92,89,525.06
(ङ) डिबेंचरों पर प्रोद्भूत ब्याज . . .	29,93,94,644.98		24,96,59,073.27
(च) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांडों पर छूट . .	77,85,861.11		91,47,111.11
(छ) चुकाया गया अग्रिम कर (इसमें वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 44 के अन्तर्गत वापस मिलने योग्य रु० 1,45,10,986 शामिल हैं)	9,62,55,995.00		14,76,01,363.00
(ज) कृपुविनि साख परियोजनाओं के प्रशिक्षण पर शुद्ध व्यय (टिप्पणी 4)	28,40,162.07		1,63,85,098.30
		64,46,95,244.35	61,46,74,238.40
जोड़ रुपये		1394,60,18,592.75	1140,63,23,793.47

एम० रामकृष्णय्या   अध्यक्ष

बी० एस० विश्वनाथन
बीरशेट्टी कुसनूर
एम० बी० हाटे
} निदेशक

एम० ए० चिदम्बरम   प्रबन्ध निदेशक

बम्बई, 16 अगस्त, 1980

कृषि पुनर्वित्त और
30 जून, 1980 को समाप्त हुए

			पिछले वर्ष	
		रु०	पै०	रु०	पै०
1.	अदा किया गया ब्याज	63,04,38,533.	42	50,89,00,070.	16
2.	वेतन और भत्ते	3,64,60,308.	07	2,46,52,756.	37
3.	कर्मचारी भविष्य निधि, पेन्शन और अन्य निधियों में अंशदान	44,43,070.	93	17,73,564.	92
4.	निदेशकों और समिति के सदस्यों की फीस	700.	00	300.	00
5.	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों के संबंध में यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते	25,928.	30	12,145.	45
6.	किराया, उपस्कर, बीमा, बिजली आदि	32,49,513.	03	23,00,214.	08
7.	यात्रा व्यय	12,71,349.	20	10,67,913.	02
8.	मुद्रण और लेखन सामग्री	8,61,218.	80	5,79,807.	29
9.	डाक, तार और टेलीफोन	7,05,690.	94	5,44,484.	94
10.	संपत्ति की मरम्मत	49,846.	69	26,269.	59
11.	लेखा-परीक्षकों की फीस	15,000.	00	12,500.	00
12.	विधि संबंधी व्यय	30,983.	00	10,563.	12
13.	विविध व्यय (टिप्पणी 1 और 2)	85,83,060.	18	77,23,354.	33
14.	मूल्य-ह्रास	4,11,977.	30	3,10,337.	55
15.	तुलन पत्र में ले जाया गया शुद्ध लाभ	16,37,15,907.	84	13,98,84,906.	14
	जोड़ रुपए	85,02,62,987.	70	68,77,99,186.	96

टिप्पणियां :

1. इनमें ये राशियां शामिल हैं :
   (i) बांडों पर मुद्रांक शुल्क — रु० 39,60,000.00
   (ii) सातवीं से तेरहवीं तक की शृंखलाओं के बांडों पर दी गई छूट — रु० 13,61,250.00
2. इसमें आतिथ्य व्यय शामिल है — रु० 18,980.55
3. इनमें ये राशियां शामिल हैं :
   (i) अभिदत्त डिबेंचरों पर प्राप्त बट्टा — रु० 4,92,201.61
   (ii) दिये गये अग्रिम कर सहित 1977-78 के लिये अग्रिम कर पर ब्याज की वापसी — रु० 39,49,602.00

हमारी इसी तारीख की संलग्न
रिपोर्ट के अनुसार
हस्ता०/
साह एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
बम्बई, 20 अगस्त, 1980

एम० एस० आपटेकर
महाप्रबन्धक
वित्त
बम्बई, 12 अगस्त, 1980

विकास निगम
वर्ष के लिये लाभ-हानि लेखा

			पिछले वर्ष
		रु० पै०	रु० पै०
1. प्राप्त ब्याज			
(क) ऋणों और डिबेंचरों पर	78,75,51,731.72		64,16,82,149.76
(ख) निवेशों पर	5,72,59,977 33		4,51,19,729.72
(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जमा राशि पर .	81,870 00		81,870.00
(घ) अन्य जमा राशियों पर	9,25,863 38		5,78,437.70
2. बट्टा, कमीशन आदि		84,58,19,442.43	68,74,62,187.18
3 अन्य मदें			
(क) शेयर अंतरण शुल्क	2.00		4.00
(ख) विविध प्राप्तियां (टिप्पणी 3) . . .	44,43,543.27		3,36,995.78
. . . . .		44,43,545.27	3,36,999.78
जोड़ रुपये		85,02,62,987.70	68,77,99,186.96

(पिछले वर्ष रु० 44,05,000.00)
(पिछले वर्ष रु० 13,61,250.00)
(पिछले वर्ष रु० 18,041.56)

(पिछले वर्ष रु० 3,33,717.59)
(पिछले वर्ष रु० –)

एम० रामकृष्णय्या अध्यक्ष

बी० एस० विश्वनाथन
वीरशेट्टी कुशानूर
एम० बी० हाटे
} निदेशक

एम० ए० चिदम्बरम् प्रबन्ध निदेशक

बम्बई, 16 अगस्त, 1980

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 2nd April 1981

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri B. K. Chatterjee has been appointed as Deputy Branch Inspector on the Central Office Staff as from the 1st April 1981.

Bombay, the 8th April 1981

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri C. C. Banerjee has been appointed as Deputy Branch Inspector on the Central Office Staff as from the 4th April 1981.

V. S. NATARAJAN
Managing Director

ADDENDA

The following Sunni Wakfs are hereby added in the Government of India Gazette part III Section 4 (Gazette No. 6) published on February 6, 1971 pertaihing to District Jullundur.

S. No.	(i) Name of Wakfs	(ii) Location of wakfs (a) Districts (b) Tehsil (c) Village where situated (d) site on which situated	(iii) Details of wakf properties (a) Area	(b) Boundaries	(c) Value Rs.	(ii) Date of year of creation of wakfs (v) Details of wakf deeds	(vi) Gross receipt (vii) Grants received	(viii) Nature of object of each wakf	(ix) Gross income of properties comprised in each wakfs	(x) Amount of L.R., cess rates and taxes pay able in respect of such property. (xi) Expenses incurred in the realisation of income	(xii) How the wakf is administered (xiii) Name of Mutwali (xiv) Pay or remuneration of Mutwali of each wakf.	(xv) Any other particulars (Remarks)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2367	Graveyard	Jalandher Aur Nawan-Shahar.		K—M 14-08 1-16 16-04 1-01 11-07 5-15 11-10 1-11 2-05 4-12 38—16	Khasra No. 89(M) 89(M) 84 86 85 87 32/3/2 17/2 24/2 38	—	Not Known	—	Religious	—	—	Under Secretary Punjab Wakf Board Ex. Officio Mutawalli.	
						—	do	—	Do	—	—	—	Do

(Sd/-) ILLEGIBLE
Secretary,
Punjab Wakf Board,
Ambala Cantt.

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Bombay, the 13th October 1980

No. G.S.R.—In pursuance of section 32(2) of the A.R.D.C. Act, 1963 (10 of 1963) the report of the Board on the working of the Corporation for the year ended 30 June 1980 and the Balance sheet and Profit and loss Account of the Corporation for the year ended 30 June 1980 are published hereunder :

ARDC AT A GLANCE

(Rs. Crores)

Sources	Year ended 30 June 1978	1979	1980	Uses	Year ended 30 June 1978	1979	1980
Paid-up share capital and reserves	59	85	90	Refinance provided to: (outstanding)			
Borrowings from :				State Land Development			
GOI	428	502	645	Banks	589	663	750
(Of which IDA/IBRD assistance)	(360)	(444)	(548)	(of which under IDA/ IBRD projects)	(384)	(435)	(484)
RBI				Scheduled Commercial			
LTO Fund	217	264	315	Banks	273	372	539
Short-term	—	—	—	(Of which under IDA/ IBRD projects)	(135)	(184)	(269)
Open Market	202	246	286	State Co-operative Banks	11	11	15
				(Of which under IDA projects)	(2)	(3)	(8)

RECORD OF GROWTH

(Rs. crores)

Particulars	As at the end of June 1969	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Paid-up share capital and reserves	5	17	23	29	42	59	85	90
Special Deposit	1	1	2	2	3	4	5	7
Special Loan Account	—	—	—	—	—	5	7	7
Subvention Loans	—	—	—	—	—	—	—	—
Borrowings from :								
GOI	26	164	197	250	340	428	502	645
RBI	—	66	93	140	173	217	264	315
Short-term	—	12	5	2	—	—	—	—
Long-term	—	54	88	138	173	217	264	315
Open market	—	66	99	138	182	202	246	286
Refinance granted (net)	30	310	407	549	722	874	1046	1304
Debentures	28	272	344	426	525	590	661	749
Loans	2	38	63	123	197	284	385	555
Other assets	1	9	14	20	30	46	62	64
Investment and cash reserves	1	—	—	—	—	23	32	26
Gross income	1	16	22	30	41	55	69	85
Profits before tax	1	3	4	6	8	12	14	16
Tax payable	—	2	2	3	3	—	—	—
Profits after tax	—	1	2	3	5	12	14	16
Dividend paid	—	1	1	1	2	2	3	3

TABLE 1—DISBURSEMENT OF REFINANCE—PURPOSEWISE (JULY-JUNE)

(Rs. crores)

Purpose	1963-69£	Fourth Plan 1969-74£	During 1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	Upto 30 June 1980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Minor Irrigation	13 (43·3)	242 (84·6)	84 (79·3)	108 (63·1)	142 (64·3)	143 (61·1)	171 (60·0)	227 (55·1)	1130 (65·0)
Land development*	14 (46·7)	14 (4·9)	2 (1·9)	5 (2·9)	6 (2·7)	4 (1·7)	11 (3·8)	10 (2·4)	66 (3·8)
Farm mechanization*	—	7 (2·5)	12 (11·3)	46 (26.9)	52 (23·5)	28 (12·0)	41 (14·4)	92 (22·4)	279 (16·1)
Plantation/Horticulture	2 (6·7)	9 (3·1)	2 (1·9)	3 (1·7)	5 (2·3)	8 (3·4)	12 (4·2)	21 (5·1)	63 (3·6)
Poultry farming/Sheep breeding/ Piggery	—	—	1 (0·9)	1 (0·6)	1 (0·4)	2 (0·9)	4 (1·4)	11 (2·7)	19 (1·1)
Fisheries	—	2 (0·7)	2 (1·9)	2 (1·2)	2 (0·9)	5 (2·2)	8 (2·8)	10 (2·4)	32 (1·9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dairy development	-	2 (0·7)	1 (0·9)	3 (1·8)	3 (1·4)	4 (1·7)	7 (2·5)	10 (2·4)	30 (1·7)
Storage & Market yards	1 (3·3)	10 (3·5)	2 (1·9)	3 (1·8)	10 (4·5)	38 (16·2)	27 (9·5)	15 (3·7)	106 (6·1)
Forestry	—	—	—	—	—	1 (0·4)	1 (0·4)	1 (0·2)	3 (0·2)
Integrated cotton development project (S.T.)	—	—	—	—	—	1 (0·4)	3 (1·0)	5 (1·2)	—
Gobar gas plants	—	—	—	—	—	—	—	1 (0·2)	1 (—)
Others	—	—	—	—	—	—	—	9 (2·2)	9 (0·5)
Total	30 (100·0)	286 (100·0)	106 (100·0)	171 (100·0)	221 (100·0)	234 (100·0)	285 (100·0)	412 (100·0)	1738$ (100·0)

Figures in brackets are percentages to the total.
*Please see note 2 under explanatory notes on page 54.
£Year-wise break-up given in earlier publications.
$Excludes short-term disbursements under ICDP.

TABLE 2—DISBURSEMENT OF REFINANCE—AGENCYWISE (JULY-JUNE)

(Rs. crores)

Agency	1963-69£	Fourth Plan 1969-74£	During 1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	Upto 30 June 1980$
State Land Development Banks	28 (93·4)	246 (86·0)	77 (72·6)	99 (57·9)	127 (57·4)	112 (47·9)	131 (46·0)	164 (39·8)	983 (56·6)
Of which under IBRD project	—	—	—	—	—	—	1	1	2
IDA projects	—	122	52	91	100	86	88	109	648
Scheduled Commercial Banks	1 (3·3)	28 (9·8)	28 (26·4)	71 (41·5)	93 (42·1)	120 (51·3)	150 (52·6)	239 (58·0)	729 (41·9)
Of which under IBRD projects	—	1	—	1	—	—	—	1	3
IDA projects	—	4	10	41	55	46	72	120	346
State Co-operative Banks	1 (3·3)	12 (4·2)	1 (1·0)	1 (0·6)	1 (0·5)	2 (0·8)	4 (1·4)	9 (2·2)	26 (1·5)
Of which under IDA projects	—	—	—	—	—	2	4	8	8
Total	30 (100·0)	286 (100·0)	106 (100·0)	171 (100·0)	221 (100·0)	234 (100·0)	285 (100·0)	412 (100·0)	1738 (100·0)

Figures in brackets are percentages to the total.
£Yearwise break-up given in earlier publications.
$Excludes short-term disbursements under ICDP.

17TH ANNUAL REPORT 1979-80
HIGHLIGHTS

Aggregate disbursements during the year reached Rs. 412 crores as against Rs 285 crores last year, recording an increase of 45 per cent.

Second ARDC Credit Project for $ 200 million was fully disbursed by 30 December 1979.

Third ARDC Credit Project for $ 250 million became effective from 2 January 1980.

Besides, three specific Projects (Inland Fisheries, Cashew and Sericulture Development) were negotiated with IDA.

Resources required were raised ; Rs 165 crores from Government of India, Rs 85 crores from Reserve Bank of India, Rs 40 crores by market borrowings, the rest were out of repayments from member banks.

Firm commitment of bilateral assistance of $ 141 million from foreign countries was received.

1. OPERATIONS

(a) Disbursements

The year ended 30 June 1980 witnessed considerable growth in disbursements reaching a level of Rs 412 crores as against Rs 285 crores during last year. This recorded a growth of 45 per cent as compared with 22 per cent in 1978-79 and 6 per cent in 1977-78. Higher disbursement was recorded in all major states though there was marginal shortfall in a few cases. This was noteworthy during an year when large parts of the country witnessed unprecedented drought situation particularly during Kharif season and acute scarcity of diesel and electrical energy essential for lifting water from available irrigation sources. The cumulative disbursements since inception reached Rs 1738 crores excluding short-term finance of Rs 9 crores at the end of June 1980. As in the previous years, there were heavy disbursements in the month of June 1980 of Rs 142 crores as against Rs 99 crores last year. Of the total disbursements during the year, Rs 240 crores or 58 per cent of the total (more or less the same percentage as in the last two years) were made under the projects assisted by the World Bank/IDA/KFW group and ARDC was eligible to draw foreign exchange amounting to $ 152 million by GOI. In addition, disbursements qualified for availment of assistance amounting to $ 91 million under bilateral donor arrangements. The comparative position of disbursements in 1978-79, 1979-80 and upto 30 June 1980 under IDA/IBRD/KFW etc. projects is given in Table 3 below :

TABLE 3—DISBURSEMENT OF REFINANCE

(Rs. crores)

Disbursements	During 1978-79	During 1979-80	Upto 30 June 1980*
Under IBRD/IDA/other donors assisted Projects	164	240	1008
Total	285	412	1738

The cumulative disbursements under various projects assisted by IDA/IBRD/other donors crossed Rs. 1000 crores during the year bringing in eligibility for foreign exchange of over $ 890 million including bilateral assistance on a consolidated basis from donor countries.

1.2 Some of the states like Andhra Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra and Punjab showed a high level of disbursements. The above 5 states availed of 55% of the total refinance disbursed during the year. The share of less developed states in the total amount of refinance disbursed increased by Rs 37 crores to Rs 164 crores in 1979-80 and formed 40% of the total. The developed states recorded an increase of Rs 90 crores during the year over the preceding year. The smaller rise in less developed states was due to disturbed conditions in North-Eastern Region and infrastructural constraints in North-Eastern and Eastern Regions to absorb large quantum of finance.

1.3 Agency-wise disbursements revealed a shift in favour of commercial banks (Table 2). For the third year in succession, the commercial banks recorded larger disbursements. All the four agencies, viz. state land development banks, commecial banks, regional rural banks and state co-operative banks in absolute terms improved their performance in drawal of refinance over the previous year. The summary position of agency-wise disbursements during the last two years and as on 30 June 1980 is given in Table 4 below :

TABLE 4—AGENCY-WISE DISBURSEMENT

(Rs crores)

Agency	During		Upto 30 June
	1978-79	1979-80	980
SLDBs	131	164	983
Com. Bks.	147	230	717
RRBs	3	9	12
SCBs	4	9	26
Total	285	412	1738*

*Excluding short-term loans

The commercial banks including RRBs increased their availment of refinance from Rs 150 crores in 1978-79 to Rs 239 crores constituting 58 per cent of the total. The increase was shared mainly by 12 major states which included states like Assam, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh falling under less developed/under-banked category. The short-fall in drawals by commerical banks compared to previous year was noticed in Rajasthan, West Bengal and Kerala. Even though in absolute terms, the amount availed of by SLDBs increased by Rs 33 crores, their share in total disbursements decreased from 46 per cent in 1978-79 to 40 per cent during the year under review. Except in the states of Karnataka and Tamil Nadu, SLDBs in other major states showed improvement in availment of refinance and it was significantly high particularly in the case of SLDBs in Haryana, Madhya Pradesh, Mahashtra and Punjab.

1.4 The refinance availed of by the state co-operative banks during the year was Rs 9 crores as against Rs 4 crores in the previous year. The increase was mainly on account of disbursements under ICDP (Rs 5 crores) and minor irrigation (Rs 3 crores) availed of by SCBs in Haryana and Orissa respectively.

1.5 The purpose-wise distribution of refinance disbursed is given in Table 1. All major purposes excepting land development, storage and market yards showed an increase over the previous year. Summary position of disbursements is given below in Table 5.

TABLE 5—PURPOSE-WISE DISBURSEMENT

(Rs. crores)

Purpose	During		Upto 30 June
	1978-79	1979-80	1980
Minor irrigation	171	227	1130
Land development	11	10	66
Farm mechanization	41	92	279
Others	62	83	263
Total	285	412	1738£

£Excluding short-term loans.

Minor irrigation absorbed Rs 227 crores out of Rs. 412 crores disbursed during the year. Although minor irrigation continued to be the single largest purpose for which refinance was availed of, its share declined from 60% during the previous year to 55% during the year under review. This includes a sum of Rs 47 crores provided to banks for financing loans to State Electricity Boards for energisation of irrigation pumpsets as against Rs 48 crores disbursed during the previous year. The SLDBs availed of larger refinance under minor irrigation. The amount availed of under minor irrigation by SLDBs amounted to Rs 121 crores as compared to Rs 103 crores by commercial banks including RRBs.

1.6 The increase in disbursements under farm mechanization was to meet the growing demand on account of intensive agricultural operations. During the year Rs. 92 crores, forming 22% of the total was disbursed under farm mechanization as against Rs 41 crores in the last year. The disbursements under this purpose were significant in Punjab (Rs 32 crores), Uttar Pradesh (Rs 18 crores), Haryana (Rs 14 crores) and Andhra Pradesh (Rs 7 crores).

1.7 There was marginal fall in refinance disbursed for land development from Rs 11 crores in the previous year to Rs 10 crores in the year under review. The programmes under land development which mainly formed part of command area development were beset with various legal problems, shortage of materials, inadequate farmer response, etc. and did not make much headway in the desired direction. Disbursement for this purpose other than under CAD was significant in Andhra Pradesh, Kerala and Punjab. A sum of Rs one crore was disbursed in Maharashtra and Madhya Pradesh as interim finance to the executing agencies under CAD schemes.

1.8 Disbursements under other diversified purposes were picking up and formed 20 per cent of the total. Disbursements under plantation and horticulture rose from Rs 12 crores during 1978-79 to Rs 21 crores during 1979-80. The Southern Region along with Assam and West Bengal claimed bulk of the disbursements under this category. Disbursements for other purposes such as dairy development, fisheries, sheep breeding/poultry farming etc. continued to show increasing trend during the year. The improvement under these purposes was largely due to efforts for diversification of loan portfolio undertaken by commercial banks while some of the SLDBs have made a beginning.

1.9 Disbursements during the year under storage and market yards declined from Rs 27 crores in 1978-79 to Rs 15 crores due to fall in demand for private storage sponsored by FCI. Out of Rs. 15 crores disbursed, Rs. 7 crores were for storage and the balance (Rs 8 crores) accounted for by market yards. As many as 152 individual markets have so far benefited from the Corporation's assistance.

1.10 All the regions recorded increase in the flow of refinance (Table 7). While the increase was high in Northern, Central and Western Regions, it improved marginally in North-Eastern Region from Rs 2.8 crores in 1978-79 to Rs 3.1 crores in 1979-80. Summary position of region-wise disbursements is given in Table 6 below :

TABLE 6 —DISBURSEMENT—REGION-WISE

(Rs. crores)

Region	During		Upto 30 June
	1978-79	1979-80	1980
Northern	54	110	361
North-Eastern	3	3	11
Eastern	42	48	195
Central	65	93	410
Western	40	63	280
Southern	81	95	461
Total	285	412	1738£

£Excludes short-term loans.

TABLE 7—DISBURSEMENT OF REFINANCE— STATEWISE (JULY—JUNE)

(Rs. lakhs)

Region/State/Union Territory	1963-69	Fourth Plan 1969-74£	During 1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	Up to 30 June 1980
I. *NORTHERN REGION*									
Chandigarh	—	—	—	—	—	3	—	—	3
						(—)			(—)
Delhi	—	13	12	28	10	19	15	14	112
		(0·1)	(0·1)	(0·2)	(0·1)	(0·1)	(—)	(—)	(—)
Haryana	303	2774	1075	1569	1770	1111	2101	3916	14010$
	(9·9)	(9·7)	(10·1)	(9·2)	(8·0)	(4·7)	(7·4)	(9.6)	8.0
Himachal Pradesh	—	4	4	16	2	23	50	185	286
		(—)	(0·1)	(0·1)	(—)	(0·1)	(0·2)	(0·5)	(0·2)
Jammu & Kashmir	32	38	—	17	6	15	14	12	135
	(1·0)	(0·1)		(0·1)	(—)	(0·1)	(—)	(—)	(0·1)
Punjab	653	2692	407	1306	1731	1177	1625	5018	14438$
	(21·4)	(9·4)	(3·8)	(7·6)	(7·8)	(5·0)	(5·7)	(12·2)	(8·3)
Rajasthan	6	656	350	536	787	1312	1616	1815	7084
	(0·2)	(2·3)	(3·3)	(3·1)	(3·6)	(5·6)	(5·7)	(4·4)	(4·1)
	994	6177	1848	3472	4306	3660	5421	10990	36068$
	(32·5)	(21·6)	(17·4)	(20·3)	(19·5)	(15·6)	(19·0)	(26·7)	(20·7)
II. *NORTH-EASTERN REGION*									
Assam	70	65	—	5	70	273	235	286	1004
	(2·4)	(0·2)		(—)	(0·3)	(1·2)	(0·8)	(0·7)	(0·6)
Manipur	—	—	—	5	8	23	43	10	89
				(—)	(0·1)	(0·1)	(0·2)	(—)	(0·1)
Meghalaya	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nagaland	—	4	4	2	3	5	—	—	18
		(—)	(0·1)	(—)	(—)	(—)			(—)
Tripura	—	—	—	1	2	8	1	11	23
				(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
	70	69	4	13	83	309	279	307	1134
	(2·4)	(0·2)	(0·1)	(—)	(0·4)	(1·3)	(1·0)	(0·7)	(0·7)
III. *EASTERN REGION*									
Andaman & Nicobar Islands	—	—	—	—	—	—	—	1	1
								(—)	(—)
Bihar	18	980	932	1318	1696	1864	2253	2468	11523
	(0·6)	(3·4)	(8·8)	(7·7)	(7·7)	(8·0)	(7·9)	(6·0)	(6·6)
Orissa	4	51	82	338	565	816	875	1315	4042
	(0·1)	(0·2)	(0·8)	(2·0)	(2·6)	(3·5)	(3·1)	(3·2)	(2·3)
West Bengal	2	42	68	159	590	996	1045	981	3881
	(0·1)	(0·1)	(0·6)	(0·9)	(2·7)	(4·3)	(3·7)	(2·4)	(2·2)
	24	1073	1083	1815	2851	3676	4173	4765	19447
	(0·8)	(3·7)	(10·2)	(10·6)	(13·0)	(15·8)	(14·7)	(11·6)	(11·2)
IV. *CENTRAL REGION*									
Madhya Pradesh	29	1291	1234	1932	2610	1670	1666	3647	14088
	(1·0)	(4·5)	(11·6)	(11·3)	(11·8)	(7·1)	(5·9)	(8·9)	(8·1)
Uttar Pradesh	122	3794	1849	2598	3720	4317	4877	5660	26935
	(4·0)	(13·3)	(17·3)	(15·2)	(16·9)	(18·4)	(17·1)	(13·7)	(15·5)
	151	5085	3083	4530	6330	5987	6543	9307	41023
	(5·0)	(17·8)	(28·9)	(26·5)	(28·7)	(25·5)	(23·0)	(22·6)	(23·6)
V. *WESTERN REGION*									
Dadra and Nagar Haveli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Goa	—	3	5	23	24	68	84	121	328
	—	(—)	(0·1)	(0·1)	(0·1)	(0·3)	(0·3)	(0·3)	(0·2)
Gujarat	207	4165	427	333	402	1319	1516	2497	10866
	(6·8)	(14·6)	(4·0)	(1·9)	(1·8)	(5·6)	(5·3)	(6·1)	(6·2)
Maharashtra	189	3041	1358	2248	1928	1974	2431	3688	16846$
	(6·2)	(10·6)	(12·7)	(13·2)	(8·7)	(8·4)	(8·5)	(8·9)	(9·7)
	396	7209	1790	2604	2354	3361	4031	6306	28040$
	(13·0)	(25·2)	(16·8)	(15·2)	(10·6)	(14·3)	(14·1)	(15·3)	(16·1)

TABLE 7—(*Concld.*)—DISBURSEMENT OF REFINANCE—STATEWISE (JULY—JUNE)

(Rs. lakhs)

Region/State/Union Territory	1963-69£	Fourth Plan 1969-74£	During 1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	Upto 30 June 1980
VI. *SOUTHERN REGION*									
Andhra Pradesh	809 (26·5)	2504 (8·8)	892 (8·4)	1295 (7·6)	2122 (9·6)	3853 (16·4)	4958 (17·4)	6193 (15·0)	22624 (13·0)
Karnataka	261 (8·6)	2269 (7·9)	1008 (9·5)	1946 (11·4)	2190 (9·9)	1320 (5·6)	1429 (5·0)	1387 (3·4)	11811 (6·8)
Kerala	17 (0·5)	345 (1·2)	100 (0·9)	208 (1·2)	247 (1·1)	370 (1·6)	960 (3·4)	998 (2·4)	3245 1·9)
Pondicherry	—	8 (—)	15 (0·1)	4 (—)	—	—	—	6 (—)	33 (—)
Tamil Nadu	325 (10·7)	3877 (13·6)	817 (7·7)	1228 (7·2)	1599 (7·2)	894 (3·9)	693 (2·4)	964 (2·3)	10394 (6·0)
	1412 (46·3)	9003 (31·5)	2832 (26·6)	4681 (27·4)	6158 (27·8)	6437 (27·5)	8040 (28·2)	9548 (23·1)	48107 (27·7)
Total (I to VI)	3047 (100·0)	28618 (100·0)	10640 (100·0)	17115 (100·0)	22082 (100·0)	23430 (100·0)	28487 (100 0)	41223 (100·0)	173819$ (100·0)

Figures in brackets are percentages to the total.
£Year-wise break-up given in earlier publications.
$Excludes short-term disbursements under ICDP.

1.11 The cumulative disbursement of Rs 1738 crores (excluding short-term finance) since inception and upto the end of 30 June 1980 represents ground level investments of the order of Rs 2000 crores which included contributions made by borrowers, member banks, central and state governments. The achievements in physical terms under various schemes on the basis of latest available data are indicated below :+

	(Units)
Tube wells	325000
Dug wells	523000
Electric pumpsets/Oil engines	755000
	(Hectares)
Coffee	12800
Tea	6000
Rubber	3100
Cardamom	1700
Coconut	41800
Arecanut	1300
Others	44900

+Provisional

1.12 During the last 17 years of its activities, the Corporation assisted in bringing about 32.93 lakh hectares under multiple cropping. Land development under command areas of major irrigation projects and the areas improved under soil conservation schemes aggregated 11.18 lakh hectares. The total area developed under various schemes for plantation and horticulture was of the order of 1,11,600 hectares.

1.13 The other important activities which received refinance facilities from the Corporation are as under : +

Storage	6.1 million tonnes
Market Yards	152 units
Tractors	53,400 units
Combines/Harvesters/ Bulldozers/Power tillers	3000 units
Trawlers/ Mechanized boats	3400 units
Milch cattle	1,34,700 animals
Poultry birds	23,45,700 chicks
Sheep	5,52,800 animals
Agricultural aircrafts	2 units

+Provisional

Note : The physical achievements have been worked out on the basis of returns received from banks, project completion reports, unit costs of investment etc.

(b) *Sanctions*

1.14 Sanctions by ARDC increased substantially during the year compared to the previous year. As many as 3657 schemes involving commitments of Rs 757 crores (including IRDP commitments) were sanctioned to member banks as against 2505 schemes and Rs 573 crores in the previous year. The increase in amounts committed was recorded in states excepting West Bengal, Rajasthan, Haryana, Himachal Pradesh and Kerala. Statewise details of sanctions are given in Statement 1.

1.15 The distribution of schemes sanctioned under various purposes according to size-group of commitments is presented in Statement 3. Summary position is given in Table 8.

1.16 In terms of size of commitments, as many as 2079 schemes were less than Rs 10 lakhs and 1403 schemes were above Rs 10 lakhs but less than Rs 50 lakhs and the balance of 175 schemes was above Rs 50 lakhs. The analysis indicates that large number of schemes under minor irrigation and plantation and horticulture belong to the size-group Rs 10 to 25 lakhs. In respect of land development, poultry/sheep breeding/piggery, dairy development and storage and market yards, the concentration was in the size-group upto Rs 5 lakhs. Size-group Rs 100 lakhs and above absorbed higher amount under minor irrigation.

TABLE 8 SIZE-WISE CLASSIFICATION OF SCHEMES SANCTIONED DURING 1978-79 AND 1979-80

(Rs crores)

Size of schemes	1978-79		1979-80£	
	No. of schemes	Commitments	No. of schemes	Commitments
1	2	3	4	5
Upto 5 lakhs (Rs)	817	21	1182	31
5 to 10 lakhs (,,)	548	44	897	68

1	2	3	4	5
10 to 25 lakhs (Rs.)	644	110	1031	169
25 to 50 lakhs (,,)	349	142	372	130
50 to 100 lakhs (,,)	77	58	93	63
Above 100 lakhs(,,)	70	198	82	235
Total	2505	573	3657	696

£Excludes IRDP commitments.

1.17 The average size of the schemes sanctioned decreased from Rs 23 lakhs in 1978-79 to Rs 19 lakhs during the year. Agency-wise, size of schemes sanctioned to SLDBs was larger than that sanctioned to commercial banks.

1.18 In absolute terms, all the agencies registered increase in the number of schemes sanctioned and commitments thereagainst during the year. Summary position of agency-wise break-up of sanctions and commitments is given in Table 9 below :

TABLE 9—SCHEMES SANCTIONED AGENCYWISE*

A. *No. of schemes*

Year	SLDBs	Com.Bks.	RRBs	SCBs	Total
1978-79	529	1923	32	21	2505
1979-80	919	2553	84	101	3657

B. *ARDC Commitments* (Rs crores)

Year	SLDBs	Com.Bks.	RRBs	SCBs	Total
1978-79	252	307	7	7	573
1979-80	296	371	15	14	6 96

C. *Average size of schemes* (Rs lakhs)

Year	SLDBs	Com.Bks.	RRBs	SCBs	Total
1978-79	48	16	22	33	23
1979-80	32	15	18	14	19

*Excludes IRDP

1.19 RRBs have increased their involvement in ARDC's refinance during the year. As against 32 schemes with ARDC commitments at Rs 7 crores sanctioned during the previous year, 48 schemes involving commitments of Rs 15 crores (excluding IRDP commitment) were sanctioned. Disbursements have also increased from Rs 3 crores in 1978-79 to Rs 9 crores during the year. State-wise position in regard to availment of refinance by RRBs is given in Table 10 below :

TABLE 10- REFINANCE SANCTIONED TO RRBs UPTO 30 JUNE 1980

(Rs lakhs)

State	No. of RRBs to which schemes were sanctioned	No. of schemes sanctioned £	Total commitment	Disbursement upto 30 June 1980
Haryana	1	1	34	7
Jammu & Kashmir	1	—	5	—
Rajasthan	2	5	91	25
Assam	1	2	30	7
Tripura	1	4	26	8
Bihar	7	19	398	230
Orissa	3	22	61	21
West Bengal	2	4	26	3
Madhya Pradesh	2	3	115	108
Uttar Pradesh	6	16	835	353
Gujarat	1	.	5	—
Maharashtra	1	3	21	6
Andhra Pradesh	3	27	610	239
Karnataka	2	9	202	54
Kerala	2	4	32	3
Tamil Nadu	1	3	178	97
Total	36	122	2669	1161

£Excludes IRDP banking plans.

1.20 Purpose-wise details of sanctions and commitments made during the year are given in Statement 3. Of the total commitments of Rs 757 crores sanctioned during 1979-80, minor irrigation had the largest share (50%), followed by diversified activities other than farm mechanization and plantation and horticulture (25%), farm mechanization (16%) and plantation and horticulture (9%). With the increase in diversification of activities by the various agencies, minor irrigation component in the total investment is declining gradually. Purpose-wise distribution of sanction of schemes is given in Table 11.

TABLE 11—SANCTIONS DURING 1979-80—PURPOSE-WISE

(Rs crores)

Purpose	No. of schemes excluding IRDP	ARDC commitment including IRDP
Minor Irrigation**	1359	381
Land development	143	29
Farm mechanization	520	119
Plantation/Horticulture	376	65
Poultry farming/Sheep breeding/ Piggery	355	17
Fisheries	139	13
Dairy development	373	24
Storage and Market yards	215	29
Others	177	80
Total	3657	757

**Includes Rs. 25 crores sanctioned in respect of 270 SPA schemes.

1.21 A major development in 1979-80 has been the substantial commitments made by ARDC under IRD Programme. As on 30 June 1980, 92 banking plans, covering 671 blocks involving ARDC commitment of Rs 61 crores were sanctioned. State-wise and agency-wise position of IRD banking plans approved by ARDC is indicated in Statements 8 and 9. Summary position of sanctions under IRDP is biven below in Table 12.

TABLE 12—REGIONWISE POSITION OF SANCTIONS UNDER IRD PROGRAMME UPTO 1979-80

Region	Number of		ARDC commitments (Rs crores)
	Banking plans approved	Blocks covered	
Northern	3	6	1
North-Eastern	-	—	—
Eastern	2	3	1
Central	28	217	15
Western	17	81	9
Southern	42	364	35
Total	92	671	61

*Include RRBs

Substantial progress is expected under this programme during the coming year/s.

1.22 Cumulative sanctions by ARDC as on 30 June 1980 aggregated Rs 3077 crores (Statement 2). Of these, Rs. 1417 crores were sanctioned to commercial banks including RRBs, Rs. 1604 crores to SLDBs and Rs. 56 crores to SCBs (statement 5). Out of the total commitments minor irrigation formed 62 per cent.

1.23 The Corporation has been making efforts to cover all the blocks in the country by one scheme or the other. As on 30 Junt 1980, out of 5004 blocks in the country 4814 blocks had one type or other of ARDC schemes sanctioned for implementation. The corresponding number of blocks in

the previous year was 4621. The Corporation was successful in extending its operations to two Union Territories, viz. Andaman and Nicobar Islands and Dadra and Nagar Haveli which were not covered during the previous years. The number of uncovered blocks by ARDC schemes declined from 383 as on 30 June 1979 to 190 as on 30 June 1980. State-wise position of blocks not covered under ARDC sheemes is as under :

	No. of blocks
Andaman & Nicobar Islands ..	4
Arunachal Pradesh ..	48
Assam ..	34
Jammu & Kashmir ..	8
Lakshadweep ..	5
Madhya Pradesh ..	1
Manipur ..	11
Meghalaya ..	21
Mizoram ..	20
Nagaland ..	17
Orissa ..	4
Rajasthan ..	2
Tripura ..	5
Uttar Pradesh	2
West Bengal ..	8

2. STATE-WISE PROFILES

Andhra Pradesh

Andhra Pradesh led the other states in the matter of disbursements and supporting a variety of schemes. The APCCADB displayed great dynamism and availed of Rs 45.4 crores as against Rs 16.4 crores by commercial banks. The commitment of the Corporation during the year was Rs 109.2 crores bringing the cumulative figure to Rs 385.7 crores.

2.2 The agricultural development bank promoted diverse investments. Even though minor irrigation still formed a major portion of its commitment, it played an important role in land development in command areas of irrigation systems, both under the IDA supported schemes as well as otherwise. The bank obtained the necessary dispensation under its bye-laws and statute, to advance loans even without land as the base for security. Their share in disbursement in minor irrigation and land development was Rs 31.2 crores during the year. The commercial banks almost trebled their performance to Rs 16.4 crores as against Rs 6.8 crores during the previous year. In this, their share of minor irrigation and land development amounted to Rs 6.1 crores. Significant schemes sanctioned in the state during the year were the coffee plantation scheme in the non-traditional coffee growing areas of Visakhapatnam and a large scheme for inland fisheries in the Kolleru sweet water lake.

2.3 Specific mention may be made here of the Multi-State Cashew Project which has been recently sanctioned by IDA covering 18000 hectares in the state.

Assam

2.4 Refinance disbursed during the year at Rs. 2.86 crores was slightly higher than Rs 2.35 crores disbursed in the previous year. The entire refinance was drawn by commercial banks including Rs 7 lakhs by regional rural banks. Neither the SLDB nor the state co-operative bank availed of any refinance during the year. The cumulative disbursements made by the ARDC in the state came to Rs 10.04 crores. Out of Rs. 2.86 crores disbursed during the year, refinance for development of plantation/horticulture accounted for a major share of Rs 2.69 crores. The balance was accounted for by minor irrigation and other diversified purposes.

2.5 During the year, ARDC committed refinance assistance of Rs 20.69 crores. A major scheme to the Assam Plantations Corporation was sanctioned, with ARDC commitment of Rs 6.00 crores, for growing coffee and rubber with certain inter-crops. The balance out of the total commitment was accounted for by minor irrigation and other diversified purposes.

2.6 Much progress in promoting the investments could not be made on account of the continued weakness of the infrastructure facilities available including the inadequacy of surveys relating to ground water resources, the nature of the land tenure system and the paucity of trained staff. The area, during a large part of the year, also suffered from disturbed conditions. The reorganisation of the co-operative system was hindered by the happenings during the year.

Bihar

2.7 Bihar witnessed severe drought during the year in a large number of districts in Kharif season which continued during Rabi also. The heavy overdues during the preceding two years weighed heavily on SLDB inasmuch as only 13 out of 130 branches were eligible for unrestricted lending, 93 had restricted lending eligibility and 24 ineligible for any lending during the year. Therefore, the lending to SLDB during the year was limited at Rs 3.60 crores. The bank was unable to propose any new scheme for sanction by ARDC during the year.

2.8 As a result of the discussions held by the Chairman, ARDC and the suggestions made by a team of RBI/ARDC/ State government officers, a number of remedial measures were recommended. While some progress has been made in implementing these suggestions, further progress is yet to be made.

2.9 Commercial banks disbursed Rs 21.1 crores as against Rs 19.9 crores in the previous year. The disbursement was largely on account of minor irrigation at Rs. 14.6 crores. There was a sizeable demand for farm mechanization (including power tillers and threshers) which accounted for Rs 4.91 crores of the disbursement.

2.10 The IDA-assisted Bihar Agricultural Credit Project which was under implementation since 1974 was completed during the year. Similarly disbursements under IDA-assisted Market Yards Project were completed benefiting in all 49 markets.

Gujarat

2.11 The performance in the state was largely attributable to commercial banks, the relative share of the commercial banks and the land development bank being Rs 23.78 crores and Rs 1.19 crores respectively. Commercial banks' participation was substantial under minor irrigation programmes, particularly those of the Gujarat Water Resources Development Corporation (GWRDC) and energization programmes of Gujarat State Electricty Board (GSEB); it was relatively small under farm mechanization and other diversified purposes. The induction of commercial banks in Gujarat was necessitated mainly because of poor recovery performance by a large number of branches of the SLDB which made them ineligible for lending. Effective action on the rehabilitation plan of the SLDB advocated by a team consisting of officials of ARDC, ACD and GOI could not be implemented with speed for want of prompt decision on related matters.

2.12 The year witnessed considerable progress in the implementation of the IDA-assisted Integrated Fisheries Project and the ARDC has approved refinance assistance of Rs 1.29 crores for 85 mechanized trawlers: disbursements under this project would enable the drawal of foreign aid to the extent of $ 0.57 million.

2.13 Under the Command Area Development Programmes involving ARDC commitments of Rs 23 crores, interim finance to the extent of Rs 0.76 crore was sanctioned to financing banks during the year. However, there was no availment of refinance against the sanctions; the major constraint being the lack of appropriate legal framework empowering the GLDC to undertake on farm development works on an outlet basis and borrow funds from the financing banks. The State government is taking steps to remedy the lacuna. Other features of the year were the sanction of watershed schemes for soil conservation, a pilot ravine reclamation scheme and a commitment to provide refinance for replacement of assets of agriculturists in the flash flood affected Morvi—Malia areas.

2.14 The refinance commitment during the year was Rs 31.62 crores as against Rs 15.81 crores during the previous year.

Haryana

2.15 Haryana has been able to maintain a degree of consistency in availment of refinance from the Corporation,

This has been made possible by the continued good recovery performance of the financial institutions. The LDB, at the apex level, had a recovery performance of 100 per cent each year while the minimum in the case of the primaries has been 92 per cent. The availment of refinance during the year amounted to Rs 39.46 crores, of which commercial banks accounted for a little more than half and the LDB one-third. Being progressive in agriculture, disbursements in the state under farm mechanization at Rs 14.36 crores were more or less on par with the disbursements under minor irrigation. Disbursements by LDB under minor irrigation were largely for dugwells and tubewells while in the case of the commercial banks they were mainly under deep tubewells and lining of water courses.

2.16 Disbursements received a boost by adherence to the time bound programme for implementation of the Haryana Irrigation Project aided by the IDA which became effective on 14 December 1978. Besides deep tubewells and lining of water courses, the project includes financing construction of 26 market yards. Sixteen of these markets are in varying stages of completion. The state has also been able to make headway in the implementation of the ICDP. Apart from sizeable disbursements under short-term production loans, the two ginneries and seed processing unit are under various stages of construction.

2.17 A significant step taken by the State government for forward planning in regard to institutional finance was the finalisation of the Report of the Joint Institutional Survey Team which envisages an investment finance of Rs 366 crores over the next five years in the different sectors of agriculture and allied activities.

2.18 The refinance commitment during the year was Rs 37.26 crores as against Rs 47.11 crores during the previous year. The aggregate commitment since inception was Rs 230.4 crores of which Rs 140.1 crores were availed of.

Himachal Pradesh

2.19 Commercial banks in the state availed of refinance to the extent of Rs. 181 lakhs during the year as against Rs 44 lakhs in the previous year. Horticulture development was a major activity financed during the year inasmuch as Rs 177 lakhs including Rs 159 lakhs under IDA-assisted Apple Processing and Marketing Project, was for this purpose while the balance of Rs 4 lakhs related to dairy development. The SLDB drew only Rs 4 lakhs, of which Rs 3 lakhs were for plantation and horticulture and the balance of Rs. 1 lakh for minor irrigation purposes.

2.20 Implementation of IDA-assisted Apple Project in the state was in progress. However, construction works relating to roads, cold storages and cableways were held up due to shortage of essential raw materials like blasting material, cement and bitumen. Disbursement at the end of the year amounted to Rs 204 lakhs as against Rs 488 lakhs required under the project.

2.21 With 8 schemes involving commitment of Rs 62 lakhs sanctioned during the year, the total commitments made by ARDC in the state amounted to Rs 9.10 crores in respect of 39 schemes as at the end of June 1980 against which aggregate refinance availed of was of the order of Rs 2.86 crores.

Jammu & Kashmir

2.22 The refinance availed by the financing banks in the state during the year was lower at Rs 12 lakhs as compared to Rs 14 lakhs in the previous year. The performance of the SLDB was better than last year marginally, the entire refinance availed related to their lendings in respect of farm mechanization. Commercial banks availed Rs 5 lakhs, of which Rs 3 lakhs were for dairy development, Rs 1 lakh for farm mechanization and the balance of Rs 1 lakh was for plantation and horticulture development.

2.23 IDA-assisted Horticulture Project was under implementation in the state and during the year, financial assistance for setting up of two apple grading and packing centres was sanctioned.

2.24 With the addition of refinance commitment of Rs 78 lakhs during the year in respect of 6 schemes, the cumulative commitments stood at Rs 257 lakhs as at the end of June 1980, of which Rs 135 lakhs were availed of by the financing banks.

Karnataka

2.25 Disbursements by commercial banks were very prominent and of their share, more than 85 per cent was for diversified purposes; the amounts for farm mechanization and minor irrigation accounted for about 5 and 6 per cent respectively. The lending to the land development bank was of the order of Rs 4.0 crores, of which 64 per cent was for minor irrigation and the balance for farm mechanization and other diversified purposes.

2.26 Disbursement during 1979-80 at Rs 13.87 crores was marginally lower than that of the preceding year; the deline was accounted for by the performance of the land development bank. Unlike in many other states, minor irrigation formed about 25 per cent of the total, while nearly three-fourths was accounted for by schemes under diversified purposes other than farm mechanization. The commercial banks have been more active in the state. The land development bank has not been able to reactivise itself after the set-back it suffered during 1978-79. With the various steps initiated in management reorganisation, recovery of overdues etc, the bank in the coming years should be able to play a larger role. The total commitment of ARDC in the state was Rs 213.42 crores and the utilisation has been only Rs 118.11 crores.

2.27 Much progress could not be achieved under area development programme under the Karnataka Irrigation Project on account of the delay in effectively bringing on the statute book, the necessary legislative measures. At the close of the year, the rules under the law were being formulated. On account of this, even though the command area authorities had been set up, they could not wield effective power.

2.28 Another important scheme was the Sericulture Project launched with the aid of IDA. Details of banking plan have been finalised and the implementation is expected to commence from 1980-81. Two other schemes with IDA assistance are in progress in the state. The Market Yards Project had made progress as the utilization of credit worked out to 80 per cent of the allotment at the end of June 1980. The disbursement under Karnataka Dairy Project for cross-bred cows could not pick up on account of the non-availability of quality animals.

Kerala

2.29 There has been an improved performance by the land development bank during 1979-80 inasmuch as it has been able to avail of Rs 4.82 crores from ARDC, as against Rs 5.16 crores by the commercial banks. The investment rate which appreciably increased in 1978-79 seems to have levelled off. Amongst the purposes, there has been a gradual pick up of loans for minor irrigation, while there was virtual avsence of any lending for farm mechanization. Nearly 55 per cent of the aggregate advances were for diversified purposes other than farm mechanization particularly for plantations (32%).

2.30 Special mention may be made of the Kerala Agricultural Development Project, aided by IDA. The progress thereunder was not as fast as was expected on account of the initial procedural hurdles and the general reluctance of the potential beneficiaries for the coconut rehabilitation planned for which lending to the extent of Rs 13 crores (or about 33 per cent of the project) could not be proceeded. Further, in respect of rubber processing units, the progress was not satisfactory in view of the difficulties in acquiring suitable lands for the location of the factories.

2.31 During the year, IDA had approved a cashew project for implementation in four states of which Kerala is one. The project envisages development of 12000 hectares in Kerala.

2.32 The other two major projects under implementation in the state are Kuttanad Land Development Project and Trichur Kole Land Reclamation and Development Project. Under the former, substantial refinance of the order of Rs 6.06 crores was availed of. Refinance availed of under the latter project was only Rs 1.16 crores as against the commitment of Rs 3.57 crores. The slow pace of drawals was attributed to the delays in starting the implementation.

2.33 The LDB in the state had been maintaining a uniformly satisfactory percentage of collection. The level of

overdues for 1977-78 and 1978-79 at the state level was only 5.0% and 4.9% respectively. During the last two years, except Wynad PLMB, all the ramaining PLMBs have been eligible for unrestricted lending under the system of regulation of lending.

Madhya Pradesh

2.34 Disbursements during 1979-80 over the previous year have more than doubled to Rs 36.47 crores as against Rs 16-66 crores in 1978-79. The commercial banks accounted for a sizeable share of this ; their drawal of refinance increased from Rs 9.55 crores in 1978-79 to Rs 24.63 crores, while the LDB increased its drawals in the same period from Rs 7.11 crores to Rs 11.84 crores. Disbursements were weighed in favour of minor irrigation which received priority allocations by the State government. Schemes for land development, farm mechanization and other diversified purposes have made only marginal impact.

2.35 The performance of the LDB was not upto the expectation on account of large overdues in several of the PLDBs and their consequent ineligibility for unrestricted lending ; out of 45 PLDBs only 16 PLDBs were eligible for unrestricted lending, 28 were having restricted lending and one was totally ineligible for any programme. The overdues at the apex level formed 47.3% of demand in 1978-79.

2.36 The disbursements under the Command Area Development Programmes assisted by IDA and KFW separately under implementation in the state, as reported last year, continued to be slow ; the major constraints were identified as inadequacy of requisite machinery and trained personnel, delays on account of legal problems in the completion of documentation and lack of interest on the part of farmers. The period of implementation of IDA-assisted Chambal Project which was originally to be completed by 31 December 1979 was extended upto June 1981.

2.37 Madhya Pradesh was one of the states included in the IDA-assisted Multi-State Inland Fisheries Project.

2.38 The refinance commitment during the year was Rs 105.95 crores as against Rs 60.63 crores during the previous year. The aggregate commitment since inception was Rs 299.99 crores of which Rs 140.88 crores has been availed of.

Maharashtra

2.39 Improved performance by both the land development bank and the commercial banks was witnessed during the year. Overall, the performance increased by one half and reached Rs 36.9 crores consisting of Rs 20.4 crores by the LDB and Rs 16.5 crores by the commercial banks. While as much as Rs 27.2 crores excluding Rs 0.34 crore under ICDP accounted for by minor irrigation, disbursements under land development, either as interim finance or final payment, stood at Rs 0.63 crore. Diversified purposes, other than farm mechanization, accounted for Rs 4.9 crores covering largely poultry, sheep breeding, milch cattle and bullock carts. The disbursement under farm mechanization schemes was Rs 3.8 crores and the tractors provided were intended for sugarcane areas mostly.

2.40 Amongst the special types of schemes for which the Corporation committed funds in the state, mention may be made of the venture to build a factory for the manufacture of Marek's vaccine for immunising the day-old chicks against Marek's disease. The project on full development is expected to considerably reduce the need to import the vaccine required for poultry. Mention may also be made of the support offered to the APMC* to establish a new market complex in New Bombay to which the State government proposes to shift the wholesale market for onion and potato at present located in the different parts of the city.

Manipur

2.41 As in the previous year, the state co-operative bank participated in the schemes supported by ARDC in the state. The refinance availed of by it during the year was, however, lower at Rs 10 lakhs as compared to Rs 43 lakhs during the previous year. Farm mechanization was a major purpose for which Rs 5 lakhs were utilised, plantation and horticulture absorbed Rs 3 lakhs and the balance of Rs 2 lakhs related to fisheries development Groundwater potential was not being exploited in the state due to physiographical constraints. Inherent weekness of the co-operative credit structure, lack of response from farmers, absence of land records in hilly areas and the disturbed law and order situation were the other major constraints inhibiting the progress in the implementation of the agricultural development schemes in the state.

2.42 The cumulative commitments of ARDC reached a level of Rs 271 lakhs in respect of 82 schemes as at the end of June 1980 inclusive of 55 schemes with commitments of Rs 72 lakhs sanctioned during the year and aggregate refinance availed amounted to Rs 89 lakhs only.

Meghalaya

2.43 There had been no progress in regard to the sanctions and availment of refinance during the year in the state. The Corporation had sanctioned till last year in all 5 schemes in the state involving a commitment of Rs 59 lakhs, of which Rs 49 lakhs were in favour of commercial banks and the balance of Rs 10 lakhs in favour of the state co-operative bank. Forestry development was a major purpose for which a commitment of Rs 44 lakhs was made by ARDC. The scheme is to be implemented by the Forest Development Corporation. No drawals have been made so far.

Nagaland

2.44 No new scheme was sanctioned for the state during the year and no refinance was also drawn against the schemes sanctioned earlier. The total number of schemes sanctioned at the end of June 1980 stood at 6 involving financial assistance of Rs 50 lakhs and ARDC commitment of Rs 47 lakhs, of which a sum of Rs 30 lakhs was for land development and the balance of Rs 17 lakhs related to diversified purposes. Refinance availed of by the state co-operative bank and commercial banks in the state upto end of June 1980 stood at Rs 11 lakhs and Rs 7 lakhs respectively. The main factors affecting the progress of agricultural development in the state include absence of land records, poor motivation among farmers, lack of technical staff, inadequacy of infrastructural facilities, etc.

Orissa

2.45 The performance of financing banks during the year was handicapped by the severe drought which affected more than 50 per cent of the villages in the state. Despite this, the progress was appreciable. The commercial banks fared better (Rs 5.63 crores), while the land development bank came next (Rs 4.80 crores). The state co-operative bank together with the central co-operative banks availed of Rs 2.72 crores. Substantial part of disbursements was under minor irrigation at Rs 10.88 crores, out of a total of Rs 13.15 crores followed by purposes other than farm mechanization at Rs 1.93 crores. Nearly 60 per cent of the disbursement was for small farmers as defined by ARDC. The banks were handicapped in lending by the weakness of the infrastructure including the absence of adequate technical support.

2.46 A large part of the state is inhabited by Adivasis and in order to identify the pre-development potential, a team of ARDC officers visited Rayagada, a tribal block in Ganjam district in April 1980 to assess the groundwater potential and based upon the findings, a model dugwell scheme had been prepared and sent to the State government for necessary action.

Punjab

2.47 The state recorded a three-fold increase in availing of refinance facility from the ARDC during 1979-80 with a drawal of Rs 50.2 crores, as compared to Rs 16.2 crores. during the previous year. The spurt was largely accounted for by commercial banks. Being a progressive state in agriculture, there was a heavy demand for farm mechanization accounting for Rs 32.08 crores, the share of the land development bank being Rs 8.62 crores. Minor irrigation accounted for Rs 11.07 crores largely on account of lining of water courses and deep tubewells. Disbursement of Rs 5.57 crores for other diversified purposes was only by commercial banks. A significant feature during the year was the commencement of the implementation of the Punjab Irrigation Project aided by IDA and disbursements under this project enabled the drawal of foreign aid to the extend of $ 3.6 million.

2.48 Among the special schemes sanctioned in the state mention may be made of the commitment to the proposal of Punjab Backward Class Land Development Finance Corporation to finance through commercial banks 1000 dairy units to be set up by unemployed educated youth belonging to backward classes and small and marginal farmers. Another

was the scheme formulated by the Punjab State Warehousing Corporation for construction of 7 lakh metric tonnes storage capacity in the state comprising 2 lakh metric tonnes by the corporation and 5 lakh metric tonnes by private parties backed by the corporation's guarantee for occupation.

2.49 The SLDB continued to have good recovery which enabled them along with commercial banks to ensure a larger flow of refinance in the state. The commitment made by ARDC was Rs 70.01 crores as against Rs 36.9 crores in the previous year. The aggregate commitment amounted to Rs 232.76 crores out of which availment was Rs 144.38 crores.

Rajastran

2.50 Among the highlights of the year were : (i) the state was able to improve marginally the performance during the year with better disbursements by the state land development bank; (ii) the commercial banks were not able to maintain their performance; (iii) the regional rural banks availed of refinance for the first time; and (iv) the state co-operative bank recorded a disbursement of about Rs 1 crore under the Antyodaya Programme.

2.51 While the overall disbursements increased from Rs 16.2 crores in 1978-79 to Rs 18.15 crores during the year, the purposewise disbursements showed varying trends. While there was a marginal improvement in disbursements under minor irrigation and diversified purposes, there was a fall in the aggregate disbursements under land development and farm mechanization. The increase in disbursements under diversified purposes was on account of a special programme sanctioned to the state co-operative bank viz. the Antyodaya Programme intended to help the weakest among the weaker sections of the community.

2.52 The progress under the IDA-assisted Rajasthan Canal Command Area Development Project was slow mainly due to shortage of cement and other materials, delay in allotment of large blocks of land to the eligible farmers as well as legal and procedural difficulties in regard to transferability of land. The execution of on-farm development works under the IBRD-assisted Chambal Command Area Development Project was also affected by constraints such as legal and procedural difficulties in realignment of land among the farmers, lack of adequate machinery and equipments, etc.

2.53 During the year, one new project viz. Rajasthan Command Area Development and Settlement Project has been sanctioned by the International Fund for Agricultural Development (IFAD) involving loan assistnce for land development in 2.51 lakh hectares and refinance commitment of Rs 41.76 crores over a period of 5 years beginning from 1980-81.

Tamil Nadu

2.54 There was virtual inactivity in the state on the part of financial institutions in making available finance for agricultural investment. As against a high level of Rs 16 crores reached in 1976-77, term-lending business in agriculture dwindled to Rs 9.64 crores in 1979-80. The share of the SLDB was as small as Rs. 2.87 crores while that of the commercial banks, Rs 6.77 crores. In view of the limited role assigned by the State government to the commercial banks in financing minor irrigation, as much as Rs 6 crores, including Rs 0.61 crore for farm mechanization were advanced for other diversifed purposes. Though the State government had appointed a High Power Committee to enquire into the dissatisfaction of the agricultural community, the action initiated by the State government did not satisfy them and the agitation was kept alive throughout the year. The consequence of the delinquency in the case of co-operative dues had its adverse effects on the operations of the commercial banks also.

2.55 Among the successful schemes, mention may be made of the working of the Tea Plantation Corporation established for the purpose of rehabilitating the Sri Lanka repatriates on a gainful basis. The only regional rural bank at Sattur has made a promising start having disbursed Rs 109 lakhs by way of term loans and availed of refinance from ARDC to the extent of Rs 97 lakhs.

Tripura

2.56 Refinance disbursed in the state during the year was Rs 11 lakhs by the commercial banks as against Rs 1 lakh in the previous year. Minor irrigation absorbed Rs 3 lakhs and the balance of Rs 8 lakhs was for diversified purposes; of which Rs 3 lakhs for fisheries development, Rs 2 lakhs for plantation and horticulture and Rs 3 lakhs for other purposes. The forestry development scheme is to be implemented through Tripura Forest Development and Plantation Corporation Ltd.

2.57 Progress in the agricultural development of the state was halting for various reasons, more important of which related to weakness of the co-operative credit structure, absence of infrastructure facilities, uptodate land records and lack of motivation among tribals.

Uttar Pradesh

2.58 Total commitments of ARDC in the state amounted to Rs 103 lakhs as at the end of June 1980 of which Rs 37 lakhs were committed during the year in respect of 5 schemes. Refinance availed by the financing banks in the state aggregated Rs 23 lakhs at the end of the year.

2.59 Uttar Pradesh was affected by special circumstances. The widespread drought witnessed in certain belts of Northern India was severe in Uttar Pradesh. Further the land development bank which was poised for good work was affected by internal troubles which handicapped the working of the institution in the last quarter of the year. The disbursement by LDB for the year amounted to Rs 28.65 crores as compared to Rs 26.11 crores last year. The performance of the commercial banks was equally significant with disbursement of Rs 27.95 crores. The basic difference in the disbursement of the two categories of institutions was that while the disbursement of the former was wholly for minor irrigation, the commercial banks' disbursement was largely for farm mechanization (Rs 18.22 crores), followed by minor irrigation (Rs 6.29 crores) and other diversified purposes (Rs 3.44 crores).

2.60 Two new types of developmental activities for which refinance was committed by ARDC during the year related to installation of cold storage for preservation of potatoes both by the co-operative and private sectors and creation of additional storage capacity by a co-operative sugar factory.

2.61 ARDC had committed refinance to the extent of Rs 12.5 crores during the year in respect of Command Area Development Programme in Ramganga, Sharda Sahayak and Gandak areas under implementation in the state. The work on the project had made good progress. However, participating banks had not availed of any refinance because of the unwillingness of the beneficiaries to complete the documentation formalities for conversion of interim finance and procedural difficulties in regard to creation of mortgages, etc.

2.62 The National Seed Project Phase II and the Inland Fisheries Project assisted by IDA are under implementation in the state.

West Bengal

2.63 ARD's commitments in the state during the year were lower at Rs 12.4 crores for 109 schemes as against Rs 23.8 crores for 97 schemes in the previous year. Scheme formulation efforts appear to have received a setback due to delays in the issue of clearance certificates for ground and surface water resources potential. The total commitment aggregated Rs 78 crores in respect of 402 schemes as at the end of June 1980. Of the commitments made during the year, Rs 5.2 crores related to minor irrigation and the balance of Rs 7.2 crores was for diversified purposes, of which a sum of Rs 1.7 crores was for farm mechanization.

2.64 The refinance disbursed during the year in the state at Rs 9.81 crores was also marginally lower than Rs 10.4 crores disbursed in the previous year. The cumulative disbursement of the Corporation reached a level of Rs 38.81 crores as at the end of June 1980.

2.65 Commercial banks attempted a more balanced disbursement than the land development bank. The land development bank disbursed Rs 4.4 crores during the year, of which Rs 3.4 crores was for minor irrigation. The commercial banks disbursed Rs 5.4 crores, of which Rs 3.1 crores was for other diversified purposes, Rs 2.0 crores for minor irrigation and only a nominal sum for farm mechanization. This position prevails largely on account of the restrictive provisions that exist in regard to securities in the case of land development bank. With a view to accelerating the growth of financing, the State government has set up study groups to

identify schemes in different sectors and they are in various stages of progress.

2.66 The period of IDA-assisted Agricultural Development Project under implementation in the state, which was to be closed on 30 March 1980, was extended by one year.

2.67 The State government had decided to implement the schemes of community nature through the Anchal Panchayat Samities and the Zilla Parishads under the Integrated Rural Development Programme. ARDC had indicated its willingness to refinance the banks' lending to Panchayat Samities on an experimental basis subject to certain safeguards.

3. IMPORTANT POLICY DECISIONS DURING THE YEAR

(1) *Loans to small farmers by PLDBs under rehabilitation*

To encourage larger credit flow to small farmers, ULDBs/branches having some eligibility for fresh loaning, operating in the areas covered by the special programmes such as SFDA, DPAP, CADA, etc, were permitted to lend to small farmers identified as such under these programmes without restrictions, as per the relaxations which became operative from January 1979. It was further decided during the current year to extend to PLDBs/branches having no eligibility, the facility of lending to small farmers, provided a time-bound programme of rehabilitation covering, among others, measures to strengthen the organisation, improving financial viability, augmenting technical support and reducing overdues over a reasonable period of time was drawn for the concerned PLDB/branch to the satisfaction of RBI/ARDC.

(2) *Concessional refinance at 90% of the loans to special programmes*

3.2 The refinance facility of 90 per cent was hitherto available for SFDA and special schemes for the benefit of scheduled castes, scheduled tribes, girijans, etc. The Corporation extended the facility of ninety per cent refinance in November 1979 to such special programmes which are either in ecologically or economically handicapped areas or are directed to beneficiary groups such as Desert Area Development and Hill Area Development, CAD, IRD, etc. for the weaker sections under the aegis of these special agencies subject to certain conditions, viz. subsidy will be routed through the banks, Government of India/State government employed suitable supervision and auditing procedures in regard to identification of beneficiaries and efficient administration of funds.

(3) *Financing of Corporate Bodies by SLDBs*

3.3 ARDC, in consultation with RBI, decided to allow SLDBs to a limited extent, financing of corporate bodies which have been set up mainly to benefit the farmers such as market committees, warehousing corporations, etc. The quantum of refinance will be ranging from 75 to 90 per cent of the loans disbursed subject to certain conditions depending upon the purpose of development.

(4) *Interim finance to SLDBs*

3.4 In the context of its efforts to build up the co-operative institutions and to facilitate satisfactory management of resources position in respect of lendings of SLDBs under special debenture programmes, the Corporation has decided to provide interim finance to SLDBs with effect from 1 January 1980. The interim finance is expected to serve as bridge finance to tide over the time lag between the date of disbursement of the loans to ultimate borrowers and the date of issue of special debentures and will carry interest at 10 per cent per annum for the present.

(5) *Postponement of loan instalment recovery by SLDBs*

3.5 In view of the difficulties expressed by SLDBs in providing rescheduling facility to the borrowers affected by the natural calamities where the State governments have declared annewari of 6 annas or less and suspended/remitted land revenue and recovery of government dues, RBI/ARDC decided that borrowers affected by natural calamities may be given the facility of postponing the recovery of loan instalments due by extending the period of loan, subject to certain conditions. The Corporation also decided to consider deferring the redemption of the relative debentures held by it, if owing to such postponement of recovery of instalments, SLDBs are not in a position to meet the financial commitments regarding annual payments from their own funds.

(6) *Conversion of short-term ICDP loans into medium term loans*

3.6 Under the Integrated Cotton Development Project (ICDP), the Corporation has been providing refinance to selected commercial banks and state co-operative banks for growing improved varieties of cotton in the project areas. In view of severe drought conditions arising in the project area in Haryana, the Corporation agreed to allow conversion of a portion of short-term loans given to SCB in Haryana under the programme into medium term loans subject to the same terms and conditions under which conversion facilities are extended by RBI.

(7) *Recovery performance of commercial banks/regional rural banks*

3.7 With a view to ensuring that the necessary attention is provided by the commercial banks/regional rural banks on the problem of overdues and the follow-up action needed with reference to specific agricultural development programmes an dthe branches implementing them, ARDC advised the commercial banks/regional rural banks to furnish in the scheme proposals submitted to the Corporation for sanction, details regarding recovery performance of the Corporation for sanction, details regarding recovery performance of the branches participating in the relative schemes. If overdues of the participating branches exceeded 50 per cent of the demand under term loans, as on 30 June of the preceding year or as of the latest due date, the banks were required to indicate the causes for such high level of overdues and steps taken or being taken for improving their recoveries.

(8) *Refinance for construction of foodgrain storage godowns*

3.8 In the context of the schemes formulated by the Government of India for construction of rural godowns with subsidy to the extent of 50 per cent of construction work (25 per cent by GOI and 25 per cent by concerned State government) to serve the economic interests of the farming community by providing them storage facilities for their agricultural produce as well as fertilisers, pesticides, seed and other agricultural inputs, the Corporation agreed to extend refinance assistance to the extent of 80 per cent of the loans given by eligible institutions for construction of such godowns by co-operative societies/marketing societies/market committees/state warehousing corporations.

(9) *Refinance for mechanical compost plants*

3.9 The Corporation decided to provide refinance facilities in respect of bank loans for construction of mechanical compost plants in metropolitan towns or large cities through joint ventures set up by Municipal Corporations and Agro-Industries Corporations or similar agencies provided the schemes are cleared by GOI or State governments for subsidy. Necessary guidelines have been issued in this regard

4. MAJOR OBJECTIVES AND ACHIEVEMENTS

The Corporation continued the pursuit of its major objectives vigorously viz. reduction in regional imbalances, institution building, improving small farmer coverage under its programmes and diversification of business. Considerable progress was made during the year in attaining these objectives.

4.2 The percentage of disbursements in less developed areas to the total disbursements increased to about 40 in 1979-80 from 19 in 1972-73 (Table 13 below). In furtherance of its insttiution building efforts and with a view to building up the capability of LDBs for improving the quality of the schemes, ARDC has offered to help them in the setting up of technical cells through assistance from the Research and Development Fund. Further, ARDC, in collaboration with RBI had also drawn up the programme of rehabilitation of the land development banks including their affiliated primaries or branches of the unitary structures, particularly in five states (Bihar, Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra and Karnataka). The level of overdues in

TABLE 13—DISBURSEMENT MADE IN LESS DEVELOPED/UNDER-DEVELOPED STATES

Rs lakhs

State/Union Territory	Disbursements during				Disbursements upto 30 June 1980
	1972-73	1977-78	1978-79	1979-80	
Himachal Pradesh	—	23 (0·1)	50 (0·2)	185 (0·5)	286 (0·2)
Jammu & Kashmir	—	15 (0·1)	14 (—)	12 (—)	135 (0·1)
Rajasthan	136 (1·4)	1312 (5·6)	1616 (5·7)	1815 (4·4)	7084 (4·1)
Assam	—	273 (1·2)	235 (0·8)	286 (0·7)	1004 (0·6)
Manipur	—	23 (0·1)	43 (0·2)	10 (—)	89 (0·1)
Meghalaya	—	—	—	—	—
Nagaland	—	5 (—)	—	—	18 (—)
Tripura	—	8 (—)	1 (—)	11 (—)	23 (—)
Bihar	154 (1·6)	1864 (8·0)	2253 (7·9)	2468 (6·0)	11523 (6·6)
Orissa	11 (0·1)	816 (3·5)	875 (3·1)	1315 (3·2)	4042 (2·3)
West Bengal	4 (0·1)	996 (4·3)	1045 (3·7)	981 (2·4)	3881 (2·2)
Andaman & Nicobar Islands	—	—	—	1 (—)	1 (—)
Madhya Pradesh	319 (3·4)	1670 (7·1)	1666 (5·9)	3647 (8·9)	14088 (8·1)
Uttar Pradesh	1143 (12·1)	4317 (18·4)	4877 (17·1)	5660 (13·7)	26935 (15·5)
Total (All less developed states)	1767 (18·8)	11322 (48·3)	12675 (44·5)	16391 (39·8)	69109 (39·8)
Total (All India)	9414 (100·0)	23430 (100·00)	28487 (100·0)	41223 (100·0)	173819 (100 0)

Figures in brackets represent percentages to total—All India)

commercial banks also has been the cause of serious concern and in consultation with CALCOB, ARDC is insisting on the banks taking specific steps where overdues exceeded 50% of demand. The anticipated shift towards lending for diversified purposes has been materialising during the last few years. Refinance provided by the Corporation for diversified purposes (other than farm mechanization) reached a level of 20 per cent of ARDC lending.

Small Farmers Coverage

4.3 Commencing from the First ARDC Credit Project in 1975, the Corporation has been paying special attention to cater to the needs of the small farmers. While the original definition of small farmers, as those having a pre-developmental net income of Rs. 2000/- per annum at 1972 rices on the basis of All-India Agricultural Labour Consumer Price Index continues, the income level will be Rs. 3200 (December 1979 index) with slight variations on the basis of individual state indices. The Corporation ensured coverage of the farmers under the programmes of the Small Farmers Development Agencies, the Drought Prone Area, CADA, etc. The special facilities provided by the Corporation to ensure larger flow of resources to small farmers are: (i) lower rate of interest prescribed for lendings to beneficiaries at 9½% for all purposes, (ii) longer period for repayment and lower down payment, (iii) larger quantum of refinance facility to the banks at 90% of disbursements, (iv) specific assistance in drawing up the banking plans for IRD programmes which are being treated as scheme proposals by banks, etc. in collaboration with the state authorities including those of SFDA, DPAP and CADA. During 1979-80, it has been possible for member banks to attain 58% coverage of small farmers on the overall, 61% in respect of minor irrigation and 47% under diversified purposes other than farm mechanization and storage and market yard complexes. Data on small farmer coverage in 1979-80 under all ARDC programmes is presented in Table 14 below :

TABLE 14—FINANCE TO SMALL FARMERS*

(Rs crores)

Purpose	Total disbursement during 1979-80	Disbursement to small farmers during 1979-80		Percentage
		Amoun	No. of accounts	
Minor irrigation and land development	235·8	144·2	192000	61·2
Diversified purposes	57·2	26·1	65000	46·9
Total . .	291·5	170·3	257000	58·4

*Provisional

Note: Excludes farm mechanization, storage and market yards, interim finance under CADP in Madhya Pradesh ICDP disbursements, etc.

4.4 ARDC has fixed its goal at 60% coverage of small farmers during the Third ARDC Credit Project. The Corporation, however, continued to experience difficulty in collecting data relating to the coverage of small farmers under various ARDC programmes from member banks on a systematic and regular basis.

5. PROJECTS WITH EXTERNAL AID

I IDA/IBRD Projects

The Second ARDC (General Line) Credit Project sanctioned by IDA in August 1977 with a credit allocation of $ 200 million was fully disbursed by 30 December 1979. The Third ARDC Credit Project (General Line) became effective from 2 January 1980. Three more projects, viz. an inland Fisheries Project, a Multi-state Cashew Project and the Karnataka Sericulture Project were negotiated with IDA, by GOI, State Governments and ARDC during the year. A credit of $ 27.2 million is being routed through the ARDC under these three programmes. With the negotiations of these three credits from the IDA during the year, the total amount of credit to be channelled through ARDC stands at $ 1200 million.

5.2 Mention was made in the last year's Annual Report about the interest evinced by other International Aid Agencies or countries like United Kingdom, CIDA (Canada), KFW of West Germany, EEC, Switzerland and Netherlands in providing resources to ARDC to further its involvement in rural development programmes in the country. During the year, ARDC availed credits from U.K., EEC and CIDA. The GOI also signed agreements with Switzerland, Netherlands and USAID for providing assistance to ARDC programmes. Discussions for credit from KFW of West Germany and further credit from EEC were in advanced stages. In all, assistance of the order of nearly $ 180 million may be available from the donor countries for additional support under Third ARDC Credit Project.

5.3 At the end of June 1980, apart from the 3 general general lines of credit, 37 projects have been sanctioned by the World Bank Group for which credit for on-farm development is being routed through the ARDC. This included 12 agricultural credit projects, 7 command area development projects, 3 seeds projects, 3 fisheries projects, 2 market yards projects, 3 dairy development projects, 3 seeds projects, 3 fisheries projects, 2 market yards projects, 2 horticultural marketing projects, 2 irrigation projects, an integrated cotton development project, a multistate cashew project and a sericulture project. The details regarding the purposewise lending programme, disbursements made so far as well as the amount reimbursed under all the projects and credit eligible from IDA for reimbursement at the end of june 1980 are given in Table 15.

TABLE 15—IDA/IBRD PROJECTS ACCORDING TO PURPOSE

(Rs. crores)

Purpose	Disbursement necessary to utilise the IDA Credit	Amount of IDA/ IBRD Assistance for ARDC programme	Refinance provided by ARDC as on June 1980	Amount of disbursement from IDA/ IBRD through GOI as on 30 June 1980	Amounot credit eligible from IDA (million)
1. Minor Irrigation	1230·9	680·5	787·2	488·2	598·0
2. Land development	11·7	8·3	5·8		3·8
3. Farm mechanization	93·3	57·3	64·9		39·1
4. Market yard development	23.8	17.2	21.3	14.6	19.6
5. Processing and marketing of perishable horticulture products	14·3	12·6	2·0	—	2·3
6. Dairy development	41·1	33·6	0·1	—	—
7. Command area development	68·6	46·5	9·6	5·3	5·8
8. Seed production	51·0	35·9	2·2	1·9	1·3
9. Diversified purposes **(such as trec crops, poultry, etc.)	194·4	103·0	105·8	36·1	59·3
10. Fisheries development	28·7	15·5	1·5	—	0·9
11. Cotton development and processing+	16·1	10·3	6·5	3·2	5·7
	1773·9	1020·7	1006·7	549·3@	735·8@

**Includes development of plantation crops)in Kerala.

+Includes short-term credit of $7·5 million earmarked for growing improved variety of cotton under the ICDP.

@Does not include credit from donor countries to the extent of 154 millions.

5.4 Brief details of individual projects are indicated in Statement 11. The data regarding total lending programmes, disbursements and other details are given in Statement 12.

5.5 Fourteen projects involving an IDA Credit of $ 600 million have been fully implemented by June 1980. This comprised 10 agricultural credit projects, 2 general lines of credit, 1 market yards projects and 1 seeds project. Brief review of the various categories of IDA-assisted Projects is indicated in the following paragraphs.

A. *ARDC (General Lines) Credit Projects*

5.6 With the successful disbursement of First (General Line) ARDC Credit Project in June 1977 ahead of schedule, the implementation of the Second (General Line) ARDC Credit Project commenced from July 1977. This project was also fully disbursed by December 1979. The ARDC disbursement under the Second (General Line) Credit aggregated Rs. 312 crores which was in excess of the disbursement necessary to absorb the allocated credit of $ 200 million by nearly Rs. 15 crores. The excess disbursements were picked up under the Third (General Line) Credit. Of the drawal of $ 200 million under the Second (General Line) Credit, minor irrigation investments accounted for 81 per cent at $ 167.2 million; for diversified lending the utilization of credit was of the order of $ 32 million and for training programme a credit of $ 0.8 million was availed of. More evenness was possible in the disbursement of refinance assistance under the Project in the various states. As many as 22 states and union territories were benefited under the Project. The Third (General Line) Credit became effective from 2 January 1980 and the implementation is gaining momentum. ARDC disbursement till the end of June 1980 under the project at Rs. 139.7 crores would entitle ARDC to draw a credit of $ 84.2 million. This level of disbursement exceeded the IDA appraisal estimates of drawal under the project by June 1980 at $ 50 million by nearly $ 34 million.

B. *State Agricultural Credit Projects*

5.7 Agricultural credit projects sanctioned individually for the states of Gujarat, Haryana, Punjab, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar have been fully disbursed. ARDC's disbursement in these projects aggregated Rs. 372.8 crores involving IDA Credit of $ 311 million. Presently the West Bengal Agricultural Development Project and the Kerala Agricultural Development Project and the Kerala Agricultural Development Project are under implementation. The disbursements by the financing institutions under the West Bengal Agricultural Development Project at the end of June 1980 amounted to Rs. 23.7 crores which would qualify for credit of $ 15.7 million. The progress of shallow tubewells programme has been satisfactory. Initially, this component

which was being implemented in 6 districts of West Bengal has been extended now to the whole state. The deep tubewells programme, setting up of agro-service centres and development of market yards are proceeding at a relatively slower pace. The project closing date has been extended upto March 1981. In the Kerala Agricultural Development Project there has been inadequate response for coconut rehabilitation. The project is to be reshaped by modifying some of the components by inducting new areas, etc. Proposals in this regard are to be formulated by the State Government. The ARDC disbursement under this project at the end of June 1980 totalled Rs. 1.85 crores.

C. *Command Area Development Projects*

5.8 Seven Command Area Development Projects are being assisted by World Bank Group for which credit for on-farm development is being routed through ARDC. These comprise one project each in Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra and Orissa and two projects in Rajasthan. In the Andhra Pradesh Irrigation and Command Area Development Composite Project ARDC disbursement at the end of June 1980 amounted to nearly Rs. 2 crores. Recently, legislation making it obligatory for farmers in command areas to undertake systematic land levelling of their holdings has been cleared by the Government of India and a Bill is likely to be introduced in the State Legislature shortly. The programme could not progress as expected since some of the farmers were unwilling to pay for fine levelling while some others in the command areas were yet to be convinced about the need for payment of supervision charges. In the Karnataka Irrigation Project, the Karnataka Command Area Development Act, 1980 has since been passed making the CADAs statutory bodies. The State Government have also constituted 5 CADAs. The rules thereunder are being framed. In the Madhya Pradesh Chambal Command Area Development Project, ARDC has cleared 39 schemes. Interim finance of the order of Rs. 0.24 lakh has been disbursed under the project. Inadequate crop compensation and lack of adequate machinery had slowed down the progress of the project. The project closing date has been extended upto June 1981.

5.9 In Maharashtra, the financing institutions have disbursed Rs. 97 lakhs as interim finance and have drawn refinance to the extent of Rs. 69 lakhs from the ARDC. The constraints in regard to the implementation of this project have been sorted out and further progress is anticipated.

5.10 In the Rajasthan Canal Command Area Development Project, the Rajasthan Land Development Corporation has availed finance of Rs. 7.8 crores from the participating banks which in turn had drawn refinance assistance to the extent of Rs. 6.2 crores. The work has been completed in 326 chaks while it is in progress in 889 chaks. In the Chambal Command Area Development Project (Rajasthan), a sum of Rs. 89 lakhs was disbursed by the participating banks and refinance to the extent of Rs. 70 lakhs has been availed of by the banks. While in the Rajasthan Canal Command Area Development Project, legal constraints and procedural difficulties had slowed down the progress, in the Chambal Command Area Development Project (Rajasthan), technical problems, realignment and rectangularization of plots, heavy overdues of co-operatives, unauthorised sale of land and non-updating of land records had slowed down the progress.

5.11 In the Orissa Irrigation Project, the farmers in the command area are stated to be reluctant to avail themselves of banks' loan for the on-farm development works. The channels and drainage at government's cost and recovering State Government is considering the construction of field the same through the levy of additional water charges.

5.12 In the Command Area Development Project for financing development in the fields of farmers who are treated as ineligible for a number of reasons, ARDC is maintaining a Special Loan Account to which contributions are being made by GOI, concerned State Governments and ARDC in specified proportions. At the end of June 1980, a sum of Rs. 8.5 crores has been accumulated in the Special Loan Account in respect of 9 states. Of this, a sum of Rs. 1.1 crores has been reimbursed under the Rajasthan Canal Command Area Development Project.

D. *Dairy Development Projects*

5.13 Of the three dairy development projects sanctioned for Karnataka, Madhya Pradesh and Rajasthan, the project authorities in Madhya Pradesh and Rajasthan have chosen to avail themselves of funds from the Indian Dairy Corporation on account of more favourable terms. Only the crossbred cows programme in the Karnataka Dairy Development Project is likely to be financed by the banks with refinance support from ARDC. In all, 986 dairy development societies have been registered in Karnataka till the end of June 1980; another 566 societies are yet to be registered. The Karnataka Dairy Development Corporation is encountering difficulties in obtaining quality crossbred cows. This is likely to affect the progress of implementation of this project. A nominal disbursement of Rs. 7 lakhs has been made in the project till the end of June 1980.

E. *Seeds Projects*

5.14 Under the National Seeds Project Phase I, covering the states of Andhra Pradesh, Haryana, Maharashtra and Punjab, one scheme each has been sanctioned in Haryana and Punjab to State Farms Corporation for development of seed farms involving ARDC commitment of Rs. 1.1 crores against which ARDC has released refinance to the extent of Rs. 29 lakhs for investment in Ladhowal farm (Punjab). The State Seed Corporation of Haryana has formulateed a proposal for setting up of a processing plant which is yet to be sponsored by a bank. In Maharashtra a similar project is under consideration of ARDC.

5.15 Under the National Seeds Project Phase II, covering the states of Bihar, Karnataka, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh the proposal from the State Seed Corporation of Orissa was taken up for joint study. A scheme for establishment of seed processing plant-cum-storage complex has been sanctioned to Bihar Rajya Beej Nigam—involving investment of Rs. 2.31 crores with ARDC refinance of Rs. 1.45 crores.

F. *Fisheries Projects*

5.16 Two marine fisheries projects, one each in Andhra Pradesh and Gujarat and an inland fisheries project covering states of Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal are at present under implementation. The inland Fisheries Project has become effective in May 1980. The Project involves financing of fish seed hatcheries and provision of fish ponds improvement credit in the selected districts of the concerned states. ARDC has prepared a project banking plan and submitted the same to IDA before April 1980 as required in terms of the provisions of the Agreement. In the Andhra Pradesh Fisheries Project, the progress of implementation is rather slow. Only recently, the State Government has finalised the procedures for selection of fishermen. Till the end of June 1980, ARDC disbursement under this project amounted to Rs. 21 lakhs.

5.17 In the Gujarat Fisheries Project, ARDC's disbursement at the end of June 1980 amounted to Rs. 1.3 crores. Non-availability of quality wood for construction of canoes is stated to be the reason for slow progress in the implementation of this project.

G. *Market Yards Projects*

5.18 Of the two market yards projects sanctioned for Bihar and Karnataka, the Bihar Market Yards Project was fully disbursed during the year and IDA credit of $ 13.8 million was availed of. In the Karnataka Agricultural Wholesale Markets Project, 39 market yards originally contemplated under the project have been sanctioned. The project closing date has been extended till the end of June 1981. ARDC disbursement till the end of June 1980 amounted to Rs. 5.5 crores. Five more market yards have been included under the project for financing. The additional markets to be included under the project have been selected and the project reports prepared.

H. *Horticulture Projects*

5.19 In the Himachal Pradesh Apple Processing and Marketing Project, the facilities such as packing and grading centres with the exception of cable-ways, have been sanctioned by ARDC. Five grading and packing centres have since been commissioned and the remaining centres are to be commissioned shortly. The Government of Himachal Pradesh has requested Government of India to extend the closing date of the credit to the end of December 1981.

5.20 In the Jammu & Kashmir Horticulture Project, the banking plan was finalised by ARDC in January 1979.

Schemes for grading and packing centres have also been sanctioned.

I. *Irrigation Projects*

5.21 In the Haryana Irrigation Project, ARDC disbursements till the end of June 1980 amounted to Rs. 7.9 crores which would qualify for a credit of $ 5.2 million. Progress has been made in the programme of lining of water courses. Shortage of construction materials like cement, bricks and coal has, to some extent, restricted the progress of this project. The progress under the other components viz. market yards and augmentation tubewells has been satisfactory. In the Punjab Irrigation Project, ARDC disbursements till the end of June 1980 amounted to Rs. 5.5 crores. The project is picking up.

J. *Integrated Cotton Development Project*

5.22 In the Integrated Cotton Development Project under the seasonal loan account category, ARDC has filed claims for an aggregate amount of Rs. 3.2 crores which would qualify for IDA credit of $ 4 million out of allocated credit of $ 7.5 million for this category. Further progress is anticipated during the current kharif season 1980-81. Regarding the long-term component for ginning and seed processing, one cotton seed processing unit and two ginning and pressing units in Haryana and a solvent extraction plant in Maharashtra have been sanctioned under the project. The physical implementation of the project is satisfactory and the plants are likely to be commissioned shortly. Besides, a third ginnery in Haryana and seed processing units and solvent extraction plant in Maharashtra are under consideration of ARDC.

K. *Recently negotiated projects*

5.23 A multi-state Cashew Project involving total IDA credit of $ 22 million and covering the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Orissa was negotiated with IDA in April 1980. The banking plan for the project has been finalised. The Karnataka Sericulture Project ($ 54 million) was also negotiated with IDA in April 1980.

L. *Projects in pipeline*

5.24 The Third ARDC (General Line) Credit Project is scheduled to be closed by December 1981. As a continuation of this project, ARDC is engaged in the preparation of project proposals for the Fourth (General Line) Credit to ARDC from IDA.

II. *Projects Assisted by Other International Aid Agencies*

A. *Projects assisted by Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW)*

5.25 Under the CAD Project being implemented in Hoshangabad district of Madhya Pradesh with assistance from KFW of West Germany, ARDC has given technical clearance for on-farm development works under 82 schemes. Refinance to the extent of Rs. 1.1 crores has been disbursed under the project.

B. *Assistance by Other Aid Agencies*

5.26 During the year, the International Fund for Agricultural Development (IFAD) has sanctioned the Rajasthan Command Area Development Project for on-farm development work in 2.51 lakh hectares. The project involves provision of refinance assistance by the ARDC to the extent of nearly Rs. 42 crores over a five year period beginning from 1980-81.

5.27 During the year, credits were availed of from United Kingdom (£ 15 million), EEC ($ 50 million) and CIDA (Canadian $ 25 million). Agreements with Switzerland, Netherland and USAID (First Tranche), for credits of SW Fr. 40 million, Dfl 50 million and $ 20 million respectively have also been concluded by GOI. Negotiations for credit from KFW of West Germany, EEC countries out of counterpart funds generated under the proposed supply of fertilizer project, further USAID credit of $ 80 million and credit from UK are in advanced stage.

6. OTHER DEVELOPMENTS

Monitoring and Concurrent Evaluation

The objective of obtaining adequate feed back on the implementation of the different programmes at the field level to draw lessons to improve quality in scheme formulation, appraisal an dimplementation is sought to be achieved through a series of studies which are variously termed as follow-up of impementation, monitoring studies, concurrent evaluation and expost evaluation. The Corporation is intimately involved in this process including the preparation of Project Completion Reports.

6.2 Given the very large number of schemes in operation at any time, monitoring and concurrent evaluation studies have to be carried out on a selective basis. Thus, during the year 1979, the Corporation monitored/concurrently evaluated 157 schemes in operation in different parts of the country. The main findings of these studies were communicated to the implementing banks. Besides, the Corporation completed the monitoring and evaluation study undertaken at the instance of the World Bank on the working of the rotational water supply system (warabandi) in selected areas of the Pochampad Irrigation Project in Andhra Pradesh.

6.3 With the growing number of schemes being sanctioned year after year, the Corporation proposes to switch over from Scheme Oriented Monitoring to District-Oriented Monitoring (DOM) of its schemes. According to the new approach, the geographical area will be the unit and the schemes in the various disciplines and relating to all banks would be monitored. However, as the concept of DOM is new, it was thought desirable to conduct a few pilot studies to examine its feasibility and frame the guidelines required for the purpose. Such a study would cover investments in various disciplines and it will include the activities of more than one bank. The capabilities and manpower requirements may also vary. Accordingly, two pilot studies—one in Krishna district of Andhra Pradesh and the other in Kanpur district of Uttar Pradesh were undertaken/completed.

Project Completion Reports (PCRs)

6.4 The Corporation had so far completed 10 Project Completion Reports; 9 relating to Agricultural Credit Projects pertaining to individual states and First ARDC Credit Project and had submitted them to the IDA. Work relating to the preparation of Project Completion Reports in respect of the Bihar Agricultural Credit Project and the Second ARDC Credit Project was initiated during the year with the collection of information in regard to issues which deserve special attention. For the Bihar PCR, the farm benefit surveys have already been carried out by the Corporation with the help of Bihar SLDB and participating commercial banks and the processing and tabulation of data are on hand. No field survey was envisaged in the case of Second ARDC Credit Project. The PCR is being prepared on the basis of the data already available with the Corporation and the financing banks; these will be supplemented by data available from field surveys already conducted in connection with other studies.

6.5 The various studies indicates that the main objective of the projects viz. increased agricultural production through extension of irrigation was achieved and the financial return to the farmers was satisfactory. There was also evidence to indicate improvements in the quality of lending. The studies also indicate that the objective of covering a desired minimum number of small farmers was also achieved. The multi-agency approach to credit by induction of commercial banks in a large way in some of the states was found beneficial as it ensured quicker implementation of the projects.

Evaluation

6.6 Reports on two evaluation studies viz. one relating to a coffee plantation scheme in Karnataka and the other relating to a lift irrigation scheme in Maharashtra are being finalised. During the year, the Corporation undertook an evaluation study of a minor irrigation scheme in Sangod Panchayat Samiti in Kota district of Rajasthan. The field investigation has been completed and analysis of the data is in progress. In addition, preliminary work relating to evaluation of two more schemes involving diversified investments was initiated. The investment activities relate to grape

cultivation in Karnataka and sheep breeding in Andhra Pradesh.

Publications

6.7 During the year, the Corporation brought out the following publications :

1. Know your soils.
2. Irrigated agriculture.
3. Circulars issued during February-December 1979.

Research and Development Fund

6.8 The Corporation had set up a Research and Development Fund during 1977-78 to assist institutions/organisations, including member banks, engaged in action-oriented research projects for acquiring new insights in rural developmental problems through indepth studies and applied research; also, with a view to building up the capabilities in land development banks particularly through the creation of Technical Cells for the purpose of project preparation, appraisal, monitoring and evaluation. The Corporation has agreed to provide on a grant basis, roughly to the extent of 50 per cent of the expenditure on identifiable items like salary of key technical staff, on the expectation that at the expiry of the given period, the concerned institution would be in a position to meet the expenses. So far, a few SLDBs have submitted their proposals which are under consideration.

6.9 The administration of the Fund is under the guidance of a Special Committee which, among others, includes an agricultural Economist, an Agricultural Administrator and in respect of electrical pumpsets during the said period.

Committees, Working Groups, Studies, etc.

6.10 ARDC had constituted two committees one in September 1978 to estimate the demand for pumpsets for irrigation during the current plan and to examine policies and procedures followed by the financing institutions in making loans for the purpose and the other in March 1978 to study the problem of groundwater overexploitation. The former committee which submitted its report in August 1979 estimated that the total demand for pumpsets during the period 1978-83 would be 3 million units consisting of 1.8 million electric motors and 1.2 million diesel engines. The committee has estimated the replacement demand at 0.3 million in respect of electrical pumpsets during the said period.

6.11 The Ground Water Over Exploitation committee submitted its report in January 1980. On the basis of the findings, the committee evolved new norms for groundwater exploitation. The recommendations of the committee have been generally accepted by the Corporation and appropriate follow-up action is in progress.

6.12 The Reserve Bank of India had set up a committee in April 1977 to examine the adequacy of interest rate spreads for agricultural lending sector with particular reference to LDBs. The committee submitted its report in October 1979. The recommendations are being considered by GOI/RBI.

13. The Corporation received periodical representations for suitable revision in the unit costs of various items of development in view of the rising prices. In order to examine the question on a systematic basis, the Corporation had set up committees in major states with General Manager or Senior Director of ARDC from Head Office as Chairman and concerned Regional Director/Senior Director of the Corporation as Member Secretary with a representative each from concerned State governments, major commercial banks operating in the states and SLDBs. These committees are expected to examine the proposals of member banks for revision in the unit costs under various schemes for enabling the Head Office of the Corporation to take decisions.

Workshops and Seminars

6.14 The Corporation organised two worshops at Bhubaneshwar to provide orientation on the techniques of project formulation, appraisal, follow-up etc. for the benefit of the officials from the government and the financing banks.

6.15 Two seminars were also organised by the Corporation during the year. One on Quality Control of Pumpsets was organised at Pune in August 1979 with a view to evolving appropriate policy measures in terms of technological improvements in the pumpsets, service to farmers in regard to their selection and installation and after-sale service. The seminar was attended by the representatives of the Government of India, State governments, banks Indian Standards Institute, REC, etc. The other seminar on institutional finance for development of plantation crops was held at Bangalore in December 1979 to discuss the Five Year Plan programmes for various plantation crops, institutional finance for the programme, support and assistance required from various Commodity Boards, problems faced by small planters, etc. The participants at the seminar included, among others, the representatives of Government of India, Planning Commission, Commodity Boards, LDBs and Com Bks.

6.16 With a view to reviewing the progress in the implementation of agricultural development projects Government of India decided to convene regional meetings with participation by ARDC. Senior officers of the Corporation participated in such meetings held for Eastern Region at Calcutta and for Southern Region at Madras. The progress in the implementation of schemes under the Third ARDC Credit Project was reviewed at these meetings

TRAINING

(i) *Senior and middle level staff*

6.17 During the year, 18 Agricultural Project Courses were arranged at the College of Agricultural Banking, Pune at which 542 officers were trained. In addition, one Regional Agricultural Project Course was organised at Bangalore for senior and middle-level officers from State governments, SLDBs and Com. Bks. in the Southern Region. 95 training courses have so far been conducted for senior and middle-level officers at which 2615 officials received training (1047 from LDBs, 989 from commercial banks and 579 from RBI and State governments).

(ii) *Junior-level LDB staff*

6.18 The junior-level LDB staff training programme being conducted by the SLDBs under the overall guidance of the Corporation continued for the fourth year. With 174 courses conducted by 14 SLDBs for 4256 officers during the year, the total number of courses so far organised stood at 656 at which 16308 officers were trained

6.19 With a view to monitoring the training programmes, 13 training centres were inspected during the year by ARDC officers A proposal for introducing refresher course for junior-level staff is under consideration.

(iii) *Other training arrangements*

6.20 ARDC study facilities to visiting officers from foreign countries. During the year, 40 officials from Ceylon, Ethiopal, Afghanistan and other Afro-Asian counties received such facilities. In addition, 173 officials from State governments, LDBs were also provided with similar facilities.

6.21 The Corporation deputed 25 of the officers to attend training programmes/seminars organised by management institutes in the country.

6.22 An in-service orientation training programme was also organised in the Corporation's Head Office for the benefit of Assistant Development Officers.

7. FUTURE PERSPECTIVE

The objective of the Corporation is to dovetail its developmental programmes with those of the Five Year Plans. The future perspective of the Corporation would largely depend on the Sixth Five Year Plan (1980-85) currently being formulated/finalised by the Government of India. The Plan is expected to aim at achieving an overall growth rate of 5% through optimisation of the economic benefits from the existing infrastructure in agriculture and industry. The main thrust of the development strategy would be towards building up of a self-reliant economy with better quality of life especially for the rural and urban poor. In this context, the problems of landless labourers, small and marginal farmers and other weaker sections would receive greater attention. As and when the Plan documents are

finalised, a fresh look at ARDC programmes might be necessary. ARDC is well placed to play an important role in the implementation of the national objectives, namely, (i) ensuring productive use of capital, (ii) maximising agricultural production, (iii) increasing employment opportunities, (iv) achieving distributive justice through economic resources with a view to ensuring that sizeable resources are channelled to the weaker sections and (v) promote the relevant aspects of 20-Point Programme.

ARDC's perspective lending programme

7.2 The perspective lending programme as well as the operational policies and procedures of the Corporation are drawn up against the above background. The attainment of the broad objectives would continue in the coming years through the implementation of the minor irrigation projects and IRD Programme; expansion in irrigation will continue to be the corner-stone of the strategy for raising agricultural output and employment. For the period 1980-85, the perspective lending programme is estimated at nearly Rs. 3,000 crores. Having regard to the past experience and taking into account the constraints in expanding credit a growth rate of 12½% to 15% during 1981 to 1985 has been projected for ARDC's disbursements. The programme will be kept under constant review.

7.3 The achievement of the projected programme would largely depend upon the infrastructural facilities to support and sustain a fast pace of development. Steps are being taken to augment the availability of technical and extension services and trained staff to formulate and appraise bankable projects. In this respect, ARDC would actively collaborate with the Central and State Governments and the financing institutions.

Strategy for development

7.4 In promoting minor irrigation investments, emphasis would be laid on improving the quality of lending and for ensuring better assessment of ground water potential. ARDC would also continue its efforts to standardise the maintenance of water channels in regard to surface water so as to ensure optimum use of available water supply. Further, the need for improvement of technical standards of pumping units is well recognised by ARDC and efforts would be made at different levels to exercise adequate quality control measures. The aim of the Corporation is to bring into existence, by stages, a technical extension service provided by the financial intermediaries so that the investment of the beneficiaries is taken care of from conception, installation, maintenance and servicing. A beginning in this direction was made by the Corporation in the discussions of the Pumpset Seminar held at Pune in August 1979.

7.5 The overall proportion of minor irrigation and land development in the total disbursement has been coming down gradually, while that under diversified lending was increasing. With the growing emphasis on integrated rural development programme and the block level planning, ARDC would be attempting to accelerate the diversification of its loan portfolio under dairy development, sheep breeding, piggery, poultry, etc. in general and plantation and horticulture, fisheries, cashew and sericulture in particular ARDC would also support afforestation programmes aimed at using the existing forest areas or mixed forest areas which could be economically converted into regular plantations. ARDC would attempt at providing some of the basic infrastructure requirements under diversified lendings, such as chilling plants. To improve the availability of quality animals under dairy programmes, the Corporation proposes to assist appropriate breeding camps, wherever necessary facilities exist.

7.6 The Corporation would, in the years to come, make concerted efforts to expand its financial assistance to the weaker sections of the rural economy to fulfil its objective of channelising at least 60% of the disbursements to small farmers.

7.7 As the apex agricultural development financing organisation, the Corporation would continue to lay stress in fostering the growth of the member-banks on sound lines to augment their capabilities to identify and formulate the development programmes, to implement, monitor and evaluate them effectively. For this purpose, reliance would be placed largely on broad-basing and strengthening of training arrangements to enhance the skills and functional efficiency of the personnel in member-banks and State governments.

7.8 The Corporation would also lay considerable stress on improvement in recovery performance of the participating banks. Towards this end, the Corporation, in consultation with RBI, would continue to oversee the rehabilitation programmes agreed to between the banks and State governments. The Corporation would also keep its policies and procedures under constant review to speed up sanctions with a view to promoting agricultural development.

7.9 In the area of project supervision, monitoring efforts at the level of financing banks will be made to ensure that the arrangements obtaining are commensurate with the ever expanding volume of the loan business of the constituents. ARDC's own organisation for this purpose would have to be strengthened. It is proposed to involve in a larger way member banks and research bodies in this regard.

8 FINANCES

The resources available to the Corporation for carrying out its lending programme during the last two years, viz. 1978-79 and 1979-80 as well as during the past 5 year period i.e. 1975-76 to 1979-80 are presented in the following Table 16 :

TABLE 16—SOURCES OF FUNDS

(Rs. crores)

Sources	1978-79	Per cent of total	1979-80	Per cent of total	July 1975 to June 1980	Per cent of total
1. Paid-up share capital and reserves	19·9	5·6	5·2+	1·1	60·2	4·0
2. Capital reserve	5·0	1·4	—	—	5·0	0·3
3. Special deposits by Reserve Bank of India	1·4	0·4	1·7	0·4	5·1	0·3
4. Borrowings from GOI						
(a) IDA/IBRD funds	84·8	23·9	104·4	23·2	432·2	28·3
(b) Others	10·3	2·9	60·5	13·4	70·8	4·7
5. Borrowings from the Reserve Bank of India NAC (LTO) Fund	75·0	21·1	85·0	18·9	335·0	21·9
6. Bonds	44·1	12·4	39·6	8·8	186·8	12·2
7. Repayments by banks	111·8	31·5	154·4	34·2	425·7	27·8
8. Special loan account deposit	1·9	0·5	0·1	—	6·7	0·4
9. Research and Development Fund	1·0	0·3	—	—	2 0	0·1
Total	355·2	100·0	450·9	100·0	1529·6	100·0

+Refer to paragraph 8·3

Share Capital

8.2 The borrowing power of the Corporation is restricted to 20 times of its paid-up capital and reserves under Section 20(2) of ARDC Act. The authorised and paid-up share capital of the Corporation stood unchanged at Rs 100.00 crores and Rs 57.5 crores, respectively as on 30 June 1980. The contributions of the various categories of share holders to the share capital of the Corporation as on 30 June 1980 are indicated in Table 17.

Reserves

8.3 Consequent upon the exemption granted to ARDC from payment of income-tax and surtax for a period of 5 years with effect from the assessment year 1979-80, the refund of advance tax paid for the accounting year 1977-78 was obtained and an amount of Rs 5.17 crores being the provision for taxation made in respect of that year has since been transferred to the Reserve Fund of the Corporation.

Borrowings from GOI

8.4 During the year, the Corporation borrowed Rs 164.9 crores from GOI by way of reimbursement of amounts disbursed under various projects. This comprised of Rs 104.4 crores under IDA/IBRD projects and Rs 60.5 crores under assistance sanctioned by other International Agencies/Countries like EEC (Rs 34.0 crores), U.K. (Rs 26.0 crores), CIDA (Rs 0.26 crore) and KFW of West Germany (Rs 0.26 crore).

TABLE 17—CONTRIBUTION TO SHARE CAPITAL—SOURCES

Subscribers	Shares		Per cent of total
	No.	Value (Rs crores)	
1. Reserve Bank of India	31072	31·1	54·0
2. State Land Development Banks	9268	9·2	16·1
3. State Co-operative Banks	4594	4·6	8·0
4. Scheduled Commercial Banks including Regional Rural Banks	11081	11·1	19·3
5. Life Insurance Corporation of India	893	0·9	1·6
6. Other Insurance and Investment Companies	592	0·6	1·0
Total	57500	57·5	100·0

Note : Commercial banks include PRBs.

Market Borrowings

8.5 Open market borrowings are resorted to by the Corporation periodically as one of the means of raising resources for fulfilling its commitments. During the year, ARDC issued the fifteenth series of bonds for an aggregate sum of Rs 39.6 crores. These 10 year bonds were issued at par and carried interest at the rate of 6½ per cent per annum. At the end of June 1980, the total market borrowings of ARDC stood at Rs 286.0 crores. Table 18 shows the amounts received from various agencies for the fifteenth series of bonds issued during the year as well as the aggregate contributions to the previous issues.

Borrowings from RBI

8.6 The Reserve Bank of India sanctioned during the year a credit limit of Rs 85.0 crores for drawals from the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund. The amount was drawn by the Corporation in full during the year. The outstanding borrowings under this head stood at Rs 314.7 crores on 30 June 1980 after repayment of instalments in respect of past drawals.

8.7 A limit of Rs 10.0 crores was also sanctioned by the Reserve Bank of India as a short-term loan. However, no drawals were made under this limit during the year.

Repayments

8.8 Repayments by member banks amounted to Rs 154.4 crores during the year, as against Rs. 111.8 crores during the previous year. As at the end of June 1980, the repayments by member banks aggregated Rs 442.0 crores, the break-up of which is given in Table 19 below :

TABLE 18—CONTRIBUTION TO BONDS BY VARIOUS AGENCIES

(Rs crores)

Subscribers	Series 1 to XIV	Series XV	Total
1. State Bank of India and Subsidiaries	68·8	11·2	80·0
2. Nationalised Banks	90·5	18·1	108·6
3. Other Commercial Banks	14.4	3·1	17.5
4. Life Insurance Corporation of India	2.7	1·0	3.7
5. Other Insurance and Investment Companies	1·4	0·2	1·6
6. Co-operative Banks	67·2	5·8	73·0
7. Others	1·4	0·2	1·6
Total	246·4	39·6	286·0

TABLE 19—REPAYMENT OF REFINANCE

(Rs. crores)

Agency	ARDC schemes	IDA assisted schemes	Total
1. Scheduled Commercial Banks	138·6	53·1	191·7
2. State Land Development Banks	77·7	154·9	232·6
3. State Co-operative Banks	12·2	5·5	17·7
Total	228·5	213·5	442·0

9 ORGANISATION AND OTHER MATTERS

Share holders

The Bharat Overseas Bank Ltd. and three Regional Rural Banks became members of ARDC during 1979-80. The total membership of the Corporation stood at 160 at the end of June 1980 as against 156 at the end of previous year (Statement 14).

Board of Directors

9.2 The Board of Directors met six times during the year.

9.3 The Government of India nominated Shri S. S. Puri, Secretary to the GOI, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) and Shri S. C. Varma, Secretary to the GOI, Ministry of Rural Reconstruction, as Directors of the Corporation under Section 10 (c) of the ARDC Act, 1963 vice Dr. M. S. Swaminathan and Shri K. P. A. Menon, respectively. The Board placed on record its deep appreciation of the valuable services rendered by Dr. Swaminathan and Shri Menon.

9.4 RBI nominated Dr. M. V. Hate as Director of the Corporation under Section 10 (b) of the ARDC Act, 1963 vice Shri K. Madhava Das who ceased to be a Director from 28 June 1979 consequent on his retirement from the Bank's services.

Use of Hindi

9.5 ARDC continued to be represented on the Official Language Implementation Committee of the RBI to popularise the use of Hindi in the day-to-day working. During the year, Hindi cells have been set up at two more Regional Offices viz. Ahmedabad and Bhopal. Most of the forms, standard drafts, registers, sign boards, which are in use at the Head Office and the Regional Offices have been prepared in bilingual form. All letters received in Hindi are replied both in Hindi and English. Office circulars relating to class III and IV are issued both in Hindi and English. Under the Compulsory Hindi Teaching Scheme of RBI, 31 officers of the Corporation availed of the facility of learning Hindi during the year, in the centre opened in the Head Office of the Corporation. Hindi version of few topics was included in the ARDC NEWS, a quarterly publication of the Corporation.

Foreign Travel

9.6 During the year 1979-80, Managing Director and other senior officials of the Corporation together undertook five foreign visits and the total expenditure of Rs 1,32,000 was incurred on this account.

Profit

9.7 The net profit of the Corporation during 1979-80 available for appropriation amounted to Rs 1637.16 lakhs. The Directors recommend appropriation of the profit as under :

	Rs lakhs
Transfer to Research and Development Fund	300.00
Transfer to Reserve Fund	506.54
Transfer to Building Fund	500.00
Dividend on Shares	330.62
Total ..	1637.16

On behalf of the Directors

M. RAMAKRISHNAYYA

Chairman

16 August 1980

Statement 11

EXPLANATORY NOTES

1. The amounts have been rounded off to the nearest lakh of rupees/crore of rupees.

2. The following symbols/abbreviations have been used in the Statements.

Symbols : @Latest available data

—Nil or negligible

Abbreviations :

Purpose :	MI	—Minor irrigation
	REC/SPA	Rural Electrification Corporation/Special Project Agriculture
	LD/CAD	Land development/Reclamation/Soil conservation/Command area development
	FM/ASC	Farm mechanization/Farm equipments/Agro-service centres
	P/H	Plantation/Horticulture
	PF/SB/Pig	=Poultry farming/Sheep breeding/Piggery
	FS	=Fisheries
	DD	=Dairy development
	SG & MY	=Storage & Market yards
	FR	=Forestry
	AA	=Agricultural aviation
	IRDP	=Integrated rural development programme
	ICDP	=Integrated cotton development project
	GG	=Gobar gas plants
	X	=Others
	Y	=Combined purposes
	LT	=Long-term
	ST	=Short-term
Agency :	1. SLDB	=State Land Development Bank
	2. Com. Bks.	=Scheduled Commercial Banks (including RRBs)
	3. SCB	=State Co-operative Bank
	RRBs	=Regional Rural Banks

STATEMENT 1

SANCTION DURING 1979-80—REGIONWISE AND STATEWISE

Rs lakhs

Region/State/Union Territory	No. of schemes*	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of Governments/Banks
I. *NORTHERN REGION*				
Delhi	4	10	9	1
Haryana	115	4807	3726	1081
Himachal Pradesh	8	73	62	11
Jammu & Kashmir	6	99	78	21
Punjab	208	8851	7001	1850
Rajasthan	150	3368	2709	659
	491	17208	13585	3623
II. *NORTH-EASTERN REGION*				
Assam	64	2634	2069	565
Manipur	55	80	72	8
Tripura	5	42	37	5
	124	2756	2178	578
III. *EASTERN REGION*				
Andaman & Nicobar Islands	1	8	7	1
Bihar	240	4738	3996	740
Orissa	155	3021	2629	392
West Bengal	109	1378	1235	143
	505	9143	7867	1276
IV. *CENTRAL REGION*				
Madhya Pradesh	443	12134	10595	1539
Uttar Pradesh	501	16252	13604	2648
	944	28386	24199	4187
V. *WESTERN REGION*				
Dadra and Nagar Haveli	1	2	2	—
Goa	18	146	116	30
Gujarat	128	3784	3162	622
Maharashtra	341	6938	5539	1399
	488	10870	8819	2051
VI. *SOUTHERN REGION*				
Andhra Pradesh	522	13419	10918	2501
Karnataka	239	3904	3214	690
Kerala	155	2550	1995	555
Pondicherry	—	50	45	5
Tamil Nadu	189	3529	2868	661
	1105	23452	19040	4412
TOTAL (I to VI)	**3657**	**91815**	**75688**	**16127**

*Excludes IRDP Banking Plans.

N.B.—No new schemes were sanctioned during the year in Chandigarh, Meghalaya and Nagaland.

STATEMENT 2
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980—PURPOSEWISE

Rs lakhs

Purpose	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of Governments/ Banks	Disbursement
Minor Irrigation	5059	218414	190787	27627	112944
Land development	613	21399	16996	4403	6578
Farm mechanization	1803	48515	36987	11528	27883
Plantation/Horticulture	1161	26619	21255	5364	6280
Poultry farming/Sheep breeding/Piggery	642	4422	3575	847	1844
Fisheries	575	7378	5775	1603	3254
Dairy development	1035	10502	8551	1951	3031
Storage and Market yards	1052	17257	14205	3052	10661
Agricultural aviation	3	53	40	13	17
Forestry	26	1209	908	301	263
Gobar gas plants	91	838	636	202	119
Others	165	2274	1860	414	550
IRDP	—	6762	6082	680	396
Total	**12225**	**365642**	**307657**	**57985**	**173819**

N.B.—Excludes S.T. disbursement under ICDP.

STATEMENT 3
SIZE-WISE CLASSIFICATION OF SCHEMES SANCTIONED DURING 1979-80

Rs lakhs

Size of scheme	Minor irrigation		Land development		Farm mechanization		Plantation/ Horticulture		Poultry farming/Sheep breeding/Piggery	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Upto Rs 5 lakhs	259	777	80	179	85	255	83	194	235	425
Rs 5-10 lakhs	281	2124	24	174	178	1459	68	506	81	613
Rs 10-25 lakhs	559	9117	17	242	134	2225	149	2498	34	539
Rs 25-50 lakhs	145	5132	7	262	98	3504	68	2216	5	152
Rs 50-100 lakhs	58	3927	10	649	15	1031	7	537	—	—
Above Rs 100 lakhs	57	17017	5	1439	12	3398	1	600	—	—
Total	**1359**	**38094**	**143**	**2945**	**520**	**11882**	**376**	**6551**	**355**	**1729**

(*Continued*)

Rs. lakhs

Size of scheme	Fisheries		Dairy development		Storage & Market yards		Others		Grand Total	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Upto Rs 5 lakhs	76	158	196	568	84	344	84	224	1182	3124
Rs 5-10 lakhs	36	287	130	879	59	498	40	290	897	6840
Rs 10-25 lakhs	14	244	42	696	48	739	34	554	1031	16854
Rs 25-50 lakhs	11	362	4	127	20	723	16	503	372	13011
Rs 50-100 lakhs	1	71	—	—	1	61	1	63	93	6339
Above Rs 100 lakhs	1	110	1	112	3	526	2	236	82	23438
Total	**139**	**1262**	**373**	**2382**	**215**	**2891**	**177**	**1870**	**3657**	**69606**

*Excludes IRDP

STATEMENT 4

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commitment	Disbursement During 1979-80	Disbursement Upto 30 June 1980
I. *NORTHERN REGION*							
Chandigarh	2	P/H	1	4	3	—	3
Delhi	2	FM	4	130	102	1	79
		PF	2	2	1	1	1
		DD	8	46	32	12	26
			14	178	135	14	106
	3	PF	1	6	6	—	6
			15	184	141	14	112
Haryana	1	MI	49	6819	6137	626	5041
		LD	7	461	370	22	139
		FM	9	3520	2640	637	1982
		P/H	3	69	52	10	51
		DD	12	252	189	47	91
		GG	2	16	12	—	—
			82	11137	9400	1342	7304
	2	MI	69	10333	8355	938	3179
		REC	9	120	61	33	33
		LD	22	325	266	9	23
		FM	165	3912	2935	799	2325
		PF	13	74	60	28	36
		SB	2	6	5	—	1
		DD	16	144	125	17	55
		SG/MY	90	1499	1199	240	669
		AA	1	30	23	—	—
		GG	2	13	10	—	6
		X	1	4	4	3	4
		ICDP (S.T.)	—	—	—	47	—
			390	16460	13043	2114	6331
	3	DD	1	20	15	—	15
		SG/MY	8	442	403	15	258
		ICDP (S.T.)	—	—	—	373	—
		ICDP (L.T)	2	224	179	102	102
			11	686	597	490	375
			483	28283	23040	3946	14010
Himachal Pradesh	1	MI	1	20	18	1	5
		P/H	3	83	62	3	25
		DD	1	13	9	—	—
			5	116	89	4	30
	2	FM	3	29	23	—	11
		P/H	20	842	718	177	226
		PF	2	11	10	—	—
		Pig	1	2	2	—	2
		DD	6	47	38	4	17
		IRDP	—	26	24	—	—
		X	2	9	6	—	—
			34	966	821	181	256
			39	1082	910	185	286

Continued

STATEMENT 4 (*Contd.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1979-80	Upto 30 June 1980
Jammu & Kashmir	1	FM	2	85	64	7	29
		P/H	3	103	77	—	78
		SB	1	24	18	—	—
		DD	1	14	10	—	—
		X	1	8	7	—	—
			8	234	176	7	107
	2	FM	3	51	38	1	18
		P/H	4	21	18	1	2
		DD	3	15	10	3	8
		IRDP	—	10	9	—	—
		X	1	8	6	—	—
			11	105	81	5	28
			19	339	257	12	135
Punjab	1	MI	60	4207	3808	202	2993
		LD	24	1496	1233	69	611
		FM	16	2528	1896	862	1612
		P/H	2	187	141	—	—
		PF	1	21	16	—	—
		DD	8	124	93	—	—
		IRDP	—	2	2	—	—
		X	1	9	6	—	—
			112	8574	7195	1133	5216
	2	MI	66	7976	6726	789	2147
		REC	31	748	373	116	149
		LD	4	239	195	17	42
		FM	98	7273	5464	2346	4461
		ASC	9	167	126	40	46
		P/H	1	1	1	1	1
		PF	21	149	122	33	60
		DD	46	557	462	49	181
		SG/MY	207	2294	1833	416	1467
		GG	2	23	18	—	—
		IRDP	—	12	11	—	—
		X	1	3	3	1	1
		ICDP (S.T.)	—	—	—	27	—
			486	19442	15334	3835	8555
	3	FM	1	18	17	—	16
		SG/MY	4	747	730	—	651
		ICDP (S.T.)	—	—	—	50	—
			5	765	747	50	667
			603	28781	23276	5018	14438
Rajasthan	1	MI	140	5441	4998	592	3026
		LD	6	506	387	8	43
		FM	21	641	480	90	90
		P/H	8	159	129	7	25
			175	6747	5994	697	3184

STATEMENT 4 (*Contd.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1979-80	Upto 30 June 1980
Rajasthan—(*Contd.*) . . .	2	MI	104	2885	2403	246	1105
		REC	24	417	208	181	181
		LD	3	83	62	—	3
		CAD	18	3905	3103	237	805
		FM	49	1163	862	97	714
		ASC	3	78	58	—	14
		P/H	2	64	50	—	—
		PF	4	42	33	1	3
		SB	15	326	293	65	127
		Pig	1	2	2	—	—
		DD	51	1312	1080	44	118
		SG/MY	68	1653	1322	123	695
		X	7	111	96	11	22
		Y	2	84	72	16	16
			351	12125	9644	1021	3803
	3	V	16	327	293	97	97
			542	19199	15931	1815	7084
			1702	77872	63558	10990	36068
)N							
	1	MI	1	126	114	—	—
		P/H	1	5	4	—	—
			2	131	118	—	—
	2	MI	11	313	282	12	34
		LD	1	11	10	—	7
		FM	3	78	70	1	10
		P/H	122	4830	4038	269	755
		Pig	1	3	2	—	2
		FS	1	15	14	1	2
		DD	7	61	54	—	17
		SG/MY	41	235	197	2	176
		X	1	2	2	1	1
			188	5548	4669	286	1004
	3	P/H	2	68	61	—	—
			192	5747	4848	286	1004
Manipur	2	FM	2	52	47	—	18
		P/H	1	63	57	—	—
			3	115	104	—	18
	3	MI	1	4	3	—	—
		FM	1	56	51	5	36
		P/H	1	15	14	3	13
		Pig	1	6	5	—	—
		FS	74	77	69	2	22
		X	1	28	25	—	—
			79	186	167	10	71
			82	301	271	10	89

Continued

STATEMENT 4 (*Contd*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement During 1979-80	Disbursement Upto 30 June 1980
II. *NORTH-EASTERN REGION (Contd.)*							
Meghalaya	2	PF	2	5	5	—	—
		FR	1	49	44	—	—
			3	54	49	—	—
	3	P/H	2	11	10	—	—
			5	65	59	—	—
Nagaland	2	SG/MY	3	9	7	—	7
	3	LD	1	30	30	—	11
		P/H	2	11	10	—	—
			3	41	40	—	11
			6	50	47	—	18
Tripura	2	MI	4	22	20	3	6
		FM	1	6	5	—	—
		P/H	2	17	16	2	6
		FS	1	10	9	3	3
		SG/MY	1	6	5	—	5
		FR	2	50	40	—	—
		X	1	9	8	3	3
			12	120	103	11	23
			297	6283	5328	307	1134
III. *EASTERN REGION*							
Andaman and Nicobar Islands	2	P/H	1	8	7	1	1
Bihar	1	MI	24	6572	5915	354	3507
		LD	3	128	96	—	84
		FM	2	142	128	—	83
		P/H	2	23	18	3	6
		FS	1	46	41	3	4
			32	6911	6198	360	3684
	2	MI	348	9304	8355	1323	4297
		REC	49	781	390	136	138
		LD	3	231	199	—	—
		FM	100	2327	2061	491	1361
		PF	2	1	1	1	1
		FS	1	25	23	1	1
		DD	28	158	143	22	25
		SG/MY	127	2359	2082	104	1953
		GG	6	35	32	—	23
		FR	3	166	116	—	—
		X	3	20	17	—	—
		Y	3	62	55	30	30
			673	15469	13474	2108	7829
	3	DD	2	70	53	—	10
			707	22450	19725	2468	11523

Continued

STATEMENT 4 (*Contd.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1979-80	Upto 30 June 1980
Orissa	1	MI	68	3123	2799	389	1274
		LD	10	131	106	2	42
		FM	1	80	60	14	33
		P/H	24	566	483	53	240
		FS	9	114	104	18	29
		GG	1	5	4	—	—
		IRDP	—	9	8	—	—
		X]	6	44	39	4	4
			119	4072	3603	480	1622
	2	MI	175	3944	3555	402	1425
		REC	9	224	112	29	29
		LD	4	97	80	1	19
		FM	5	92	80	20	69
		ASC	1	2	2	—	1
		P/H	5	156	133	—	1
		PF	2	18	16	—	—
		SB	2	11		—	3
		Pig	2	—	10	2	3
		FS	22	401	359	73	143
		DD	49	193	173	36	71
		SG/MY	7	63	55	—	20
		IRDP	—	42	38	—	—
			283	5243	4613	563	1784
	3	MI	40	1744	1569	268	622
		Pig	1	2	2	—	—
		FS	1	24	22	4	14
		IRDP	—	3	3	—	—
			42	1773	1596	272	636
			444	11088	9812	1315	4042
West Bengal	1	MI	112	3058	2757	338	1570
		FM	11	189	170	44	61
		P/H	38	343	308	43	81
		FS	25	661	594	13	16
			186	4251	3829	438	1728
	2	MI	100	1836	1622	198	1250
		REC	1	20	10	—	—
		FM	15	303	273	34	134
		ASC	8	12	11	2	3
		P/H	52	1683	1515	227	432
		PF	2	31	28	1	6
		FS	5	99	89	—	21
		DD	6	65	59	14	32
		SG/MY	27	443	368	67	275
			216	4492	3975	543	2153
			402	8743	7804	981	3881
			1554	42289	37348	4765	19447

Continued

STATEMENT 4 (*Contd.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakh

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement During 1979-80	Disbursement Upto 30 June 1980
IV *CENTRAL REGION*							
Madhya Pradesh . . .	1	MI	303	18669	16896	1146	7004
		LD	40	271	204	37	69
		FM	3	246	184	1	86
		P/H	2	50	37	—	—
		IRDP	—	8	7	—	—
		X	11	44	39	—	—
			359	19288	17367	1184	7159
	2	MI	608	10460	9101	2007	5338
		REC	65	1039	520	131	204
		CAD	84	440	330	41	58
		FM	54	1770	1329	166	801
		ASC	98	83	65	—	43
		P/H	1	2	2	—	—
		DD	22	168	141	4	15
		PF	16	50	39	2	13
		SG/MY	100	630	504	6	247
		FR	12	570	456	91	176
		GG	8	143	107	15	23
		IRDP	—	24	22	—	—
		X	2	3	3	—	—
			1070	15382	12619	2463	6918
	3	SG/MY	1	18	13	—	11
			1430	34688	29999	3647	14088
Uttar Pradesh	1	MI	211	31084	27833	2865	15922
		LD	17	140	116	—	—
		CAD	207	1453	1237	—	180
		P/H	15	217	163	—	52
		DD	15	226	183	—	—
		SG/MY	7	106	85	—	—
		IRDP	—	503	458	—	—
		X	13	245	187	—	2
			485	33974	30262	2865	16156
	2	MI	179	4720	4023	617	2325
		REC	26	985	244	12	12
		LD	6	956	713	—	199
		CAD	25	43	35	—	—
		FM	602	10391	7865	1822	5832
		ASC	7	173	131	—	—
		DD	111	966	797	92	284
		PF	7	29	26	2	2
		SB	8	30	26	2	10
		FS	3	21	19	3	3
		SG/MY	178	3487	2756	182	1892
		GG	15	54	41	5	12
		IRDP	—	1208	1076	48	48
		X	34	152	123	10	10
			1201	22715	17875	2795	10626

Contd.

STATEMENT 4 (*Contd.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UTO 30 JUNE 1980 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commitment	Disbursement	
						During 1979-80	Upto 30 June 1980
Uttar Pradesh—(*Contd.*)	3	DD	2	64	48	—	—
		SG/MY	1	155	155	—	150
		IRDP	—	1	1	—	—
			3	220	204	—	150
			1689	56909	48341	5660	26935
			3119	91597	78340	9307	41023
V. *WESTERN REGION*							
Dadra and Nagar Haveli . . .	2	DD	1	2	2	—	—
Goa	2	MI	3	21	17	3	15
		DD	5	26	22	1	3
		PF	6	28	23	—	20
		FS	49	470	376	116	259
		GG	1	2	2	1	1
			64	547	440	121	298
	3	P/H	1	24	19	—	—
		FS	1	40	30	—	30
			2	64	49	—	30
			66	611	489	121	328
Gujarat	1	MI	88	5739	5365	67	4742
		FM	1	351	263	—	233
		P/H	2	30	22	—	22
		DD	13	309	238	52	61
		IRDP	—	106	95	—	—
			104	6535	5983	119	5058
	2	MI	135	4697	4105	1427	3144
		REC	26	539	270	103	150
		LD	7	69	52	—	—
		FM	79	2211	1669	455	1406
		ASC	5	40	32	2	18
		DD	47	871	711	127	456
		PF	8	68	54	18	26
		FS	17	698	556	218	342
		SG/MY	16	308	244	8	242
		GG	8	37	28	17	19
		IRDP	—	565	509	3	3
		X	2	5	4	—	—
			350	10108	8234	2378	5806
	3	SG/MY	1	2	2	—	2
			455	16645	14219	2497	10866

(*Continued*)

STATEMENT 4 (*Contd.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980 BY STATE AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency	Purpose Code	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1979-80	Upto 30 June 1980
Maharashtra	1	MI	262	14497	13040	1969	10689
		LD	8	411	368	—	368
		FM	3	272	204	—	153
		P/H	23	437	328	49	84
		DD	65	500	375	21	34
		PF	3	29	22	—	—
		SB	4	38	28	—	—
		GG	14	116	86	—	—
		IRDP	—	28	25	—	—
			382	16328	14476	2039	11326
	2	MI	498	5141	4260	538	2348
		REC	92	1659	830	213	213
		LD	4	39	30	—	—
		CAD	16	2007	1505	63	146
		FM	209	2333	1769	378	1172
		P/H	22	127	103	19	31
		PF	57	355	283	101	209
		SB	10	19	16	6	8
		FS	39	230	178	33	91
		DD	199	1582	1283	120	707
		SG/MY	18	747	597	90	423
		AA	1	7	5	—	5
		GG	9	68	51	10	13
		IRDP	—	248	224	1	1
		ICDP (L.T.)	1	40	32	26	26
		ICDP (S.T.)	—	—	—	8	—
		X	5	66	52	43	43
			1180	14668	11218	1649	5436
	3	FS	5	180	84	—	82
		IRDP	—	45	40	—	
			5	225	124	—	82
			1567	31221	25818	3688	16846
			2089	48479	40528	6306	28040
VI. *SOUTHERN REGION*							
Andhra Pradesh . . .	1	MI	256	23754	21390	2853	13534
		LD	35	3477	2759	262	1788
		FM	5	3164	2373	585	2109
		P/H	27	1045	785	370	485
		DD	32	614	471	121	274
		PF	17	398	299	66	70
		SB	33	541	420	141	276
		PS	4	223	166	28	98
		IRDP	—	451	406	—	—
		X	12	300	226	113	113
			421	33967	29295	4539	18747
	2	MI	162	2415	2147	399	1259
		REC	59	1552	776	189	194
		LD	19	716	545	26	69
		FM	64	809	598	127	420
		ASC	4	159	122	—	27
		P/H	40	461	365	60	77
		PF	144	898	699	270	435
		SB	106	497	419	133	220

(*Continued*)

STATEMENT 4 *(Contd.)*

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1979-80	Upto 30 June 1980
Andhra Pradesh—*(Contd.)*	2	FS	46	407	324	50	109
		DD	127	951	791	113	305
		SG/MY	47	607	493	8	411
		FR	7	292	187	31	46
		GG	1	4	2	1	1
		IRDP	—	1372	1235	218	218
		X	22	116	94	16	16
			848	11256	8797	1641	3852
	3	MI	1	11	9	—	—
		PF	5	7	5	2	2
		FS	3	331	256	11	50
		IRDP	—	227	204	—	—
			9	576	474	13	52
			1278	45799	38566	6193	22624
Karnataka	1	MI	249	11317	10234	258	5515
		LD	15	1147	867	—	614
		FM	12	872	653	50	522
		P/H	67	2261	1698	70	893
		SB	5	48	39	14	14
		Pig	2	16	13	—	—
		DD	11	102	87	—	—
		GG	3	59	44	2	2
		IRDP	—	97	88	—	—
		X	1	43	35	9	9
			365	15962	13758	403	7569
	2	MI	74	1061	840	63	277
		REC	5	136	67	24	24
		LD	6	101	77	—	3
		FM	63	1361	1060	69	994
		P/H	214	3033	2434	253	875
		PF	42	143	117	34	78
		SB	15	63	55	15	17
		FS	92	1442	1039	218	874
		DD	43	371	325	15	22
		SG/MY	66	986	780	253	754
		GG	15	233	177	27	38
		IRDP	—	129	116	3	3
		X	2	166	135	10	10
			637	9225	7222	984	3969
	3	MI	1	2	2	—	—
		P/H	2	36	36	—	25
		FS	2	207	143	—	137
		DD	2	33	30	—	—
		SG/MG	2	132	113	—	111
		IRDP	—	42	38	—	—
			9	452	362	—	273
			1011	25639	21342	1387	11811
Kerala	1	MI	13	1013	912	292	496
		LD	5	110	82	1	22
		FM	2	33	25	2	5

Continued

STATEMENT 4 (*Contd.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1979-80	Upto 30 June 1980
Kerala—(*Contd.*) . . .	1	P/H	175	3816	2953	186	649
		FS	1	37	28	—	—
		DD	4	26	20	1	1
			200	5035	4020	482	1173
	2	MI	25	829	745	118	613
		REC	2	24	12	—	—
		LD	4	1631	1380	169	723
		FM	6	77	60	—	38
		ASC	4	3	2	—	—
		P/H	141	2733	2165	141	266
		FS	93	598	442	67	316
		DD	25	109	89	17	30
		SG/MY	5	39	31	4	30
		FR	1	82	65	—	—
		GG	1	2	1	—	—
			307	6127	4992	516	2016
	3	PH	3	91	73	—	—
		PF	1	22	21	—	—
		FS	3	162	162	—	56
			7	275	256	—	86
			514	11437	9268	998	3245
Pondcherry	1	P/H	1	31	23	—	—
		DD	1	5	4	1	1
		IRDP	—	9	8	—	—
			2	45	35	1	1
	2	MI	1	2	1	—	1
		FS	1	26	21	—	—
		DD	2	22	11	—	11
		IRDP	—	41	37	5	5
			4	91	70	5	17
	3	FS	2	46	34	—	15
			8	182	139	6	33
Tamil Nadu . . . 7	1	MI	171	6872	6189	135	6732
		LD	6	689	517	—	470
		FM	1	780	585	—	625
		P/H	53	1350	1014	69	363
		PF	1	4	3	—	—
		SB	10	56	43	27	27
		FS	1	25	19	16	16
		DD	13	52	41	11	11
		GG	1	11	8	2	2
		IRDP	—	107	96	—	—
		X	6	43	37	27	27
			263	9989	8552	287	8273

Continued

STATEMENT 4 (*Concld.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of Schemes	Financial assistance	Total ARDC commitment	Disbursement During 1979-80	Disbursement Upto June 1980
Tamil Nadu—(*Contd.*)	2	MI	9	168	134	8	81
		REC	39	471	235	67	101
		LD	3	56	42	2	40
		FM	36	429	319	61	178
		ASC	12	24	16	—	15
		P/H	70	1543	1110	93	512
		PF	44	205	166	61	72
		SB	18	98	84	32	56
		FS	71	663	505	149	457
		DD	50	412	337	72	150
		SG/MY	27	290	231	—	212
		AA	1	16	12	—	12
		GG	2	17	13	1	2
		IRDP	—	978	880	117	117
		X	5	99	75	14	14
			387	5469	4159	677	2019
	3	SB	1	38	38	—	38
		FS	2	100	69	—	64
		IRDP	—	469	422	—	—
			3	607	529	—	102
			653	16065	13240	964	10394
			3464	99122	82555	9548	48107
Grand Total (I to VI)			**12225**	**365642**	**307667**	**41223**	**1738198**

Note : Commercial banks include RRBs.
$Excludes S. T. Disbursement under ICDP.

STATEMENT 5

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980—AGENCYWISE

Rs. lakhs

Agency	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of Governments/ Banks	Disbursement
State Land Development Banks	3302	183296 (52·1)	160350 (50·1)	22946	98339
Scheduled Commercial Banks	8596	172931 (47·3)	139021 (45·2)	33910	71673
Regional Rural Banks	122	2997 (0·8)	2669 (0·9)	328	1161
State Co-operative Banks	205	6418 (1·8)	5617 (1·8)	801	2646
Total	**12225**	**365642** (100·0)	**307657** (100·0)	**57985**	**1738198**

Figures in brackets are percentage to the total.

$Excludes S.T. Disbursement under ICDP.

STATEMENT 6

POSITION OF SCHEMES SANCTIONED AND REFINANCE DISBURSED IN LESS DEVELOPED /UNDERBANKED STATES

Rs. lakhs

Particulars	Schemes sanctioned			Disbursement	Percentage to total disbursement
	No. of schemes	ARDC commitment	Percentage to total commitment		
Uttar Pradesh					
1963-69	16	1384	8·6	123	8·5
1969-74 (Fourth Plan)	161	10331	15·8	3794	14·7
1974-75	75	3714	18·2	1849	17·3
1975-76	108	4172	14·1	2598	15·2
1976-77	269	1766	5·7	3720	16·9
1977-78	220	2403	7·3	4317	18·4
1978-79	361	9891	17·3	4877	17.1
1979-80	501	13604	17·9	5660	13·7
Upto 30-6-1980	1689	48341	15·7	26935	15·5
Madhya Pradesh					
1963-69	12	1157	7·2	31	2·1
1969-74 (Fourth Plan)	163	8339	12·8	1291	5·0
1974-75	38	795	3·9	1234	11·6
1975-76	102	1242	4·2	1932	11·3
1976-77	118	1940	6·3	2610	11·8
1977-78	190	3279	9·9	1670	7·1
1978-79	399	6063	10·6	1666	5·9
1979-80	443	10595	14·0	3647	8·9
Upto 30-6-1980	1430	29999	9·7	14088	8·1
Bihar					
1963-69	4	1190	7·4	18	1·2
1969-74 (Fourth Plan)	26	3630	5·6	980	3·9
1974-75	28	2069	10·1	932	8·8
1975-76	36	2313	7·8	1318	7·7
1976-77	101	2863	7·7	1696	7·7
1977-78	166	2053	6·2	1864	8·0
1978-79	131	3145	5·5	2253	7·9
1979-80	240	3996	5·3	2468	6·0
Upto 30-6-1980	707	19725	6·4	11523	6.6
Orissa					
1963-69	3	55	0·2	4	—
1969-74 (Fourth Plan)	20	1233	1·9	51	0·2
1974-75	38	1684	8·2	82	0·8
1975-76	53	985	3·3	338	1·9
1976-77	79	2230	6·0	565	2·6
1977-78	65	1357	4·1	816	3·5
1978-79	55	667	1·2	875	3·1
1979-80	155	2629	3·5	1315	3·2
Upto 30-6-1980	444	9812	3·2	4042	2·3
West Bengal					
1963-69	4	413	2·6	—	—
1969-74 (Fourth Plan)	23	320	0·5	42	0·2
1974-75	9	127	0·6	69	0·6
1975-76	31	997	3·4	159	0·9
1976-77	52	1389	3·8	590	2·7
1977-78	89	1446	4·4	996	4·3
1978-79	97	2382	4·2	1045	3·7
1979-80	109	1235	1·6	981	2·4
Upto 30-6-1980	402	7804	2·5	3881	2·2

STATEMENT 6—(*Concld*)

POSITION OF SCHEMES SANCTIONED AND REFINANCE DISBURSED IN LESS DEVELOPED/UNDER BANKED STATES

Rs. lakhs

Particulars	Schemes sanctioned			Disbursement	Percentage to total disbursement
	No. of schemes	ARDC commitment	Percentage to total commitment		
Rajasthan					
1963-69	6	362	2·2	7	0·5
1969-74 (Fourth Plan)	49	2621	4·0	656	2·5
1974-75	16	851	4·2	350	3·3
1975-76	57	3353	11·3	536	3·3
1976-77	69	2139	5·8	787	3·6
1977-78	79	1970	6·0	1312	5·6
1978-79	141	3459	6·0	1616	5·7
1979-80	150	2709	3·6	1815	4·4
Upto 30-6-1980	542	15931	5·2	7084	4·1
Total of all less developed/under banked states *(including above 6 states) upto 30-6-1980	5570	138114	44·9	69109	39·8
Total of all states upto 30-6-1980	**12225**	**307657**	**100·0**	**173819**	**100·00**

*Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Andaman & Nicobar Islands, Bihar, Orissa, West Bengal, Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Assam and other North-Eastern States.

STATEMENT 7

REDUCTION OF INTRA-STATE IMBALANCES—POSITION OF SCHEMES SANCTIONED

Rs. lakhs

State	Upto 30 June 1971			Upto 30 June 1979			As on 30 June 1980		
	No. of schemes	ARDC commitment	Disbursement	No. of schemes	ARDC commitment	Disbursement	No. of schemes	ARDC commitment	Disbursement
ANDHRA PRADESH									
Less developed areas*	4	1800	639	473	15853	8280	776	23174	11941
Entire state	74	3416	1758	756	27124	16431	1278	38566	22624
ORISSA									
Less developed areas*	3	43	—	66	1842	471	100	2490	724
Entire state	8	155	27	298	7837	2727	444	9812	4042
UTTAR PRADESH									
Less developed areas*	10	544	157	349	12228	5599	523	15313	6571
Entire state	32	2566	671	1213	34816	21275	1689	48341	26935

*Andhra Pradesh : Telangana and Rayaleseema areas.

Orissa : Mayurbhanj, Keonjhar, Phulbani, Sundergarh, Koraput and Kalahandi districts.

Uttar Pradesh : Districts in three divisions of Faizabad, Gorakhpur and Varanasi.

STATEMENT 8

IRDP BANKING PLANS APPROVED DURING 1979-80

Rs lakhs

Region/State/Union Territory	No. of banking plans approved	No. of blocks covered	Financial assistance	ARDC commitment	Disbursement
I. *NORTHERN REGION*					
Chandigarh	—	—	—	—	—
Delhi	—	—	—	—	—
Haryana	—	—	—	—	—
Himachal Pradesh	1	3	26	24	—
Jammu & Kashmir	1	1	10	9	—
Punjab	1	2	14	13	—
Rajasthan	—	—	—	—	—
II. *NORTH-EASTERN REGION*					
Assam	—	—	—	—	—
Manipur	—	—	—	—	—
Meghalaya	—	—	—	—	—
Nagaland	—	—	—	—	—
Tripura	—	—	—	—	—
III. *EASTERN REGION*					
Bihar	—	—	—	—	—
Orissa	2	8	54	49	—
West Bengal	—	—	—	—	—
IV. *CENTRAL REGION*					
Madhya Pradesh	1	2	32	29	—
Uttar Pradesh	27	215	1712	1535	48
V. *WESTERN REGION*					
Goa	—	—	—	—	—
Gujarat	14	66	671	604	3
Maharashtra	3	15	321	289	1
VI. *SOUTHERN REGION*					
Andhra Pradesh	21	168	2050	1845	218
Karnataka	5	24	268	242	3
Kerala	—	—	—	—	—
Pondicherry	1	2	50	45	5
Tamil Nadu	15	170	1554	1398	117
Total	**92**	**671**	**6762**	**6082**	**395**

STATEMENT 9

DISTRIBUTION OF IRDP BANKING PLANS APPROVED UPTO 30 JUNE 1980 BY AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Agency	Purpose	Financial assistance	ARDC commitment	Disbursement upto 30 June 1980
State Land Development Banks	MI	858	776	—
	Others	462	417	—
Scheduled Commercial Banks*	MI	1031	924	395
	Others	3624	3257	
State Cooperative Banks	MI	145	131	—
	Others	642	577	—
Total		**6762**	**6082**	**395**

*Include RRBs.

STATEMENT 10

SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD AGENCIES AS ON 30 JUNE 1980

Rs lakhs

Region/State/Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commitment	Disbursemen	
						During 1979-80	Upto 3 o June 198
I. *NORTHERN REGION*							
Delhi	2	DD	7	44	30	11	25
Haryana	2	MI	1	1	1	—	—
		PF	1	11	10	—	4
		DD	5	37	36	8	31
			7	49	47	8	35
Himachal Pradesh	2	PF	2	11	10	—	—
		Pig	1	2	2	—	—
		P/H	1	2	2	—	—
		DD	4	19	16	3	16
		X	2	9	6	1	1
			10	43	36	4	17
Jammu & Kashmir	1	X	1	8	7	—	—
	2	DD	2	12	7	2	7
			3	20	14	2	7
Punjab	1	MI	4	179	179	—	138
	2	MI	1	6	6	—	64
		PF	2	35	32	1	4
		DD	35	284	263	44	122
		X	1	3	3	1	1
			43	507	483	46	271
Rajasthan	1	MI	30	856	815	10	522
	2	MI	39	461	413	40	74
		SB	13	303	274	54	116
		DD	25	234	209	32	53
		X	7	101	87	12	12
	3	Y	16	327	294	97	97
			130	2282	2092	245	874
			200	2945	2702	316	1229
II. *NORTHERN-EASTERN REGION*							
Assam	1	MI	1	126	114	—	—
	2	MI	7	57	51	—	13
		FS	1	15	14	1	2
		P/H	1	7	6	—	1
		DD	2	23	20	—	6
			12	228	205	1	22
Manipur	3	MI	1	4	3	—	—
Meghalaya	2	PF	2	5	5	—	—
	3	P/H	2	11	10	—	—
			4	16	15	—	—
Nagaland	3	P/H	2	11	10	—	—
Tripura	2	MI	3	19	17	3	5
			22	278	250	4	27

STATEMENT 10 (*Contd.*)

SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD AGENCIES AS ON 30 JUNE 1980

Rs. lakhs

Region/State/Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commitment	Disbursement	
						During 1979-80	Upto 30 June 1980
III. *EASTERN REGION*							
Bihar	2	MI	3	72	67	2	24
		FM	1	5	5	—	5
		PF	1	1	1	—	—
		DD	6	34	31	3	9
			11	112	104	5	38
Orissa	1	MI	3	295	277	16	104
		LD	1	2	2	1	1
		FS	6	43	39	5	5
	2	MI	5	442	403	76	134
		LD	1	16	14	—	5
		PF/SB/Pig.	4	12	10	2	5
		DD	48	184	164	62	67
	3	Pig.	1	2	2	—	—
			69	996	911	162	321
West Bengal	1	MI	7	136	127	—	102
		P/H	1	9	9	—	—
	2	MI	6	67	62	—	68
		DD	2	15	15	—	7
			16	227	213	—	177
			96	1335	1228	167	536
IV. *CENTRAL REGION*							
Madhya Pradesh	1	MI	13	507	479	—	365
		X	11	44	39	—	—
	2	MI	4	26	23	—	11
		DD	7	33	29	—	—
			35	610	570	—	366
Uttar Pradesh	1	MI	8	931	911	—	557
		LD	3	21	19	—	—
		DD	7	51	46	—	—
	2	MI	4	51	47	5	23
		SB	2	5	5	—	—
		DD	21	132	121	2	21
		X	1	26	24	—	—
			46	1217	1173	7	601
			81	1827	1743	7	967
V. *WESTERN REGION*							
Goa	2	MI	1	13	12	—	7
		PF	1	2	1	—	—
		DD	4	8	7	1	3
			6	23	20	1	10
Gujarat	1	MI	1	4	3	—	—
		DD	2	10	9	—	2
	2	MI	9	41	36	—	10
		DD	19	128	112	10	84
		X	2	5	4	—	—
			33	188	164	10	96

STATEMENT 10 (*Contd.*)
SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD AGENCIES AS ON 30 JUNE 1980

Rs. lakhs

Region/State/Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1978-79	Upto 30 June 1980
Maharashtra . . .	1	MI	22	580	528	—	376
	2	MI	13	126	114	15	30
		DD	28	183	161	15	65
		X	1	7	6	—	—
			64	896	809	30	411
			103	1107	993	41	517
VI. SOUTHERN REGION							
Andhra Pradesh . . .	1	MI	16	2163	1976	118	1184
		LD	4	124	111	—	12
		SB	8	92	79	—	54
		DD	4	45	41	—	38
		X	1	1	1	—	—
	2	MI	22	414	375	165	257
		LD	2	8	7	—	—
		P/H	1	4	4	—	—
		PF	3	23	21	1	5
		SB	20	115	102	71	122
		FS	1	1	1	3	3
		DD	32	244	218	46	117
	3	MI	1	11	9	—	—
			115	3245	2945	404	1792
Karnataka . . .	1	MI	4	484	484	—	429
	2	MI	3	74	71	—	—
		SB	1	4	3	—	—
		DD	1	2	2	—	—
			9	564	560	—	429
Kerala . . .	1	MI	4	37	33	—	—
	2	FS	1	1	1	—	1
		DD	6	20	20	3	8
	3	PF	1	22	21	—	—
			12	80	75	3	9
Pondicherry . . .	2	DD	1	9	6	—	6
Tamil Nadu . . .	1	MI	6	208	194	2	102
		SB	1	2	1	1	1
		DD	5	12	11	3	3
		X	5	35	31	27	27
	2	PF	3	15	13	5	5
		SB	13	64	57	31	40
		P/H	2	36	31	1	1
		DD	16	174	149	29	48
		X	5	99	75	14	14
			56	645	562	113	241
			193	4543	4148	520	2477
Total (I to VI)			**695**	**12035**	**11064**	**1055**	**5753**

STATEMENT 11

IDA/IBRD PROJECTS—BRIEF DESCRIPTION OF EACH PROJECT

1. (a) First ARDC Credit Project (540 IN).

(b) Cost of the project—$ 168.5 million IDA assistance of $ 75 million routed through ARDC.

(c) Investments in minor irrigation and other diversified form of lending such as dairy, poultry fisheries, plantations, etc.

(d) State Land Development Banks, Scheduled Commercial Banks and a State Co-operative Bank.

(e) 2 years—closing date—31 December 1977.

(f) The project was completed in June 1977 six months ahead of schedule. A Project Completion Report was prepared by IDA with ARDC assistance.

2. (a) Second ARDC Credit Project (715 IN).

(b) Cost of the project—$ 583 million—IDA assistance—$ 200 million being routed through ARDC.

(c) Investments in minor irrigation and diversified categories as under the First ARDC Credit Project and training.

(d) State Land Development Banks, Scheduled Commercial Banks and State Co-operative Banks.

(e) 2 years—closing date—31st December 1979.

(f) The project was fully disbursed by 27 December 1979, i.e. before the scheduled closing date 31 December 1979. A Project Completion Report is under preparation.

3. (a) Third ARDC Credit Project (947 IN).

(b) Cost of the project—$ 1005 million IDA assistance— 250 million to be routed through ARDC.

(c) Investments in minor irrigation (including land development) and other diversified categories as may be agreed to by GOI, IDA and ARDC during the currency of the Project.

(d) State Land Development Banks, Scheduled Commercial Banks and State Co-operative Banks.

(e) 2 years—closing date—31 December 1981.

(f) The project became effective on 2 January 1980

ARDC disbursements under the project till 30 June 1980 aggregated Rs. 139.7 crores qualifying for a credit of $ 84 million.

4. (a) Andhra Pradesh Agricultural Credit Project (226 IN).

(b) Cost of the project—$ 45 million—IDA assistance—$ 24.4 million routed through ARDC.

(c) Financing of minor irrigation investments, land development and tractors.

(d) Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank and selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—30 June 1977.

(f) The Project was completed by the end of June 1977. Project Completion Report has been prepared by IDA with ARDC and LDB assistance.

5. (a) Andhra Pradesh Fisheries Project (815 IN).

(b) Cost of the project—$ 36.5 million IDA assistance—$17.5 million—$3.9 million to be routed through ARDC.

(c) To increase marine fisheries production in Andhra Pradesh by improving 3 important fishing harbours at Visakhapatnam, Kakinada and Nizamapatnam by providing credit for acquisition of fishing vessels, both mechanised and non-mechanised, to be owned and operated by individuals, companies and co-operatives. The project will also improve the productivity of small fishermen by construction of access roads.

(d) Andhra Pradesh State Co-operative Bank and selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—30 September 1984.

(f) In the Andhra Pradesh Fisheries Project, the pace of implementation is slow. The state government had recently finalised the procedure for selection of fishermen. The co-operatives which are to finance nearly 50 per cent of the projected programme have been permitted to finance individual farmers. At the end of June 1980, disbursements of refinance by ARDC amounted to Rs. 21 lakhs.

6. (a) Andhra Pradesh Irrigation and Command Area Development Composite Project (1251 IN).

(b) Cost of the project—$ 297 million—IBRD assistance—$ 145 million—$ 9.1 million to be routed through ARDC.

(c) The project includes completion of canal and drainage net work and construction of village roads in Nagarjunasagar Project (NSP) and initiates command areas development in NSP, Pochampad and Tungabhadra High Level Canal Command Areas.

(d) Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank and selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—31 December 1982.

(f) In the Andhra Pradesh Command Area Development Project, recently a state legislation making it obligatory to farmers in Command Areas to undertake systematic land levelling of their holdings has been cleared by GOI and the bill is likely to be introduced in the next Assembly session. Suitable agency has not been set up to draw loans from the Special Loan Account. Farmers are stated to be not interested in paying charges for fine levelling and supervision charges at 15 per cent of the investment. ARDC disbursement under the project at the end of June 1980 amounted to Rs. 1.98 crores.

7. (a) Bihar Agricultural Credit Project (440 IN).

(b) Cost of the project—$ 60 million—IDA assistance—$ 32 million to be routed through ARDC.

(c) Minor irrigation programme including sinking of tubewells, installation of diesel pumpsets and low lift pumping of surface water.

(d) Bihar State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 4 years—closing date extended to March 1980.

(f) The project was completed during the year. A Project Completion Report is under preparation.

8. (a) Bihar Market Yards Project (294 IN).

(b) Cost of the project—$ 22.6 million—IDA assistance—$14.0 million—$ 13.8 million to be routed through ARDC.

(c) Investment in market yards in about 50 towns in Bihar, including civil works such as construction of entrance roads, surfacing, fencing, godowns, traders' shops, etc.

(d) State Bank of India.

(e) 5 years—closing date—31 December 1979.

(f) The project was completed during the year and the allocated credit was fully drawn.

9. (a) Gujarat Agricultural Credit Project (191 IN).

(b) Cost of the project—$ 67 million—IDA assistance—$ 35 million of which $ 34.7 million routed through ARDC.

(c) Financing of minor irrigation investments and purchase of tractors.

(d) Gujarat State Land Development Bank.

(e) 5 years—The project was completed by 31 March 1975.

(a) Project title. (b) Project cost/IDA assistance. (c) Investment programme. (d) Financing banks (e) Project period and closing-date (f) Project status.

(f) The project, the first IDA-assisted agricultural credit project in the country, has been fully implemented. A Project Completion Report was prepared by IDA with ARDC assistance.

10. (a) Gujarat Fisheries Project (695 IN).

(b) Cost of the project—$ 38 million—IDA assistance—$ 18 million—$ 4.7 (million to be routed through ARDC.

(c) Integrated development of fisheries in Gujarat, improvement of fishing harbours in Veraval and Mongrol, improvement of shore facilities, provision of credit towards fishing, processing unit, ice plant and to traditional fishermen for purchase of canoes and outboard motors.

(d) Selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—30 June 1983.

(f) In the Gujarat Fisheries Project, ARDC disbursement till the end of June 1980 was of the order of Rs. 1.3 crores. There has been delay in the construction and delivery of mechanised fishing vessels. The non-availability of quality wood for construction of wooden canoes as stated to be a reason for slow progress. Regarding the feasibility of introducing fibre glass boats, the project authorities are yet to take a decision. There has also been delay in the development of shore facilities envisaged under the project. Boat Risk Fund Rules are yet to be approved by the GOI.

11. Haryana Agricultural Credit Project (249 IN).

(b) Cost of the project—$ 62.2 million—IDA assistance of $ 25 million routed through ARDC.

(c) Minor irrigation investments such as shallow tubewells, imported and indigenous tractors, etc.

(d) State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 6 years—The project was completed by 30 June 1977.

(f) The project was completed within the extended period. A Project Completion Report was submitted to IDA.

12. (a) Haryana Irrigation Project (843 IN).

(b) Cost of the project—$ 221.9 million—IDA assistance—$ 111.0 million—$ 41.4 million to be routed through ARDC.

(c) Modernization of canals, water courses, construction of augmentation tubewells, etc.

(d) Haryana State Land Development Bank, Haryana State Co-operative Bank and selected commercial banks.

(e) 5 years—closing date—August 1983.

(f) The ARDC disbursements at the end of June 1980 under the Project were Rs 7.93 crores. The Haryana MITC had expressed its inability to construct/modernise more than 500 water courses per annum. The farmers in some districts are reluctant to get the water courses lined on account of loss of crop due to floods. There has been shortage of critical materials like cement, bricks and coal for carrying out the work.

13. (a) Himachal Pradesh Apple Processing and Marketing Project (456 IN).

(b) Cost of the project— 20.4 million—IDA assistance —$ 13.0 million—$ 5.4 million to be routed through ARDC.

(c) Improvements in apple processing and marketing in Himachal Pradesh.

(d) Selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—31 December 1980.

(f) In the Himachal Pradesh Apple Processing and Marketing Project, disbursements aggregating Rs 2.3 crores have been made by the financing institutions till the end of June 1980. Schemes for cable ways are yet to be submitted to ARDC for the juice concentrate plant contribution to equity upto 20 per cent is yet to be agreed by the Government of Himachal Pradesh.

14. (a) Inland Fisheries Project (963 IN).

(b) Cost of the project—$ 40.8 million—IDA assistance —$ 20 million—$. 9.3 million to be routed through ARDC.

(c) Construction of fish seed hatchery complexes and improvement to fish ponds for intensive fish culture in West Bengal, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.

(d) Commercial Banks, Regional Rural Banks, State Co-operative Banks and Land Development Banks.

(e) 5 years—closing date—30 September 1985.

(f) The project became effective from 5 May 1980. The project banking plan was forwarded to IDA and and GOI by April 1980. Construction of first fish seed hatcheries in each state is expected to commence from March 1981.

15. (a) Integrated Cotton Development Project (610 IN).

(b) Cost of the project—$36 million—IDA assistance—$18 million—$12.9 million to be routed through ARDC.

(c) Provision of seasonal credit for growing improved varieties of cotton and term credit for ginneries and cotton seed processing units including modernisation in the project areas in Haryana, Punjab and Maharashtra.

(d) State co-operative banks and selected commercial banks.

(e) 5 years—closing date—31 December 1981.

(f) In the ICDP, under the Seasonal Loan Account Category, ARDC has so far filed claims with the GOI for an aggregate sum of Rs 3.2 crores. This would account for a credit of $4.0 million out of IDA Credit of $ 7.5 million. Regarding long term loans for ginning and seed processing, two ginning and pressing units in Haryana and one seed processing unit each in Haryana and Maharashtra are being implemented with the project funds. For a third ginnery in Haryana, techno-financial feasibility study was conducted. In Maharashtra, oil processing unit with solvent extraction facility is contemplated.

16. (a) Jammu & Kashmir Horticulture Project (806 IN)

(b) Cost of the project—$ 27.6 million—IDA assistance $14.0 million—$9.6 million to be routed through ARDC.

(c) ARDC is involved in the construction of 25 apple grading and packing centres, 10 cold storages, one transhipment centre and seasonal credit of about Rs 2.0 crores to help the apple, walnut and mushroom growers.

(d) Selected commercial banks and State Co-operative Bank.

(e) Five years—closing date—31 December 1983.

(f) Under the project, co-operatives have recently reduced the interest rate on short-term loans to the fruit growers. Since this has implication in regard to financing the fruit growers and margin available to the commercial banks from the ARDC, the matter has been referred to Reserve Bank of India.

17. (a) Karnataka Agricultural Credit Project (278 IN).

(b) Cost of the project—$75.4 million—IDA assistance —$40 million routed through ARDC.

(c) Minor irrigation investments, land reclamation work, purchase of tractors and land reclamation equipments.

(d) Karnataka State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 5 years—Project was fully implemented by June 1977.

(f) Besides minior irrigation and land shaping works, 2,900 tractors were procured under the project. Project Completion Report has since been prepared.

18. (a) Karnataka Agricultural Wholesale Markets Project (378 IN).

(b) Cost of the project—$12 million—IDA assistance $—8 million—$7.9 million to be routed through ARDC.

(c) Marketing facilities including civil works, utility equipments, etc.

(d) Selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—31 December 1979 since extended to June 1981.

(f) In Karnataka, 39 market yards proposals originally contemplated under the project have been sanctioned. The disbursements at the end of June 1980 under this project aggregated Rs 5.5 crores. Five more market yards have been included under the project for financing. This would be necessary to absorb the allocated credit.

19. (a) Karnataka Dairy Development Project (482 IN).

(b) Cost of the project—$ 63.7 million—IDA assistance —$ 30 million—originally $ 20.9 million and revised $ 6.1 million to be routed through ARDC.

(c) Integrated programme for increasing milk production in rural areas of Karnataka by providing technical services for quality cross breeding and animal health and marketing.

(d) Karnataka State Land Development Bank, State Co-operative Bank and selected commercial banks.

(e) 8 years—closing date—30 September 1982.

(f) Under this project, only crossbred cows programme is to be implemented with refinance assistance from ARDC. In all 986 dairy co-operative societies have been registered till the end of March 1980 and 566 societies are yet to be registered. It is understood that the Karnataka Dairy Development Corporation is not enthusiastic about the on-farm development programme in view of non-availability of cross-bred cows. Disbursements at the end of March 1980 aggregrated Rs. 7 lakhs.

20. (a) Karnataka Irrigation Project (788 IN).

(b) Cost of the project—$ 284.4 million—IDA assistance—$126 million—$ 7 million to be routed through ARDC.

(c) The project envisages financing of completion of Almatti and Naryanpur dams and Naryanpur Left Bank Canal as well as construction of branch canal and covering cultivable command area of 4,25,000 ha.

(d) Karnataka State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—31 March 1984.

(f) The Karnataka Command Area Development Act, 1980 has since been passed making the CADAs, statutory bodies. The State Government have also constituted 5 CADAs and have nominated their members to these authorities.

21. (a) Kerala Agricultural Development Project (680 IN).

(b) Cost of the project—$ 69 million—IDA assistance 30 million— 26.7 million to be routed through ARDC.

(c) Development of tree crops such as coconut, pepper and cashew plantation, setting up of crumb rubber factories, etc. Farmers would also be eligible for loans for minor irrigation investments.

(d) Kerala State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 7 years—closing date—31 March 1985.

(f) There has been inadequate response for coconut rehabilitation. 99 schemes for coconut and pepper development have been sanctioned by the ARDC involving ARDC's commitment of Rs 310 million. For the crumb rubber factory, the proposals received are under consideration. IDA supervision mission which visited the state in November 1979 was of the view that major modifications to the Project components would be necessary. The area of the unit has to be increased from 500 ha. to 2000 ha. Besides, other steps such as amalgamation of units, increase in the number of units, extension of the programme to new areas/districts not envisaged earlier, induction of new banks may be thought of Firm proposals are yet to be formulated by the State government in this regard.

22. (a) Madhya Pradesh Agricultural Credit Project (391 IN).

(b) Cost of the project—$ 60.3 million—IDA assistance—$ 33.2 million routed through ARDC.

(c) Minior irrigation investments and land levelling.

(d) State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 3 years—closing date—31 December 1976.

(f) The programme was fully implemented by the end of December 1976. A Project Completion Report was prepared and sent to IDA.

23. (a) Madhya Pradesh Dairy Development Project (522 IN).

(b) Cost of the project—$ 31.2 million—IDA assistance —$16.4 million—$ 13.7 million to be routed through ARDC.

(c) Construction of dairy plants—cattle breeding farm, feed mills, etc.

(d) Selected commercial banks.

(e) 7 years—closing date—30 June 1982.

(f) Credit under the project is to be routed through Indian Dairy Corporation.

24. (a) Madhya Pradesh Chambal Command Area Development Project (562 IN).

(b) Cost of the project—$45.8 million—IDA assistance —$24 million— 3.1 million to be routed through ARDC.

(c) On-farm development in the Chambal Command Area.

(d) Madhya Pradesh State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 4 years—closing date—extended to 30 June 1981.

(f) In the Chambal CAD Project, ARDC has cleared 58 schemes. Commercial banks have obtained interim finance from ARDC to the extent of Rs 0.2 lakh. Inadequate crop compensation, lack of extension work, lack of adequate machinery, heavy overdues to co-operatives are stated to be the reasons for slow progress.

25. (a) Maharashtra Agricultural Credit Project (293 IN).

(b) Cost of the project— 50.3 million—IDA assistance—$30 million—$ 28.1 million routed through ARDC.

(c) Minior irrigation programme and land levelling investment.

(d) Maharashtra State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 4 years—The project was extended upto June 1976.

(f) The project was completed in 1975-76. A Project Completion Report was prepared by IDA with assistance from ARDC.

26. (a) Maharashtra Irrigation and Command Area Development Composite Project (836 IN)

(b) Cost of the project—$ 140 million—IDA assistance 70 million—$ 5.5 million to be routed through ARDC for on-farm development.

(c) On-farm development in Jayakwadi and Purana Irrigation Scheme areas.

(d) Maharashtra State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—31 March 1983.

(f) In the Maharashtra Irrigation and CAD Composite Project, the procedures have been settled and interim finance to the extent of Rs 97 lakhs was released by the financing institutions. All problems that had slowed down the progress have now been settled and it is anticipated that the disbursements will pick up.

27. (a) National Seed Project—Phase I (1273 IN).

(b) Cost of the project— 52.7 million—IBRD assistance million— 18.2 million to be routed through ARDC.

(c) The project is the first phase for development of national seed programme covering 4 states.

(d) 5 years—closing date—30 June 1981.

(e) Under the National Seed Project I, one scheme each has been sanctioned in Punjab and Haryana respectively involving ARDC commitment of Rs 1.1 crores and ARDC has so far released refinance assistance of Rs 29 lakhs. The State Seed Corporation of Haryana has formulated a proposal for setting up of a processing

unit. This proposal has yet to be sponsored by a bank. In Maharashtra a similar project to a commercial bank is under consideration of ARDC. The proposals of the Agricultural Universities at Akola and Rahuri in Maharashtra and Andhra Pradesh Agricultural University are yet to be sponsored by financing banks.

28. (a) National Seed Project—Phase II (816 IN).

(b) Cost of the project—$ 34.8 million—IDA assistance —$ 14.5 million to be routed through ARDC.

(c) Second phase of the national seed programme covers five states, viz., Bihar, Karnataka, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh. The major thrust would be on the production of quality seeds for cereal crops, groundnut and vegetable seeds. Seed output would be increased by 125 lakhs tonnes.

(d) Selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—31 December 1984.

(f) A project for the State Seed Corporation of Bihar has been approved by the ARDC. Proposals are yet to be received from other states.

29. (a) Orissa Irrigation Project (740 IN).

(b) Cost of the project—$116 million—IDA assistance —$58 million—$2.4 million to be routed through ARDC.

(c) On-farm development of 57,000 ha. in command areas of Hirakud, Salandi and Mahanadi irrigation systems.

(d) State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—31 October 1983.

(f) In the Orissa Irrigation Project, the State government was contemplating to execute land drainage and field channel works at government cost and recovering the charges from farmers. This would mean that credit institutions have no role to play. No firm decision has yet been taken in this regard.

30. (a) Punjab Agricultural Credit Project (203 IN).

(b) Cost of project—$ 40 million—IDA assistance— $ 27.5 million routed through ARDC .

(c) Farm mechanisation equipments.

(d) Punjab State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 2 years—The project was extended from time to time till the end of June 1977.

(f) The project was fully implemented by end of June 1977. 7827 tractors were financed under the project comprising 4051 indigenous and 3776 imported tractors.

31. (a) Punjab Irrigation Project (889 IN).

(b) Cost of the project—$ 257.5 million—IDA assistance— $129 million— $ 46 million to be routed through ARDC.

(c) Modernisation of water courses.

(d) Commercial banks.

(e) 5 years—closing date—30 June 1985.

(f) In the Project, the ARDC disbursement at the end of June 1980 was Rs. 5.5 crores.

32. (a) Chambal Command Area Development Project—Rajasthan (1011 IN).

(b) Cost (ARDC programme) of the project—$ 12 million—IBRD assistance—$ 6.5 million to be routed through ARDC.

(c) On-farm development in the Chambal Command Area.

(d) Selected commercial banks.

(e) 7 years—closing date—30 June 1981.

(f) In the Rajasthan Chambal CAD Project ARDC disbursement at the end of June 1980 aggregated Rs. 70 lakhs.

33. (a) Rajasthan Canal Command Area Development Project (502 IN).

(b) Cost of the project—$ 39.8 million—IDA assistance —$ 22.5 million to be routed through ARDC.

(c) On-farm development in the Rajasthan Canal Command Area.

(d) Selected commercial banks.

(e) 7 years—closing date—30 June 1981.

(f) In the Rajasthan Canal CAD Project, ARDC had cleared till June 1980 cost estimates relating to 1201 chaks. The RLDC had accorded financial sanction in respect of 1008 chaks. Shortage of critical construction material like cement and non-availability of coal had retarded the progress of development. The State government have also to allot blocks of land to eligible farmers. Legal and procedural difficulties in regard to the right of transferability of land have also slowed down the development. ARDC disbursement as at the end of June 1980 was of the order of Rs. 6.2 crores under the project.

34. (a) Rajasthan Dairy Development Project (521 IN).

(b) Cost of the project—$ 51.8 million IDA assistance— $ 27.7 million— $ 22.3 million to be routed through ARDC as per original allocation.

(c) Setting up of dairy co-operatives and dairy plants.

(d) Selected commercial banks.

(e) 7 years—closing date—31 December 1982.

(f) The credit component under the project is to be routed through the Indian Dairy Corporation and no ARDC refinance is expected.

35. (a) Tamil Nadu Agriculture Credit Project (250 IN).

(b) Cost of the project— $ 62.3 million—IDA assistance— $ 35 million— $ 31 million routed through ARDC.

(c) Minor irrigation investments, land levelling and purchase of tractors.

(d) Tamil Nadu State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date of the project was extended upto 31 December 1977.

(f) The project was fully implemented by 1976-77. 1627 tractors were procured under the project. A Project Completion Report was prepared by IDA with ARDC assistance.

36. (a) Tarai Seed Project—U.P. (614 IN).

(b) Cost of the project—$ 22.4 million—IBRD assistance—$ 13 million—$ 9 million routed through ARDC.

(c) Land development in Tarai area of U.P. by increasing availability of high yielding varieties of foodgrains.

(d) State Bank of India.

(e) 8 years—closing date was extended upto 31 December 1977.

(f) The project has been treated as closed.

37. (a) Uttar Pradesh Agricultural Credit Project (392 IN).

(b) Cost of the project—$ 72.5 million—IDA assistance of $ 38 million routed through ARDC.

(c) Minor irrigation investments.

(d) State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 4 years—closing date was extended upto June 1977.

(f) The project was completed by December 1977.

38. (a) West Bengal Agricultural Development Project (541 IN).

(b) Cost of the project—$ 59 million—IDA assistance— $ 34 million—$ 15 million to be routed through ARDC.

(c) Construction of shallow tubewells and setting up of river lift irrigation units, agro-service centres and market yards development.

(d) West Bengal State Land Development Bank and selected commercial banks.

(e) 5 years—closing date—31 March 1980 extended upto March 1981.

(f) In the West Bengal ADP, ARDC disbursements upto the end of June 1980 were Rs. 21.0 crores. The shallow tubewells programme has been extended to the

whole state and is progressing satisfactory. The number of agro-service centres has been reduced from 200 to 100. Of the 3 market yards under the project, one has been completed. In regard to deep tubewells programme, while response from the MIC was good, that from the farmers was inadequate. The request for transfer of deep tubewells from farmers' groups to MIC has been deferred by IDA due to organisational inadequacies of the MIC and their failure to remedy the situation.

39. Multi-State Cashew Project. +

40. Karnataka Sericulture Project.

+These two projects were negotiated recently.

41. Drought Prone Areas Project : The Drought Prone Areas Project covering six districts in Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Rajasthan provides for integrated development of the drought prone areas in project districts, including minor irrigation, sheep and dairy development, horticulture, fisheries, sericulture, etc. The bank loans are being refinanced by the ARDC under the Third ARDC Credit Project.

STATEMENT 12

POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1980

Rs lakhs

Project	Effective/ closing dates	Purpose	Total londing programme	Amount of IBRD/IDA assistance admissible to ARDC	Agency	Disbursement by PLDBs/ PCBs@	Disbursement by ARDC	Amount received from Government of India*
A, IBRD PROJECT								
1. Tarai Seeds Project (U.P.)	(a) 12-9-69 (b) 30-6-74 (c) 31-12-77	LD	927	690	Com. Bks.	263	193	193
2. Chambal Command Area Development Project (Rajasthan)	(a) 12-12-74 (b) 30-6-81	LD	619	520	Com. Bks.	89	70	20
3. National Seed Project (A.P. Haryana, Punjab and Maharashtra)	(a) Oct. 76 (b) 30-6-81	LD	2169	1634	Com. Bks.	33	29	—
4. A.P. Irrigation and Command Area Development Composite Project	(a) 8-9-76	LD	1241	819	SLDB	235	176	103
	(b) 31-12-82		60	45	Com. Bks.	32	22	
	Total (A):		5016	3708		652	490	316
B, IDA PROJECTS								
I. ARDC Credit Project—I	(a) 5-8-75 (b) 31-12-77	MI	11100	5520	SLDBs	13816	9490	23064
		Other purposes			Com. Bks.		2787	
			900	400	SCBs		18	
			12000	5920		13816	12295	
II. ARDC Credit Project-II	(b) 31-12-79	MI	28636	15750	SLDBs	36329	19717	
		Other purposes	3927	2160	Com. Bks.		11177	
					SCBs		360	
			32563	17910		36329	31254£	23064
III. ARDC Credit Project-III	(a) 2-1-80 (b) 31-12-81	MI	35638	17819	SLDBs	13519	6422	2235
		Others purposes	7138	3569	Com. Bks.		5707	
					SCBs		286	
			42776	21388		13519	12415	2235
IV. Integrated Cotton Development Project	(a) 24-8-76 (b) 31-12-81	S.T. crop loan for cotton, cotton ginning & seed processing	889	600	Com. Bks.	89	82	321
					SCB	465	423	
			720	432	Corn. Bks.	112	102$	
						29	26$	
			1609	1032		695	633**	321

£Includes switch-over to ARDC III.

*Excludes amount received from GOI in respect of other donors.

$Long-term.

**Excludes previous years' ICDP dibsursements.

Continued

STATEMENT 12 (*Contd.*)

POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1980

Rs lakhs

Project	Effective / closing dates	Purpose	Total leading programme	Amount of IBRD/ IDA assistance admissible to ARDC	Agency	Disbursement by PLDBs/ PCB@	Disbursement by ARDC	Amount received from Government of India
V. *AGRICULTURAL CREDIT PROJECTS*								
1. Andhra Pradesh	(*a*) 10-5-71 (*b*) 30-6-74 (*c*) 30-6-77	MI	2111	1393	SLDB	2014	1776	1920
					Com. Bks	97	88	
		LD	230	154	SLDB	230	151	
		FM	806	431	SLDB	603	359	
					Com. Bks.	203	149	
			3147	1978		3147	2523	1920
2. Bihar	(*a*) 29-3-74 (*b*) 31-12-77 (*c*) 31-3-80	MI	4473	2728	SLDB	2267	2123	2570
					Com. Bks.	2391	2225	
			4473	2728		4658	4348	2570
3. Gujarat	(*a*) 14-9-70 (*b*) 30-6-74 (*c*) 31-3-75	MI	4027	2344	SLDB	4027	3635	2608
		FM	351	182	SLDB	319	233	
			4378	2526		4346	3868	2608
4. Haryana	(*a*) 2-11-71 (*b*) 31-3-75 (*c*) 30-6-77	M	1962	903	SLDB	2841	1894	2140
					Com. Bks.	76	64	
		EM	1433	1002	SLDB	660	468	
					Com. Bks.	1060	792	
			3395	1905		4637	3218	2140
5. Karnataka	(*a*) 25-9-72 (*b*) 31-12-75 (*c*) 30-6-77	MI & Well rigs	3070	2057	SLDB	3122	2795	3265
					Com. Bks.	187	128	
		LD	525	315	SLDB	256	185	
		LR Equip.	105	105	Com. Bks.	4	3	
		FM	1575	1008	SLDB	680	450	
					Com. Bks.	960	777	
			5275	3485		5209	4338	3265
6. Kerala	(*a*) 29-6-77 (*b*) 31-3-85	Tree Crops Rubber Processing & MI	5060	2403	SLDB	148	69	—
					Com. Bks.	253	116	
			5060	2403		401	185	—
7. Madhya Pradesh	(*a*) 10-10-73 (*b*) 31-12-76	MI (Including LD)	4003	2619	SLDB	2930	2532	2854
					Com. Bks	2112	1866	
			4003	2619		5042	4398	2854
8. Maharashtra	(*a*) 31-1-73 (*b*) 31-12-75 (*c*) 30-6-76	MI	3690	3136	SLDB	3475	3140	2558
					Com. Bks.	187	178	
		LD	226	192	SLDB	226	170	
		FM	211	148	SLDB	190	143	
			4127	3476		4078	3631	2558

STATEMENT 12 (*Contd.*)
POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1980

Rs. lakhs

Project	Effective/ closing dates	Purpose	Total lending pro-grammes	Amount of IBRD/ IDA assistance admis-sible to ARDC	Agency	Disburse-ment by PLDBs/ PCBs(@)	Disburse-ment by ARDC	Amount received from Govern-ment of India*
9. Punjab	(*a*) 4-9-70 (*b*) 31-12-73 (*c*) 30-6-77	FM	4000	2380	SLDB Com. Bks.	1000 2228	750 1684	2180
			4000	2380		3228	2434	2180
10. Tamil Nadu	(*a*) 2-11-71 (*b*) 31-12-74 (*c*) 31-12-77	MI LD FM Earth moving machinery	3001 88 780 243	1861 61 492 243	LLDB SLDB SLDB Com. Bks. Com. Bks.	3001 88 834 29 46	2781 66 625 22 35	2526
			4112	2657		3998	3529	2526
11. Uttar Pradesh	(*a*) 31-10-73 (*b*) 31-12-76 (*c*) 31-12-77	MI	5516	3420	SLDB Com. Bks.	4277 1492	3849 1152	3406
			5516	3420		5769	5001	3406
12. West Bengal	(*a*) 28-8-75 (*b*) 31-3-80 (*c*) 31-3-81	MI FM SG & MY	2696 145 87	1483 80 48	SLDB Com. Bks. Com. Bks. Com. Bks.	1061 1262 11 31	965 1102 10 27	1093
			2928	1611		2365	2104	1093
Total V (1 to 12)			**50414**	**31188**		**46878**	**39677**	**27120**
VI. *OTHER PROJECTS*								
1. Bihar Markets Yards Projects	(*a*) 31-7-72 (*b*) 30-6-78 (*c*) 31-12-79		1491	1002	Com. Bks.	1763	1577	1035
2. Chambal Command Area Development Project (M.P.)	(*a*) 18-9-75 (*b*) 31-12-79 (*c*) 30-6-81		246	156	SLDB Com. Bks.	— —	— —	— —
3. Himachal Pradesh Apple Processing & Marketing Project	(*a*) 26-9-74 (*b*) 31-12-78 (*c*) 31-12-80		608	488	Com. Bks.	226	204	—
4. Karnataka Agricultural Wholesale Markets Projects	(*a*) 7-9-73 (*b*) 31-12-79 (*c*) 30-6-81		891	713	Com. Bks.	605	551	425
5. Karnataka Dairy Development Project	(*a*) 23-12-74 (*b*) 30-9-82		542	488	SLDS Com. Bks. SCB	— 8 —	— 7 —	— — —
6. Madhya Pradesh Dairy Development Project	(*a*) 23-7-76 (*b*) 30-6-82		1389	1091	Com. Bks.	—	—	—
7. Punjab Irrigation Project	(*a*) June 79 (*b*) 30-6-85		6691	3680	Com. Bks.	659	546	
8. Rajasthan Canal Command Area Development Project	(*a*) 12-12-74 (*b*) 30-6-81		2395	1800	Com. Bks.	775	618	411

STATEMENT 12—(*Contd.*)
POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1980

Rs lakhs

Project	Effective/ closing dates	Purpose	Total lending pro-gramme	Amount of IBRD/ IDA assistance admissible to ARDC	Agency	Disburse-ment by PLDBs/ PCBs@	Disburse-ment by ARDC	Amount received from Govern-ment of India*
9. Rajasthan Dairy Development Project	(*a*) 8-8-75 (*b*) 31-12-82		2175	1784	Com. Bks.	—	—	—
10. Gujarat Fisheries Project	(*a*) 19-7-77 (*b*) 30-6-83		810	423	Com. Bks.	159	127	—
11. Maharashtra Irrigation CAD Composite Project	(*a*) April 77 (*b*) 31-3-83		825	495	SLDB Com. Bks.	— 97	— 69	— —
12. Orissa Irrigation Project	(*a*) Nov. 77 (*b*) 31-10-83		393	216	Com. Bks.	—	—	—
13. Karnataka Irrigation Project	(*a*) April 78 (*b*) 31-3-84		1082	595	SLDB Com. Bks.	— —	— —	— —
14. Jammu & Kashmir Horticulture Project	(*a*) Jan. 79 (*b*) 31-12-83		822	768	Com. Bks. SCB	— —	— —	— —
15. National Seed Project-II	(*a*) Jan. 79 (*b*) 31-12-84		2003	1267	Com. Bks.	—	—	—
16. Andhra Pradesh Fisheries Project	(*a*) Oct. 78 (*b*) 30-9-84		609	335	SLDB Com. Bks.	— 26	— 21	— —
17. Haryana Irrigation Project	(*a*) Dec. 78 (*b*) 31-8-83		6473	3560	SLDB Com. Bks. SCB	— 856 17	— 778 15	— — —
18. Inland Fisheries Project (Bihar, Orissa, West Bengal, Madhya Pradesh & Uttar Pradesh)	(*a*) 5-5-80 (*b*) 30-9-85		1449	797	SLDBs Com. Bks.	— —	— —	— —
Total VI (1 to 18)			**30894**	**19658**		**5181**	**4513**	**1871**
Total B			**170256**	**97096**		**116418**	**100182+**	**54611**
Grand Total (A+B)			**175272**	**100804**		**117070**	**100672+**	**54827**

@Latest available data
+Excludes ICDP (S.T.)

NB. Effective/closing dates
(*a*) Effective date
(*b*) Closing date
(*c*) Reavised closing date

STATEMENT 13

DISBURSEMENT DURING 1979-80 ACCORDING TO STATE AGENCY AND PURPOSE

Rs lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loan issued	Debentures subscribed to/loans disbursed by /ARDC	Contribution of Governments/ Banks
1. *NORTHERN REGION*					
Delhi	Com. Bks.	Farm mechanization	1	1	—
		Poultry farming	2	1	1
		Dairy development	12	12	—
			15	14	1

STATEMENT 13—(*Contd.*)

DISBURSEMENT DURING 1979-80 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/loans disbursed by/ARDC	Contribution of Governments/ Banks
NORTHERN REGION—(Contd.)					
Haryana	SLDB	Minor Irrigation	696	626	70
		Land development	27	22	5
		Farm mechanization	848	637	211
		Plantation/Horticulture	13	10	3
		Dairy development	52	47	5
	Com. Bks.	Minor Irrigation	1148	938	210
		REC	66	33	33
		Land development	13	9	4
		Farm mechanization	1065	799	266
		Poultry farming	31	28	3
		Dairy development	19	17	2
		Storage & Market yards	300	240	60
		Others	4	3	1
		ICDP (S.T.)	59	47	12
	SCB	Storage & Market yards	19	15	4
		ICDP (L.T.)	179	102	77
		ICDP (S.T.)	450	373	77
			4989	3946	1043
Himachal Pradesh	SLDB	Minor Irrigation	1	1	—
		Plantation/Horticulture	4	3	1
	Com. Bks.	Plantation/Horticulture	183	177	6
		Dairy development	4	4	—
			192	185	7
Jammu & Kashmir	SLDB	Farm mechanization	9	7	2
	Com. Bks.	Farm mechanization	1	1	—
		Plantation/Horticulture	1	1	—
		Dairy development	4	3	1
			15	12	3
Punjab	SLDB	Minor Irrigation	225	202	23
		Land development	82	69	13
		Farm mechanization	1154	862	292
	Com. Bks.	Minor Irrigation	954	789	165
		REC	232	116	116
		Land development	22	17	5
		Farm mechanization	3139	2346	793
		Agro service centres	55	40	15
		Plantation/Horticulture	1	1	—
		Poultry farming	43	33	10
		Diary development	58	49	9
		Storage & Market yards	541	416	125
		Others	1	1	—
		ICDP (S.T.)	36	27	9
	SCB	ICDP (S.T.)	55	50	5
			6598	5018	1580
Rajasthan	SLDB	Minor Irrigation	657	592	65
		Land development	10	8	2
		Farm mechanization	119	90	29
		Plantation/Horticulture	8	7	1

STATEMENT 13—(*Contd.*)
DISBURSEMENT DURING 1979-80 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/loans disbursed by ARDC	Contribution of Governments/ Banks
	Com. Bks.	Minor irrigation REC	501	427	74
		Command area development	296	237	59
		Farm mechanization	129	97	32
		Poultry farming	1	1	—
		Sheep breeding	72	65	7
		Dairy development	53	44	9
		Storage & Market yards	154	123	31
		Others	13	11	2
		Combined purposes	19	16	3
	SCB	Combined purposes	107	97	10
			2139	1815	324
II. *NORTH-EASTERN REGION*					
Assam	Com. Bks.	Minor Irrigation	15	12	3
		Farm mechanization	1	1	—
		Plantation/Horticulture	303	269	34
		Storage & Market yards			
		Fisheries	3	2	1
		Others	1	1	—
			1	1	—
			324	286	38
Manipur . . .	SCB	Farm mechanization	6	5	1
		Plantation/Horticulture	4	3	1
		Fisheries	3	2	1
			13	10	3
Tripura . . .	Com. Bks.	Minor Irrigation	7	3	4
		Plantation/Horticulture	2	2	—
		Fisheries	7	3	4
		Others	4	3	1
			20	11	9
III. *EASTERN REGION*					
Andaman & Nicobar Islands	Com. Bks.	Plantation/Horticulture	1	1	—
Bihar	SLDB	Minor irrigation	393	354	39
		Plantation/Horticulture	4	3	1
		Fisheries	4	3	1
	Com. Bks.	Minor irrigation	1470	1323	147
		REC	272	136	136
		Farm mechanization	545	491	54
		Poultry farming	1	1	—
		Dairy development	25	22	3
		Fisheries	1	1	—
		Storage & Market yards	116	104	12
		Combined purposes	33	30	3
			2864	2468	396

STATEMENT 13—*Contd.*

DISBURSEMENT DURING 1979-80 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency	Puurpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to /loans disbursed by/ARDC	Contribution of Governments/ Banks
Orissa	SLDB	Minor irrigation	433	389	44
		Land development	3	2	1
		Farm mechanization	18	14	4
		Plantation/Horticulture	60	53	7
		Fisheries	20	18	2
		Others	6	4	2
	Com. Bks.	Minor irrigation/REC	480	431	49
		Land development	2	1	1
		Farm mechanization	22	20	2
		Piggery	3	2	1
		Fisheries	80	73	7
		Dairy development	40	36	4
	SCB	Minor/irrigation	295	268	27
		Fisheries	5	4	1
			1467	1315	152
West Bengal	SLDB	Minor irrigation	375	338	37
		Farm mechanization	49	44	5
		Plantation/Horticulture	48	43	5
		Fisheries	14	13	1
	Com. Bks.	Minor irrigation	226	198	28
		Farm mechanization/ASC	42	36	6
		Plantation/Horticulture	250	227	23
		Poultry farming	1	1	—
		Dairy development	16	14	2
		Storage & Market yards	82	67	15
			1103	981	122
IV. *CENTRAL REGION*					
Madhya Pradesh	SLDS	Minor irrigation	1274	1146	128
		Land development	48	37	11
		Farm mechanization	2	1	1
	Com. Bks.	Minor irrigation	2044	2007	37
		REC	262	131	131
		Land development	52	41	11
		Farm mechanization	221	166	55
		Poultry farming	2	2	—
		Dairy development	5	4	1
		Storage & Market yards	7	6	1
		Forestry	113	91	22
		Gobar Gas plants	21	15	6
			4051	3647	404
Uttar Pradesh	SLDB	Minor irrigation	3183	2865	318
	Com. Bks.	Minor irrigation	803	629	174
		Farm mechanization	2528	1822	706
		Poultry farming	4	2	2
		Sheep breeding	4	2	2
		Fisheries	6	3	3
		Dairy development	124	92	32
		Storage & Market yards	233	182	51
		Gobar gas plants	6	5	1
		IRDP	55	48	7
		Others	12	10	2
			6958	5660	1298

STATEMENT 13—(*Contd.*)

DISBURSEMENT DURING 1979-80 ACCORDING TO STATE, AGNCY AND PURPOSE

Rs lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/loans disbursed by ARDC	Contribution of Governments/ Banks
V. *WESTERN REGION*					
Goa	Com. Bks.	Minor irrigation	5	3	2
		Dairy development	3	1	2
		Fisheries	150	116	34
		Gobar gas plants	1	1	—
			159	121	38
Gujarat	SLDB	Minor irrigation	74	67	7
		Dairy development	65	52	13
	Com. Bks.	Minor irrigation	1622	1427	195
		REC	206	103	103
		Farm mechanization	632	455	177
		Agro service centre	3	2	1
		Poultry farming	23	18	5
		Fisheries	276	218	58
		Dairy development	170	127	43
		Storage & Market yards	10	8	2
		Gobar gas plants	23	17	6
		IRDP	3	3	—
			3107	2497	610
Maharashtra . . .	SLDB	Minor irrigation	2190	1969	221
		Plantation/Horticulture	62	49	13
		Dairy development	28	21	7
	Com. Bks	Minor irrigation/REC	1249	751	498
		Land development/CAD	84	63	21
		Farm mechanization	492	378	114
		Plantation/Horticulture	23	19	4
		Poultry farming	133	101	32
		Sheep breeding	8	6	2
		Fisheries	42	33	9
		Dairy development	167	120	47
		Storage & Market yards	112	90	22
		Gobar Gas plants	12	10	2
		IRDP	1	1	—
		ICDP (S.T.)	14	8	6
		ICDP(LT.)	32	26	6
		Others	55	43	12
			4704	3688	1016
VI. *SOUTHERN REGION*					
Andhra Pradesh . . .	SLDB	Minor irrigation	3170	2853	317
		Land development	333	262	71
		Farm mechanization	782	585	197
		Plantation/Horticulture	494	370	124
		Poultry farming	87	66	21
		Sheep breeding	181	141	40
		Fisheries	37	28	9
		Dairy deveopment	160	121	39
		Others	151	113	38

STATEMENT 13—(*Contd.*)
DISBURSEMENT DURING 1979-80 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs lakhs.

Region/State/ Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/loans disbursed by/ARDC	Contribution of Governments/ Banks
	Com. Bks	Minor irrigation	485	399	86
		REC	378	189	189
		Land development	37	26	11
		Farm mechanization	169	127	42
		Plantation/Horticulture	81	60	21
		Poultry farming	308	270	38
		Sheep breeding	154	133	21
		Fisheries	94	50	44
		Dairy development	157	113	44
		Storage & Market yards	13	8	5
		Forestry	45	31	14
		Gobar gas plants	1	1	—
		IRDP	275	218	57
		Others	18	16	2
	SCB	Poultry farming	2	2	—
		Fisheries	14	11	3
			7626	6193	1433
Karnataka . . .	SLDB	Minor irrigation	287	258	29
		Farm mechanization	66	50	16
		Plantation/Horticulture	95	70	25
		Sheep breeding	16	14	2
		Gobargas plants	3	2	1
		Others	11	9	2
	Com. Bks.	Minor irrigation/REC	95	87	8
		Farm mechanization	86	69	17
		Plantation/Horticulture	314	253	61
		Poultry farming	41	34	7
		Sheep breeding	20	15	5
		Fisheries	273	218	55
		Dairy development	19	15	4
		Storage & Market yards	316	253	63
		Gobar gas plants	33	27	6
		IRDP	4	3	1
		Others	12	10	2
			1691	1387	304
Kerala	SLDB	Minor irrigation	324	292	32
		Land development	1	1	—
		Farm mechanization	2	2	—
		Plantation/Horticuture	248	186	62
		Dairy development	1	1	—
	Com. Bks.	Minor irrigation	131	118	13
		Land development	211	169	42
		Plantation/Horticulture	187	141	46
		Fisheries	89	67	22
		Dairy development	22	17	5
		Storage & Market yards	5	4	1
			1221	998	223
Pondicherry . . .	SLDB	Dairy development	1	1	—
	Com. Bks.	IRDP	6	5	1
			7	6	1

STATEMENT 13 (*Concld.*)
DISBURSEMENT DURING 1979-80 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/loans disbursed by ARDC	Contribution of Governments/ Banks
Tamil Nadu . . .	SLDB	Minor irrigation	149	135	14
		Plantation/Horticulture	92	69	23
		Sheep breeding	36	27	9
		Fisheries	22	16	6
		Dairy development	14	11	3
		Gobar gas plants	2	2	—
		Others	30	27	3
	Com. Bks	Minor irrigation/REC	118	75	43
		Land development	3	2	1
		Farm mechanization	83	61	22
		Plantation/Horticulture	131	93	38
		Poultry farming	79	61	18
		Sheep breeding	41	32	9
		Fisheries	195	149	46
		Dairy development	91	72	19
		Gobar gas plants	2	1	1
		IRDP	130	117	13
		Others	21	14	7
			1239	964	275
Total (I to VI) . . .			**50503**	**41223**	**9280**

Note : Com. Bks include RRBs

STATEMENT 14

LIST OF SHAREHOLDERS AS ON 30 JUNE 1980.

I. RESERVE BANK OF INDIA

II. STATE LAND DEVELOPMENT BANKS (19)

1. Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank Ltd.
2. Assam Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd.
3. Bihar Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Simit.
4. Gujarat State Co-operative Land Development Bank Ltd.
5. Haryana State Co-operative Land Development Bank Ltd.
6. Himachal Pradesh Central Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
7. Jammu & Kashmir Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd.
8. Karnataka State Co-operative Land Development Bank Ltd.
9. Kerala Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd.
10. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Simit.
11. Maharashtra State Co-operative Land Development Bank Ltd.
12. Orissa State Co-operative Land Development Bank Ltd.
13. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd.
14. Punjab State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
15. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
16. Tamil Nadu Co-operative State Land Development Bank Ltd.
17. Tripura Co-operative Land Development Bank Ltd.
18. Uttar Pradesh Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
19. West Bengal Central Co-operative Land Development Bank Ltd.

III. STATE CO-OPERATIVE BANKS (24)

1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd.
2. Assam Co-operative Apex Bank Ltd.
3. Bihar State Co-operative Bank Ltd.
4. Delhi State Co-operative Bank Ltd.
5. Goa State Co-operative Bank Ltd.
6. Gujarat State Co-operative Bank Ltd.
7. Haryana State Co-operative Bank Ltd.
8. Himachal Pradesh State Co-operative Bank Ltd.
9. Jammu & Kashmir State Co-operative Bank Ltd.
10. Karnataka State Co-operative Apex Bank Ltd.
11. Kerala State Co-operative Bank Ltd.
12. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit.
13. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.
14. Manipur State Co-operative Bank Ltd.
15. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.
16. Nagaland State Co-operative Bank Ltd,
17. Orissa State Co-operative Bank Ltd.
18. Pondicherry State Co-operative Bank Ltd.
19. Punjab State Co-operative Bank Ltd.
20. Rajasthan State Co-operative Bank Ltd.
21. Tamil Nadu State Co-operative Bank Ltd.
22. Tripura State Co-operative Bank Ltd.
23. Uttar Pradesh Co-operative Bank Ltd.
24. West Bengal State Co-operative Bank Ltd.

IV. SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (66)

1. State Bank of India.
2. State Bank of Bikaner & Jaipur.
3. State Bank of Hyderabad.

4. State Bank of Indore.
5. State Bank of Mysore.
6. State Bank of Patiala.
7. State Bank of Saurashtra.
8. State Bank of Travancore.
9. Allahabad Bank.
10. Andhra Bank.
11. Bank of Baroda.
12. Bank of India.
13. Bank of Maharashtra.
14. Canara Bank.
15. Central Bank of India.
16. Corporation Bank.
17. Dena Bank.
18. Indian Bank.
19. Indian Overseas Bank.
20. New Bank of India.
21. Oriental Bank of Commerce.
22. Punjab National Bank.
23. Punjab & Sind Bank.
24. Syndicate Bank.
25. Union Bank of India.
26. United Bank of India.
27. United Commercial Bank.
28. Vijaya Bank.
29. Bank of Cochin Ltd.
30. Bank of Karad Ltd.
31. Bank of Madura Ltd.
32. Bank of Rajasthan Ltd.
33. Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
34. Benares State Bank Ltd.
35. Bharat Overseas Bank Ltd.
36. Catholic Syrian Bank Ltd.
37. Dhanalakshmi Bank Ltd.
38. Federal Bank Ltd.
39. Hindustan Commercial Bank Ltd.
40. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
41. Karnataka Bank Ltd.
42. Karur Vysya Bank Ltd.
43. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
44. Lakshmi Commercial Bank Ltd.
45. Laxmi Vilas Bank Ltd.
46. Lord Krishna Bank Ltd.
47. National Bank Ltd.
48. Nedungadi Bank Ltd.
49. Purbanchal Bank Ltd.
50. Ratnakar Bank Ltd.
51. Sangli Bank Ltd.
52. South Indian Bank Ltd.
53. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
54. United Industrial Bank Ltd.
55. United Western Bank Ltd.
56. The Bank of Thanjavur Ltd.
57. Vysya Bank Ltd.
58. Algemene Bank Netherlands NV.
59. American Express International Banking Corporation.
60. Bank of America National Trust and Savings Association.
61. Bank of Tokyo Ltd.
62. Banque National De Paris.
63. Chartered Bank.
64. Grindlays Bank Ltd.
65. Mercantile Bank Ltd.
66. Mitsui Bank Ltd.

V. RURAL BANKS (44)

1. Barabanki Gramin Bank.
2. Bhagirath Gramin Bank.
3. Bhojpur Rohtas Gramin Bank.
4. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank.
5. Bolangir Anchalic Gramya Bank.
6. Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank.
7. Cauvery Grameena Bank.
8. Champaran Kshetriya Gramin Bank.
9. Cuttack Gramya Bank.
10. Gaur Gramin Bank.
11. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank.
12. Gurgaon Gramin Bank.
13. Hardoi Unnao Gramin Bank.
14. Haryana Kshetriya Gramin Bank.
15. Jaipur Nagaur Anchalic Gramin Bank.
16. Koraput Panchbati Gramya Bank.
17. Kosi Kshetriya Gramin Bank.
18. Kshetriya Gramin Bank Hoshangabad.
19. Krishna Grameena Bank.
20. Kutch Gramin Bank.
21. Magadh Gramin Bank.
22. Malaprabha Grameena Bank.
23. Mallabhum Gramin Bank.
24. Marathwada Grameena Bank.
25. Mayurakshi Gramin Bank.
26. Monghyr Kshetriya Gramin Bank.
27. Nagarjuna Grameena Bank.
28. North Malabar Gramin Bank.
29. Pandyan Grama Bank.
30. Pragjyotish Gaonlia Bank.
31. Puri Gramya Bank.
32. Rae Bareilly Kshetriya Gramin Bank.
33. Rayalaseema Grameena Bank.
34. Reva Sidhi Gramin Bank.
35. Samyut Kshetriya Gramin Bank.
36. Santhal Parganas Gramin Bank.
37. Shekhawati Gramin Bank.
38. South Malabar Gramin Bank.
39. Sri Visakha Grameena Bank.
40. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank.
41. Tripura Gramin Bank.
42. Tungabhadra Gramin Bank.
43. Uttar Ganga Kshetriya Gramina Bank.
44. Vaishali Kshetriya Gramin Bank.

VI. LIFE INSURANCE CORPORATION, INSURANCE AND INVESTMENT COMPANIES ETC. (6)

1. General Insurance Corporation of India.
2. Life Insurance Corporation of India.
3. National Insurance Company Ltd.
4. New India Assurance Company Ltd.
5. Oriental Fire and General Insurance Company Ltd.
6. United India Fire & General Insurance Company Ltd.

SHAH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Maker Bhavan No. 2
18 New Marine Lines
BOMBAY 400 020

REPORT OF THE AUDITORS

We have examined the annexed Balance Sheet of the Agricultural Refinance and Development Corporation as at 30th June 1980 and also the annexed Profit and Loss Account of the Corporation for the year ended upon that date and report that :

1. We have obtained all the information and explanations which we have required and have found them to be satisfactory.

2. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Corporation the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and properly drawn up in accordance with the Act and the General Regulations of the Corporation, so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Corporation.

For SHAH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Sd/-
(Indulal H. Shah)
Partner

Bombay, 20th August, 1980.

AGRICULTURAL REFINANCE AND

BALANCE SHEET AS AT

LIABILITIES			As at 30-6-1979
	Rs P	Rs P	Rs P.
1, CAPITAL			
Authorised			
100,000 shares of Rs. 10,000 each		100,00,00,000 ·00	100,00,00,000 ·00
Issued, Subscribed and Paid-up 57,500 shares of Rs. 10,000 each paid-up (Note 1)		57,50,00,000 ·00	57,50,00,000 ·00
2. RESERVES AND SURPLUS			
Reserve Fund			
Balance as per last Balance Sheet (Note 2)	25,44,83,000 ·00		10,38,20,000 ·00
Add : Transfer from Profits & Loss Account	—		9,89,63,000 ·00
			20,27,83,000 ·00
		25,44,83,000 ·00	
Capital Reserve			
As per last Balance Sheet		5,00,00,000 ·00	5,00,00,000 ·00
Research and Development Fund			
Balance as per last Balance Sheet	2,00,00,000 ·00		1,00,00,000 ·00
Transferred from Profit and Loss Account			1,00,00,000 ·00
		2,00,00,000 ·00	2,00,00,000 ·00
Profit and Loss Account			
Profit brought forward	237 ·85		420 ·75
Profit for the year	16,37,15,907 ·84		13,98,84,906 ·14
	16,37,16,145 ·69		13,98,85,326 ·89
Less: (*i*) Transferred to Research and Development Fund	—		1,00,00,000 ·00
	16,37,16,145 ·69		12,98,85,326 ·89
(ii) Transferred to Reserve Fund	—		9,89,63,000 ·00
	16,37,16,145 ·69		3,09,22,326 ·89
(*iii*) Transferred to Provision for Dividends	3,30,62,500 00		3,09,22,089 ·04
		13,06,53,645 ·69	237 ·85
3. SPECIAL DEPOSIT		6,88,76,236 ·88	5,21,95,234 ·14
4. PAYMENT BY CENTRAL GOVERNMENT IN RESPECT OF GUARANTEED DIVIDEND		—	—
5, BONDS AND DEBENTURES			
5¼ %ARDC Bonds 1892 I Series	10,93,77,000 ·00		
5¾ %ARDC Bonds 1982 II Series	8,52,50,000 ·00		
5¾ %ARDC Bonds 1984 III Series	8,25,00,000 ·00		
5¾ %ARDC Bonds 1985 IV Series	11,00,00,000 ·00		
5¾ %ARDC Bonds 1985 V Series	16,50,00,000 ·00		
5¾ %ARDC Bonds 1986 VI Series	11,00,00,000 ·00		
6 %ARDC Bonds 1984 VII Series	16,50,00,000 ·00		
6 %ARDC Bonds 1985 VIII Series	16,50,00,000 ·00		
6 %ARDC Bonds 1985 IX Series	11,00,00,000 ·00		
6 %ARDC Bonds 1986 X Series	27,50,00,000 ·00		
6 %ARDC Bonds 1987 XI Series	16,50,00,000 ,00		
6 %ARDC Bonds 1987 XII Series	27,50,00,000 ·00		
6 %ARDC Bonds 1988 XIII Series	20,62,50,000 ·00		
6¼ %ARDC Bonds 1988 XIV Series	44,05,00,000 ·00		
6½ %ARDC Bonds 1990 XV Series	39,60,00,000 ·00		
		285,98,77,000 ·00	246,38,77,000 ·00

DEVELOPMENT CORPORATION

30TH JUNE, 1980

Assets	Rs P	Rs P	As at 30-6-1979 Rs P
1 CASH			
(*a*) In hand	4,269·13		3,304·92
(*b*) With Reserve Bank of India	2,65,42,931·99		4,18,24,668·11
(*c*) *With Others*			
(i) In India	3,87,352·84		1,74,720·23
(ii) Outside India	—		
		2,69,34,554·06	4,20,02,693·26
2. LOANS			
(*a*) By way of refinance	553,02,54,362·60		382,69,39,968·60
(b) Others	1,68,72,900·00		2,58,72,900·00
Less : Provision for Bad & Doubtful Debts	—		—
		554,71,27,262·60	385,28,12,868·60
3. DEBENTURES		748,85,61,752·81	661,33,14,890·20
4. INVESTMENT IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES (At Cost)			
(Face Value Rs. 23,58,20,800)		23,62,92,441·60	27,67,34,279·05
5. INTEREST ACCRUED ON INVESTMENT		24,07,337·33	27,24,300·50
6. OTHER ASSETS			
(a) Furniture, Fixture and Fittings, Office-Equipment, etc. (Cost upto 30-6-1979)	37,59,436·47		29,92,174·44
Add: Addition during the year	11,19,766·97		7,77,758·13
	48,79,203·44		37,69,932·57
Less : Items sold/adjusted	199·36		233·54
	48,79,004·08		37,68,699·03
Less : Depreciation to date	17,07,390·11		13,00,826·73
	31,71,613·97		24,68,872·30
(*b*) Deposits with Government Departments and other institutions	15,94,056·16		15,91,651·16
	47,65,670·13		40,60,523·46

AGRICULTURAL REFINANCE AND
SHEET BALANCE SHEET AS AT

LIABILITIES			As at 30-6-1979
	Rs P	Rs P	Rs P
6. LOANS FROM THE CENTRAL GOVERNMENT			
(a) Under Section 19 of the Act	—		—
(b) Other Loans	644,60,73,696 ·00		502,40,03,544 ·00
		644,60,73,696 ·00	502,40,03,544 ·00
7. OTHER BORROWINGS			
(a) From the Reserve Bank of India			
(i) Long term	314,70,00,000 ·00		263,50,00,000 ·00
(ii) Short-term	—		—
		314,70,00,000 ·00	263,50,00,000 ·00
(b) From Others—			
(i) In India	—	—	—
(ii) Outside India	—	—	—
8. FIXED DEPOSITS			
(a) For Special Loan Account from—			
(i) Central Government	3,91,48,000 ·00		3,91,48,000 ·00
(ii) State Governments	2,76,31,904 ·00	6,67,79,904 ·00	2,66,31,904 ·00
			657,79,904 ·00
(b) Others	—	—	—
9. PROVISION FOR DIVIDENDS			
(Amount transfered from Profit and Loss Account . .		3,30,62,500 ·00	3,09,22,089 ·04
10. PROVISION FOR TAXATION (Note 3)		8,79,43,614 ·00	13,96,43,614 ·00
11. OTHER LIABILITIES			
Sundry Creditors	4,12,03,677 ·77		1,74,27,652 ·53
Interest accrued but not due on			
(a) Loans from Central Government . . .	12,57,39,048 ·65		9,83,01,748 ·15
(b) Bonds and Debentures	3,93,26,269 ·76		3,13,89,769 ·76
		20,62,68,996 ·18	14,71,19,170 ·44
Contigent Liabilities			
(a) On account of guarantees given against deferred payments in connection with purchase of capital goods from outside India	—	—	—
(b) Others	—	—	—
Total Rupees		1394,60,18,592 ·75	1140,63,23,793 ·47

Notes :
1. As per Section 6 of ARDC Act 1963, shares are guaranteed by the Central Government as to the repayment of the principal and the payment of minimum annual dividend at such rate as may be fixed by Central Government.
2. (a) Includes Special Reserve Fund in terms of Section 36 (1) (viii) of the Income-tax 1961—Rs. 3,67,47,000/-(*Previous year Rs.* 6,67,47,000/-).Rs. 3,00,00,000/- being provision for 1977-78 since transferred to Reserve Fund as the Corporation has been exempted from payment of Income-tax with effect from that year.

   (b) An amount of Rs. 5,17,00,000/- being provision for taxation for 1977-78 has been transferred to Reserve Fund as the Corporation has been exempted from payment of income-tax with effect from that year.
3. As the Corporation has been exempted from payment of Income-tax for 5 years with effect from the accounting year 1977-78 the provisions made for earlier years remain pending final assessment.
4. An amount of Rs. 1,90,38,600/- being Grant-in-Aid in respect of expenditure incurred under ARDC CPs I and II, now received from Government of India has been adjusted.
5. Previous year figures are re-grouped wherever necessary.

As per our Report of even data attached

M.S. Javadekar

General Manager
Finance

Bombay, 12 *August* 1980.

Sd/
SHAH & CO.
Chartered Accountants,

Bombay, 20 *August*, 1980

DEVELOPMENT CORPORATION
30TH JUNE, 1980

Assets			As at 30-6-1979
	Rs. P.	Rs P	Rs P
6. OTHER ASSETS—(*Contd.*)			
(*c*) Sundry Advances	4,16,49,613 ·84		5,25,92,067 ·66
(*d*) Interest accrued on loans by way of refinance . .	19,20,03,297 ·22		13,92,89,525 ·06
(*e*) Interest accrued on debenture	29,93,94,644 ·98		24,96,59,073 ·27
(*f*) Discount on ARDC Bonds	77,85,861 ·11		91,47,111 ·11
(*g*) Advance tax paid (includes amount refundable Rs. 1,45,10,986 under Section 44 of the Finance Act, 1979) . . .	9,62,55,995 ·00		14,76,01,363 ·00
(*h*) Net Expenditure on Training ARDC Credit Projects (Note 4)	28,40,162 ·07		1,63,85,098 ·30
		64,46,95,244 ·35	61,46,74,238 ·40
Total Rupees		1394,60,18,592 ·75	1140,63,23,793 ·47

M. RAMAKRISHNAYYA	*Chairman*
B.S. VISHWANATHAN VEERSHETTY KUSHNOOR M.V. HATE	*Director*
M.A. CHIDAMBARAM	*Managing Director*

Bombay, 16 *August* 1980

AGRICULTURAL REFINANCE AND

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE

		Previous year	
	Rs P	Rs	P
1. Interest Paid	63,04,38,533 ·42	50,89,00,070	·16
2. Salaries and Allowances	3,64,60,308 ·07	2,46,57,756	·37
3. Contribution in Staff Provident, Pension and other Funds	44,43,070 ·93	17,73,564	·82
4. Directors' and Committee Members' Fees	700 ·00	300	·00
5. Travelling and Other Allowances in connection with Director and Committee Members' Meetings	25,928 ·30	12,145	·45
6. Rent, Rates, Insurance, Lighting, etc.	32,49,513 ·03	23,00,214	·08
7. Travelling Expenses	12,71,349 ·20	10,67,913	·02
8. Printing and Stationery	8,61,218 ·80	5,79,807	·29
9. Postage, Telegrams & Telephones	7,05,590 ·94	5,44,484	·94
10. Repairs to Property	49,846 ·69	26,269	·59
11. Auditors' Fees	15,000 ·00	12,500	·00
12. Legal Charges	30,983 ·00	10,563	·12
13. Miscellaneous Expenses (Notes 1 & 2)	85,83,060 ·18	77,23,354	·33
14. Depreciation	4,11,977 ·30	3,10,337	·55
15. Net Profit carried to Balance-Sheet	16,37,15,907 ·84	13,98,84,906	·14
Total Rupees	85,02,62,987 ·70	68,77,99,186	·96

Notes : 1. Includes : (i) Stamp duty on Bonds Rs. 39,60,000 ·00

(ii) Bonds Discount VII to XIII Series Rs. 13,61,260 ·00

2. Includes Entertainment Expenses Rs. 18,980 ·55

3. Includes : (i) Discount received on debentures subscribed to Rs. 4,92,201 ·61

(ii) Interest on advance-tax 1977-78 refunded alongwith the advance-tax paid Rs. 39,49,602 ·00

As per our Report of even date attached
Sd/-
SHAH & CO
Chartered Accountants

Bombay, 20 *August* 1980

M.S. Javadekar
General Manager
Finance

Bombay, 12 *August*, 1980.

DEVELOPMENT CORPORATION

YEAR ENDED 30TH JUNE, 1980

			Previous Year
	Rs P	Rs P	Rs P
1. INTEREST RECEIVED			
(*a*) On Loans and Debentures	78,75,51,731 ·72		64,16,82,149 ·76
(*b*) On Investments	5,72,59,977 ·33		4,51,19,729 ·72
(*c*) On Deposit with IDBI	81,870 ·00		81,870 ·00
(*d*) On other Deposits	9,25,863 ·38		5,78,437 ·70
		84,58,19,442 ·43	68,74,62,187 ·18
2. DISCOUNT, COMMISSION, ETC.			
3. OTHER ITEMS			
(*a*) Share Transfer Fees	2 ·00		4 ·00
(*b*) Miscellaneous Receipts (Note 3)	44,43,543 ·27		3,36,995 ·78
		44,43,546 ·27	3,36,999 ·78
Total Rupees		85,02,62,987 ·70	68,77,99,186 ·96

(*Previous Year Rs.* 44,05,000 ·00)
(*Previous Year Rs.* 13,61,250 ·00)
(*Previous Year Rs.* 18,041 ·56)
(*Previous Year Rs.* 3,33,717 ·59)
(*Previous Year Rs.* —)

M. RAMAKRISHNAYYA — *Chairman*

B.S. VISHWANATHAN
VEERSHETTY KUSHNOOR — *Director*
M.V. HATE

Bombay, 16 August 1980

M.A. CHIDAMBARAM — *Managing Director*

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981